

ति-दर्शन

दूसरा खण्ड ।



परमात्मा, उपका न्याय, और उसके न्यायों
 व्यवस्था व व्याहार कारण वह ही प्रथान है ।

प्रथम चार १००७ }
मूल्य ॥)

कर्ता—
राधामोहनगोकुलजी
 (राधे)

समर्पण ।

मैं प्रेम पुरःसर इस लघु पु-
स्तकको भारतके प्राणप्रिय नवयु-
द्धकोंके कर कमलोंमें समर्पण क-
रता हूँ । आशा है कि जिस प्रेम
भावसे मैं उन्हें समर्पण करता
हूँ वह भी उसी प्रेमसे इसे स्वी-
कार करेंगे ॥

ओ॒म् शम् ॥

लिखने का पता—
सिद्धपुराण
कृष्णपत्राना

सहज चेतना ।

जिस जातिमें धन व प्राण स्वतन्त्रता व सानमर्यादा से अधिक प्रीति के पात्र होते हैं उसमें नीति व बुद्धिको स्थान नहीं निलता । जिस जातिमें बुद्धि व नीतिको प्रधान स्थान नहीं निलता वही जाति परित छोकर निहीमें सिल जाती है । मानो देश-प्रेम, नान-सर्वार्था, सच्च स्वातन्त्र्यकी रक्षाके लिये धन प्राणको सृष्टवत् व्यापको प्रस्तुत रहना ही सनुष्यत्व है, उन्नतिका नहामन्त्र है ।

अपने देशकी अवलाभोंका सत व शील भङ्ग किये जाते देख, अपने देश वान्धवको घथ होते, अपनी सानमर्यादाका गला घुटते देख जिनकी ऐलिया नहीं झुलतीं, जिनको झुजाएं नहीं फड़कतीं, जिनके प्राण समरभूमिमें जाकर मरनेमारनेको सर्वार नहीं होते उनका जीना नरनेसे भी बुरा है ।

सदाचार व बुद्धिकी चृद्धि ही उन्नति है, नीतिज्ञता और समझकी कमीका ही नान अध्यात है ।

जो साँपकी तरह धन ताकने व हिजड़ीकी तरह प्राण बचानेकी ही चिन्तामें रहता है उसको सनुष्य कहना मानो सनुष्यजातिकी कलद्वित करना है—सनुके पुत्रोंको गाली देना है । सनुष्यकी शोभा लेखनी व खण्डगदे है नकि धन व सूपचे ।



विषय संची ।

नीतिदर्शन उत्तराधि ।

पाद ३

पृष्ठ	विषय ।	पृष्ठ	विषय ।
१	मङ्गलाधरण ।	१९	समाजके अधिकार ।
२	हमारा जगत् सम्बन्ध	२०	पितरेंव वृद्धोंके सम्बन्ध ।
४	उहज मानवी स्वत्व या स्वातन्त्र्य ।	२१	धर्म स्वातन्त्र्य ।
„	स्थिति विशेष स्वत्व विशेषका कारण नहीं	२४	स्वतन्त्रता विभवन्सन ।
५	बासना व चनकी सन्दर्भ	२५	” भेद ।
६-७	जीवन नियन ।	२२	मेगना कारटा व बाल- विलके प्रभाय ।
८-९	दृष्टाकी सीना ।	२३	समाजके कर्तव्य ।
१०-११	धर्म सार्वभौम्य होता है	२४	मानवासिका नियन ।
११	अन्योन्य कर्तव्य ।	२६	मान रक्षा ।
१२	न्याय और सत्य ।	२७	बुद्ध अन्योंका प्रकाशन ।
१४	ठिक्किक स्वतन्त्रताकी सीमा ।	२८	समाज स्वत्वाधार ।
१५	मनुष्यकी सहज परत- न्त्रता ।	२९-३०	पञ्च व जज ।
१७	पर स्वत्व प्रतिष्ठा ।	४१	ज्यूरी व छापाधर ।
१८	समाजके स्वत्व व दा- दायित्व ।	“	राजाका प्रादुर्भाव ।
		“	धार्मिक स्वतन्त्रता ।
		४२	साम्पत्तिक स्वत्व ।
		४३	सम्पत्ति रक्षा ।

पृष्ठ	विषय।	पृष्ठ	विषय।
४५	सन्पत्तिरक्षा न होनेवे हानि।	६०	स्वास्थी देवक, प्रमुख प्र-
४६	» प्राप्तिके द्वार।		तिनिधि, अन्तर्य,
४७	» भेद।		आदती, दलाल।
४८	» स्वत्व व दायित्व	६२	कर सम्बन्धी जौचित्या-
४९	चोरी व बठातकारी।		नौचिल्य।
५०	छड आदि।	६३	चालचलन।
५१	क्रय विक्रय।	६४	न्याय व मान सम्बन्ध,
५२	पारस्परिक अर्थं सम्बन्ध		उसके भेद व शासन
	व्यवहार, व्याज, जो-		की रीति।
	खन, उधार।	६५	दूसरेके दोष कब प्रकाश
५३	बीमा।		करे व कब न करे।
		६६	इतिहास लेखकका घम्स

पाठ ४

८३	सहम	१०१	कौनसी प्रतिज्ञा भङ्ग क-
८४	भूत व वर्तनाम चाहाई		रना दोष नहीं।
	व चसके भेद।	१०२	टीप व सौचिक प्रतिज्ञा।
८५	भूट व चसके भेद।	१०३	क्रय विक्रय आदि।
८६	सज्ज व भूटका अन्तर।	१०४	पत्त पत्तनी सम्बन्ध।
८७	सत्य सानवी स्वभाव है	१०५	रांड व रङ्गुमा।
	सच भूटका सम्बन्ध व	११०	पुरुषोंका अत्याचार।
	उनसे हानि व लाभ।	११०	स्त्री-पुरुषकी उभानता।
८८	भविष्यतकी चाहाई।	११२	शपथ या सौगन्ध।
८९	टीप अर्थात् इस्तावेज	११३	शपथके शुल दोष।
	प्रतिज्ञा या सुखाष्ट-		» उम्मद भेद।
	दाके लहरोंका विवाद।		

पृष्ठ	विषय ।	पृष्ठ	विषय ।
११७	काम संघम ।	१५५	सभ्यसाज और उसकी व्याख्या ।
११८	दार्ढपत्रे स व ब्रह्मधर्मे	१६८	सभाज सिंह काम के हो सकता है ।
११९	दयभिचार ।	१६९	कामका विसरण ।
१२०	आध्योंनें विशेष काम संघर्ष व विवाह ।	१७०	शासन भेद व विभाग ।
१२१	काम संघर्ष से लाभ ।	१७१	शास्त्रकारों, व दयवस्था देसेवालोंके कर्त्तव्य ।
१२२	विवाहकी आवश्यकता ।	१७२	राजकर्मचारी, उमके भेद व स्वत्व दायित्व ।
१२३	बहुपी व बहुती प्रथाके दोष ।	१८१	नागरिक व उनके कर्त्तव्य ।
१२४	दुराचारका परिणाम ।	१८२	सभाजके प्रति कर्त्तव्य ।
१२५	गार्हस्थ्य ।	१८३	स्वत्वरक्षाबलसे उचित है
१२६	विवाहकी अध्योंका अ- भीष्ट क्या है ।	१८४	विष्टवके गुण दोष ।
१२७	विवाह पर विशेष वक्तव्य	१८५	सभ्यसमर (चिविलबाद) ।
१२८	साता पिता व सन्तान ।	१८६	अवैध्य प्रतिरोध ।
१२९	इनके प्रेम ।	१८७	परोपकार ।
१३०	आत्मशासन ।	१८८	दुखियोंपर दया ।
१३१	साता पिता व सन्तानके स्वत्व व दायित्व—शिक्षा पाठ्य प्रोग्राम आदि ।	१८९	दानविधि ।
१३२	क्षब्जाता पिताकी आज्ञा भज्जु करना पाप लगता है ।	१९०	पात्रापात्र विचार ।
१३३	समाज, साधारण व वि- शेष ।	१९१	चातुर्थ्य लुख ।
१३४	समाज मुक्तजन, नियम, शास्त्र ज्ञान आदि ।	१९२	दुष्टोंके प्रति दया ।
१३५		१९३	हानिकारियोंके प्रति उपकार ।

शुद्धि-पत्र ।

४०—५८	चमुठ	यठ	४०—५९	चमुठ	यठ
६—१०	चोरी	यह बात चोरी	६७—१६	ग्रस्त	ग्रस्त
८—११	सोगोंको	सोग	८२—१४	दलाल	दलाल
९—१५	चट्टदर्शी	चट्टदर्शी	९४—१२	इतिवद	इतिवृत
१४—२०	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र	१०२—११	वरने	फरने
१६—१८	सुगमे	हुममे	११४—१५	पर है—पर मही है	
२६—२०	प्रकाश न	प्रकाशन	१४५—१५	नवी	नीच
,,—१८	सम्पति	सम्पत्ति	१५४—५	चमुळ	मंयल
४१—२२	कुल्ला होता न	कुल्ला होता	१६२—१३	Recess	Redress
४८—८	झन्य	ग्रस्त	१७२—२४	बठिलडे	बठिल्हा
४९—४८	यावज	यावज	१८१—८	छुल	भुल
५५—१०	डम्हुति	डम्हुति	जौर भी दोटीमोटी भूतोंका घरनेवें इह बात रम्भव है जो दाटक रम्भाक- कर पड़ते जौर नेरा अवराव छमा करे ।		
५८—२४	चमाज	चमाज	गुर्जें साम उठार्ये दोपोंको खुक्के चुदनर दे जिसवे ने भी साम उठाई ।		
६३—५	येवस्कार	बेदस्कर			
७३—१३	झर्याहाजों	झर्याहनाजों			

(राघे)



॥ ओ३३८ ॥

भूमिका । (खण्ड दूसरा)

जिस नीति विषयक छोटीसी पुस्तककी हस्तलिपि मेंने १९१० में तथ्यार की थी उसका पूर्वार्थ (प्रथम खण्ड) आशुत चेठ दानोदरदासजी राठीकी पूर्ण सहायतासे गतवर्ष अर्थात् १९१२ में प्रकाशित होनुका है । हिन्दी-रसिकों व विद्वानोंकी जो सम्पत्तियाँ उसपर प्रकाशित हुई हैं उनसे उत्साहित हो और अपने देवनागरी भक्त बालू कालीगण जी मित्रकी इादिक सहायतापा । इस दूसरे खण्डकी भी इस वर्ष पाठकोंकी मेंट करता हूँ, आशा है कि यह प्रथम खण्डसे कहीं अधिक ग्रिय और मान्य हो ; क्योंकि उसमें रुखे कीके दार्शनिक विषय ये जिनमें जनसाधारणकी विशेष रुचि न होनास्वभावित हुई और इसमें सरल प्रतिदिनके कामकी आवश्यक व परिचित बातें हैं ।

प्रथम खण्डकी १५०० प्रतियाँ छपी थीं जिनमेंसे १००० तो राठीजीने बांटी व शेष ५०० प्रतियाँ मेरे पास रहीं जिनमेंसे अब केवल पांच सरत ही और बची हैं । इस खण्डकी केवल १००० प्रतियाँ छपवाएँ गई हैं, जिससे दोनों खण्डोंको निलंबकर सुकर्में पुनर्वार छपानेका अवधर जल्दी मिले ।

इस पुस्तकके लिखनेका कारण में प्रथम खण्डकी भूमिकामें ‘हिन्दीमें नीतिशास्त्रसम्बन्धी क्रमबद्ध किसी अन्यका न होना’ अतलाचुका हूँ । उसके दुहरानेकी कोई आवश्यकता नहीं । परन्तु मेरा यह पका सत है कि कोई भी पुस्तक क्यों न हो जो पाठकोंके मनमें जागृति, हृदयोंपर स्थाई अंकना और नसोंमें करारापन न पैदा करे तथा निकम्भी हैं । फिर जब नीति और सहज जैतन्यताके अभावसे ही भारतका अधःपत्त

निर्विवाद सिंह दोचुका है; तो उसके बच्चोंके पढ़नेके लिये किसी नीति शास्त्रीय पुस्तकमें इच्छुगुणका न होना कितना बुरा न समझा जायगा । इसी परिणामपर विचार रखकर यह चन्द्र लिखा गया है और वाहिरी बनावच्छनाव व शब्द रचनापर इतना ध्यान नहीं दिया गया ।

यथासन्नव इसमें समस्त बातें जिनका नीतिशास्त्रसे प्रगाढ़ सम्बन्ध है सन्नाविष्ट की गई हैं तथापि चन्द्र बढ़ जानेके भयबेत्योहार आदि अनेक उपयोगी विषय रह भी गये हैं । मुझे आशा है कि विद्वान्‌लोग दोनों खण्डोंको पढ़कर उनकी सब प्रकारकी बुटियोंके मुझे पत्र द्वारा सूचित करेंगे जिससे दूसरों बार जब दोनों खण्डोंको और विषय बढ़ाकर फिर लापा जाय तो बही दोप न रहें ।

और जो कोई विद्वान् इसकी चमालीचना करता हुआ नया चन्द्र पूरा व उपयोगी लिखेगा तो मैं उसका और कृतज्ञ हूँगा, क्योंकि मुझे दूसरीबार लापनेका कष्ट न चढ़ाना पड़ेगा ।


इस पुस्तकमें संस्कृत न जाननेके कारण, मैंने सन्नव है कि संस्कृत व्याकरणकी बहुतसी भूलें की हों इसके लिये मैं औरेंकी भाँति क्षमा नहीं मांगता, अलवत्त वह सहायता मांगता हूँ जिससे दूसरीबार यहो भूलें न रहने पावें ।

अन्तमें मैं गङ्गाप्रसाद रामकुमार प्रभुति अपने शिष्यों और ला० हुर्गप्रसाद आदि मित्रोंके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकाश करता जावश्वक समझता हूँ क्योंकि इन्होंने पुस्तककी प्रतिलिपि लघ्यार करने व प्रूँज देखनेमें और उपकानेमें बड़ा अम उठाया है ।

रामनवनी }
१९७० । . }

लेखक,—

राधामोहन गोकुलजी (रांधे)

— जोड़ने हैं—

नीतिदर्शन।

खण्ड दूसरा ।



पाद तीसरा ।

मण्डल प्रथम—अनुवाक १

——

मंगलाचरण ।

भूमि हमारी । · प्राण पियारी ।

जो न कहै जन, प्रेम प्रफुल्लित ।

ऐसा भरामन, बुद्धि असङ्गत ॥

है क्या कहैं । कहो तो सही ।

अचम्भा भारी ॥ १ ॥

बहु देश फिरा । निज भूमि फिरा ।
 नहिं हीय जला, हुक मेमानल ।
 कहिये तो भला, वह कूट अचल ॥
 सनवाला नर । है मूढ़ किधर ।
 दुष्ट आचारी ॥ २ ॥

लहि नाम बड़ा । अभिभान भरा ।
 धन भी पाया, यद्यपि यथेष्ट ।
 धिक् धिक् माया, यल गुण थ्रेष्ट ॥
 कवि गुण धाम । न लेने नाम ।
 छी (छी) तनधारी ॥ ३ ॥

सिष्या जीवन । धी बल यौवन ।
 नाम गंवाया, जो जीते दुन ।
 क्यों जग आया, अन्ध अधम ॥
 जो द्विगुन भरा । क्या काम सरा ।
 आपाधारी ॥ ४ ॥

जिस थल धूर । से उपजा कूर ।
 उसी ग्रामके, सब नरनार ।
 इवान सींगसे, देयं विसार ॥
 ज्यों वर्ण असत । त्यों नान मिटत ।
 (हो) नर या नारी ॥ ५ ॥

(राधे)

नीति-दुर्दीन ।

हम ऊपर देख सुके हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर और जगत्के प्राणियोंके प्रति कर्त्तव्योंकी आवश्यकताका भार उस ईश्वरी प्रेमके कारण पड़ता है जिसके बास्ते हम याध्य हैं । हम अपने नैतिक गठनसे ही याध्य हैं कि अपने सहवर्ती प्राणियोंको ही नहीं बरन् भविष्यसे होनेवाले प्राणियोंमें भी स्वेह-भाव रखते क्योंकि वह सब हमारे प्रेमके पात्र हैं, इनसे प्रेम करनेकी परमात्मा बलपूर्वक हमें आज्ञा देते हैं । पुनः हमारे धर्म में है कि हम अपने पितरों (जाता पिता) को प्यार करें और हमारे पितरोंका हममें वैसा ही प्रेम है जैसा कि हमारे दूसरे भाइयोंमें, तो हम याध्य होते हैं कि अपने भाइयोंसे पूरा प्रेम करें, नहीं तो इस अंशमें हम अपने पितरोंके जन दुखानेके हेतु होते हैं जो कि ठीक नहीं । अर्थात् पैतृक सम्बन्ध हमें परस्पर भाइयोंसे प्रेम करनेको याध्य करता है ।

मनुष्यका पारस्परिक सम्बन्ध एक अनिवार्य समता सम्बन्ध है, यह समता स्थिति-समता नहीं, किन्तु स्वत्व समता है ।

प्रत्येक मनुष्य एक स्पष्ट भिन्नरूपसे अपने कृत्योंका दायी व्यक्ति है, हरेकको परमात्माने अपने नरजीके अनुकूल निय-मानुषार सुखके साधन दिये हैं और उन साधनोंकी उचितिका अवसर दिया है । किसीको उसने धन, किसीको बुद्धि, विद्या, किसीको बल और स्वास्थ्य दिया है—यह दान प्रमाणमें एक बराबर नहीं, विभिन्न हैं । उन बातोंके देखते मनुष्यजाति सम्भवतः भ्रह्मान् विचित्रताका दृश्य है । जहाँतक प्राकृतिक लाभोंका सम्बन्ध है, हमें कठिनतासे दो विकिषण ऐसी मिलती हैं जो दो भव्यता अवसर दृष्टान्त न पैदा हुई हैं ।

किन्तु जब हम दूसरे प्रकाशनें देखते हैं तो सब ही टीक समान दशभोग्यमें स्थित किये गये हैं। हरेक पृष्ठक व्यक्ति अपने ईश्वर-प्रदत्त लाभोंको टीक उसी तरह काममें लानेको सिरजा गया है जैसे कि कोई एक दूसरा। यह धात स्वभावमें ही ऐसी प्रत्यक्ष है कि किसी तर्ककी आवश्यकता नहीं। एक भाव वात जिसके आधार पर कोई स्वत्वकी असमताका विवाद कर सकता है, दशा या स्थितिकी असमानता ही हो सकती है। यह पूर्व जन्म कृत कर्मोंके फलके कारण होती है ऐकिन प्रत्यक्ष है कि हमसके सबवसे स्वत्वमें कोई विभिन्नता या विभिन्नता नहीं हो सकती। चाहे मैं अपने कर्म फलसे अन्धा या धनदान होऊँ पर इससे मुझे यह स्वत्व नहीं है कि अपने आंखबाले पड़ोसीको अन्धा कर दूँ या वह निर्धन है तो मेरा धन छीन ले। अपने बलसे विद्यादि या और किसी वीन्यतामें चाहे शारीरिक हो या नानसिक, प्रत्येक व्यक्तिकी भुख भोग-निका एक समान स्वत्व हैं पर दूसरेके भुखमें बाधक होनेका कोई अधिकार नहीं है।

यदि यह कहा जाय कि दशा या स्थितिका नहर्त्व, स्वत्व सहर्त्व भी प्रदान करता है तो इसमें प्रत्यक्ष विरोध दीखता है। जो हम तर्कके निनित इच्छे सत्यही कल्पना करलें, तो प्रत्येक प्रकारका दशा-सहर्त्व (Superiority of condition or position) तदनुरूप स्वत्व सहर्त्व भी दान करेगा। शारीरिक शक्ति सहर्त्व सहर्त्वप्राप्ताणानुरूप उसी तरह और उतना ही स्वत्व सहर्त्व देगा जैसा और-नितना बुद्धि या धन सहर्त्व। बुतरां जो अ-को बुद्धि नहर्त्वाधारपर क-के ईश्वर प्रदत्त भुखसाधनोंको हानि पहुँचाकर निज भुख साधनका स्वत्व हो तो, क-की भी अ-के ऊपर वही स्वत्व शारीरिक, नहर्त्वाधारपर प्राप्त

होगा और 'ख' एक तीसरे ही महत्त्वके आधारपर दोनोंपर ही एक स्वत्त्व, जैसा क्षम्पर कहा गया, रखेगा इसी तरह अगणित योग्यताओंके अगणित महात्त्वोंसे असंख्य अप्राकृत स्वत्त्व उत्पन्न हो जायेंगे और उनमें महत्त्वकी कमी बेशीके अनुसार स्वत्त्वोंमें भी तारतम्यता अवश्य होंगी; साथ ही यह बात भी होगी कि धन या बलके घट या बढ़ जानेसे स्वत्त्वोंमें भी तदनुसार परिवर्तन होगा । जिसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक मनुष्यका एक न्यारा ही स्वत्त्व पैदा हो जायगा और वह स्वत्त्व दूसरे के स्वत्त्वको छिल्कुल नाशकारक भी होगा तो हम नहीं समझ सकते इस ही कौनसा क्रम मात्र, देना चाहिये और इस कथनका भत्तलघ भी समझना हमारे वास्ते तो असाध्य है । जो लोग कहते हैं कि स्थिति-महत्त्व स्वत्त्व-महत्त्व प्रदान करता है वही इसका अर्थ जानते हींगे । हम तो इसका सार अराजकता या असामाजिकता या पाश्विक आदर्शका निमित्त ही भान करते हैं ।

अच्छा अब हम प्रकाशान्तरसे मनुष्यजातिको देखते हैं या इसपर दूसरे ही विचार बिन्दुसे ध्यान देते हैं ।

(१) हम सब मनुष्योंमें वही एकसी ऐहिक वाच्य वास-नाएँ तृष्णाएँ या एषणाएँ ज्योर्योंकी त्वों एक समान देखते हैं और यह भी देखते हैं कि इनकी पूर्तिजन्य छुख भोगनेकी सधर्म योग्यताएँ भी समान ही हैं । यद्यपि हम यह न कहेंगे कि इनमें तारतम्यता नहीं होती किन्तु कोई भनुष्य इनसे नितान्त रहित नहीं होता और उनके छुखका आधार भी इन्हीं वासनाओंकी त्रृप्तिपर होता है ।

(२) यह वासनाएँ और तृष्णाएँ जहांतक इनका न्यारा ही सम्बन्ध है असीम हैं और हठात् बना ली गई हैं । और

इनकी वृप्ति इन्हें कम नहीं करती बरन संख्या और आकारमें इन्हें समुच्चित ही करती जाती है। यह बात धन, बल, हुकूमत, पुत्र, कलेचर, नशीधाजी, उन्पटपन जुआ और भिस्मंगी सब ही बातोंमें प्रत्यक्ष देखते हैं।

(३) यह सूषणाएँ दूसरोंके भुख साधनमें विना वाधा दिये भी सन्तुष्ट की जा सकती हैं। हम अपनी धनकी दृष्टिको मेहनत और नितिव्ययसे भी शांत कर सकते हैं और दूसरोंके साथ बैडमानी और छल या कैतव न रचना पड़ेगा। इसी तरह विद्या और शारीरिक वलादि सम्बन्धमें भी हो सकता है। चौरी, छल, ब्रात्कार धीङ्गाधीङ्गीसे भी होती हैं। हम स्वयं बलिष्ठ होकर भी अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरोंके अधिकार हथियाराधीन कर रहन्हें लूडा लंगड़ा बनाकर भी।

(४) अब जिस पारस्परिक सम्बन्धमें भनुव्य स्थित है उसे देखें तो प्रत्येक व्यक्ति इस इच्छाके साथ बना है कि वह स्वसुख साधनोंको जो उसे नरजातमाने दिये हैं काममें लावे और ऐसी रीतिसे काम लेवे कि बहुत अच्छीतरह अपने भुखोंकी बहुत कर सके और इस रीतिकी व्यवस्था करने वाला अप ही है। चाहे तो वह दूसरोंके भुखोंमें वाधक न होकर अपनी इच्छाओंको सन्तुष्ट करे चाहे शारीरिक बल द्वारा दूसरोंपर अत्याचार करके। पर याद रहे कि यही अधिकार हूसरे व्यक्ति-ओंको भी है जो आज बलके कारण कृष्ण गौरको चताकर अपनी तुष्टि प्राप्त करता है तो कल गौर बलिष्ठ होकर कृष्णपर भी इसी प्रथाका अनुसरण कर सकता है।

(५) इस वस्त्रबन्धसे प्रकट है कि हरेक भनुव्यका धर्म है कि वह अपने भुखोंका अनुकरण किए उसी रीतिसे करे जो उसके पड़ोसीके उन समाज स्वरूपोंमें वाधक न हों जो उसे

परमात्माने दिये हैं। क्योंकि इसीमें सबका साधारण समान सुख साधन हो सकता है और अपने स्वत्त्वोंके सम्मीलनकी समान शक्ति और उनके व्योहारके समान अधिकार देनेसे ईश्वरेच्छा भी ऐसी ही बोध होती है।

हमारे जीवनका यह नियम और कई विचारोंसे भी स्पष्ट हो सकता है।

(१) प्रथम तो अत्थाचारीका सुख बढ़ता नहीं पर अत्थाचारितके सुखोंमें कसो हो जाती है, जपर इस आतकी दिखलाया जा चुका है। फिर इस सर्व सुख साधक व्योहार प्रणालीके माननेसे जो सुख हमें होना सम्भव है पूर्णतया प्राप्त भी होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त गुणों और योग्यताओंका पूरा पूरा लाभ उठा सकती है।

(२) जो मान लें कि पड़ोसीके स्वत्त्वोंके आदर करनेका कठोर कर्तव्य हमें बाध्य नहीं करता तो यह तो बतलाओ कि इसकी सीमा कहां होगी? जो अन्याय घोड़ासा किया जाना उचित समझा जाय तो अत्यन्त क्यों नहीं? जो एक स्वत्त्वमें हस्ताक्षेप किया जाय तो सार्वे ही ने क्यों नहीं? और जब सब आदमी एक ही नियमान्तरगत आते हैं तो क्या यह सिद्धान्त जैसा हमने जपर कहा सबको ही उसी कुतर्क और बेहूदगी (absurdity) में एक समान न ढाल देगा? और सब जगह, सब व्यक्तियोंमें वासना दुःख फैलानेका कारण बनेगी?

(३) जो यह कहा जाय कि एक वर्ग विशेषके आदमों दूसरे वर्गके लोगोंके प्रति इस आतके लिये बाध्य नहीं हैं, तो यह आत सिद्ध करनी होगी कि दोनेसे एक वर्गके लोग भनुष्य नहीं हैं क्योंकि उक्त सिद्धान्त भनुष्य और भनुष्यके बीचमें एक समान प्रयुक्त होते हैं और केवल भनुष्य होनेकी ही इतिवृति

उसपर यह प्रतिव्यन्ध या कर्तव्य आरोप करती है और रक्षाके लिये कर्तव्य बन्धनसे बांधती है ।

क्या वे प्राणी जो मनुष्यसे छोटे दरजेपर हैं जो बुद्धियुक्त नैतिक कर्ता होते तो हमको उनके साथ भी अन्योन्य सम्बन्ध नियमानुकूल वया न वर्तना पड़ता ? और जो वे भी योग्यता महत्वसे स्वत्वका समर्थन करने लग जाते तो हमें चाहे जैसा नाच न चाते । बन्दर मनुष्यसे अधिक चतुर होता तो कोई कारण नहीं दीखता कि क्यों वह मनुष्योंपर हुकूमत न करता और हमें पकड़ पकड़कर अपने वास्ते दैरें और अनेक जङ्गली जीं अपनी रुचिके अनुसार वेगार्दे न विनावाता । क्या कोई कारण है कि फरिश्ते, देवता या जगरदस्त लोगोंकी प्राकृतिक महत्वके प्रतापसे हमारे स्वत्वों वा सुख साधनोंमें जो हमें परमात्माने दिये हैं बाधक हों । अतः समत्वतर्कानुसार या समतान्यायकी दृष्टिमें तो स्थिति या दशाका महत्व किसी व्यक्तिको कोई किसी दूसरी प्रकारके प्राणीपर जो नीति और बुद्धि विवेकादिसे नोचा हो कोई महत्व नहीं प्रदान करता । यह निर्विकल्प स्वयं सिद्ध बात पाठकोंको गम्भीर विचारसे बारम्बार पठकरके विश्लेषण और विच्छेदक तर्क द्वारा उनमें करनी होगी और तत्त्वानुसन्धान करना होगा । एक ही तर्क अनेक स्थानोंपर काम देता है । यहां जो बात हमने घटलानेकी चेष्टाकी है वह भावधाचक सर्व देशी तर्क है, इससे किसी निश्चित विषयपर विचार करके भी यथार्थ फल निकाल सकते हैं ।

यदि कोई हुए प्रकृति कहे कि परमात्माने प्रत्येक पथक व्यक्तिको उन सुख साधनोंपर जो उसने उसे दिया है पूरा अधिकार भी दिया है तो हमारा प्रश्न है कि सबसे अड़ा

प्रमाण कौन है ? स्थाका प्रदान या स्थितकी वासना और वृष्णा । क्योंकि इन्हीं मार्गोंमें बड़ी प्रतिद्वन्द्विता पड़ती है । हमारे कहनेका भावार्थ यह है कि ईश्वरका प्रदान और उसकी मर्जीके अनुकूल हमारी वासनायें परिमित होनी चाहित हैं, अथवा हमारी वासनाओं और वृष्णाओंको उचित है कि उसके प्रदानको नष्ट न कर दें व परनात्माकी मर्जीकी प्रतिद्वन्द्विता करें और न सानें ? यह वह प्रश्न है कि जिसपर नीति निपुण और सविवेक चतुर प्रजामें कभी सत्येद हुआ, और न हो । हमें धर्म ग्रन्थोंमें चिल्हा है । आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति स पश्यति । सहाभारतमें व्यास देख बतलाते हैं कि दूसरेसे जैसे बर्तावकी इच्छा करते हो ठीक वैसा ही बर्ताव तुम प्रजाके साथ करो । अब हम देखें कि यह शिक्षाएँ किसके लिये हैं, वह कौन प्राणी है वा सहवर्ती प्रजा अथवा पड़ोसी है और इस शिक्षामें सार क्या है ? यहांपर किसी अदूदर्शीकी भाँति सनुष्योंसे ही अभिप्राय नहीं लिया गया प्रत्युत प्राणीमात्रसे, इसी वास्ते “भूतेषु” शब्द आया है । अर्थात् न केवल सनुष्य सनुष्यको बिना रङ्ग, रूप, देश, जाति आदि भेदके सित्र और शत्रु दोनोंसे प्रीति करे, वरन् प्राणी मात्रको उसी तरह जाने जैसे अपनी आत्माको, यह सहचर प्राच्य अनुपम शिक्षाका है । हमने दूसरे पादमें एक वेद सन्त्र दिया है जिसमें सित्र असित्र दोनोंसे अभय होनेकी प्रार्थना करना हमें सिखलाया गया है । क्या कोई किसीका अनिष्ट करके भी अभय हो सकता है ? कभी नहीं । इसका भाव है कि हमें ईश्वर वह धार्मिक योग्यता दें कि हमारे साथ अज्ञानसे जो शत्रुता रखते हों वह भी हमारे भयका कारण न हों ।

अब देखिये कि 'आत्मवत्' शब्दका क्या प्रयोजन था ? तो यहाँ स्वत्व, योग्यता, वासना, आकर्षण, वृद्धा, धर्मानुराग इत्यादि जो कुछ भी हमारे गठनमें हैं दूसरे भाईके भी गठनमें हैं। यदि हम अपने किसी दोष या गुणकी रक्षा चाहते हैं तो दूसरेकी क्यों न चाहें ? यही बात दिखलाई है, इसकी व्याख्या बड़ी लिपि लाभप्रद और शिक्षाजनक है पर स्थानाभाव और बढ़ता हुवा शारीरिक रोग हमें पदे पदे वास्तव करता है कि हम विस्तारको छोड़कर ग्रन्थकी शीघ्र समाप्तिकी ओर दृग्ढ चित्त हों।

आध्यात्मिके दश नियमोंमें से दो नियम बहुत विचारणीय हैं। नियम सं० (४) निष्पक्ष होकर सत्यके अहंकारमें सर्वथा तत्पर रहना। नियम सं० (६) संचारका उपकार आध्यात्मिका मुख्य उद्देश्य है।

इनसे ही हमें भालूम हो जाता है कि धर्म सत्तुज्यका वह है जो सार्वभौमिक और सर्व हितकारक हो, नहीं तो वह ईश्वरीय धर्म नहीं हो सकता। हमको बहुत ही कोमलताके साथ दूसरोंके स्वत्त्वोंको रक्षा करनी चाहिये। स्वार्थी जीवन ही पशु जीवन है। पुनः एक बात इससे और निकलती है कि हम दूसरोंके साथ सर्वथा जेकी और भलाई करें, दूसरोंके शुभेच्छु हीं वे चाहे जैसे हों। पर इसके यह अर्थ नहीं है कि अधिकांश स्तृटिके प्राणियोंको दुख देनेवाले दुष्टोंके साथ भी बैसे हीं बत्तें जैसा कि साधुओंके साथ। नहीं, हम इन दुष्टोंके भा शुभेच्छु हीं; पर हनके साथ हमारा इत साधन यहो है कि शिक्षाचै, दरण्डसे इनको सन्सारपर लावें न आवें तो इनको इस योनिसे सुकृतकर दे कि वे दूसरों योनिमें जाकर अपने किये पापोंको भोगें और अधिक पाप संब्रहन करें। हमारा

थोर्स कहने और करनेमें एकसा हो यह नहीं कि दूसरोंवें कहें कि जो तुम्हारे एक गालपर थप्पड़ मारे तुम दूसरा भी फेर दो पर आप लूट खोट, हत्यारापन, बैद्यमानी, झूठ और पक्षपातका आचरण करते फिरै । हमें देखना होगा कि हमारे कर्म हमारे कथनके अनुसार ही हैं ? जो आचरण नहीं करता किन्तु मुख्ये अच्छी बातें बकता है, वह ठग है—उसकी आतका कुछ प्रभाव नहीं होता ; विद्वान् उसकी कभी प्रतिष्ठा नहीं करते ; उसका, आत्मधाती, उवाङ्गी जानकर सदैव तिरस्कार ही करते हैं ।

क्या एक आदमीका सारना पाप है पर भाइके हत्यारोंको साथ लेकर अगणित ईश्वरके दासोंका रक्तपात महान् पाप नहों है ? क्या दो चारका निलकर एक घर लूटना छाका है पर देशका देश तबाह करना, लूट लेना, भाइके हुए भरती करके लाखों करोड़ों घरोंपर छाका सारना छाका नहीं है ? अन्तर है तो यह है कि छोटा डाकू चलज्जा होता है उसे अपने कामसे कुछ लज्जा, चृणा और भय होता है ; दूसरी दशामें बड़ा डाकू चमड़ी, दुष्ट, निलंजन, निर्भय होता है । एक अपनी दुष्कृतिपर पश्चात्ताप करता है दूसरा अपने पाप कर्मोंपर अहमित होता है ।

अन्योन्य नियमजन्य कर्त्तव्योंका क्रमबहु विभाग यों कर सकते हैं ।

१—भनुष्यके प्रति भनुष्यका सानवी कर्त्तव्य ।

२—लिङ्ग-भेद-जन्य पारस्परिक कर्त्तव्य ।

३—सभ्य सामाजिकता-जन्य कर्त्तव्य ।

प्रथम क्रममें स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, चलन और प्रतिष्ठा तथा स्ट्रियोत अथकालैन उपवहस्या सम्मिलित है ।

दूसरेमें ब्रह्मचर्य, गाहृस्थ्य—विवाह व साता पिता और सन्ततिका पारस्परिक कर्त्तव्याकर्त्तव्य ।

तीसरेमें पांच छः बातें सामान्यतः हो सकती हैं—जैसे (१) सामाजिक सम्य-स्थिति । (२) इसके स्थिर रखनेके उपाय । (३) राजा प्रजा । (४) राज वस्त्रधारी । (५) सम्य प्रजा ।

चूंतीय अनुवाक ।

“न्याय और सत्य”

कृत्यानुसार दृष्ट या पारितोषिक प्रदान करनेका स्वभाव जो भनुष्यमें है उसीका नाम राज्य सम्बन्धमें न्याय है । जो इस कार्यको सम्पादित करता है वह ही न्याय नूर्त्तिवा धर्मराज वा न्यायाधीश कहलाता है । लोटे बड़ेके विचारसे यह पद अनेक होते हैं । इस दर्शनमें यह शब्द कुछ वृहत् विस्तरितार्थमें है उत्ते हैं अर्थात् सर्वशक्तिमान परमात्माने हमें जो स्वसुख-साधक योग्यताएँ दी हैं उन्हें प्रत्येक भनुष्यको स्वच्छन्द भोग करने देनेका सान्तिक्षमाव न्याय है । इसके द्वारा सनुष्य आप जी सुख जीता है और तदनुसार ही दूसरोंको भी जीवन अतिवाहित करने देता है, इस भावका प्रकट वाच्य आचरण ही न्याय कहा जाता है । जैसे जब कोई दूसरेके स्वत्वोंकी प्रतिष्ठा करता है तो हम कहते हैं कि वह न्याय करता है और जब दूसरेके स्वत्वोंको भङ्ग करता है या उनका बाधक होता है, तो हम उसे अन्यायी कहते हैं ।

परनावश्यक और ग्राह्य उद्देशोंके द्वारा जो परमात्माने प्रत्येक व्यक्तिके हस्तगत किये हैं पांच हैं । देह, सम्पत्ति, आचार, वयवहार और प्रतिष्ठा ।

व्यक्तिक स्वातन्त्र्य - प्रत्येक भनुष्य स्वस्वस्ति से ही एक पृथक् स्पष्ट और पूर्ण अनुटि निष्पन्ध है जो आत्म-शासन (स्वराज्य) के योग्य बना है और पृथक् ही परमात्माके सामने इस बातका उत्तरदाता है कि उसने अपनी योग्यताओंसे किस तरह काम लिया । तदनुकूल ही प्रत्येक जनको एक शरीर मिला है इसीके द्वारा वह भौतिक संसारसे सम्बन्धित है और इसीके द्वारा यह जगत् उसकी चाहींके जुटानेके लिये विकित हो रहा है । वह समझ है कि सच्चाई दरयापत होती है और उसीके आधारपर समुचित परिणामपर पहुँचनेके साधन किये जाते हैं, लृष्णाएँ और वाच्छाएँ हैं, जिनसे बहुकाम करनेकी ओर प्रवाहित होता है और इन्हींकी परितुष्टिमें उसे आनन्द होता है, अन्तरात्मा है, जो यह बतलाती है कि किस सीमातक यह इच्छाएँ धन्नर्नानुकूल सन्तुष्ट की जा सकती हैं और इच्छा शक्ति है, जो इसे कृत्य करनेकी ओर ढूढ़ करती है । वाच्छा और इच्छा शक्तिमें बहुत सहीन अन्तर है । इच्छा शक्ति जिसे पाश्चात्य Will power वा Will Factor कहते हैं और जिसकी शक्ति बड़ी अपार और अद्भुत है कई स्थंलपर हमारे यहाँके विद्वानोंने इसे सन भी कहा है । उस कतिपय बातोंका सनुष्यमें होना आवश्यक और आवश्यक है और इन्हींकी प्रस्तुति सनुष्यको पृथक् और स्वतन्त्र व्यक्ति बनाता है । यदि उसे समाजकी आवश्यकता है तो वैसे ही दूसरोंको भी समाजकी जहरत है । अतः प्रत्येक व्यक्ति समाज गठनमें प्रत्यक्ष और दृढ़ अन्योन्य समानता सम्बन्ध लेकर अङ्गीभूत होता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति इन शक्तियों द्वा योग्यताओंको ईश्वर संयोजित नियमानुकूल काममें लावें तो सदा उन्हें निर्दीख प्रभागित करता है । यदि यह

(व्यक्ति या समष्टि) दूसरींको इन्हीं योग्यताओंके स्वच्छन्दव्यवहारमें बाधक नहीं होती तो वह अपने पड़ोसीके स्वत्तरों की प्रतिष्ठा करती है, और इसलिये वह (व्यक्ति या समष्टि) ईश्वरकी दृष्टिमें अनधि है। जहांतक इन योग्यताओंके प्रयोगमें समिति क्रमण नहीं होता वहाँ उसे अधिकार है—जहांतक उसके सहवर्तीं प्राणियोंका सम्बन्ध है—कि इन्हें स्वेच्छानुकूल स्वच्छन्दतासे स्वतंत्रता पूर्वक जितना चाहें जैसे चाहें काममें लावें। उसकी इच्छा यक्ति ही उसकी यथेष्ट और अन्तिम सूत्रधर है। इस अवस्थामें वह सहवर्तीं बान्धवके सम्मुख तो दायी न होगा पर ईश्वरके सामने वह इस दशामें भी दायित्वसे मुक्त नहीं हो सकता जैसे आत्मघात इत्यादि कृत्योंमें।

प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि आदिको स्वेच्छानुकूल स्वतंत्रतासे प्रयोग करनेके लिये स्वतंत्र बना है यदि किसी दूसरे व्यक्तिकी धानीका कारण न हो तो—हाँ, यदि किसी अन्य ईश्वरी आज्ञाको भङ्ग करता होगा तो वह ईश्वरका अपराधी होगा परन्तु समाजका उसपर कोई दायित्व नहीं होता, यह बहुत स्पष्ट बात है अधिक तर्ककी आवश्यकता नहीं। जो मनुष्यकी इस स्वाभाविक और ईश्वर-प्रदत्त स्वतंत्रतामें बाधा डालता है वह पापी, दुष्ट और आत्मायी है। यदि एकको दूसरेकी इच्छापर अधिकार है तो कोई भी अपनी इच्छाका अधिकारी न रहेगा और सब उत्तरोत्तर दूसरेकी इच्छापर अधिकृत हो जावेंगे और इसीको समाजबन्धन कहते हैं इसी बन्धनके उचित होने न होनेका विचार नीति है। इस बन्धनकी सीमा है। यदि यह कहा जाय कि कोई बिना अपनो इच्छाके दूसरेकी इच्छाके अधिगत हो सकता है

तो यही इसका उत्तर है कि यहाँ इच्छा शब्दके अर्थान्तरमें गोलभाल किया गया है ।

हरेक आदमीकों देखना है कि परमात्माने किन किन कार्योंके करनेके लिये शरीर बनाया है । मनुष्य जो पसंद करता है वही करना चाहता है लेकिन वह बाध्य होता है कि उसीतरह पर आचरण करे जो उसके समाजके लोग प्रथस्त समझकर स्थिर करें नहीं तो उसे सामाजिक दगड़ भोगना पड़ता है । अब ठीक दशा मनुष्यको वह है जिसमें उसकी इच्छा और किसी बातसे प्रवाहित नहीं होती सिवा उसके जो कि उसमें ईश्वरीय गठनसे पैदा होती हैं । और जो कोई अपने भुखोंके निचित अपने सहवर्ती प्राणियोंको किसी दूसरी जीवन दशामें उपस्थित करता है वह घृणित अत्याचार (जुल्म) का दोषी होता है और ईश्वरकी आज्ञाका भङ्ग करने वाला अभिमानी प्रतीत होता है ।

लेकिन हम कह सकते हैं कि क्या सब दशामें यह व्यांक समाजके सम्मुख दोषी ठहराया जा सकता है । हम इसका उत्तर देंगे कि यदि समाज उस दोषको हाथमें न ले तो ऐसा नहीं भी हो सकता । परन्तु जो प्रत्येक आदमी स्वन्त्रत्र छोड़ दिया जाय तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दूसरोंके स्वर्वोक्तोंप्रतिष्ठा करे और जो वह इनकी प्रतिष्ठा न करे तो निष्पन्धके नियमोंमें ही इसका इलाज भी परमात्माने बनाया है । हम ऊपर कह चुके हैं कि मनुष्य भी एक निष्पन्ध (System) है । यदि वह अम न करे तो वह भूखा भर जायगा यदि वह भूखा भरना ही स्वीकार करले पर अम न करे तो वह उसका निजका दोष है दूसरे किसीपर इसका दोष नहीं लगाया जा सकता ।

जब अन्योन्य सम्बन्ध नियम उसे समाजसे स्वतंत्र करता है तो समाज भी उसके कानूनोंके उन प्रभावोंसे जो उसपर पड़े सर्वथा अनुच्छर दायरे होता है और सामाजिक दायित्वसे मुक्त होता है।

यह अन्योन्य सम्बन्ध नियम जितना ठीक टीक व्यक्ति सम्बन्धमें पाया जाता है और उग सकता है, उतना ही चुभकर समष्टि या वर्ग सम्बन्धमें भी उगता है।

पाठक जानते हैं कि समष्टि व्यक्तियोंसे बनती है और परस्पर सिवा उन अधिकारोंके जो व्यक्तिन्तरगत हैं दूसरे अधिकार समष्ट्यान्तरगत नहीं हो सकते। जब एक व्यक्तिका दूसरेको सताना पाप है तो एक वर्ग, वर्ण या जातिका भी दूसरे वर्ग वर्ग या जातियोंका सताना वैसा ही पाप है। जब एक आदमी एक दूसरेका गला काटता है तो वह हत्यारा है जो दृश्य मिलकर दूसरे दृश्यका गला काटते हैं, तो क्या वे हत्यारे नहीं हैं? जरूर हैं। ऐसे ही जातियोंका हाल जानो। एकसी दशार्ह दोनों अवस्थाओंमें स्फुटाकी भर्ती एक ही है। परमात्माने व्यक्तियोंकी भाँति जातियोंमें भी शारीरिक बछड़ा और बुद्धिमत्ता भिन्न भिन्न प्रकारान्में दो हैं, पर उनके लाभोंके लुभनेके लिये सबको स्वत्त्व समान हो दिये हैं। दोनों अपने निर्दोष छुखोंका साधन अपनां रक्षा एक समान कर सकते हैं। यदि हमको दूसरा अपनी हानि करता देख मानेका अधिकार रखता है तो हमें भी निस्चन्द्रेह दूसरे दुष्टके खूनसे घरती सींचनेका पूरा प्राकृतिक स्वत्त्व है। इसी तरह सुख पहुँचानेमें भी।

देखो जब एक देशका दूसरे देशके साथ वर्ताव हो, सबल निर्बलमें बर्ताव हो, सूर्ज परिष्वतमें हो वा सम्यासम्यमें हो,

नित्र नित्रमें हो वा असिन्नासिन्नमें अथवा असिन्न नित्रमें, सब ही अन्योन्य सम्बन्ध-नियमसे वाचित हैं कि परस्पर आत्म-वत् प्यार करें, एक दूसरेके साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा कि वे अपने साथ किया जाना चाहते हों ।

हम अपने देशपर, घरपर दूसरेका अधिकार धींगाधींगी नहीं चाहते तो हमें दूसरेके देश, भूमि, घरपर भी अधिकार करनेका कोई स्वत्व नहीं है । जो हम अपनी स्त्रियोंका, पूज्य पुरुषोंका, सजार्तयोंका, अपने नियमोंका अपनान किया जाना नहीं देख सकते, तो हमें भी कोई स्वत्व दूसरोंकी इन्हीं चीजोंको अपनानित करनेका नहीं है । हम अपने कृतयों की, दीर्घोंकी छानबीन, आलोचना, व्यवस्था जिनसे नहीं चाहते हैं हमें भी कोई अधिकार नहीं कि हम उन लोगोंके देसे ही कासोंमें अपना हस्ताक्षेप करें । और जब जब जहाँ जहाँ इस ईश्वरीय अटल नियमको भङ्ग किया गया है, ईश्वरी प्रजामें भयानक विरोध फैला है, रक्त पात हुये हैं । अतः इसका विरोध सब पृथ्वी मन्डलके मनुष्योंको छोड़ देना चाहिये । यह अस्वाभाविक बात कभा चल नहीं सकती, निर्बलता भय आदि थोड़े दिन रहते हैं अन्तमें समानता सबको एक ही सम धरातल पर ला छोड़ती है । किसी कविमें कहा है कि जब मन एक बार अत्याचारको अत्याचार करके जान लेता है तब फिर अनेक दिन उसे सहन नहीं कर सकता, अवश्य उस अत्याचारका, सच्चा ही या कल्पित अन्त होना ही होता है । इसीके बाबत एक पाश्चात्य कविने कहा है कि जब स्वातंश्य-समर एक बार आरम्भ हो जाता है तो अन्द महीं होता घायल पिता पुत्रको सौंप जाता है और अनेकों

बार हार भी होती है पर अन्तमें प्राकृत स्वत्वेच्छु की जय ही होती है ।

हम जानते हैं कि समाज दीनों और वेदशोंका पालन और अवधन्त निस्सहायोंकी सहाय करता है, किन्तु यह तो प्रतिज्ञानुसार सभी हुई बात है जिसमें सनुष्यकी इच्छा ही तो भाग लेवे या न लेवे, जो समाजके उद्धठनमें भाग लेवेगा उसे उसके नियमोंका भी पालन करना ही पड़ेगा । जो यह समाजका दायित्व है कि किसी व्यक्ति विशेषका पालन पोषण करे तो उसका स्वत्व है कि उससे वह काम ले जिसके योग्य उसे सभके व जिसके द्वारा समाज अपने दायित्वके पूरे करनेको सामर्थ्य होता है । जो किसी समाजका अङ्ग या सदस्य होता है तो उसे अङ्गीभूत-होनेके पहिले जान लेना चाहिये कि वह एक सीनांतक अपनेको समाजके हाथोंमें खुशीसे देता है और जब वह खुशीसे अधिगत हुआ है तो इस प्रबन्धकी शर्त ही यह है कि जीउिक स्वत्व व्यक्तिका व्यक्तिक ही रहता है ।

२—यह बात बुद्धि सम्बन्धमें भी कहो जा सकती है । यदि उपरोक्त तर्क हमारा ठीक है तो फल यह होता है कि प्रत्येक सनुष्य जपरके कथनानुसार सीनाके भीतर अपनी इच्छाके अनुसार अपनी बुद्धिको काममें लानेका अधिकार रखता है । अपनी बुद्धिको जैसे चाहे काममें लाके चाहे जो बात खोजै, बनावै, पैदा करे अपने अन्वेषित और आविष्कृत विषयोंको जो लोग जानना चाहते हैं उन पर प्रकाश करे या न करे, प्रतिबन्ध इतना ही है कि वह किसी भाँति किसीके सुखमें वाधक न हो । जैसा जपर कहा गया है ।

जो यह कहें कि व्यक्ति इस तरहपर काम करके भूलमें भी चढ़ सकता है जौर अपने खुखको भी आचात पहुँचा सकता

है तो उत्तर यह है कि गठनमें चित्त और यथावत दण्ड भी बना धरा है । जो ऐसी भूलोंमें पड़ता है वह भूलका फल भी स्वयं सहन करता है अपनी सम्पत्ति और भव्यदाको खो देता है । उसके किसी निज कर्तव्यकी जिम्मेदार समाज नहीं हो सकती । वयक्ति विशेषके सुखका विचार कोई कारण नहीं बन सकता । समाजकी क्या गरज अटकी है कि किसी व्यक्तिके स्वतन्त्र सुख साधक बातोंमें हस्ताक्षिप करै यह तो उसे परमात्माने स्वतन्त्र सूपर्ये व्यक्तिगत दी है ।

यदि इसमें पारस्परिक सुख भावसे कोई हेरफेर तजवीज करे और कहे कि क्यों समाज किसीको बुहु व शिक्षादिकी सहायता न दे, तो इसका साफ उत्तर यह है कि समाजका वैसा ही गठन कर लो और सब ही उसका फल उठाओ और उन नियमोंका पालन करो । जैसे पारस्परियोंका फरह है—प्रत्येक पारसीका काम है कि उसमें धन दे साथ ही प्रत्येक पारसीका अधिकार भी है कि निःसहाय विधवा व अनाथका उसमें रखकर पालन पोषण करावै, किसीको बदचलन न होने दे भूखसे न मरने दे । जो हम सब लोग धन देकर अनाथालयोंकी भाँति अन्य संस्थायें बना लें और वर्ग विशेषके लोग एक निश्चित रकम देना अपना अनिवार्य कर्तव्य जानकर दें तब तो कोई कारण नहीं है कि उनके बच्चोंकी यथावत शिक्षा दीक्षा और लालन पालन उस संस्था द्वारा न हो ।

इस दशामें प्रत्येक व्यक्तिकी उसके नियमोंके पालन करनेको बाँध्य होना चाहिए । हमको आवश्यक समाजका नियम हैंह्या १० ब्यत्ताता है कि “सब ननु व्योंको समाजिक सर्वहितकारी नियम पालनमें परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक निज हित-कारो नियममें सब स्वतन्त्र रहें” । समाजको अधिकार सुलगा है

कि किसी भी व्यक्तिको क्यों न हो, अपने नियम पालनमें वाध्य करै पर यह वहाँ तक होना चाहित होगा जहाँ तक उसके परतन्त्रताकी सीना है। जो दुख उसे समाजसे होते हैं और होने सम्भव हैं जिनके बास्ते किसी व्यक्तिमें अपनेको प्रतिधिनिधित किया है वहाँ तक उसे समाजतन्त्र होकर चलना होगा। समाज दो ही तरह पर ऐसे नियमोंके पालनमें किसीको वाध्य कर सकता है या तो वह उस व्यक्तिसे नागरिकता (Citizenship) का स्वतंत्र छीन ले जो उसके नियमोंका ध्यान न रखता हो या वह उन लाभोंको सबके बास्ते समान करके अपनी आवश्यकतानुसार यथोचित ज्ञान रखनेको ही प्रत्येक व्यक्तिको वाध्य करै। इस दशामें अन्योन्यक नियम भङ्ग न होगा क्योंकि सबकी आवश्यकतायें समान होंगी। आज सुझे एक बातका दुख या दुख एक बातसे हुआ तो कल दूसरेकी बारी भी आविनी। और प्रत्येक व्यक्तिको उसका पूरा भाग मिलता रहेगा और नियमोंका अन्तमें सबपर समान प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति इससे अधिककी आशा न्यायपूर्वक करै तो नहीं कर सकता, न वह न्याय सहित उन स्वतंत्रोंको मांग सकता है जिनमें बुद्धि या बल विशेषके होनेकी आवश्यकता है और जो दूसरोंको ही हो सकता है जो उसके योग्य हैं, जब तक वह अपनेको उसके योग्य नियमानुकूल न बना ले।

३—यहाँतक तो हमने अनुष्ठयपर वर्तमान जीवन सम्बन्धसे चर्चान दिया है। जहाँतक हमने कहा है हमने इस बातके दर्शनेकी चैष्टा की है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरेके स्वतंत्रोंमें इस्तासेपका दारण न हों तो उसे अधिकार है कि वह अपने बल और विचार दोनोंको जिबतरह अपने दुखसाधनका उत्तम हैतु समझे करमें लावे। किन्तु जब वह अपने बल समय

और विद्यारको इस सीमाके भीतर रखकर अपने ऐहिक शुख-
सम्पादनमें लगानेका अधिकारी है तो कितना अधिक ज्ञानका
अधिकार, अटल अधिकार, इस वातका न होना चाहिये कि
जिसके द्वारा उसके अनन्त शुखोंकी प्राप्ति सम्पादित हो
अर्थात् नित्य शुखोंके प्राप्त्यर्थ उसे इस अधिकारको कासरें
लानेका कितना धड़ा अटल अधिकार न होना चाहिये । जब
वह अपने ऐहिक शुखोंके निनित्तोंले जो कुछ उसे परमात्मनमें
प्रदान किया है विना वाच्य इस्तान्तपके सम्मोग फरनेका
खत्त्व रखता है तो वह कितना अधिक वाच्य इस्तान्तप रहित
इस वातका अधिकारी न होगा कि वह ईश्वरीय आचारोंका
पालन करे और अपने उप नहानतम कर्त्तव्योंको जिनके भान्त
फरनेकी उसनें योग्यता है, पूरा करे । तब हमारे इस कथनका
यह अभिप्राय होता है कि ग्रन्थेक सनुष्य अपने पड़ोसीके
स्वर्वर्णमें, जहाँतक कि पड़ोसीके स्वत्त्वका सम्बन्ध हो, हस्ता-
क्षेप म करके ईश्वरोपासना करने न करनेका स्वत्त्व रखता है
और घाहे जिसतरह उसकी उपासना करे और यदि वह पूछ
अधिकारका कुव्यवहार करता है तो उसका वह ईश्वरके
सामने ही उत्तरदाता है ।

जो कोई कहे कि ननुष्य इस उपासनाके अनुचित प्रयोगसे
अपने जीवात्माको नष्ट कर उकता है तो हम कहते हैं कि
इसका दायित्व समाजपर कैसा ? तुमः 'धर्मस्य तत्त्वं जिहते
गुहायां'—धर्मसका तत्त्व या भाव हृदय कन्द्रमें होता है उसपर
कोई वाच्य अल किसीका किसीतरह नहीं अल उकता । अतः
हमारा ईश्वरीय सम्बन्ध कोई नहीं बदल उकता । फिर
किसीको धर्मभावसे ब्रवाद होनेसे कोई कैसे दोक सकता है ?
धर्म विषयमें जो किसीपर बछकता प्रयोग किया जाता है तो

वह केवल ईश्वर राहपर अकारण अत्याधार है । (लिखा ही
जुर्में) ।

भूतराम—हमारे जपरके सारे कथमका तार यह हुआ कि
प्रत्येक सनुष्य अपनी शारीरिक व भानसिक घोग्यताओंके
प्रयोगको समान स्वत्वोंके साथ सिरजा गया है, वह इन्हें ऐहिक
वा पारमार्थिक निज छुखोन्नतिमें लैसे उसका जी चाहे काममें
ठा सकता है प्रतिबन्ध इतना ही है कि उसका फोड़े काम
किसी पड़ोसीके (हूसरे प्राणीके) छुखोमें दाखक न हो ।

यहाँपर चार बातें और विचारने योग्य हैं इन्हें नीचे देते हैं ।

(१) बाल्यावस्था—इस अवस्थामें मनुष्य पशुवत होता
है, भाता पिताका धर्म है कि धिशुको अपनी बुद्धिके प्रका-
शालुचार सद्विक्षिक बनावें और उत्तम नागरिक युवा होनेसे
पहले ही करदें । इस दशानें बालक निज स्वत्व और दायि-
त्वको नहीं समझता इससे उसकी ईश्वर प्रदत्त सानवी समान
स्वतन्त्रता उसकी नहीं चिल उकटी । भानो यह उक्त नियमका
एक अतिरेचन (Exception) है । पुनर्श्व भाता पिताका
कर्तव्य उस बालकके साथ है जिसके बे दायी हैं स्वीकि उस
बालकके जन्ममें वे भी निमित्त कारण हैं । बच्चा जबतक अपने
स्वत्व वा दायित्वको न पहचाने उसकी शारीरिक, भानसिक
प्रयोग शक्तियाँ भाता पिताके आधीन रहती हैं ।

(२) जब कि भाता पिताने अपना दायित्व जो वधुके
प्रति या उतार दिया हो तो उसके बदलें बच्चा जाणी है ।
बच्चे का दायित्व है और उसके भाता पिताका स्वत्व है कि
थावज्जीवन बच्चा भाता पिताकी जैवा त्वरण वैसा ही करता
रहे जैसा कि वे चाहें । हमें ईसाई नीतिपर कहुणा भाती है ।
इस, एक ईसाई नीतिकार लिखता है ।

As the parent has supported the child during infancy, he has, probably, (यह शब्द और भी लेखकके भावको ठीक कर देता है) by the law of nature, a right to his services during youth, or for so long a period as may be sufficient to insure an adequate remuneration. When, however, that remuneration is received the right of the parent over the child ceases for ever. यदि अङ्का जाता पिताकी सेवाका पूरा बदला दे दे तो वह सदाको ज्ञान मुक्त हो जाता है ।

जिस जातिकी यह नीति है उस जातिको धार्मिक कानूने हमारा तो कलेजा कार्यपाता है । परमात्मा ईश्वर्योंके धर्म: और नीतिसे हमारी रक्षा करें । व्यावालक पिता जाताकी सेवाका पूरा बदला दे सकते हैं । क्या जाता पिता वैतनिक चाकर है ? छी ।

(३) जाता पिता अच्ची की शिक्षादिका भार अर्थात् अपना पैत्रिक स्वत्व घोड़ा या सारा चाहें तो दूसरेको सौंप सकते हैं पर उसी समय तकके लिये जबतक कि वह जबान न हो— तत्पश्चात् वह हमारे उक्त विचारानुसार ईश्वर प्रदत्त स्वतन्त्रताका स्वयं स्वासी होगा चाहे पिता भाताके साथ हो अथवा उनके प्रतिनिधिके । लेकिन किवी अवस्थामें अपने पैत्रिक शुद्ध पवित्र शुभचिन्तकता संयुत कामके सिवा दूसरे कामके लिये देने; सौंपने, सिखानेके अधिकारी जाता पिता नहीं हैं यदि वे ऐसा करेंगे तो समाज और ईश्वरके समीप उत्तरदाता होंगे ।

(४) सनुष्य स्वयं अपना परिमान, स्वत्व एक परिमित समयके वास्ते उचित बदलेप्रद दे सकता है किन्तु इसका यही अर्थ है कि वह दूसरीप (Contract) से कभी अपने ईश्वर

प्रदृश लौटिक स्वत्तर्वों और स्वतन्त्रतादे विजित नहीं हो सकता। पर किसीको दूसरेकी देवा, चाकरी, स्वतन्त्रताके देने, सौंपने, वैचलेका अधिकार नहीं है जिवा निज बड़ेके वह भी उस समय तकके लिये कि वह युवा न हो; सौंप किसी धर्मसिद्धहु अभिमायदे या अपर्याप्त्यके निनित्त न हो।

निस्सन्देह परमात्माने हमनेदे प्रत्येक व्यक्तिको कुछ निज स्वत्व सहित जगत्में स्वतन्त्र बनाया है और हन स्वतन्त्र हैं। हन स्वतन्त्रता, प्राण, धर्म और खुब सम्पादक योग्यतावर्तोंके स्वयं निर्विवाद बिना भागीदार और एस्ताक्षेप करनेवालेके स्वानी हैं। यह बात स्वयं रिहु है इसमें उन्देहवर्ती बुहु चारवी बुहु नहीं हो सकती।

सण्डल दूसरा ।

चनुवाक्य १

“स्वतन्त्रता धर्वंसन ।”

व्यक्तिक स्वतन्त्रता धर्वंसनके हो रास्ते हैं। (१) व्यक्ति (२) (सचाव)। प्रथन व्यक्ति ऐते हैं। इस शीर्षकमें अति प्रसिद्ध स्वतन्त्रता धर्वंसनका प्रनाला या ददाहरण घरकी टहुल करनेवाले दासीोंमें सिलता है। घर गुलामीका प्रादुर्भाव इस बिहुान्तपर होता है कि स्वासोको अधिकार है कि दासके थल और बुहुको स्वयं रखकर उसे जार्य ही छास चढावे। निस्सन्देह जब हन स्वानी और सेवकके उसीका सिलता करते हैं तो फहारा पइता है कि स्वासीको कोई प्राकृतिक स्वत्व

ऐसा नहीं है, न दासका कोई ऐसा दायित्व है कि जिससे यह विचारा इस बुरे वर्तावसे दबा लुवा अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतन्त्रताको खोकर गुलामगरी ही करता रहे। क्योंकि स्वामी और सेवकमें परस्पर जो सम्बन्ध होते हैं उन्नुष्य और मनुष्यके अन्तर सम्बन्धके समान नहीं होते, किन्तु कुछ ही कम ऐसा सम्बन्ध होता है जैसा मनुष्य और पशुमें होता है। इसीसे क्रोत दासोंके रखनेकी प्रथा आचर्यावत्तमें कभी मुसलमानोंके आगमनके पहले न थी। अब भी बहुत कम कहीं कहीं रियासतोंमें इस मुसलमानी संधका फल देखनेमें आता है यदिच पाश्चात्य दुष्टताका व्यवहार भारतमें नहीं मिलता तो भी हम इसे घृणित और अप्राकृतिक कहनेसे नहीं चूक सकते।

स्वामी और सेवकका पारस्परिक वर्ताव प्रत्यक्ष करता है कि भानो यह दो जातिके प्राणी हैं और असमान स्वत्वोंके साथ सिरजे गये हैं। और स्वामी उन स्वत्वोंसे काम लेता है जो कि दासने कभी देना स्वीकृत नहीं किया, भानो दासको उन शुखके साधनोंपर कोई अधिकार ही नहीं है जो उसे परस्परिता परमात्माने दान किये हैं। जभी इन अधिकारोंकी स्वामीको आवश्यकता हो अपने कामके बास्ते उन्हें लेलेवे। इसका तो यही अर्थ होता है कि स्वप्नामे एक व्यक्तिको इस बास्ते रचा है कि जितने प्राणियोंको क्रय कर सके उतने लेकर सबोंके शारीरिक, मानसिक, सामाक और नैतिक शुख साधनों पर अधिकृत हो जाय अर्थात् एक व्यक्तिको यह अधिकार हो सकता है कि वह चाहे व सके तो चाहे जितने मनुष्योंके शुखोंका स्वसुख साधनार्थ नाश कर डाले। यद्यपि अक्षरेज जातिकी व्यक्तियां पहले गुलामीमें दो दो रूपयेपर विकली रही हैं इसीसे यह इस दुखको अच्छीतरह जानते हैं और इस

दास विक्रयके बड़े विरोधी हैं तो भी पाइस्चात्य पृकृति इनके मनोंको आर्यवत् स्वच्छ नहीं होने देती अपनी मन्दताको ही प्रधानता देती है। हमारे देशमें यह दुष्ट प्रथा न थी न है अतः हमें इसपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता न थी पर कई कारणोंसे हम अपने देशवासियोंको अपना विचार इस विषयमें दिखला देना ही उचित समझते हैं।

(१) गुलामोंकी प्रथासे न गुलामके भुखोंका साधन अभीष्ट होता है न स्वास्ती और गुलाम दोनोंके, वरन् स्वाधीं और अमानुषी स्वभाव वाले स्वास्तीका ही भुख प्रधान होता है। यह एक तरफा स्वार्थ साधक स्वभाव और चलनवालोंकी स्वतन्त्र व्यवहथाकी रीति स्थापक दुष्कृति मानवी स्वभावसे भिन्न होनेके कारण त्याज्य है।

(२) जब तक मनुष्य इस घातसे परिवित न हो कि वह अपने भुखके निमित्त अपने बुद्धि व बलको स्वतन्त्रतासे प्रयुक्त कर सकता है तब तक तो कुछ दूसरी घात भी कह सकते हैं, पर जब वह जानकार हो जाय और अपने भुखोंके साधनमें समर्थ हो, तो भी उसपर यही अत्याचार करते चले जाना कि वह अपने स्वास्तीके बास्ते अकारण अपने भुखोंका खून कर दे और नालिकके भावें ही नहीं कि नौकर भी मनुष्य है, बड़ी घृणित घात है। मानवी भन कैसे इस पृथाको क्षण भर भी देख सकता है? क्या किसी कुमारीका सतीत्व धनके अल उसकी इच्छाके प्रतिकूल भोल लेना मनुष्यता है? क्या एक होन-हार बच्चेको सदाके लिये अपने भुखोंके हेतु धनके अभिमानसे पशु बनाकर सेवामें रखना मनुष्य कर्तव्य कहला सकता है?

३—क्या वह परमात्मासे सम्बन्ध नहीं रखता फिर व्हों वह मनुष्यके हाथमें ऐसे बिक सकता है कि उसके उपरसंना

प्रार्थनाका ममय भी पराधीन ही हो । क्या धनेके बदले धर्म खरीदना और बेचना कभी प्रशस्त प्रथा हो सकती है ? क्या एकके पारमार्थिक भुखका खून दूसरेके ऐहिक तुच्छ भुखके निमित्त नष्ट करना ठीक है ? हम तो यही कहेंगे यह प्रत्यक्ष अप्राकृतिक और ईश्वरेच्छा किरणु प्रथा सर्वथा घृणित और त्याज्य है ।

५—गुलामीकी प्रथा स्वामी और सेवक दोनोंकी बुद्धिमें जड़ता पैदा करके दोनोंका अध्यात्मिक जीवन नाश कर डालती है । इससे देशके धन और नीति दोनोंपर बड़ा आघात पहुंचता है । सालिक अहङ्कार और मूढ़तावश नौकरकी इच्छाके प्रतिकूल अपने क्रोध, अहङ्कार, बेदर्दी, स्वार्थ और लम्पटपनेसे काम लेता है और अपनी आत्माका हनन कर डालता है क्योंकि पूर्कुलि ही उसकी इस स्वत्वसे पापिष्ठ बन जाती है । उधर नौकर बारम्बारके असद् व्यवहारसे नीति अनीतिके भेदको भूल पशु हो जाता है और फूट, चोरी, छल, ठगी, भिखमङ्गीमें पड़कर अपनी पाशविक इच्छाओंके दम करनेको विचेष्टित होने लगता है और प्राप्योंके गुरु घरटाल स्वामीके समान ही बन जाता है । चाहे हमारे कथनोंका प्रमाण सौ प्रति सौ व्यक्तियोंमें न निकले क्योंकि मानवी पूर्कुलि भी तो भिन्न और विचिन्न होती हैं पर अधिकांश हमने रजवाड़ोंमें रहकर ऐसा ही अनुभव किया है क्योंकि यह हुष्टता भारतके काथर राजपूतोंमें जहाँ तहाँ विद्यमान है । सुखलमान इस कामके गुद थे वह तो पीछे रह गये उनके नामभावके चेले राजपूत गुरु घरटाल बने बैठे हैं । रिंगसरोंमें अन्यत्रसे अधिक व्यभिचार कीलाजेका कारण राखलेकी दासियाँ हैं । हनका अधिक वृत्तान्त कदाचित्

हमारे देशी राजपुत्र बाल्धवोंको दुःखद हो जतः हमें इतने ही से आशा है कि बुद्धिमान लोग स्थितिका उद्दय कर लेंगे ।

५—देश धनमें इससे यों हानि होती है—प्रथम एक स्वतन्त्र प्रभार देशमें धन समहिकारक कामके करनेदेखे विजित हो जाती है, जो एक गुलाम हो तो एक्, जो सौ हों तो सौ के सौ विजित हो जाते हैं । दूसरे नौकरीया मजूरीका सच्चा भाव घृणित हो जानेसे यथा योग्य गरीब-लोग न काम करते हैं न काम हो ही सकता है । तीसरे जब मजूरोंका निज स्वार्थ नहीं तो काम कश्च ठीक होगा ? मपउः है ‘नाल जारे धुनिया कटे पठान’ हमारे गावोंमें कहा करते हैं ‘खेती खसम सेती’ अथवा ‘खिना अपने भरे बैकुण्ठ नहीं दीखता’ । इन छोटी २ घातोंको विचारकर देखो । जिसका निजका लाभ हानि सम्बन्धित होता है उससे अच्छा काम नौकर कभी नहीं कर सकता । यह हमारा मतलब नहीं कि ईश्वर-सुष्टुप्तें ऐसा नमूना ही नहीं है पर यह अभिप्राय हमारा अवश्य है कि प्रति सौ अस्त्री घटनामें हमारे कथनानुसार ही दीखेंगी ।

चौथे नौकर तो उनकरता है तुम्हें क्या, तुम्हें तो उनका चबैना ही मिलना है फिर तू मित्रियय और पूँजी सज्जयको क्यों सरता है ; उधर मालिकने हल जोता होता या मेहनतकी होती तो उन उपार्जनके कष्ट जानते होते और उनको व्यय करते बुद्धिमे काम लेते । सेतकी गङ्गामें हरामके गोते लगते हैं तो आंखें बन्द होती ही हैं जतः दोनों ही नष्ट भए हो पूँजी और नूलको धूलमें मिला बैठते हैं ।

फिर धर्मशास्त्र हमें कहता है प्राणीनानको अपनी आत्माके सनान भानो । पड़ोसीकी सहाय करो, अतिथि, अनाथ, रोगी, वृद्ध, घर्ष्वे, विघ्ना और गर्भवतियोंको अन्न

देकर खाओ । क्या हन बातोंसे इस दुष्प्रथाका प्रत्यक्ष खण्डन नहीं होता ?

यहांपर ३ बातें और भी विचारनेकी हैं वह यह हैं :—

(क) क्या युक्ति अथवा धर्मशास्त्र हमें कहीं बतलाते हैं कि यह प्रथा ठीक है कि हम बलात् अपने सजाति मनुष्य बन्धुसे अन करावें और उस असके प्रतिफलसे उनको मुख खोलने तकका भी अधिकार न हो, यहां तक कि वे अपनी मुक्तिके साधनसे भी बच्चित रखे जायें ।

(ख) क्या कोई स्वामी अपने दासकी दशामें स्वयं रहना स्वीकार करेगा ? यदि नहीं तो वह दृष्ट क्यों दूसरेवे वह बर्तीब करता है जो अपने साथ होना असत्य जानता है—आत्मबत् सर्व भूतानाम्—नीतिका वाक्य इसी धर्मका बोधक और विधायक है ।

(ग) क्या किसी धर्मका सिद्धान्त किसी देशमें हमें अपने वश पड़ते ऐसा करने देगा कि हम अपने सहवर्ती नाग-रिकोंको जो हमारे ही रङ्गके हैं गुलाम बना लें । धर्म ग्रन्थ तो कभी भी रङ्ग, रूप, निकास या घरानेके कारण मनुष्य मनुष्यमें भेद नहीं स्थापन करता । उसने मनुष्यको एक जाति बनाकर पृथको सबको मिलकर रहनेको दी है । जो रङ्गके कारण घरानेके कारण भेदभाव करते हैं वे अपवित्रात्मा, नरकी, नास्तिक और अत्यन्त पतित प्राणी हैं । यदि कहीं शूद्रोंके कर्तव्यमें सेवा धर्मका विधान है जिसे ‘एषमेवतु शूद्राणां प्रभु कर्म समादिशत् । एतेषां त्रय वर्णानां शुशूषा मनुसूप्यया ।’ तो इसका यही अभिप्राय है कि जिसमें जो अयोग्यता है वह उसे जानता हुआ योग्योंकी प्रतिष्ठा करता है । शूद्र सूर्ख, निर्दुष्टि, नीति विवेकका यथावस् न

जाननेवाला, देश प्रेमके भहतवसे शून्य हृदय, निर्धन, निर्झल होता है जो वह बुद्धिमानों (व्रात्मणों) वलवानों (क्षत्रियों) और धनवानों (वैश्यों) की अपने शरीरसे शश्रूपा सहायता न करेगा तो वे अपने भेड़नतके फलमें से उसे आग कर्ते देने लगे । अर्थ शास्त्र वैज्ञानिकोंको अधिक यह बात बतलानी न पड़ेगी, हमारे माधारण पाठक हमारालिखा हुआ "देशकाधन" पढ़ें उन्हें हमारा तर्क जलदी स्पष्ट हो जायगा । अनुसूयया-इस वास्ते कहा कि विना इसके सम्बन्धमें नीरसता आजा-यगी और प्रेमभाव उठ जायगा और गुलामीकी दशाको शूद्र पहुंच जायगी और स्वामी भी कुस्तामी होकर शूद्रोंके सच्चे शूभचिन्तक न रहेंगे ।

सिवा भहात्मा भसीहूके जिन्होंने हसके दोषको कुछ समझा था अन्य सब नवियोंने आदमसे भहात्मा सुहम्मद तलकने ठोकरें खाई हैं-देखो कुरान और पुराना अहदनामा, विचारसे गुलामोंकी सम्बन्धिनी आयतें पढ़ें । अप्रासांगिक होनेसे हम यहाँ बहुत अन्य भरोंकी घावत प्रमाण उधटूत करना अन्य-वश्यक समझते हैं ।

क्या भगवान्से वेद सब मनुष्योंके लिये बनाया है ? क्या उसने सबके खाने पीने सूंघने आदिकी इच्छाएँ और शक्तियाँ गुण सम्बन्धमें समान रखी हैं ? यदि इनका उत्तर विधि वाचक है तो निस्सन्देह उसने सबको समान रहनेको बनाया है और गुलामी धृणित प्रथा है । सिवा चाकरीकी हृदयके जिसका विधान मन्दिरादिक बिद्धान और वेद भगवान् एक समान बतला रहे हैं ।

हिं ! उपक्रिक स्वर्त्व समान द्वारा भी अपहरित हो सकता है हम कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाके अनुसार

अपने सुखोंकी साधक शक्तियों और प्रयत्नोंको अपने काममें लानेको इस प्रतिघन्धके साथ स्वतंत्र है कि वह दूसरोंके सुखों-में वाधक न हो, तो इस दशामें चिवा सृष्टाके कोई भी उसे इस कृत्यसे रोकनेका अधिकारी नहीं है । जैसे व्यक्ति व्यक्तिके हस्ताचेपसे स्वतंत्र है, वैसे ही समाइके-व्यक्तियोंसे समाइ भनी है तब उसे उन अधिकारोंसे अधिक अधिकार नहीं हो सकता जो कि व्यक्तियोंको है । जो स्वतंत्र दरायित्व व्यक्तियोंने परस्पर भान लिये हैं वहो हो सकते हैं किन्तु यह भी तो सबके समान ही होंगे । जब इस सिद्धान्तके विरुद्ध किसी व्यक्तिको समाज दबाता है तो उसके स्वतंत्रों तोड़ता है उसके भौलिक स्वतंत्रतामें वाधक होता है । प्राण, स्वतंत्रता और सुख साधनों की रक्षाके ही निमित्त शासन प्रथाका प्रादुर्भाव सनुष्योंमें हुआ है । जब कभी यह अभीष्ट सिद्ध न होते हों तो भनुष्यको अधिकार है कि शासनको उठा दे, बदल दे या और किसी तरह सुधार करे । और शासनकी नवीन नीव ठोस धरतीपर धरकर ऐसा संगठन बनावें जिसके अधिगत उनके सुख स्वतंत्रताकी रक्षा यथेष्ट होती हो । देखो समाज व्यक्तियोंके भौलिक स्वतंत्रोंमें अनेकधा जैसे वाधक हो सकती है हम सूझम रीतिये नीचे गिनाए देते हैं ।

(१) निरपराध कारागारमें किसी व्यक्तिको रखकर उसके शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रोंको नष्ट कर सकती है व करती है ।

(२) यदि कोई दोष भी हो तो उसका अनुसन्धान सत्य, धर्मानुकूल और निष्पक्ष रूपसे न करना भी व्यक्ति स्वतंत्र अपहरण है । क्योंकि जबतक वह यथावत अधिकांश प्रजाके सत्तमें दोषी न ठहर जाय वह व्यक्ति सर्वथा निर्दोष ही होता

है। राज कर्मचारियों जमीदारों और अमीरोंका अत्याधार भी इसी शीर्षकमें आता है। न्यायके निमित्त जो धाराएँ प्रजाने निलकर भान ली हैं वह सबकी मानी हुई होनेसे सबपर समान प्रभाव रखनेवाली होनेसे अवश्य सान्ध होती हैं उसमें जो व्यक्तिक स्वातन्त्र्य हानि होती है वह हानि उठानेवालेकी निज सम्मतिसे रचित न्यायके अनुसार होनेसे व्यक्तिक भुख हानिकर नहीं कही जा सकती।

(३) किसीको किसी देशमें जानेसे, रहनेसे रोकना, बाधक होना, रक्त रूपके कारण कृत्रिम प्रतिबन्ध लगाना पाप है क्योंकि यह सामाजिक हस्ताक्षेप व्यक्तिक भुखका हानिकर है। 'अंग्रेजी सेगनाकारटा' महत स्वातन्त्र्य पत्रमें लिखा है :—

* Let no freeman be imprisoned or disseized or outlawed or in any way injured or proceeded against by us, otherwise than by the legal judgement of his peers or by the law of the land. यह वाइक्टिक बुद्धिका फल नहीं है यह वैदिक प्राकृतिक बुद्धिका फल है जो हमारे अङ्गरेज आताभींके सनसें पैदा हुआ। उक्त शब्दोंका अर्थ हम नीचे देते हैं। यहाँ हमने इस वास्ते इसका कथन किया है कि इससे हमारी सम्मति ठोक निलती है और कोई कारण उक्त विचारका खण्डन करनेवाला हमें अपने धर्मशब्दोंमें नहीं मिला किन्तु इसीके पुष्टि कर अनेकों वाक्य चुति और समृद्धियोंमें पाए जाते हैं जिन्हें भारतका बच्चा बच्चा जानता है यहाँ उनका दोहराना समय नष्ट करना होगा।

* इसकी पूरी प्रतीक इतिहासीय इतिहासमें निक्त रहती है। चूं १२१५ में राजा लोमके शासनकालमें प्रजाने उससे बचाव् यह लिंगवत्या था।

वर्तमान हेवियाज कार्पेसकी न्यायधारा जो इन्हेलेएड अमेरीकामें पूर्णतया और भारतमें हार्डकोर्ट्स द्वारा यदाकदा वरती जाती है इसीके आधारपर है। देखो एकू॒प॒सन्॑ १८४८ का वह भाग जिसमें हार्डकोर्ट्सके अधिक अधिकारोंका कथन है।

‘कोई ईश्वरकी स्वतन्त्र प्रजा न कैद हो, न द्युत अधिकार हो, न अनीतिसे बर्ती जाय न किसी अन्य भाँति उसको कष्ट पहुँचाया जाय न उसके विरुद्ध कोई अभियोगादिकी किया की जाय जबतक उसीकी जातिके गण्यमान्य लोग देशकी प्रध-लित न्यायधारानुकूल उसे दोषी न प्रतिपादित करदें।’

(४) सनुष्य अपनी बुद्धिको कासमें लानेकी स्वभाव-सिद्ध स्वतन्त्रतासे बास्तु किया जा सकता है, जैसे किसी विषय विशेषको पढ़ने न देना, उसे अपनी बुद्धिके अनुकूल अपनी सम्मतिको बाखी या लेखनी द्वारा प्रकाशित न करने देना। यह समाजके दुर्गठनका ही तो प्रतिफल हुआ करता है। राजा समाजका बनाया हुआ कर्ता या मन्त्री या सुनीम या अधिष्ठाता है। अनेक अवस्थाओंमें समाजको जिन कासोंके करनेको व्याध्य होना पड़ता है; हम उन्हें सविस्तर “राज्य प्रकरण” में दिखावेंगे।

(५) समाजका धर्म है कि व्यक्तिक सामन सर्वांदा और सम्पत्तिकी रक्षा करें। अपने सामाजिक गठनको नष्ट होनेसे बचावे अर्थात् अपनी भी रक्षा करें। किन्तु समाजका कोई उद्दीश्य या लाभ उसीकी व्यक्तिके लाभसे भिन्न नहीं हो सकता, जो समाज ऐसा नहीं समझता वह भूलसें हैं, और शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है।

यह एक सर्व देशी सिद्धान्त है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आई बलाको टाल सकता है या उसके बुरे फलका

उपचार कर सकता है तो समाज हस्ताक्षेप नहीं करनेका । अतः यदि कोई स्वसम्मति प्रकाश (Publication) करना चाहे, अन्य द्वारा ही वा समाचार पत्र द्वारा, चाहे वह हानिकर भी क्यों न साना जाता हो, कभी उस समय तक नहीं रोका जाता भ रोका जाना उचित ही है जब तक कि वह हानि इस प्रकारकी हो कि जिससे सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो । इस दशामें व्यक्ति स्वयं निज शक्तिये जो उसमें है अपनी रक्षा करती है क्योंकि इस निमित्त उसमें यथेष्ट बल है । यदि मैं भूलता नहीं तो मेरी समझमें यह सिद्धान्त ठीक है, इससे इस व्यापकी विवेचना कर सकते हैं, कि क्य किन किन व्यापकोंमें जानवी बुद्धिकी स्वतंत्रतामें हस्ताक्षेप करना समाजका कर्तव्य होता है और क्य नहीं होता । अब हम कुछ सपविभाग करके अपने आशयको विशेष स्पष्ट करनेकी चिट्ठा करते हैं ।

(१) जब कि व्यक्त्यान्तरगत स्वयं निज हानि या घायाचात (Injury) निवारक साधनशक्ति प्रस्तुत है, समाजको हस्ताक्षेप न करना चाहिये; उदाहरणार्थ, मानलो, कोई कथन मिथ्या है, तो यह अस्त्यता यदि दार्शनिक या गणित शास्त्रीय (Mathematical) भूलसे सम्बन्धित है तो सनुष्योंमें इस भूटके परखनेको हवाभाविक बुद्धि और शक्ति होती है इससे कोई भी हानि इस प्रकारके मिथ्या कथमसे ऐसी नहीं हो सकती जिससे बचाव न हो ।

(२) फिर यदि स्वतंत्रवाद है, तो परस्पर एक दूसरेके तर्कको खंडन संहन करनेका अधिकार है, इस दशामें निस्सन्देह सत्यकी ही जय होती है—वादे वादे जायते तत्त्व (सत्य) खोधः । इसमें भी सामाजिक हस्ताक्षेप आवश्यक नहीं

जान पड़ता । भूलका प्रतिवाद ही निर्णायक होता है और मिथ्याका मूलोच्चेद कर डालता है । जहाँ बलात् तर्क वितर्क रोका जाता है वहाँ मिथ्याके जह पकड़ जानेकी अधिक सम्भावना होती है क्योंकि दनिया यह समझती है कि इसका (चाहे बात सत्य हो) समर्थन तर्कसे नहीं हो सकता अतः यह भूत है अथवा भूठ ही हो तो समझ लेनी है कि यह सच है क्योंकि इसका तर्क द्वारा खंडन करनेकी किमीको मामर्थ्य नहीं हुई । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सरकारी न्यायकी कठोरनासे पत्रों और वकालोंके मुख बन्द होनेके कारण अनेक मिथ्या भाव प्रजामें फैल गये व फैलने हैं जो प्रजाके मनही मनमें राखके भीतर दबी आगके समान जह पकड़ते जाते हैं और भीतर ही भीतर यह अग्नि बढ़ती तो है किन्तु 'घटती नहीं' । ज्यों ज्यों पत्र बन्द होते हैं; प्रजाका किसी बातके कहनेसे सुंह बन्द किया जाता है, त्यों त्यों उन असत्य दोषों-को जो राज्यपर थोरे गये था थोरे जाते हैं और भी सत्यताका पक्का रङ्ग मिलता चला जाता है । इस प्राकृतिक झुकाव या ईश्वरीय नियम जन्य झुकावका वारण सनुष्य शक्तिसे बाहर है । कौन नहीं जानता कि अगणित व्यक्तियाँ जो विद्या धारुवल धन और अन्य किसी असाधारण योग्यता सम्पन्न न थों केवल इसी कारण गए मान्य, नहीं देव सदूश पूज्यनम होगईं और अब उनकी पूजाको कोई रोक नहीं सकता, आगे आने वाली सन्तति हमें हजारगुनी अधिक उनकी प्रतिष्ठा और पूजा करेगी, क्योंकि उनपर सरकारसे कठोरना भुइं और छोरोंका मुख उस बातके कहनेसे बन्द कर दिया गया जिसके कहनेका प्राकृतिक अधिकार उनको था । बाहिये यह कि यदि वह भूत कहने हैं तो आप भूठे भिन्न हो

जायेंगे या सरकारकी पक्षवाला दल उनका प्रतिवाद करै। प्रतिवाद न करके लट्ठके बड़ मानवी प्राकृतिन स्वत्वका अपहरण चलाए प्रसार इस बातका हो जाता है कि जो कुछ कहा गया या किया गया उचित है और बलिष्ठका लट्ठ-प्रयोग तक विहीनता जन्य अत्याधार मात्र है। यह स्वाभाविक मानवी बुद्धिका धर्म है जो कि प्राच्य और पाश्चात्य महर्षियों और विद्वानोंने एक शब्दमें समर्थन किया है। (१९०३ से आगे)

परन्तु मान लो कि जो बात प्रकाश की गई है वह भी हानि कर है-चाहे सत्य है या असत्य। यदि सच्ची ही है पर इस प्रकारकी है कि उसका प्रकाश न सीधा व्यक्तिक वा सामर-जिक भुखके नाशका कारण होगा जिससे धन्वनेकी स्वतः उसमें शक्ति नहीं है तो निश्चन्देह सामाजिक हस्ताक्षेप आध-इयक है और हानिकारीको ऐसा दरह होना चाहिये या उससे ऐसा बदला दिलाना चाहिये कि जिससे हानि सहनेवालेकी शक्ति पूर्ण होती हो और इस प्रकारके दोषोंकी वीप्सा समाप्तमें न हो। चदाहरणकी भाँतिः—

(१) मान हानिकी रक्षा—एक आदमी अपने पड़ोसीके मानको पहुँचाना चाहता है, मान भी सम्यक्तिके समान मनुष्यके दूसरे भुखोंके साधनका हेतु है, इस पड़ो-सीके पास जिसे हानि पहुँचाई गई है या पहुँचाई जाने वाली है कोई निजका धार्धन आत्म रक्षाका नहीं है, इनके सिरा बात ऐसी है कि जिसका भुलाना नहीं बन सकता और सर्व साधारणमें कैठना उसके वरवादीका कारण है, तो अवश्य समाजको हस्ताक्षेप करना होगा। मानलो कि ‘अ’ने कहा कि वे प्रदनीयत है तो अब वे-जो यदि सबने छोर मान लिया तो प्रत्यक्ष हानि है और यह उसके दृश्यके चाहिर है

कि आदि जीवनसे आजतक जहाँ जिससे काम पड़ा हो सबको लाकर अपनी निर्दीयिता सिद्ध करें यदि करे भी तो अ-ने जिन जिनसे यह बात कही है उन उनका सन्तोष करना व-के लिये समझ नहीं हो सकता । यह बात यदि समाजके हस्ताक्षोपसे न रोकी जाय तो देशमें किसीकी खुनामी विषर नहीं रह सकती ।

(२) अनेक त्रिपायें भनुष्यमें ऐसी हैं कि जिनपर कोई रोक टोक न हो तो उसकी असीम विस्त्रित व्यक्तिक स्वत्वोंका नाश कर डाले और उसके समूह समाजको भिड़ीमें भिला दें । जिस तरह डाकू पापी है वैसा ही डाकुओंको डाकेके लिये प्रोत्साहित कर्ता भी । इन्हीं कारणोंसे समाजको अधिकार है कि अश्लील पुस्तकें, अश्लील छायियाँ या ऐसी चीजें जो दुराधारके प्रचारकी प्रवर्द्धक हों रोके । इसी आधारपर आग लगाना, भनुष्योंमें परस्पर द्वेष फैलाना, राजविष्णवकी चेष्टा करना भी समाजसे रोके जाने चाहियें । स्वदेश स्वेत्थ व शान्ति रक्षाके निमित्त ही समाजका सङ्गठन है ।

उक्त बातोंको बहुत ध्यानसे देखना होगा । कई बातोंमें अवस्था भेदसे ही बड़ा अन्तर देखनेमें आवेगा । प्रजाने इन्हें अपने स्वत्वोंकी रक्षाके लिये चार्ल्सको मारहाला, जोनको बन्दी करके एक प्रजा स्वातन्त्र्य-पत्र लिखवा लिया, तो यह राज विष्णवकी चेष्टा नहीं है । परन्तु उसी देशमें हृत्यारे लोग जो अकारण राज परिकरकी हत्या करते हैं और अराजकता फैलानेके इच्छुक रहते हैं वह मिस्सन्डेह राजविद्वोहियोंकी एक जाति विशेष है । जिस तरह पिता मातापर बालककी रक्षाका भार है वैसे ही समाजके गशथ-मान्योपर समाजका घोफ होता है । राज, समाज रचित युक्त

गोष्टि है जो कतिपय कर्त्तव्योंके पालनके निमित्त गठित होती है; चाहे एक व्यक्तिमें हो वा अनेकमें, किन्तु एक व्यक्तिक शासन मानवी स्वभावके प्रतिकूल है।

समाजके स्वत्वके आधार यह है—(१) भात्सरक्षा (२) मानवोंके बुद्धि। यह आवश्यक नहीं है कि समाजने जिन बातोंका स्वाईमें अनन्तकालसे अनुभव कर रखा है उसकी पुनः पुनः परीक्षा किया करौ, जब अनेक देशोंमें देख चुके कि प्रजारकी इच्छाके प्रतिकूल चलनेवाले दुरात्मा अनेक राजा पहिले नहीं हो चुके हैं, इतिहास साक्षी हैं, तो वह भूर्ख है जो फिर इतिहासके प्रतिकूल उस्सा जमाये या उसी अनुभूतका फिर अनुभव करना चाहे। दो बातें मानी हुई हैं और कहावत हो रही है कि (१) नियमबद्ध रहनेसे शानिकी अपेक्षा सदा लाभ अधिक होते हैं। (२) न्यायधारायें इतनी दुष्ट नहीं हो सकतीं जितनी कि वर्तनेवाले। अच्छे भावसे, अच्छे सिरोंसे, अच्छे हाथोंसे सङ्कलित नीतियाँ भी हुएके हाथसे बुरा ही नाम पाती हैं और बुरीसे बुरी शासन धारा भी धार्मिकके हाथसे वर्ते जाने पर निर्दीप हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस तरह हमने ऊपर समाजके हस्ताक्षीपका अधिकार दिखलाया है उसी सिद्धान्तपर गठित समाज हानि सिटानेके बहाने उचित आदेंकी स्वतन्त्रता और निष्प्रतिक्रिया जिज्ञासुओंकी नतिका भी तो खून कर सकता है। इसका यही उत्तर है कि:—

(१) प्रथम तो कोई नियम इस वास्ते बुरा नहीं कहा जा सकता कि उसका कुप्रयोग होना सम्भव है। क्योंकि यह शङ्खा तो प्रत्येक मानवी नियमों और प्रतिक्रियोंमें हो सकती है। हम ऊपर दिखला आये हैं कि अच्छे और जल्दी भी भनुम्य कुप्रयोग कर सकता है तो ज्याह अन्न व जल होने

प्रजावश्यक नहीं? बात यह है कि जिस नियमसे अधिकांश भलाईकी सम्भावना होती है और फिर अनुभव उसे पुष्ट भी कर देता है अथवा यों कहो कि जिस नियमसे दुखमद लुरा-इयोंका प्रादुर्भाव कम और शमन अधिक होता है वही ठीक समझा जाता है। इसीलिये, अर्थात् मानवी नियम सत्रुटि होनेके कारण ही वे समयानुकूल परिवर्तित होते रहते हैं, ईश्वरीय नियमोंकी भाँति अटल और एकसे नहों होते। पुनः हम यह भी स्पष्ट कह चुके हैं कि नियम जड़ हैं प्रयोग कत्तोंके आधीन होते हैं अतः प्रयोगकर्त्ता दुष्ट है तो उष्टु नियम भी दुष्ट हैं जो वर्तनेवाला उष्टु है तो दुष्ट नियम भी उष्टु हैं। नियमसे लाभ दूतना ही है कि प्रत्यक्ष नियम विरुद्धाधरणकी दशामें नियमके शब्दानुकूल हम दुष्ट शासकोंको समझा, रोक व दण्ड दे सकते हैं। और इसमें सन्देह नहीं कि सनुच्छय पृक वातके धादको हानिकर समझ ले पर वह हानिकर न हो, और इस तरहचे अकारण अनावश्यक वाधा तत्त्वानुसन्धानमें ढाल दे किन्तु इसका भी उपाय है। उपाय यहाँ है कि सर्वथा न्याय करनेवाले प्रजावर्गके पक्ष हों। जब १० या १५ सनुच्छय प्रजामें से किसी विषयकी व्यवस्था करने बैठेंगे और यह चिट्ठी द्वारा चुने हुये लोग होंगे और फिर उनमें से अभियुक्तको अधिकार होंगा कि वह अपने व्यवस्थापक चुनले, तो सम्भव नहीं कि पृक भी निष्पक्ष व्यक्ति उसे इस व्यवस्थापक समितिमें न सिले। फिर यह व्यवस्थापक और न्यायाधीश भी तो इसी नियमान्तर गत होते हैं, उनके ऊपर जो दोषारोपण होगा तो वे जानते हैं कि हम भी इसी नियमानुकूल वर्ते जायेंगे। और यह कब अनुमान कर सकते हैं कि वह अपनी व्यक्तिक स्वतन्त्रताके पैरमें कुलहाड़ी मारना इस बास्तवे

पसन्द करेंगे कि वे स्वयं दूसरे पड़ोसीकी स्वतन्त्रतामें वाधक हों। अतः प्रजा व्यवस्थापक-सन्निति-सम्पन्न न्यायालय ऐसा निष्पक्ष और चांधु होता है जैसा कि होना अभीष्ट और सम्भव है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष इस सिद्धान्तका विरोध नहीं कर सकता। इनकी व्यवस्था (फैसला) को इसके सच्चे दिलका आदनी स्वीकार करेगा, यदि ईश्वरीय आज्ञा-ओंका विरोध न हो। कारण यह है कि यह ऐहिक प्रबन्ध सम्बन्धी बात है जहाँ परमार्थ सम्बन्धी बात है वहाँ हमें इसके विपरीत देखनेमें आ सकता है। जैसे किसी देशमें सब लोग एक पहाड़ विशेषको ईश्वर मानते हों जो कि नज़र, है। यहाँ एक व्यक्तिको यह निश्चय हो कि पहाड़ ईश्वर नहीं हो सकता, जीव अमर है, जीव ईश्वरका बहुत बड़ा सम्बन्ध है तो सारी प्रजा उसके विरुद्ध ही कहेगी लेकिन क्या वह मान लेगा? कदापि नहीं।

(२) अब प्रश्न यही रहता है कि जब किसीको अपनी शक्ति समझिकी हानि रुक्नेमें प्रयुक्त करनेका अधिकार नहीं है तो यही केवल देखना होगा कि जिस कृत्यके विरुद्ध चीतकार (फर्याद) की गई है क्या वास्तविक ऐसी हानिकर है कि जिसमें सामाजिक हस्तांतर होना चाहिये? तो इसमें कोई सन्देह और तर्कका स्थल नहीं कि दश पन्द्रह आदर्मियोंकी व्यवस्था सर्वधा एकसे अच्छी और यथार्थ ही होगी, विशेषतः जब कि उनका कोई निजका स्वार्थ और पक्षपात कारण न हो। एक भनुष्यमें जिनना व्यक्तिक अभिभावकी भूल बढ़ापनकी चाह और घनकी लोलुपता हो सकती है उतनी अनेकोंके समूहको नहीं हो सकती। सम्भव है कि दश भी भूल करें, अन्याय कर डालें पर एककी अपेक्षा तो कम ही ऐसा

देखने में आता है। पर हाँ जो सब व्यवस्थापक एक जातिके होंगे और अभियुक्त दूसरी जातिका होगा, तथा विषय समष्टि सम्बन्धी होगा तो समष्टि व्यवस्थापक यूथ भी व्यक्तिकी हो भाँति आचरण कर सकता है।

हम इतना और कहे बिना नहीं रह सकते कि सबसे अधिक पवित्र और अनुज्ञा युत कर्त्तव्य तो व्यवस्थापकों, निर्णायकों, पंडितों (Jury) और दोषारोपक अधिकारियोंपर रहता है।

आजकल हम सुदृशालय, अन्वेषण, तर्क और मानवी बुद्धि व्यवहारके स्वतंत्रताकी धूम डुनते हैं। यह सब पवित्र सद्गुण ऐसे हैं जिन्हें नष्ट न होने देना चाहिये और तन, मन, धन प्राप्त देकर भी इन्हें बचाना प्रजाका धर्म है। पर निस्सन्देह यह कहना ठोक है कि कोई स्वातंत्र विना किसी रोक या सीमाके यथेष्ट विषयमें नहीं रह सकता। क्योंकि कोई भी बात जो कहो गई ऐसी नहीं है जिससे लाभकी साँति हानि भी न हो सकती हो। जो अच्छे यत्यों और समाचार पत्रोंसे प्रजाको लाभ होता है तो उन्हें लेखाने प्रजा दुराचारियों लम्पट और बुरी भी हो सकती है, इसीसे रोकटोक और सीमाको आवश्यकता होती है। जो मनुष्यमें स्वाभाविक हुएता ही न होती, तो राजा और शासनका नाम हो जगतमें स हुआ होता।

इ—अब हमें सिद्ध होता है कि सत सम्बन्धी स्वतंत्रतापर भी सामाजिक आघात होना सम्भव है। मनुष्य स्वेच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक ईश्वरोपासना अपने सुखोंके साधनके

निमित्त अपने प्रकाशके आधारपर कर सकता है परन्तु कोई कृत्य समाजको हानिकर न होना चाहिये । (१) वह स्थायं या किसी जन संख्याके साथ चाहे जिस रीतिसे ईश्वरोपासना प्रार्थना आदि करे । (२) अपने भतकी स्वतन्त्रतापूर्वक दूसरोंको भी सुख देनेके भावसे सिखावे, सुनावे और बतलावे । लेकिन किसीके इन्हीं स्वतन्त्रताओंमें वाघक न हो और भाव अन्तःकरणमें सज्जा और शुद्ध हो ।

समाजके आघात इस स्वतन्त्रतापर यह हो सकते हैं । (१) प्रत्यक्ष किसी भतकी ग्रथाको बलात् रोककर या प्रचलित करके जैसा मुखलमानोंके पूर्व कृत्योंमें देखा जाता है व इतहास भी बतला रहा है कि इन्होंने क्या किया । फैल विष्टवके समय भी सब भर्तोंको निष्क्रिय किया गया था, क्योंकि प्राचीन ईसाई भी इस दोषसे रहित न थे ।

(२) किसीको किसी भतका होने न होनेके कारण दृश्य देना हाथ पेर काटने आदि द्वारा उन्हें बेकार कर देना ।

(३) किसी भत विशेषकी सहायता करना और दूसरोंको जो कष्ट वाधा हो उसे देखकर जुप रहना । जैसे वर्तमानमें ईसाइयोंको राजकीयसे धन दिया जाता है और अन्य भतानुयायियोंको अनेक प्रकारको वाधायें हैं जो ईसाइयोंको नहीं हैं ।

पर मनुष्य अपने धर्मपालनमें स्वतन्त्र ही है व होता है ।

मण्डल तीसरा ।

अनुवाक १

“सम्पत्तिक न्याय ।”

(१) सम्पत्ति स्वत्त्व क्या है ? सम्पत्तिका स्वत्त्व विशेष वह स्वत्त्व है कि हम किसी चीजका अपने मनके अनुभार प्रयोग करें। पर यह अधिकार साधारण है सब भनुष्योंमें है इससे हमें हमें भी रोक लगानो पड़ती है कि तभ अपनी सम्पत्ति जैसे चाहो काममें लाभो पर ऐसे काममें न ला जकोगे कि जो दूसरेके सुखमें आधक हो। यह स्वत्त्व धर्म-स्वत्त्वानुसार ही है।

(२) सम्पत्ति स्वत्त्वाधार क्या है ? सम्पत्ति स्वत्त्वाधार परमात्माकी इच्छा है; हमारी स्वाभाविक अन्तरात्मा, साधारण परिणाम और धर्मशृण्य हमें इस ब्रातकी साक्षी दे रहे हैं। जगत्की सारी चीजें उसीकी सम्पत्ति हैं; उसकी अधिकार दे कि अपनी चीज चाहे जिसे दे और चाहे जिस शर्तेपर दे और जिसतरह वह सभके उसीतरह प्रयोग करने दे। उसने हमारे मनमें जो सिद्धान्त ढूढ़ किये हैं जिन सम्बन्धोंमें हमें उसने स्थित किया है जो चउन समाजमें अपना जो परिणाम दिखा चुके हैं उनसे उसकी इच्छाका बोध हमें होता है।

(क) स्वभावजन्य अन्तरात्माकी व्यवस्था द्वारा जैसे—

(१) सभी भनुष्य उयोहीं भुख सम्हालने लगते हैं यहाँतक कि अवपन और बेसमझीकी अवस्थामें भी, अपने इस सम्बन्धको भालूम करलेते हैं; कई वस्तुओंको वे त्रुट्ट अपना लेने हैं और जो उनका उन वस्तुओंपरसे स्वत्त्व भङ्ग किया जाता है तो उनहें भाव होता है कि उनको इानि पहुँची और जब वह

ख्यं किसी दूसरेके स्वत्वको भङ्ग करते हैं तो उन्हें अपने अपराधका भी ज्ञान होता है ।

(२) सम्पत्ति सम्बन्ध सम्बन्ध-कारकीय सर्वनामोंसे प्रकट किया जाता है और यहबात सब भाषाओंमें पाई जातीहै। सारे जगत्के सनुष्योंमें यह भाव इतना सार्वभौमिक प्रभाव रखता है कि सनुष्यके प्रत्येक काम और भान (Feeling) में घुस रहा है। दो सनुष्य किसी विषयपर स्थात ही कुछ पल बात करते होंगे, चाहे उनकी कोई बोली क्यों न हो, जिसमें कईबार ऐसे शब्द न आते हों जिनमें अधिकारका सम्बन्ध सूचित होता हो। जैसे सुमारा-उसका-तुम्हारा इत्यादि—

(३) न केवल साम्पत्तिक स्वस्व वर्त्तीवर्त्ती अन्योन्य सहायताकी परमावश्यकता विचारसे सनुष्य मालूम करते हैं वरन् प्रत्यक्ष भान करते हैं कि जो इस सम्बन्धको भङ्ग करता है दोष करता है, अर्थात् अपने कर्त्तव्यको भङ्ग करता है जिससे कि वह दण्डका पान है। यह न मात्र कृत्य फलके ही कारण वरन् कर्त्ताकी पापिष्ठताके आधारपर भी। अर्थात् कोई किसीकी चीज हर लेता है तो वह दण्डका भागी न केवल इसलिये भाना जाता है कि उसने चीज लेली किन्तु इसलिये भी कि उसका मन पापिष्ठ है। यह अन्तर नहीं है पाठक विचार करके देखेंगे तो सभीने आ जायगा। हनुमपर कह चुके हैं कि कासका परिणाम दूसरी बात है और ननका भाव दूसरा। जो कामके परिणाममें ही दोष हो तो हरी हुई चीजका लौटा देना वस हो जाय लेकिन नहीं अपहरित वस्तुके लौटा देनेके अतिरिक्त चोरकी दण्ड भी होता है। सम्बादिक, चोरोंको चोरी किये हुए नालसे कहै गुना अधिक दण्डने देना और बारम्बार चोरी करनेवालोंके हाथ या अंगुलियोंका काटना और कारोबार

उचित दण्ड बतलाते हैं। आजकल अर्थ दण्ड या कारावास चोरीका दण्ड है या दोनों एक साथ।

(१) यह बात ठीक है कि ईश्वरेच्छा से सम्पत्तिका अधिकार (कष्टजा) उन साधारण परिणामोंसे ही स्वयं सिद्ध है जो इस सम्बन्धकी सत्ताके प्रतिकल रूप प्रादुर्भूत होते हैं। इस स्वत्वके ही अद्वीकार करनेपर मनुष्य जातिकी सत्ताका आश्रय है और सामाजिक उच्चतिका तो कहना ही क्या था। हममेंसे कौन ऐसा है जो न कहेगा कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने श्रमके फल भोगनेका हकदार न हो और इन मेहनतोंसे उत्पन्न लाभोंके सम्मोगका स्वतन्त्र अधिकार न कर्वे तोः—

(२) कोई श्रमही न करेगा, जो करेगा भी तो इतनी जो तात्क्षणिक आवश्यकताको अभीष्ट हो क्योंकि उसकी मेहनतके फलपर उसका व दूसरोंका एक समान अधिकार होनेवे कोई उसमें आशा शेष नहीं रहेगी।

(३) उक्त उदासीनता और स्वत्व विहीनताका परिणाम यह होगा कि पूँजी, औजार, भवित्यके लिये भारेडार, घर बार सब सम हो जायेंगे। और हरेक मनुष्य ठीक क्षणपर अपनी आवश्यकता निवारणकी चेष्टा किया करेगा। और मनुष्यत्वका अन्त होकर पशुओंकी भाँति हममें भी प्राणित्व मात्र ही शेष रह जायगा। देखो हमारा 'देशका घन' नामक निष्पन्न और असुविधाके कारण मनुष्य जाति ही नष्ट हो जायगी, उच्चतिकी तो धान ही दूर रही। धीरे धीरे स्वयं भूत पदार्थोंपर जीवन हुआ करेगा। वन मानुषीं या बन्दुरोंकी दशापर विचार करके देखलो।

(४) सार यह है कि जितनी स्वत्व अभंगता होती है उतनी ही समाज उच्चति करती है और जीवन, सुख, सुविधा,

गुणित व फलित होती हैं। भुतराम् स्वत्व रक्षासे स्वतंत्र और कस विशिष्ट शासनोंमें, विशेषतः शान्तिके सभय जब समर नहीं होते, परस्पर व्यर्थ फ़गड़ी नहीं चलते होते धन एकत्र होता है सभाज पूर्ण योग्य और मुकाबलेकी उन्नतिके प्रसादकी भोगती है, कला बढ़ि होती है, विज्ञान बढ़ता है और मनुष्य उन बुखर्हेके भावेका कुछ ध्यान धार्घने लगता है जो मानवी निष्ठन्धमें होमे सम्भव हैं। इसके प्रतिकूल जहाँ अत्याचार धींगामुस्ती, असंरक्षता होती है धरा, धाम, कोष, प्राण' नारी आदिकी रक्षाका ठीक ठिकाना नहीं होता, विशेषतः देश- आभ्यन्तर युहमें जो शासक और शासिता-न्तर गत होता है (Civil war) अम नष्ट, पूजी भट्ट व भतक होनाते हैं भख, दुर्भिक्ष रोगादि बढ़ते हैं, कलाकौशलकी अवनति हो जाती है, मनुष्यवगणना (वह गणना जो प्राकृतिक सुखसे बढ़ा करती है क्योंकि वालविवाहादिसे बढ़ीहुई कृत्रिम मनुष्य गणना अवश्य शोध नाश हो जाती है। घटती है और मनुष्योंने ज़ह़लीपन आजाता है। भारतका इतिहास महाभारतसे आज पर्यन्तका इस बातका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आधुनिक १२३ वर्षका इतिहास भी इस छविके दीर्घों पाइर्व अनेक अनेक अंशोंमें हमारी बातकी पुष्टि कर रहा है।

(ग) उपनिषदोंकी यह आज्ञा कि 'मा गृधः कस्यचिद्गुनम् भी हमें यही बतलाती है जो हमने कपर कहा। यही हमें महर्षि व्यासदेवकी शिक्षामें भी स्थानान्तरमें सिलता है।

अनुवाक २

"कैसे साम्पत्तिक स्वत्व प्राप्त होता है।"

(१) सीधा और वस्तुतः

(क) परम पिता परिदृश्य—नदी, जङ्गल, पहाड़ आकर्ते उसने हमें दी हैं, हम विना पर हस्ताक्षेपके इनसे लाभ उठाएँ। जो जहाँ पहले पहुँचा अपना लिया। हाँ, दूसरेके अपनाएँ हुए पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं क्योंकि यह ही स्वत्त्व अपहरण है।

(ख) अपने अससे उत्पन्न। हम अपने बुद्धि, आहुबल आदि साधनोंसे सम्पर्ति पैदा करते हैं उसपर हमारा मग्नम् स्वत्त्व होता है हम ऊपर कह चुके हैं और इस विषयमें विस्तारसे ने लिखेंगे।

(ग) असीधा और अनुभित रूपसे।

(क) विनमय (अद्ला बदला,) व्याज, क्रय विक्रय घनके बदले।

(ख) दान प्रतिश्रुत्तारा—हमें अधिकार है हम अपनी मेहनतका फल जिसे चाहें दान कर दें, अपना जानकर, असहाय अनाथ वा दीन जानकर अथवा और किसी कारण।

(ग) लेख पत्र—मरनेके पहले ही हम अपने भविष्य दानका प्रबन्ध कर दें।

(घ) पैत्रिक स्वत्त्वसे प्राप्त सम्पर्ति। जिसकी आवश्यकता शास्त्रमें स्विस्तर भागों और अंशोंका विधान पाया जाता है, आधुनिक नियम भी इस स्वत्त्व की अपने प्रकाशानुसार रक्षा करते हैं।

(ङ) प्राचीन अधिकार। यह भी एक प्रकार उसीका जङ्ग है जो हम ऊपर पहाड़ जङ्गलोंकी आवश्यकता कह चुके हैं। जैसे किसी जगह एक धरती है जिसपर हमारा कोई नैतिक स्वत्त्व नहीं है पर हमने अधिकार किया और किसीकी कुछ हानि न हुई न किसीने कुछ कहा। हम बहुत समयतक उसके अधिकारी रहे घर आर, वाटिका, कूपादि बनाए तो फिर वह हमारा हो

गया कोई उसे नहीं ले सकता । किन्तु समाजको ऐसे अधिकार्द्देके निर्णयका अधिकार होता है और निर्णयक नियम साधारण होते हैं जिसका वन्धन सनागके प्रत्येक प्राणीको यहाँ तक तक हरेक व्यवस्थापककी भी आवश्यकता है । कारण यह है कि सम्भव है कि कोई हमारे कबजिसे उन्नति हेतु अपने अधिकारका बतावे तो हमारा स्वत्व हट जायगा । इस विषयका बहुतसा अंश सानको उन्नति इतिहास राजनीति और सम्पत्ति शास्त्रसे सम्बन्ध रखता है हसने, उसको छोड़ दिया है जिसमें द्रव्य यथा सम्भव बढ़े नहीं ।

एक बात विचारमें रखनी चाहिये कि व्याधि केवल सामाजिक न्याय धारा किसीको किसी सम्पत्तिपर कोई नैतिक स्वत्व नहीं प्रदान कर सकती तथापि जब एक बार समाज निर्णय कर दे कि अमुकका अमुक सम्पत्तिपर नैतिक स्वत्व है तो दूसरे मनुष्योंका कर्तव्य है कि फिर उसके अधिकारमें बाधक न हों । जैसे हमें किसी अन्य व्यक्तिके घरमें आग लगानेका अधिकार नहीं है वैसे ही हमें उसके घरमें भी आग लगानेका अधिकार नहीं है जिसने उस घरको किसी दीन अनायसे ठगकर प्राप्त किया है ।

यहाँ यही बतलाया गया है कि सम्पत्ति ईश्वर प्रदत्त या पुरुषोंसे उपार्जित होती है अथवा विनाय, प्रतिश्रृङ्ख, जैते हुए वा मरनेके पीछे लेखपत्र द्वारा (पर यह दान दाताकी स्वतंत्र इच्छासे होना चाहिये,) चैत्रिक सम्पत्ति या निर्विवाद अधिकारसे अधिकृत होनेसे मिलती है । इसमें प्रायः सब अवस्थायें द्याममें आजाती हैं ।

मनुष्य जातिके इतिहासके पाठकोंको इसका सारा झाल अविस्तर जात होगा । नहीं तो अनेक उन्नतिकृत देशोंके

इतिहासों और न्याय धाराओंको देखनेसे हमें अच्छीतरह
ज्ञात होता है कि ईश्वरकी स्वयं इच्छा है कि सम्पत्ति प्रबन्ध
अमुक रीतिपर हो । जिन जिन कारणोंसे सम्पत्तियाँ नष्ट हुईं,
राज उवंस हुएँ, फिर एक बार नहीं अभेक बार समान कामोंके
समान परिणाम देखे तो हमें जानना चाहिये कि यह ईश्वरे
च्छा विरुद्ध हैं और इसके विरुद्ध परिणामका अनुभान करना
उचित है । प्रजाको संताप देनेसे अनेक राज नष्ट हो चुके हैं
तो अब भी जो समाज प्रजाके परितापका कारण होगा या
है शीघ्र ही नष्ट होगी यह बात निर्विवाद है क्योंकि ईश्वरेच्छा
यही है कि प्रजाके आनन्दका साधक समाज फलित गुणित
और प्रतिष्ठित आनन्दित होता है और उसी शासनकी दृढ़-
स्थिति होती है जिसका आधार प्रजा में सपर होता है
अन्यथा अवेर सदोस नाश होकर ही रहता है । इस
विषयमें इन्डियन, अमरीका, रोम, श्रीस, इंग्लिश और अरबके
इतिहास देखने योग्य हैं । हमने विषयान्तरमें पड़कर अपने
पाठकोंको दिक करना नहीं चाहा, नहीं तो उक्त इतिहासोंमेंसे
सार सार बातोंका यहाँ दिखाना लाभसे रक्त न होता ।

इस विषयपर आगे चलकर शासक सम्बन्धी नौतिमें कुछ
विचार मिलेंगे ।

अनुवाक २

साम्पत्तिक स्वतंत्र व दायित्व ।

कहा जा चुका है कि जहाँ तक सम्पत्ति स्वतंत्र विस्तार
रखता है व्यक्ति और समाज दोनोंसे ही अलग है । यह बात
दोनों पक्षोंके सम्बन्धमें सत्य है । अतः जो मेरे स्वामित्वमें है
मैं उसका व्यक्तियों और समाज दोनों ही से अलग स्वामी हूँ

और इसका विलोम भी सत्य है कि जो समाज या व्यक्तियोंकी सम्पत्ति है वह उसके बिना मेरे किसी सम्पर्कके स्वामी हैं। इसलिये सम्पत्ति स्वत्व चाहे व्यक्ति विशेषका हो चाहे लोक (Public) का, अद्विनियतीये सम्पत्ति अपहरण करके स्वत्व भग्न किया जा सकता है अपहरता चाहे समझि हो या व्यक्ति। अपहरित वस्तु चाहे छोटी हो या भीड़ी सम्पत्ति स्वत्वभग्नकरण दोष द्वीपोंमें होता है जैसे पुस्तक, लेखनी, कागजकी चोरी वैसी ही धनकी। फल चुराना बैसा ही जैसा गाय बैल। जैसे चुड़ी और राजकरोंके सम्बन्धमें छल करना, जांसोंमें धूल भीकरना वैसे ही किसी पड़ोसीको बछुना। दो के बार जैसे समाजसे लेना बैसा ही व्यक्तिसे, मित्रका भी चालूके धन छीनना धोखा दे कर ले लेना वही अर्थ रखता है जो कि टंपाउ (Post Office) के साथ छल करना रखता है। दूसरेकी सम्पत्ति धर्मानुकूल तो उसीकी इच्छासे दी हुई मिल सकती है। पानेवाले या लेनेवालेकी ओरसे किसी प्रकारकी अंसद्कृति न होनी चाहिये। जो पानेवाला कोई अनुचित अभिप्राय कासने लाता है तो वह अनीति करता है। किसीसे वह कहना कि तू अपना धन मुझे दे नहीं तो मैं तेरी जान सार ढालूंगा या तेरी स्त्री वा कन्याका सतीत्व तेरे सम्मुख वा पीछे बठात् नष्ट कर दूँगा और इस प्राण या धर्म या नर्यादाके भयबे, वह धन दे दे तो वह इच्छासे दिया हुआ नहीं हो सकता क्योंकि देनेवालेकी इच्छा रूप स्वतन्त्र सम्पत्ति स्वत्वपर आधार किया गया। इसी तरह हमारे पास कोई आया हमने उसका अहङ्कार इसलिये उत्तेजित कर दिया कि वह हमारा घोड़ा (१०००) को क्रय कर ले और उसे घोड़ीकी चाहत नहीं है तो भी हमारा कान नीति विरुद्ध और

ब्रेईमान्त्रीका है क्योंकि हमने उसको मरजी प्राप्त करनेमें उस अभीष्ट (Motive = गरज) से काम लिया जिसके प्रयोगका हमें नैतिक अधिकार न था । किसी वालकको सनभावनी वस्तु दिखा सोहितकर उसके हाथसे अकारण उचित या अनुचित दासपर वस्तु खरीद करना ब्रेईमान्त्री है । इसी तरह निष्ठयन कारण दिखलाकर किसीकी सम्पत्ति उसके हाथसे दूसरेके हाथमें पहुँचाना अधर्म है । उक्त उदाहरणोंमें दशह देनेके लिये बोझोंमें चाहे तारतम्यता हो पर नैतिक दोष सबमें समान ही हैं । सार यह है कि सम्पत्तिका कर-परिवर्तन उन सब दशाओंमें अनीति है जहां प्रापककी ओरसे किसी हुए कृतिका प्रयोग हुआ हो अर्थात् जहांपर स्थान प्रीतिमूर्वक अपनी स्वहृदयजन्य इच्छासे वस्तुको दाताने न दो हो ।

यद रहे कि सम्पत्ति-स्वत्वका चात होना सम्भव हैः—

(१) स्वासीकी अनजानतमें लेनेसे अर्थात् चोरीसे । मालिककी इच्छा समस्त सम्पत्ति परिवर्तनमें आवश्यक होती है । हमारी निज कल्पना कि मालिक न नटेगा, छोटी चीज है, स्वासीको इसकी चिन्ता न होगी इत्यादि इत्यादि सर्वथा अनुचित है, कभी हमारी अनीतिका रूप न घटेंगी न हमें इस तरह अपनेको प्रवाहित करना उचित ही है । किसीकी चोरीको उसके विना जाने पुक स्थानसे दूसरे स्थानपर इस अभिप्रायसे रखना कि वह वस्तुके मुख्य स्वानीके सिवा किसी दूसरेके हाथमें पहुँचे अनीति है । चोरी है । वस्तुना है । दण्डनीय कृत्य है ।

(२) बलात् किसीकी इच्छाका प्राप्त करना । बलात् प्राप्ति दोष है (इस्तहसाल विजनक्र) जैसे डाका, बलात् संहवास । प्रथममें सम्पत्ति, दूसरेमें तभ और धर्मका सम्बन्ध

है। तब, धर्म, मान व भव्यादा भी एक प्रकारकी मनुष्यकी स्वनन्दन मस्तिष्ठान हैं। बलान् किसीको किसी बातपर राजी करना दोहरा या कठोर दण्ड या मृत्यु दण्ड योग्य पाप है। यदि यह सामाजिक शासन धारा सम्बन्धी बात कही जाती हैं वरन् विशुद्ध नीतिसे ही इनका सम्बन्ध है। नीतिकी भौतिक पर मामाजिक घर उठता है और नीति उस घरके रक्षाके नियमोंमें ग्राणवत रहती है।

(३) किसीकी मर्जी बलात् तो नहीं पर छलसे प्राप्त करना या किसीको छलना। डसके ३ भेद हो सकते हैं।

(क) प्रतिदान समता या औचित्य विहीन, जैसे भूठ भूठ अस्था, कोढ़ी, लंगड़ा बनकर भीख लेनी।

(ख) जहाँ समता द्रव्यकी हो और बदला जो समझा समझाया हो उससे भिन्न हो।

(ग) यह स्वीकृति किसी दुराचारके निमित्त प्राप्तकर्ते प्राप्त की हो। पिछले दो उपविभागोंको एक मानकर पुनः दो घरोंमें विभाजित करते हैं तो (।) जहाँ बदला दार्विक (भाष्टी=Material) हो (॥) जहाँ बदला अदार्विक (गैर माष्टी) हो। अब प्रथम बातको पनः दो अंशोंमें उपवर्गित करनेसे (—) जहाँ कि परिवर्तन स्थाई हो (=) जहाँ कि परिवर्तन अस्थाई हो।

अब जहाँ विनमय (Transfer=इन्टकाल) दोनों पक्षमें चिरस्थाई होता है वहाँ क्रयविक्रयनयका सम्बन्ध होता है। क्रेता विक्रेताके शासनका चिह्नान्त उनके पारस्परिक स्थिति सम्बन्धसे विचारा आता है। मान लिया गया है कि विक्रेता याँ विक्रिय अपनी पूँजी और अपना समय व अन-

अपने पढ़ोसियों तक उनके सतलबकी चीजोंके पहुँचानेके निमित्त लगाया करता है। और उसे (वणिकको) जोखम, समय, अम, मूलधन, व्याप, आतुरो आदिके विचारसे कुछ लाभ अवश्य होना चाहिये—यह लाभ भार निस्सन्देह क्रेताओंके सिवा और किसीपर नहीं पड़ सकता। अतः क्रेताको उक्त बातोंका बदला विक्रेता वणिकको देना होता है। भावकी घटा बढ़ीसे वणिकको हानि लाभ हो तो वह विषय दूसरा है।

(१) विक्रेताको समझौता या आदर्श (पाटन, नमूना, जानगी) के अनुकूल भाल देना कर्तव्य है, वह जीतिसे बाध्य है। यदि वह जानता है कि चीज निर्दीय, समझौते या नमूनेके बराबर है तो वह देदेगा और अधिक उसका दायित्व उसपर कुछ नहीं रहेगा। यही बात कारीगर जो अपना निजका भाल यदि देखे तो जानना चाहिये यह काम केताका है कि वह देखे, वस्तु उसके कामकी उपयुक्त और जोल तोलमें ठीक है वा नहीं। पर हाँ जो स्वयं खरीदार या कारीगर अपनी असावधानतासे ठगा गया हो, या अधिक समय या धन उसे लगाना पड़ा हो तो इस कारण उसे कोई स्वत्व इस बातका नहीं है कि वह इसके बदले अपने पढ़ोसियोंको ठगे या थोखा दे। मालके अनुसार दाम लेना नोति है अन्यथा अनीति।

प्रत्येक ननुष्यको अपनी व्यवस्थाकी भूलका परिणाम स्वयं उठाना चाहिये। वणिक या कारीगरने भूल की जो उचितसे अधिक धन, अम वा समय लगाया तो उसकी हानि स्वयं ही उठानी चाहिये और उचित प्रचलित छाट-दामपर बेचना चाहिये न कि अनुचित दाम बढ़ाकर। आहककी बुद्धि व्यवस्थाका सहायक विक्रेता नहीं। न उसकी आवश्यकताओंका विवार करनेवाला ही, पर जो कोई खोट हो तो उसे प्रकाश

कर देना नीति निपुणोंका काम है नहीं तो विक्रेता छलका दोषी होता है क्योंकि विक्रेता अपने सालके दोषको जानता है और क्रेता नहीं जानता। यदि पहिलेसे खोलं दिया गया हो कि किसी प्रकारकी जिम्मेदारी और समझौता नहीं है तो अलवत विक्रेता दायी नहीं रहता।

(२) जब कोई भाल बेचता है तो उसका स्वाभाविक विचारान यह होता है कि वह धाजार भाव पर अच्छी चीज बेचता है, इसीसे उसे इस प्रतिज्ञाकी रक्षा खब करनी होगी जिससे आहक आवैं। यह उसके वास्ते अपशब्दके समान होगा कि यह आजारसे अधिक दान लेता है चीज अच्छी नहीं रखता—क्योंकि आहक न आवैंगे और दुकानदारी नह हो साधगी। अतः यह नीति दोनों पर्वोंको लाभप्रद, विश्वास. बहुक, सौहार्द्य जनक एवं भुखकारी है कि समझौतेके अनुसार काम हो चाहे समझौता प्रत्यक्ष हो गया हो या साधारण माना हुआ हो। इसीसे सहंगीमें अधिक लाभ उठाना. तस्तीमें टोटा देना विक्रेताका काम है परन्तीतिकी ओर भुकना नितान्त हानिकर है। लेकिन यह बात सौदागरीकी है कि जो किसीके पास एक टोपी है वह चाहता है कि कोई इसे ले ही ले तो मेरा काम चले तब आजार भावका विचार नहीं चल सकता स्त्री बेचनी होगी साथ ही जो हम चाहें कि कोई अपने चढ़नेका घोड़ा हमको बेच ही दे कि हमारी राजी हो तो अलवत विक्रेता अधिक दान ले सकेगा और क्रेताको अपना शौक पूरा करना होगा तो देगा। विक्रेता इस बन्धनमें तो नहीं है कि अपनी चीजकी एक रेखा गुण आदि सम्बन्धमें बांध दे; हाँ वह चाहे तो ऐसा करे पर सचाईसे विचलित पद न हो और आहकको वस्तुके यथार्थ

गुणके अतिरिक्त अन्य कारणों वा फाँकियोंसे कथ करनेकी ओर प्रवाहित न करे। विकेताका कोई स्वत्व नहीं जो ब्राह्मकी आशा, लोभ लालच, उदारता, भय आदिकी उत्तेजित, इङ्गित या संकेतित करे। तेजी मन्दी फैलानेकी बाजारमें भूंठी खबरोंका फैलाना अनुचित है, इजारा या टेका लेकर साल महंगा खेचना अनीति है। पाप है।

हम 'देशका धन' नामक पुस्तकमें भी इस विषयपर थोड़ा सा कह चुके हैं। अधिक लिखना पाठकोंको स्थात् यह बतावै कि हम नीतिसे हटकर अर्थशास्त्रमें जा पड़े। अतः हम इसे छोड़ दूसरे अङ्ग—अस्थाई बदले—पर विचार करते हैं।

अस्थाई बदलेकी दशामें उधार लेनेवाला वस्तु व्यवहारके बदलेमें कुछ निर्णीत तत्त्वम बदला देता है। यह बदला देना प्रत्यक्ष ही ठीक है क्योंकि जो पदार्थ भालिकके पास रहता तो अवश्य बढ़ता या दूसरा लाभ देता जो बढ़ोतर या लाभ ज्ञानी उठावैगा तो उसका अनुकूल बदला होना ही चाहिये। इसीको व्याज, भाड़ा या किराया 'आदि' कहते हैं। जो ज्ञानीको देनेके बाद लाभ न प्रतीत हो तो वस्तुको ज्ञान न ले लेकिन इसका कोई कारण नहीं हो सकता कि वह भालिकको व्यवहारका बदला न दे। यह बदला दो बार्तोपर विचारित होता है एक तो व्यवहार करनेपर दूसरे जोखमपर।

अनुवाक ३

"पारस्परिक अर्थ-सम्बन्ध !"

(१) व्यवहार—

पूँजी अधिक लाभप्रद होती है, कभी कभी तो उत्तेज बहुत अधिक ही अधिक प्रतिफल मिलता है पर गिरर्थक तो होती

ही नहों यदि गाहुकर न छोड़ दी जाय । किसी समय दूसरे समयकी अपेक्षा करखा, चक्री बहुत ही अधिक लाभ देते हैं । किसी किसी जगहकी धरती अन्यत्र से अधिकतर निपाजाम होती है । जहाँ-उधार देने लेनेकी प्रथा है इसके द्वारा बहुत व्यवसायकी उन्नति होती है । यह कहना व्यर्थ है क्योंकि सर्व ही जानते हैं जहाँ नटण लेनेवाले या क्रेता कम और विक्रेता या पूँजीवाले अधिक होंगे वहाँ व्याजका भाव या मालका दाम कम हो जायगा और इसके विरुद्ध दशामें इसके विरुद्ध फल होगा ।

(२) जोखम—

जब स्वामी अपनी सम्पत्तिको नटणपर देदेता है तो फिर उस सम्पत्तिपर से उसका वास्तविक अधिकार उठकर ऋणीका स्वामित्व उसपर प्रधान हो जाता है, इस दशामें ऋण लेनेवालेके हाथसे उस सम्पत्तिको कोई हानि पहुँचे तो उसपर ऋण देनेवालेका कुछ वश नहों रहता । यही जोखम है । जोखम भी कासोंके अनुसार तारतम्यता रखती है । नाव बनानेमें जो धन लगता है उसको घर-बनानेमें लगे-धनसे अधिक जोखम होती है । बरफ-बनावें व न बिके सब गलकर नष्ट हो जाय, पर जो अन्न खरीदकर रखें तो अधिक दिन ठहरे, इसीतरह अनेक चीजोंमें पूँजीकी जोखम बहुत है और कितनियोंमें बहुत ही कम है । यही हाल धन उधार देनेमें भी जानो । उधार लेनेवालेकी स्थिति और वह काम जिसमें वह धन उधार लेकर लगावेगा जोखमकी अवस्थाको बदल देते हैं ।

इसीसे व्याजके भावमें दो बातका ध्यान होता है युक्तो पूँजीके व्यवहार करनेका बदला और दूसरी जोखम जो

ऋणद उठाता है। पाश्चात्य इतिहासोंसे और घटना-
ओंसे मत्यक्ष है कि कभी २ राजसे व्याजदर या वस्तुदर स्थिर
होता रहा है या होता है पर इसमें अनेक द्वानियाँ हैं जिनका
यहाँ कथन करना हमारे प्रान्तके बाहर है।

उधार—ऋणदको उचित है कि जोखम और व्यवहार-
को देखकर उचित व्याज ले और ऋणीके साथ कोई किसी
अन्यायसे काम न ले, न ऋणीकी व्यवस्थामें अनुचित प्रतिबन्ध
हालनेका कारण हो। यहाँ भी वही सिद्धान्त हैं जो स्थाई
सम्पत्ति विनाशयमें होने उचित हैं, केवल सामयिक भेद है।
इसी तरह ऋणीका भी नैतिक धर्म है कि उचित समता
ऋणदको दे और धनिककी व्यवस्थामें किसी अनुचित हस्त-
क्षिपका कारण न हो और न उस धनको किसी ऐसे काममें
लगाये जिसमें लगानेका विचार ऋणी और ऋणदका व्यव-
हारके प्रसूतकालमें स्थिर न हुआ हो अर्थात् प्रतिज्ञाके प्रतिकूल
ऋणीका ऋणमें लाये हुए धनको लगाना या व्यय करना
अनीति है। जितनी जोखमका काम करनेको धन उधार
लिया गया हो उससे अधिक जोखमके काममें न लगाना
चाहिये क्योंकि न इस अधिक जोखमका बदला ही देना
निर्णीत हुआ है न धनीकी सम्भवि ही ली गई है। सम्भव
है कि धनी किसी भावपर भी अधिक जोखमके कामके बास्ते
धन देनेको राजी न हो। या जिस व्याज दरपर उधार लिया
गया है उसपर वह अधिक जोखमके कामके लिये न दे और
जांची दूर चांगे। फिर ऋणोंको ऋण लाये हुए पदार्थकी
रक्षा निक सम्पत्तिके समान ही करनी चाहिये। यह रक्षा चोरों
द्वारा के प्रतिकूल बलसे, प्रयोगमें लुहिते और नूलमें नीतिसे
होनी चाहिये। जहाँ इस नीतिमें आधा पड़ती है वहाँ

अनर्थकर बीज पड़ जाता है। ऋणीको निर्णीत समयपर धन छौटा देना चाहिये।

ऋण मुक्ति—निर्धनता, दिवालियापन, कहालीके सबसे व्याकुलणीपरसे ऋणका नैतिक बोझ उत्तर जाता है? पाश्चात्य नौतिके प्रभावसे हमारे आधुनिक विद्वानोंका सत चाहे हस्ते प्रतिकूल पड़े पर हमारी समझमें तो समयके अधिक हो जाने या कहाली आदिसे ऋण वन्धन मुक्त नहों होता। हाँ जो वास्तविक मनुष्य हृदयका धर्मानुष्ठ और निरपाय निर्धन हो तो उसे न स्वयं अधिक दुखी होना और मानसिक व्यथासे बल बुद्धिको नष्ट कर लेना चाचित है न ऋण देने वालेको उसे निष्फल सताना योग्य है। जो ऋणी जीता जागता शरीर और सस्तकसे ठीक रहेगा तो सम्भव है कि जब कभी धन उपार्जन करै हमे दे दे पर जो कमाने खानेसे वैकार कर दिया गया वह ऋण कहांसे देगा? जो ऋणीके पास देनेको हो और न दे तो वह अनीर्त करता है और समाजसे दूषित होना चाहिये। पर ऋणीसे धनों अपने ऋणमें एक समयमें उतना ही ले सकता है जितना देकर ऋणों अपनी यथेष्ट जीवन यात्रा कर उकता हो इससे अधिक लेनेमें धनी मनुष्य पीड़ाकी अनीतिका दोषी होगा। मनुष्यका प्रादुर्भाव परोपकारके लिये है न कि पर पीड़ाके निर्माता। ऋण सम्बन्धमें कारागार दण्ड अन्याय है। परन्तु ऋणकी अपाकृति—सीमादे अधिक समय बीतने पर ऋणीको ऋण मुक्त करदेना—देशमें अधर्म, अन्याय, दिवालियों और अनीतियोंका सम्बन्ध होता है। जो ऋण प्रतिदानकी सीमा सजाजसे न हो जब ऋणीके धन हो तभी अपना ऋण दे तो देशमें दिवालि-योंकी संख्या न बढ़े। बर्तमान नियम समर्पित सम्बन्धमें

बड़ी अनीतिके हेतु हो रहे हैं । इस नियमके कारण बहुत सा धन खेल तभाशा, दुराचार, दुव्यंसन आदिसे नष्ट हो जाता है और ज्ञाणीका भार न्यायालय अनेक प्रकारकी न्याय रचनासे उतार देता है । जितना ऋणोचित कठोर बन्धन होगा उतने ही भन्नुव्य अनी चतुर और सदाचारी भित्तव्ययी होंगे । इन्हीं सिहुआन्तोमें घर, कपड़ा, गहना भज्जनी या किरायेपर देनेकी बाबत भी समझ सकते हैं । जो किरायेपर लियाहुआ रथ, घोड़ा या भज्जनीका गहना कपड़ा लेमे बाले-की असाबधानतासे कुछ नष्ट हो तो वह उस हानिको स्वयं उठावे न कि सुख्य स्वामी ।

एक दोति बीम्रेकी बहुत कालसे चली आती है बाजकल उसके रूपान्तर भेद बहुत बढ़ गए हैं । देशके धनमें आग पानी इत्यादिसे जो हानि होती है होती ही है बीमा उसे समझि रूपसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता पर व्यक्तिक रुहायता परस्पर होनेके कारण हानि बंट जाती है और बीमाके बदलेमें धन देना है वह मानो बीमा बेचनेवालेका लाभ है जो बंट जाता है इसी हानि लाभके बंटकर होने व्यक्तिक दुःखोंके घटानेसे बीमाकी प्रथा बुरी नहीं अच्छी है पर इसमें उभय पक्षमें टीक घम्रानुकूल दृढ़ प्रतिज्ञाके साथ काम होना बहुत अभीष्ट है ।

किसी कारखानेके नौकरीको स्वामिभक्त, अनी और कार्य शुभचिन्तक बनाये रहनेको स्वामीका यह बीमा लेना कि जो अपने बेतनमें है ॥ ४० ॥ स्वामीके पात्र जना करेगा उसे इसना ही स्वामी देगा और इस धनयोग पर अगुप्त दरसे व्याज भिलेगा और नौकरके पृथक होनेके उभय अथवा विवर-हादि अवसरोंपर नौकरको यह धन चिल जायगा किन्तु जो नौकर दुराचारी, हुए और स्वामीको हानिप्रद भ्रतीत होगा

वह न पायेगा—बहुत लाभप्रद है। सुराने नौकरोंको उनकी सन्ततिको धन देनेकी प्रथा एक नैतिक बीमा है जो समाजको उभय पक्षसे लाभ पहुँचाता है। (॥) जहाँ बदला अदाविंक (जैर जाही) हो जैसे :—

स्वामी और सेवक—सेवक बदलें मग देता है द्रव्य नहीं।

दुकानदार और दलाल—दलाल अपने अमका बदला पाता है।

प्रमुख और प्रतिनिधिक सर्व—सुनीम, आढ़ती, अन्तर प्रमुख्य। स्वामी सेवक दलाल दुकानदारके नैतिक धर्म उभी तरह जगत् प्रसिद्ध हैं जैसे प्रमुख और प्रतिनिधिके, इनपर अधिक कहना नहीं कैवल यह बतला देना है कि प्रतिनिधि तीन प्रकारके होते हैं—एक वही नौकर जो स्वामी अपने स्थानपर रखे किन्तु इसका दायित्व साधारण नौकरोंसे अधिक होता है।

दूसरे आढ़ती जिसे कामका कुछ बदला दें वह हमारा काम करै और इसी तरह और चाहे जिसका काम करै या अन्य व्यवहार भी करै पर प्रतिनिधिका नौकर होता है अन्य उसी कामको अपने लिये करनेका अधिकार नहीं है जबतक प्रमुख्यसे आज्ञा न प्राप्त करले।

तीसरे अन्तर प्रमुख्य—हमने यहाँ तेल बनाना व बेचना आरम्भ किया दूसरी जगहपर भी हम दुकानदारोंको तेल भेजते हैं वह हमारे ही नियमोंके अनुकूल व्यापार चलाते हैं पर हमारी नियमोंमें एक अंश पानीके भागीदार होते हैं और हानिके दायी नहीं होते। अधिक कान चलनेवे अधिक, कम कान चलनेवे कम लाभ उन्हें होता है। प्रमुख्य अपने अन्तर्घर्यके प्रत्येक कृत्यका दायी होता है पर अन्तर्घर्य (Agent) जिस कामके नियमित हैं उसके सिवा किसी वातका उत्तरदाता नहीं।

हमारे नौकरको जो धन उगाहुनेको रखा गया है कोई धन दे और वह खो जावै तो उनको उसकी छानि उठानी पड़ेगी पर जो हमारे कहारको जो उस कामके बास्ते नहीं है कोई धन दे और वह हमें न देकर स्वयं खा जावै तो उसके दायी हम नहीं हैं जिसने वे सभके अयोग्य छार्थोंमें थन सौंपा वही दायी है । व्यापारीका काम है योग्य हार्थोंको काम सौंपना और प्रति व्यापारियोंका काम है कि जो हाथ जिस कामके निमित्त हैं उससे यथावत् सभकर काम करें ।

हम सभकते हैं कि नैतिक स्वरूप और दायित्व जो उन सम्बन्धोंसे पैदा होते हैं जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे अच्छीतरह सभक सकते हैं । यदि किसी बालकको पढ़ाना हो तो उससे अन्यासकी भाँति इनका अधिक विषरण लिखाकर पाठकको देख लेना चाहिये प्रत्येक सम्बन्धके स्वरूप और दायित्वका सविस्तर उझेख यहांपर दुस्ताध्य है ।

बकील और मुबक्किलमें, राज परिषद्, विद्या परिषद्, न्याय परिषद् (जिनको राजाध्यं, धर्माध्यं, और विद्याध्यं समा भी कहते हैं) में ऐसे हुए प्रजा प्रतिनिधियोंका—या इनके किसी उपविभाग समा या उपपरिषदमें—काम अन्तर्धर्योंका काम है । कोई विद्याचात्‌री, कोई धार्मिकता, कोई शासन चातुर्ध्य, कोई युद्ध चातुर्धर्यके कारण प्रतिनिधि बनाया जाता है वह दायी है कि अपने किसी कामसे अपने निर्वाचकोंके अविश्वासका कारण होनेके सन्देहका अवसर न दे ।

अनुवाचा ४

“सामाजिक हस्ताच्चेप ।”

हम कह चुके हैं कि सनुष्यके पास जो कुछ भी है वह उसकी व्यक्तिकृ और सामिकृ हस्ताच्चेप रहित निज स्वतन्त्र

सम्पत्ति है। वह उसको बिना किसी अन्यको हानि किये चाहे जैसे कामने लाये। किन्तु इस स्वत्वमें भी व्यक्ति या समाज हस्तक्षेप कर सकता है और यह हानि बड़ी हानि है क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं। संसारमें समाजसे अड़ी और कोई शक्ति नहीं है। यदि समाज अन्याय भी करे तो उसके विरुद्ध चीत्कार सिवा ईश्वरके और कोई नहीं जिसके पास ले जाएँ जाय। इसीपर बहुत सूक्ष्म विचार इस अनुवाकमें करेंगे।

विचारमें रखना होगा कि जिस निर्दोष स्वसम्पत्ति व्योहार स्वातन्त्रका अधिकार भानवी इच्छापर हमने क्या किया है वह जब मनुष्य किसी समाजका सदस्य होता है तब कुछ सम्बन्ध प्रतिबन्धोंके परिवर्तित हो जाता है। सभ्य समाजोंमें नियमसे विशेष दशाओंमें विशेष खुल-खुविधा ठय-क्षियोंको पहुंचानेकी पारस्परिक प्रतिज्ञा होती है। इन नियमोंके पालनमें व्ययकी चाहत होती है, बिना व्यय ऐहिक कोई भी काम साधित नहीं हो सकते-जैसे न्यायालय, शासन प्रणाली बनानेवाली सभा, रक्षक समूह; इन सबोंसे जो लाभ उठावेगा उसे इनके व्ययका भी भार उठाना ही पड़ेगा। चाहे तो कोई समाज बहु होकर रहे नहीं पृथक चला जाए पर जो जिलकर रहेगा उसे तो समाजके नियमोंका अन्य सदस्योंके समान पदबहु (पाबन्द) रहना ही होगा। जब कोई पदार्थ जो अम-जन्य हैं बीदाम नहीं मिलते तो सामाजिक खुल-खुविधा जो सहान परिमानके जल हैं सेव कैसे मिल सकते हैं। अतः समाजके लघुर्धके निमित्त हमें अपनी पांतीका बलि देना होगा, फिर समाज अनेक अन्य कामोंके निमित्त बलि-उनेको संगठित व प्रतिज्ञ होती है, जिसपर समाजका

स्वैद्यर्थाधार तो नहीं होता बरन वे समाजको श्रीयस्कार होते हैं । और जो व्यक्ति उसमें मिलता है उसे भी इस प्रतिज्ञाके अ-
सुकूल निर्वाहित होना पड़ता है नहीं तो वह समाजमें एक दिन
भी अतिवाहित न कर सके । लेकिन इस बुद्धिसे समाजके
कल्याण करनेकी प्रथा पोषक कार्योंमें सीमा होती है ।
बहुमताकी प्रधानताका मान्य अवश्य होता है और करना
ही पड़ता है प्रत्युत कोई अधिकार बहुमताको ऐसा नहीं है
कि अपनी सीमाका अतिक्रमण करे । इस विषयका कथन
पृथक किया जायगा । यहाँ यहो दिखलाना अभीष्ट है कि
समाज जहाँ आत्मस्वैद्यर्थके निमित्त बलि लेती है वहाँ इसके
अतिरिक्त भी समाज श्रीयस्कर गुणके आधारपर अन्य बलियाँ
भी ले सकती हैं ।

समाज स्वस्वैद्यर्थ जो कुछ भी ले उचित है और प्रत्येक
व्यक्ति उसके देनेको वाध्य है चाहे उसकी निज सम्पत्ति उसमें
ली गई हो वा नहीं पर सहगाना भाइयोंको बहुमताके आ-
धारपर हा वह देनेको वाध्य होगा । इसक आत्मरिक्त जो
बलि समाज सांगे वह समाज व्यक्तिकी स्वतन्त्र इच्छासे ले ।
यह नियम स्वयं ऐसा नहीं मिल सकता जो व्यक्तिक सर्वेस्व
समाजके हाथमें सौंपनेवाला न हो । अर्थात् ईश्वर प्रदत्त
मानवो स्वातन्त्रको शिल्कुल नाश न करता हो । अब इस
दशामें स्थिति यह होगा कि समाजका स्वस्वैद्यर्थ रक्षाके
निमित्त व्यक्तिक सम्पत्तिपर स्वत्व होता है—अथवा उन सब
दशाओंमें भी जब कि व्यक्तियोंने समाजको ऐसी शक्ति स्वस-
म्पत्तिपर प्रदान कर दो हो लेकिन उन्हीं अभीष्टोंके लिये
जिनके लिये कि यह शक्ति प्रदत्त हुई है ।

फलतः यह व्यक्तियोंका कर्तव्य है कि सम्पत्तिको उक्त प्रति-
बन्धान्तरगत अपने वशमें रखें अपने हस्तगत रखें। और
उन दलियोंको जो वह सबके सम्मिलित भुखोंके लिये समत्वमें
(पूर्ण बदलेमें जो समानता स्थिर रखनेवाला हो) देना हो
उदारतापूर्वक दे दें। बिना स्वत्वके दायित्व और बिना
दायित्वके स्वत्वका होना असम्भव है। किसीको दूसरेके
किसी चीजके पानेका कोई अधिकार न्याय द्वारा नहीं है
जबतक कोई बदला न हो ।

सुतराम्—व्यक्तिका यह कथन दुरुस्त है कि मुक्तपर कोई
कर या बल न लगाये जायं जो उक्त दो विभागोंमें न आते
हों अथोत् उक्त दो दशाओंके सिवा मुक्तपर कोई भार न्याय
पूर्वक नहीं डाला जा सकता और न हाला जाय। और हम
यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तियोंपर समाजिक भार किसी
न्यायोक्त्र नियमके आधारपर होना चाहिये। इस नियम वा
शासन धाराका आधार यथा सम्भव इस सिद्धान्तपर होना
चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य समाजसे जितना लाभ उठाता है
उसीके अनुकूल बदला देनेको वाध्य किया जाय। यह लाभ
यातो शारीरिक होते हैं या धन सम्बन्धी जिसमें तम सम्बन्धी
न्धी (शारीरिक) लाभ तो सबके समान ही होते हैं अतः जो
अन्तर इसमें हो सकता है वह धन वा सम्पत्ति सम्बन्धमें।
चौरों, डाकुओंसे रक्षाको आवश्यकता धनिकोंको होती है वे
कर दें पर गरीबके धन नहीं है तो रक्षा किसकी और तदर्थ
कर कैसा ? इस दशामें समाज व्यक्तिक स्वत्वको प्रत्यक्ष हो
भड़ करती है जो सबसे एकसा नियन्त्रित कर लेती है ।

राज्यके द्वारा जो कि समाजका अन्तर्दर्थ (agent) होता
है कर प्राप्त करना व्यक्तिक सम्पत्तिका धीम्भा धीम्भी या केवल

कार्यवाहक की इच्छापर निर्भर करके जष्ट करना नहीं तो क्या है ? ऐसी बातें प्रायः एक व्यक्तिक अन्यायी शासनमें होती हैं। जब स्वेच्छा वारितासे धीङ्गा धीङ्गी या शासन धारके बहाने किसी व्यक्तिकी सम्पत्ति, जो ऐसे कामके बास्ते जो चाहे अच्छा हो या बुरा, लौ जाती है ; सामाजिक स्थैर्यके लिये नहीं होती—विशेषतः जबकि समाजने इस बात की सम्मति न दी हो कि धन इस काममें लगाया जाय। न हम इसे लोक सम्मति कल्पना करके हो भान सकते हैं, चिंहा इसके कि जब आवश्यक व्ययके लिये धनकी चाहत पड़े ; जैसा ऊपर दिखा चुके हैं।

जब तक समाज इसका कारण ठोक ठीक आत्मरक्षा न सिद्ध कर दे उसको कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्तिकी सम्पत्तिको छुए। हाँ, यदि लोक मतके अनुसार काम हो या समाज स्थैर्यके ही निमित्त अवश्यकता हो तो दूसरी बात है।

बहुधा कर लेनेके उचित आधारपर भी सम्भव है कि समाज व्यक्तिक स्वत्वको भङ्ग करै ; वह इस तरह कि कर-भाग-रोपण समुचित न करै कि यथार्थ रूपसे किसपर कितना बोझ डालना चाहिये जैसे आजकल आय-करकी (Income-tax) प्राप्तिमें नित्य देखा जाता है।

हमारी ऊपरोक्त ग्रतिज्ञानुसार दूसरेको कष्ट दिये बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति जैसे चाहे काममें लावै ; सोसाइटीका कुछ सरोकार नहीं हो सकता। क्योंकि किसी पर-हानिकर कृत्यमें तो लगाया ही नहीं जाता, तब सम्पत्तिका मालिक अपनी भरजीसे चाहे जहाँ जिस काममें लगावै अर्थात् चाहे जिस रीतिसे व्यय करै। इस सामाजिक विचारसे तो यह बात

सानान्य है; प्रश्न केवल यह रह जाता है कि उसकी सम्पत्तिकी रक्षामें समाज कितनी सहायता करती है। अतः इस समता अन्यायको छोड़कर, जो अलि दूसरी रीतिपर किसी कार्यविशेष, व्यवसाय विशेष या पदार्थ विशेषपर लगाई जाय तो अलब्धत कर देनेवालेकी चीतकारका निदान होगा। क्योंकि उसे इतना बोझ उठाना न पड़े जिसका एक अंश ऐसा हो जिसका समाजको अधिकार नहीं है। जब कि सम्पत्तिका मूल्य स्वतन्त्र प्रयोगपर आधार रखता है जिसका कि सम्पत्तिके स्वामीको अधिकार दिया गया है कि जैसे चाहै काममें लावे पर परहानिकर न हो तो समाज इस स्वतंत्रमें हस्तक्षेप न करे; कोई तो इसीमें आनन्द भानता है कि वह इकट्ठा कर कर घरता जाय, कोई दूसरोंको सहायता और उपकारने, कोई विज्ञानोन्नतिमें, कोई धर्म प्रचारमें खर्च करके। हर एक को उत्तर तर्कानुचार समाज स्वरूप इस बातका है कि जो उसका है उसे वह ठीक अपनी इच्छानुसार खर्च करे। जो समाज धीर्घा धीर्घी उसको आधय करता है कि अमुक रीतिसे अपने धनका व्यवहार करे तो अन्याय करता है। किसी वर्याक्षको अपने धनको स्वधर्ममें प्रचारमें लगानेसे रोकना जैसा ही भहान अन्याय है जैसा दूसरी तरह सम्पत्ति स्वतंत्रका भद्ध करना या ऐसी शासन धारा अनादेना कि एक कृषक ४ से अधिक बैल न रखे या कोई वस्तुनिम्नमात्रा ५ से अधिक कारी-गर न रखने पावे या कोई आदमी अपना भाल इस भाव बैचे छुत्यरहि।

मण्डल चार ।

अनुवाक ।

चलन । नय ।

किसी धर्मिकी वर्तमान नैतिक, सामाजिक और वैदेकिक दशाका नाम चलन है । इसमें उसकी मूल प्रक्रिया, उसकी योग्यताएँ, उसके स्वभाव, उसकी वाल्णाएँ, उसके झुकाव (Inclinations & tendencies) उसके नैतिक भाव और इसी तरह हरेक और जो बात वर्तमान मनुष्यमें समावेशित होती हैं आलमें समिलित हैं जैसे उसकी भविष्यमें उसम दशा प्राप्ति के उपर्योकी प्रयोग शक्तियाँ । इसमें तर्क व्यर्थ है कि चलन, इस अर्थमें जो हमसे परिभाषित कर दिया है, सर्व सम्पत्तियों और अधिकृतियोंमें उत्कृष्टतर हैं जिन्हें मनुष्य अपनी कहनेका अभिमान कर सकता है, यही मूल द्वार है, यही मुख्य साधन है जिससे किसी धर्मिके ऐहिक व वर्तमान चुख दुख प्रमूल होते हैं और वह उन्हें भोगता है और यही उन सब चुख दुखोंकी मूल प्रसवनी है कि जो वह किसी बातसे आगेको या परमार्थके निमित्त डरता वा आशा करता है ।

इस दशामें आकर बुद्धि हमें प्रबोध करती है कि हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनी सारी शक्तियाँ अपने पड़ोसियोंके चलनके मुधारमें लगावें अर्थात् अपने वशमर अपने सहगामी मनुष्य भाइयोंमें सदाचारोन्नति करें, यही उपकारका प्रधान पद है । यही अर्थ्यसम्मतका प्रधान व्यवहारिक सम्पाद्य उद्देश्य है । अन्योन्यता (पारस्परिकत्व) हमें केवल दूसरोंके चलनपर चोट करनेसे रोकती है । इस रोकके कारण प्रकट हैं । कोई मनुष्य स्वाचरण वा चलनको बिना ईश्वरीय नियमके

भङ्ग किये आधात नहीं पहुँचा सकता, न विना उन कारणोंके उत्पन्न किये कि जिनका परिणाम मानव नियमोंका भङ्गोकरण होता है। जो किसी तरहपर भी इस दोषका इच्छापूर्यक कारण होता है वह पापके एक भागका भागीदार होता है, नहीं नहीं वहुधा तो वृहद्भागका अधिकारी होता है। जो किसीको आत्म हृत्याकी स्वच्छ दिलाता है वह ईश्वरकी दृष्टिमें हृत्याका पापी होता है। एवं जो जो दूसरेको दुष्टताकी ओर उत्तेजित करता है और दुष्टता करनेके निमित्तोंको किसीके मनमें उत्पादित या समावेशित करता है परमात्माकी दृष्टिमें वह उस पाप कृत्यका दायी होता है और उसके दुष्परिणाममें कन्ध अंश नहीं पाता। अब उन कारणोंको देखो जो मनुष्यको एक दूसरेके चलनपर आधात करनेकी ओर प्रवाहित करते हैं, या तो यह चिशुद्ध हुण्टता होती है, या घड़ विकार, अथवा सूढ़, अन्धतमसावृत, अचेत आत्मपरितुष्टि। (कान, क्रोध, लोभ, सोह, मद्, सत्सर घड़ विकार कहे जाते हैं)।

पहिले ढाहको ही लीजिये। कितने ही लोग मानवी दुण्टताकी साधारण सोमाचे इतने घड़ जाते हैं कि सूटे शत्रुघ्न इंसक बुखकी प्राप्तिके लिये—अपने समान ही—निर्दीर्घोंको सन्सारसे हटाकर, बहकाकर, छलसे लोभित करके, अपने नैतिक अधः पतनकारी कार्यकी चिह्निपर बहुत ही अहनित होते हैं। वह एक व्यक्तिको अपने रङ्गमें बदलकर लानेको धरती आकाश एक कर मारते हैं और जब वह उनमें परिवर्तित होकर आ जाता है तो उसे अपनेसे दूना दुष्टराज बना छोड़ते हैं। ऐसे कृत्यों और ऐसे कृत्योंके कक्षाओंको समुचित बुरे धर्वोंमें बतलाने और पर्हचान करनेके लिये जिसी आपामें भी हम

समझते हैं, उपर्युक्त शब्द या योग्यना नहीं है। यह दुष्टता वह दुष्टता है जिसका कुछ बहाना या कारण वा वज्राव नहीं।

एक आदमी अपनी आत्म तुष्टिके अभिग्राहोंकी कुछ सिद्धि चाहता है और दुर्वासनाभींमें पड़ता है, चाहे शक्ति परिवर्द्धनार्थ हो या स्वर्गवर्षपोषणार्थ, इस वासनाको पूरी करनेकी ओर भुकता है और एक अपर दायित्व युत प्राणीको सदाके लिये पतित कर देता है, उसे पृथिवीपर आगेके लिये एक अनेतिक राह खोल देता है और दोनों पापों होते हैं। इस दृष्टिको किसने अधिकार दिया या कि परमात्माकी प्रजामें ऐसा भयानक वरदादीका काम अपनी अपवित्र और क्षणिक परिस्तुष्टिके लिये करे? क्या सबका शासक वह न्यायाधीश राजराजेश्वराधिप इसको कठोर दरह न देगा? इसी भावसे भरी हुई धार्मिक शिक्षाएँ हैं। इन दृष्टियोंकी नाना प्रकारके दृष्टिपरमात्मासे होना धर्म जन्म्योंमें पाया जाता है, यहांपर उद्भृत करनेकी आवश्यकता नहीं। कर्मयोगके सिद्धान्तान्तरगत हम गीतामें, उपनिषदोंमें और सर्वधर्म-मूल वेदोंमें इसको पाते हैं अतः नैतिक शिक्षा यही होती है कि किसी बहानेसे, किसी रीतिसे, किसी कारणसे दूसरेके चलनकी हम जान खूफकर इच्छापूर्वक न विगाहें क्योंकि ईश्वर निवेद करता है। यह निवेद आज्ञा दो प्रकारसे भङ्ग की जा सकती है।

(१) सनुओंके नैतिक बन्धनोंको ढीला करके ।

(२) सनुष्योंकी दुर्वासनाभींको उत्तेजित करके ।

अब प्रथम मेदकी भाष्टत देखें तो हम कह चुके हैं कि ईश्वरने अन्तरात्माको इसलिये बनाया है कि उसके द्वारा कुवाचमाएँ रोकी जायें। अन्तरात्माकी यह प्रतिरोध शक्ति

प्राकृतिक और ईश्वरीय ज्ञान प्रकाशित वैदिक शिक्षाओंमें आनीत सिद्धान्तों, गुरों और अभीष्टोंसे सम्बद्ध होती है।

अतः जो कोई किसी प्रकारसे किसी दूसरेकी नेतिक समझोंको गोठिल या भीटी करता है अथवा उस नेतिक सत्यताको लिससे यह समझें कर्ममें नियोजित होती हैं घटाता है, वह अपने सहगामी (जीवन यात्रामें साथ चलने वाला = Fellowbeing) मनुष्योंके चलनपर स्थाई आघात पहुंचाता है। यह बात बुरे भादरोंसे भी होती है। भौखिक हो या लैखिक जब सत्यासत्य, उचितानुचित व कर्तव्याकर्तव्य विवेक खुले या छिपे शब्दोंमें निर्दनीय भावसे बतें जाते हैं अर्थात् विवेक या भले बुरेके परिज्ञानकी अवज्ञा की जाती है तो उसका यही बुरा फल होता है—यह दुष्प्रति वैदिक आज्ञाओंके पालनको सिधितकरती हो, या नेतिक करणीयोंकी व वेदोंकी हंसी उड़ानेवाली हो, चाहे धर्मान्धकता, पुरोहिती कैतव या आहमें दुराचार सिखाने वाली हो, या कि इनका मिथ्या बहाना लेकर यथार्थ कृत्योंकी मिटाने वाली हो, चाहे ईश्वरके सहत्वपर ऐसी बातें करना हो जिससे यह भलकता हो कि वक्ता प्रकाके धार्मिक और नेतिक कृत्योंकी प्रतिष्ठा नहीं करता और यह संकेत करता है कि मनुष्य स्वेच्छाचारी होकर रहें—सबका यही भतलब होता है कि धर्म और सदाचार, आत्मोत्सर्ग व आत्म इनकार एक व्यर्थ, अकारण आमन्त्रित कहमात्र है। इस प्रकारसे नीति धर्म पालनमें प्रजामें सिधिलता होती है और अधर्म व अनीतिकी बढ़ि होती है।

इस प्रकार नेतिक हानियों और उनके फैलाने वालोंवे हमें अपनी रक्षा करते रहना चाहिये। जो हुए अन्यस्त पापिट होता है, (सजी हो या पुरुष) वह अपने जालमें

फाँसे हुए को अपने कान सिखलाकर गुरुघण्टाल बनानेके पहिले उसके सिहातोंका नाश करता है। जब तक आसनाओंको उत्तेजित करके विशिष्ट बनाने 'और दुराचारोंकी ओर लोलुप करनेसे धीरे धीरे अन्तरात्मीय नैतिक प्रतिरोधको खुपके खुपके हटा न दिया जाय व मनको बे बचाव और रक्षा युक्त से बाहर न ला हाला जाय यह बात नहीं हो सकती कि कोई दुष्टीमें सम्मिलित होकर दुष्टा करने लगे। क्रमशः जब किसी दुष्टको पहिली बातमें कृत्यकार्यता होती है तो फिर वह दूसरी बातोंमें भी सिद्ध हस्त हो जाता है।

लड़कों लड़कियों व जवान सभी स्त्री पुरुषोंको सावधानता से हमारी यह बात छुन रखनी चाहिये कि जब उनसे कोई ऐसी बात कही जाय या पत्रमें लिखकर या बुरे घन्यों द्वारा पढ़नेको सामने लाई जाय, तो उन्हें देखना चाहिये कि यह बात कुछ किसी तरहसे ऐसे भाव विशिष्ट तो नहीं है कि जिससे सदाचार बन्धनका व्यर्थ होना भलकरा हो या नैतिक बन्धनोंके तोड़ने और वेदिक आज्ञाओंके भङ्ग करनेकी ओर तो भुकानेवाली नहीं है, यदि ऐसा हो तो उसे न छुर्ने न पढ़े और न ध्यान दें वरन् तत्काल ही स्वरण करें कि परमात्माकी प्रजा उसके नियमोंकी प्रतिष्ठा करने व उनके अक्षरशः पालन करनेके नियमित बनाई गई है यदि इसमें कोई जुटि करता है तो वह न केवल ईश्वराज्ञा विरोधका ही पापी होता है वरन् अन्तरात्मघात, आतताय कर्मका करने वाला बनता है व इस जगत और परलोक दोनोंमें जीवके लिये असीम और अनन्त दुखोंको भोल लेता है।

(२) दूसरे अङ्गपर विचारें तो किसीकी बुरी बासन-ओंको उत्तेजित करना चार तरहपर होता है:—

(क) भावोंका दूषित करना । पहिले मनुष्यके भाव दूषित होते हैं । बुरी बातोंको भावता है, बुरी बातोंके अर्थोंको बारम्बार विचारमें लाता है । जैसे छोटे लड़के लड़कियोंको अश्लील गान सिखाना सुनाना उनके सामने अश्लील बात करना अश्लील पुस्तकादि पढ़ना उनके कानों तक बुरे शब्द पहुँचाता है, जिसके अर्थोंको वह सोचते हैं; जाननेकी चेष्टा करते हैं, और परिज्ञान होते ही भाव दूषित होने लगते हैं । यों दुराचारकी भावना, कल्पना, ख्याली पाप उनमें पैदा होकर बढ़ने लगता है । फिर बुरे आदमियों, बुरी छोटियोंके सामने आनेसे भी भाव दूषित होकर दुर्वा-सुनायें उत्पन्न होती हैं और छिपे छिपे भोतर ही भोतर मन पाप परिचित हो लेता है । अतः जो बुरे अन्य लिखते हैं, प्रकाश करते हैं, छापते हैं, बेचते हैं या पढ़नेको देते हैं चाहे किसी नान व बहानेसे क्यों न हो और बुरी छवियाँ या तसवीरें खींचते हैं, बेचते हैं, दिखाते हैं, घरोंमें लटकाते हैं सब महापापी दुष्ट हैं । यह दुष्ट लोग आदमियोंके दुराचारी बनानेके निमित्त होते हैं ।

(ख) दूसरोंकी वृष्णाओंमें योग दान करना । जबतक मानवी वृष्णामें वाच्च सहायता नहीं होती प्रायः उसकी अन्तरात्माकी ही अनुज्ञा ऊपर रहती है । पर जब वाच्च लालच वृष्णाशक्तिमें प्रयुक्त होता है तब बुद्धि और अन्तरात्माकी रोकें बहुत निर्बल चिढ़ होतो हैं और बुराई व पापके प्रबल बेगवान भुकादको यथेष्ट नहीं रोक सकतीं । जैसे भूखा चाहे भोजनकी प्रबल कामना रखता हो पर उसका मन अखाद्यकी भावना कभी नहीं करता क्योंकि कभी खाया ही नहीं, पर जब अखाद्य पदार्थ उसके सामने प्रस्तुत करके रख

दिया जाता है तब अखाद्यकी ओर उसका इतना झुकाव होता है कि उसकी बुहुं व अन्तरात्माकी शिक्षाकी वह अधिकांश मेट्रोको उद्यत हो जाता है। अतः जो ऐसे पापिष्ठ कर्मोंके साथम सदाचारियोंके सामने प्रस्तुत करते हैं पापी हैं। इसीसे ब्राह्मणमें गणिकाभींका होना बुरा है। जो राज इस प्रथाकी नहीं रोकता, स्वयं जो गणिका होती हैं और जो इन्हें किसी-तरह भी सहायता करते हैं वह सभाजके निर्दीप नवयुवकोंके सामने लालच दिलानेवाले बुरे पदार्थोंको रखकर उनकी गुप्त वासनाओंको उत्तेजित करके उन्हें नष्ट फरनेवाले होते हैं अतः तीनों महान् प्रातकां हैं। शराय या नशोंकी दुफानोंका खुले ब्राह्मण बेचना विकवाना इसी तरफानुकूल महान् प्रातक है।

(ग) दूसरोंको अपनी दुर्वासाभींकी दृष्टिके काममें लान-कर और कुवासनाभींमें दूसरोंकी सहायता लेकर अपनी दृष्टि करके हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सहायक दुराचारी न बन जाय। जो लड़का या नौकर नित्य मद्य लटता है, भक्ष घोटता है, अभागिनी बाजार कुलटाओंको बुलाकर लाता है वह निस्तन्देह, १०० में ८५ स्थलोंमें देख सकते हैं, कि स्वयं भझड़, मद्यप और लम्पट हो जाता है। अतः जो अपनी दुर्वासनाभींकी क्षणिक परितुष्टिमें दूसरेकी सहायता लेकर उसका जीवन बिनष्ट करता है वह दुष्ट भी महा पापी है क्यों वैश्वरकी प्रजाओं अधमर्मों बनानेका निमित्त बनता है।

(घ) जानवी दुर्वासनाभींकी सहायता करके। अनीर्मेंके पास बहुधा नौकर खुशामदी चापलूस होते हैं जो उनके दुष्ट कामोंकी प्रशंसा करके उनके मनोंको बढ़ा देते हैं। वृष्णा और वासनामें हमने यही अन्तर माना है कि जीवे

तृष्णा भौतिक पदार्थकी अधिक प्रत्यक्ष रूपमें होती है, वैये ही वासना मनकी भावनामें ही होती है। हमें धनी होनेकी वासना होती है और धनकी तृष्णा होती है। वह भाव सूचक शब्द है यह द्रव्य। शरीर और जीवमें जैसा अन्तर है वैसाही इनमें जानना चाहिये।

बहुधा हम चीता-यार बनाकर दूसरेकी लालच, लालसा, पक्षपात, अभिसान और शेखीकी उकसाते हैं क्योंकि उनकी तर्क हीन अन्तरात्मापर हमारा प्रभाव शीघ्र पड़ता है। इसीको मानवी 'प्रकृतिका जानना और उनके निर्वल पाइर्वोंका पहचानना' कहते हैं। बहुधा कहते रुनते हैं कि अमुक मनुष्य बड़ा चतुर व चालाक है; कैसा ही आदमी क्यों न हो कठ उसे अपने ढङ्गपर ले जाता है, उसपर अपना रङ्ग बढ़ा छोड़ता है।

अब हम इस द्वितीय पादके उपानिक मण्डलको, एक व्राक्यावलि जो हम विना कहे नहीं रह सकते लिखकर, समाप्त करते हैं।

जो महाशय जगन्मरणलके मनुष्य जाति मात्रमें सामान्यतः, और विशेषतः, परम पुनीत माणसे अधिक मिय जननी जन्मभूम प्रसूत सहोदरोंमें धर्मन व सदाचार सम्पन्न समाजोंके अभीष्टोन्नातके परमाभिलाषो हैं उनसे हम बल पूर्वक निवेदन करते हैं, समर्पित देते हैं, हठात् उन्हें दबाकर कहते हैं कि किसीको कोइ अधिकार नहीं है कि किसीके सामने कोई ऐसा कारण उपस्थित करै जिससे उसका भाँई (सनुष्य या देशवासी) किसी कामकी ओर प्रवाहित हो सिवा इसके कि कारण और कार्य दोनों ही निर्दीश हों। वे दुष्ट हैं जो कोई काम दल बन्दा पक्षपात, सिद्ध्याभिसान, शेखी-

खोरी और बड़ाईकी भूखसे, चाहे यह वासनाएँ केसी ही क्यों न हों, करते हैं। वह मनुष्य कभी चलनवाला नहीं है हमने चलनको यहाँ जिस भावार्थमें लिया है वह उसमें कदापि नहीं कहा जा सकता। चौर, ढाकू, बदमाश, छली, हत्यारा, स्वत्त्ववस्त्रक, पक्षपाती, अन्यायी, दुराचारी, लम्फट, अभिमानी, दूसरेके धराधामको छीननेवाला, हिंसक, वेद-तत्त्वविरोधी आदालोंका तो कहना ही क्या, वह तो भावते हैं, दूसरोंसे करते हैं, आप कुकर्म करके आदर्श बनते हैं लोगोंको चाटुकारसे इसमें रुचि दिलाते हैं। हत्यारा वैसा ही पापी है जैसा हत्यारेका सहायक। एक करोड़ व्यक्तियोंके साथ किसी देशपर डाका मारनेवाला समूह उतना ही धृणित है जितना सौ पचासका समूह एक ग्रामका लूटनेवाला वा दश पांचका या एक घर या जनको लूटनेवाला। लाखका चोर लाखके (Wax) चोरके समान ही दोषी है। दण्ड व्यवस्थामें न्यूनाधिक्य दूसरा सिद्धान्त है पर चोरों चोरी है डाका डाका है अन्याय अन्याय है। हाथके बदलनेसे कृत्योंका परिवर्तन नहों होता। धर्म व सदाचारका काम पवित्र है यह काम ईश्वरीय काम, ईश्वरीय सेवा है, यह काम भाताकी पवित्र सेवा है। अतः इस सेवाके करनेवालोंको मानवी ढोंगोंकी परवाह, मनुष्योंके मनोंकी प्रसन्नता पर बार होना, दरकार नहों। जो इस कामका अग्रसर विधायक व प्रचारक है उसीके (ईश्वरके) बल पर चले जिसके कामका विधान या प्रचार उसने उठाया है। अपने कामको कामकी योग्यतापर टिका रहने दे प्रत्येक मनुष्यको उनकी निज इच्छापर छोड़ दे वे चाहें तो उसकी सहायता करें चाहे न करें। सत्यमें, पिता (परमेश्वर व पिता)

माता (भूमि व माता) की सच्ची सेवामें वह आकर्षण है कि पाहन सरिस महानसे महान कठोर व भारी भर्तोंको ऐसे खींच लेगा जैसे चुम्पक लोहे को । वह सूखी हालियोंमें फल लगा देगा और कृतकार्य करके छोड़ेगा । जो सत्यके भरतेसे नहीं चलते कामोंको तोलकर उनकी योग्यताका विचार करके ही हाथमें लेते हैं उनके काममें लोग पढ़ते हरते हैं सन्देह करते हैं और वाधाएँ भी आती हैं । अतः आओ धर्म और सदा-चारके निमित्त हम सत्यपर आहङ्क हो जाय और अंख बन्द करके यावज्जीवन इन्हींके खातिर काम करें और इन्हींके वास्ते भरकर, पिता माताके सच्चे भुपात्र पुत्रोंमें जा मिलें ।

धर्मको राखे सब रहे, गये धर्म सब जाय ।

शुचि जन सिंहो धर्मको, फूले फले सोहाय ॥

मण्डल चार ।

अनुवाक २

न्याय और भानका सम्बन्ध ।

देखा जा चुका है कि प्रत्येक सनुष्य ईश्वरीय नियमानुसार अपने शारीरिक अमके प्रतिफलके सम्मोगका अधिकारी है अर्थात् उन प्रतिफलोंका, जो उन कार्य कारण नियमोंके अनु-कूल काम करनेसे होते हैं जिनके अधिगत वह द्रव्य हैं जिनसे वह काम करता है । जैसे बीजको समय विशेषपर बोने और सिंघन रक्षणसे कोई धान्य पैदा करे तो वह अपने अमके प्रतिफलका बिना पर हस्ताक्षेप भागी है ।

इसी तरह और भी प्रतिफल हैं जो इसी कार्य कारण नियमनुकूल प्रघटित होते हैं । इसी नियमके अधिगत भानवी

सम्मति, बुद्धि और कृत्य परस्पर होते हैं। इनसे उत्पन्न फल कुछ शारीरिक अम फलसे कम अभ्यस्कर नहीं होते। जैसे किसीने एक रथ अपनी बुद्धिसे तैयार किया वह रथ उसका है पर दूसरे लोगोंके मनमें उसको (रथ रचयिताकी) कारीगरी से कुछ भावना पैदा होगी और सम्भव है कि इस बुद्धिवलके कारण जो भाव लोगोंका उसके ऊपर हो वह रथसे भी अधिक मूल्यावान और लाभ प्रद हो। क्योंकि इस भावसे सम्भव है कि भविष्यमें वह बहुतसा धन उपार्जन करनेके साधनोंको प्राप्त करले। अभी जिज्ञासु न केवल उस ज्ञानको काममें लानेका ही अधिकारी है जो उसने प्राप्त किया है किन्तु उस प्रतिष्ठान की अधिकारी है जो उस ज्ञानके स्वामित्वने उसे 'सनुष्योंमें दी है ।

अब यह हितीय और लक्षित प्रभाव चाहे अन्य किसी कार्यक कारण नियमाधिगत ही हों निससन्देह कार्य है किसी मौलिक कारणके, अर्थात् स्वयं सनुष्यके चलन और कृत्योंके, और वह उसका वैसा ही अधिकारी है जैसा सीधे और प्रत्तक प्रतिफलोंका जैसाकि हमने पहिली बाक्यावलिमें कहा । अतः किसी पुरुषकी जो प्रतिष्ठा सनुष्योंमें होती है उसको कम करना उसको प्रतिष्ठित पदसे नीचे खींचना, उसके अद्वामीका कारण होना वैसा ही अन्याय है जैसा उसके धनका लूट खोस लेना । यह दोष अधिक गुरुतर यों होजाता है कि इस दुष्कृतिके कर्त्ताओंको कोई लाभ भी नहीं होता सिवा इसके कि उनकी दुष्टताको दूसरे करे ।

हम कह सकते हैं कि एक आदमी उचितसे अधिक प्रतिष्ठित और दूसरा उचितसे कम प्रतिष्ठित गिना जारहा है तो

क्या हमारा धर्म नहीं है कि उनको उचित सम धरातलपर लावें ?

इसका उत्तर साफ़ है कि:—यदि किसीके पास कोई सम्पत्ति है चाहे वह उसके पास न्यायसे आई है वा अन्याय द्वारा पर क्या किसीको यह अधिकार है कि उसे छीनकर आप लेले या नष्ट कर डाले । हाँ यदि कोई अपना स्वतंत्र उस सम्पत्तिपर उससे अधिक बलवान् सिद्ध करना चाहता है तो करै व न्यायपूर्वक ले । इसी तरह जो हम जानते हैं कि अमुक व्यक्तिकी उचितसे अधिक प्रतिष्ठा है तो हम आप अपनेको अधिक प्रतिष्ठाके भागी बनाकर दिखायें उसकी प्रतिष्ठा घट जायगी न कि उसकी प्रतिष्ठा कर करनेको और तरह उद्यत हो जावें जिससे उसके स्वतंत्रको जो उसका है, जिसपर हमारा कोई स्वतंत्र नहीं जबतक ऐसा सिद्ध न कर दें, हानि हो जौर हमारा कुछ लाभ भी न हो । वही सम्पत्त्याधिकार प्रश्न यहाँ भी उपस्थित है जो ऊपर कह चुके हैं । समुद्यका अधिकार ही दूसरेके हस्तबेपका प्रतिरोधक है जिवा उसके कि जिसको छलकर उसने जमाया है । क्या चोरसे कोई यह कह करं या जानकर कि यह चोर है उसकी सम्पत्ति छीनकर ले सकता है जबतक सम्पत्तिका मुख्य (Original) स्वामी जिसकी यह चुराकर लाया हो सिद्ध न होले । कोई किसीकी प्रतिष्ठाको केवल इस बास्ते कम करनेका अधिकारी नहीं है कि मैं उससे अधिक प्रतिष्ठापात्र हूँ । जो एककी प्रतिष्ठाको दूसरेकी प्रतिष्ठादे हानि होती है तो उसे उचित रीतसे अपना दावा पेश करना चाहिये और न्याय ढूँढना चाहिये पर जहाँ न्यायकी इच्छाका लेश नहीं है वहाँ किसीकी बदनामी करना अवश्य अपराध है । नेत्रिक नियम यह है कि हम

किसीकी प्रतिष्ठा भड़ करने वाली बात सुंहसे न निकालें जबतक हमें पूरा पूरा कारण उपस्थित न हो । यहाँ पुक रास्ता पूरे पूरे कारणका अलयत्त खुला है उसका कारण यह है कि अनेक अवसर होते हैं जब कि हमें ऐसी बात कहनी पड़ती है और अनेक अवसरों पर चुप रहना ही ठीक होता है जो हम आगे चलकर बतलाएंगे लेकिन अकारण अर्थात् बिना यथेष्टकारणके या खुरे भावसे किसीकी प्रतिष्ठा भंग करनेका कारण होना अपराध है ।

यह केवल पारस्परिक समता न्यायका विस्तार मात्र है । यह पारस्परिकत्व हमें आज्ञा देता है कि हम यहाँ इच्छा सदा रखें कि प्रत्येक दूसरे सत्तुष्य भी अबना बाधाके बह बधिष्ठन भीग करें जो उन्हें आदमी देते हैं और हम भी बाधा विहीन उस प्रतिष्ठाका खुख उठावें जो हमें समाज देता हो ।

यहाँ हमारा उन बातोंसे मतलब नहीं है जो बे सनकों या हुर्मूतिसे दूसरेको बाधत निया कहो जाता हैं पर्योकि इस दृश्यमें अप्रतिष्ठाके साथ असत्य बोलनेका पाप भी निला होता है । यहाँ केवल अप्रतिष्ठा दीपका विचार हमारा काम है ।

यहाँ यह भी कहा जाता है कि हमें उचित नहीं है कि हम अकारण किसीके दोषोंका फिरारा पाएं । यहा पाप 'अकारण विख्यात' करनेमें है । जो स्वयं अपने खुरे कानोंका ढोल पीटे तो दूसरो बात है, वह स्वयं अपना सर्यादाको घटाता है और उससे साधारणको बिना चेष्टा एकत्री परिज्ञासि होती है । इसलिये जब हमसे कोई पूछे कि हम इतिवृत्तकी भाँति कह सकते हैं लेकिन उसे हाँन पहुँचानेके भावसे हमें उसके प्रकाश करनेका कोई अधिकार नहीं है ।

जब कोई कुकर्म ईश्वरेच्छासे प्रकाशित हो जाता है तो वह इसी नियमान्तरणत होता है। हम चाहे जानते हैं कि अमुक सनुष्य बोईमान है पर यह जानकारी मात्र हमें उसके भाँडा फोड़नेका कोई अधिकार नहीं दिती। लेकिन जब उसकी बोईमानी न्यायालयमें रिहु हो चुकी हो तो मानो सब समाजने जान लिया फिर हम चाहे जैसे उसको कहें भुलें। पर तोभी किसी व्यक्तिके हानि पहुँचानेको या अपनी दुर्दृ-त्तिके सन्तुष्ट करनेको कहते हैं तो बुरा है। इसी तरह जो बात समाचारपत्रोंद्वारा जगद्विख्यात हो चुकी है और प्रतिवाद नहीं कुवा तो हम काम पड़ने पर शुद्ध अन्तः करणसे कह सकते हैं पर दुष्टतासे हाति पहुँचानेके लिये कहना बुरा है।

तीन बारें जान लेनां चाहियें।

(१) दूसरेकी अप्रतिष्ठा व बदनामी करना कर्ताके ही नैतिक चलनको हानिकारक होता है साथ ही जो भुगता है उसे भी हानि होती है। बुराइयोंका प्रगाढ़ परिचय हमारे मनकी वह ग्लानि जो बुराईसे होती है कम कर देता है। अनेकोंमें उसकी लगातार भावना, शत्रुता और निदंश्यता सम्बंधित करती है और अन्तमें जिस कामके करनेसे पहले मन सन्तापित होता था अहन्ति होने लगता है।

(२) वर्तमान अपूर्ण दशामें जब कि हरेक मनुष्य पहलेसे बहुत ज्यादा दोष करनेकी सम्भावना रखते हैं अर्थात् मनुष्य दोषसे खाली तो होता ही नहीं पर वर्तमान भारतमें जब कि बाढ़ पापिष्ठता हमारे दिलोंमें घर कर चुकी है मनुष्य कहीं न कहीं अवश्य भूल करता है। जो एक दूसरेके दोषोंकी ड्योंडी पीटेंगे तो समाजमें हरेकका जीवन निर्वाह दुस्तर हो जायगा और परस्पर द्वोह और वैमनस्य फैल जावेगा।

यदि माता, पिता, भाई बन्धु, चचा लाज, इष्ट मित्र, पति पत्नी अडोसी, पडोसी सब इस तरहसे जगतमें परस्परके दोषों और नुटियोंका प्रकाश करने लग जायें कि जो देखे भुजे या अनुमान कर ले सबका भयडा फोड़ करे तो भला समाजका ठिकाना कहाँ लग सकता है ?

(३) हम जब कोई दोष किसीका प्रकाश करें तो याद कर लें कि जो हम स्वयं उसके और वह हमारे स्थानमें होता तो हमें कैसा भालूम होता फिर हम न्याय करें तो पता लग जायगा ।

(क) हमें उचित नहीं कि किसीकी कुकृत्य (Particular) विशेषसे उसके चलनकी बुराईका सामान्य (Universal) परिणाम निकालें । यह प्रत्यक्ष अन्याय है क्योंकि इस काममें अप्रतिष्ठा दोषके साथ साथ सिद्ध्या भावण भी मिश्रित होता है । एक कामके देखनेसे किसीके चलन या स्वभावका पूरा निर्णय नहीं हो सकता । एक बार किसीको भङ्ग पीते देखा तो उसे भंगड़ कहना धूपा अन्याय नहीं है ? दोग, सङ्ग, द्वाव आदिके कारण भी एक बार कोई भङ्ग पी सकता है पर दर्शकों कोई स्वत्व या ठीक आधार इस बातके अनुमान करने का नहीं है कि यह निश्चय ही भंगड़ है ; सारे चलनकी बात तो एक तरफ रही—क्योंकि बदचलन कहनेमें अनेक दोषोंका आरोप होता है—चलन अनेक विभागोंमें विभक्त हो सकता है ।

(ख) हमें किसीके कामपर अकारण बुरा भाव नहीं स्थिर करना चाहिये । अतः हमें याद रहे कि अच्छी भावनाका थल होते हुए भी हमारा किसीको, निर्दोषी छोड़, अकारण दोषी भावना अनीति है । साथहीने किसी कामको

जिसे हम अच्छा मानते हों सिवा उस अच्छी भावनाके जिससे वह हुआ है कोई दूसरा भाव संयोजित न करना चाहिये ।

हमें इसीके अनुकूल चलना उचित है कि जब हम किसी व्यक्तिकी बाबत अपनी निज सम्मति स्थिर करें तो अच्छे भाव व कारणकी उपस्थितिमें हठात् बुरे भावकी धींगाधींगी किसीके सर न मढ़ें । जो हमें किसीके विरुद्ध अनीतिके सन्देहके अवसर भी उपस्थित हों तो हम उसे मनमें ही रखें जब तक हम उस दोषके प्रकाश करनेको उचित कारणसे बाध्य न हों । जब दूसरे हमारी बाबत सम्मति देनेमें इसी नीति द्वारा बंधे हैं तो हम अपनी सम्मतिको कैसे इसके विरुद्ध प्रकाश कर सकते हैं? जब हमें स्वयं अपने मनमें अकारण बुरा भाव स्थापन करनेसे नीति रोकती है तो इसका दूसरों पर प्रकाश करना या विश्वास करना कि दूसरे आदमी मान लें या विश्वास कर लें या अनुमान कर लें कि अमुकमें यह दोष है कितनी बड़ी नैतिक बुराई न होगी? धर्मिकता कभी बुरा चिन्तन नहीं करती और कभी अनीतिमें आनन्द नहीं मान करती ।

भुमन भुमनसा प्रिय भुखद, औगुण गिने न जान ।

कुमन स्वमनकी क्रूरता, करे नहीं भल भान ॥

भुमन सदा नयमें निरत, लहै शान्ति विश्वास ।

अनय देख मनमें कुदृ, चले न मारग बान ॥

उक्त नियमके कारण यह हैं:—

(१) जब तक मनुष्यके मनकी गति या अभिप्राय प्रकाश न हो सिवा शङ्खरके कौन उसके मनकी जान सकता है? अतः किसीपर दूषित भाव अकारण अध्यारोप यही अर्थ रखता है कि जिस बातको हम नहीं जानते न जान सकते हैं

उसे इतिवृत्तकी भाँति प्रकथन करते हैं अर्थात् फूट बोलते हैं। फिर इससे लाभ कुछ नहीं सिवा इसके कि या तो व्यर्थ बात बनानेका गाढ़ प्रेम मनमें है या मद भाटसर्यादिसे हम प्रवाहित होकर अपनी काल्पनिक दुष्ट वासनाओंको त्रस्त करना चाहते हैं।

(२) कोई और ऐसा अपराध जगतमें नहीं है जिससे हमें इतना उन्मीलित और प्रस्फुरित क्षेभ हो जैसा कि हमें अपने भावोंको असत्य प्रकाश करनेमें होता है। चाहिये कि त्वरित बुझ और पट्ठ जनोज्ञता जो हममें है हमें इस पापसे सचेत कर दे, जब हम दूसरोंपर लालचन लगाने लगें; नहीं तो हम अकारण पापके भागी बन जावेंगे।

(३) इसी भाँति हमें हँसी, दिल्लगी, नकल, वेश आदिमें भी अकारण किसीकी प्रतिष्ठामें न्यूनता वा बाधा न करनी चाहिये। हँसी उडाना बड़ी बुरी बात है। यह कहना कि 'जी दिल्लगी है हम कुछ हानि घोड़ीही पहुँचाना चाहते हैं बड़ी मुख्यताकी बात है। जो हम चुप छिपे छुनते हों व हमारी यही गति दूसरा करता हो तो हमपर कैसी बीति? इसी शिक्षाको हृदयमें रखना चाहिये, अपना सा मन दूसरेका भी जान कर कभी किसीकी ठठोली अवधार न करनी चाहिये।

बहुधा लोग रहस्यमें, गुद्यनाके परदेसें ऐसा करते हैं जिसमें इसका दोष घट जाय पर उनकी भूल है। सोचना यह है कि जो कर्तव्य हमारा दैश्वर और उसकी प्रजाके प्रति है व्या हमें बराबर करता है कि हम दूसरेकी बातको जो उसे हानिकर हो प्रसिद्ध करें। जो कर्तव्य बाध्य करता है तो डर किसका छिपाव किसका हँकेको चोट कहो अपने कर्तव्यका यथावत पालन करो नहीं तो तुम अपने कर्तव्यके न पालन करनेके

दीवी, ईश्वर और देशके सामने, होगे। अगर कर्तव्य नहीं आध्य करता तो किसीसे भी कहना अनेकांश है। जैसे एकसे कहना वेसे ही अनेकसे, पापतो पाप ही है। उक्त सिद्धान्तके हमने उस बातकी कसौटी ठहरा ली है कि कष किसीका ऐद कहना व कष न कहना। अब अब अनर्थ जगतमें इसी वास्ते हो जाते हैं कि इस कसौटीपर रखे बिना ही लोग चाहे जो जिसकी बाबत कह डालते हैं। अच्छे अच्छे लोगोंकी उत्तम प्रतिष्ठित बातें भी बहुधा इस दोषसे रिक्त नहीं होतीं; मानो वे नैतिक अटल नियमको भूले खेटे हैं या जानते ही नहीं सिवा इसके कि न्यायाधीश और पञ्च जिस बातमें दण्ड दे सके वही अपराध है शेष नैतिक अपराध दाढ़ भात है। बहुधा तो लोग दूसरोंके अकारण अपगुण दिखाने वा खोननमें अपनी चातुरीकी चरम सीमा दिखानेकी विष्टा करते हैं।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियम् नानुतं ब्रूयात् एष धर्मः समातनः ॥-

का अनुकरण करनेसे ही इस दोषसे भी मनुष्य बच सकता है। इसके सिवा भी अनेक स्थर्णोंमें आता है 'सर्वं चापहालं निन्दकः' 'जो पर दोष लें सह साखी' 'पर अघ छुनैं सहस दश काना' इत्यादि ।

अब हम दूसरे अङ्गपर कथन करते हैं जब कि हम दूसरेके बुरे कामोंको देखें तो उक्त नैतिक नियमानुकूल चुप रहना हमार धर्म नहीं है वरन् तद्विरुद्ध हमें हमारा कर्तव्य वाध्य करता है कि हम उस दोषको प्रकाश करें। चुप रहनेकी जगह बोलना वैसा ही बुरा है जैसा बोलने की जगह चुप रहना। हमने दूसरोंके बुरे कामोंकी बाबत अपनी निद्वाको बद्द रखना, जहाँ जहाँ कर्तव्य समझा, गिनाया। अब यह

बताना चाहते हैं कि यथेष्ट उचित कारण के उपस्थित होने पर हम उन्हें ही बोलनेके लिये बाध्य हैं जितमें कारण विहीन दशामें चुप रहनेको । जब जब जहाँ यथेष्ट उचित कारण उपस्थित हो एमें अवध्य अपना मुख खोलना चाहिये । मनुष्योंमें एक सधारण दोष यही हुवा करता है कि जहाँ बोलना चाहिये चुप रहते हैं जहाँ न खोलना चाहिये बोलते हैं । स्पष्ट शब्दोंमें लीजिये—

मुख्य मुख्य तीन स्थल हैं (१) न्यायालयमें समाजके न्याय और धर्म स्थैर्यार्थ (२) निर्दीर्षीकी रक्षार्थ (३) स्वयं दोष करने वालेके लाभार्थ । इन्ही वातोंके साथ हम इस तृतीय पादको समाप्त करेंगे ।

हम परहानिके निमित्त अकारण उद्यत होनेसे नीति सिद्धान्तानुकूल रोके गये हैं अतः चाहे किसीमें कुछ बुरा ही कर्यों न किया हो पर हम उसकी बुराईको मुंहसे न निकालें जबतक कि ऐसा करनेका यथेष्ट, प्रबल, उचित कारण बाध्य न करे ।

पर जहाँ न्याय हो सकता हो, निर्दीर्षीकी रक्षा होती हो अथवा स्वयं बुराई-कर्त्ता का ही लाभ होता हो और हम देखें कि बिना इसे हानि पहुँचाने वाले सार्गका अनुकरण किये दूसरी तरफ यह अभीष्ट पूरा नहों होता तो उस नैतिक आधारका हमें ख्याल न करना होगा । किसीको इस वातकी आशा करनेका कोई अधिकार या नैतिक कारण नहों है कि वह बुरा काम करे और उसका बुरा फल न चले और इसकी तो उसे कभी आशा हो नहों हो सकती कि उसको बुरी कृत्य छिपाई जाकर उसे उचित परिणामके भोगनेसे बचाया जाय और दूसरेको हानि पहुँचाई जाय और अन्याय किया जाय

एवं दूसरे लोग चुप रहकर निर्दोष और अवगुण रहितको उसके पछ्येमें सौंप दें ।

जो बात परहानिकर हो उसकी धावत मुँह खोलती चमय जिस सिद्धान्तानुकूल हमें अपने अभिप्रायोंकी परताल करनी चाहिये वह यह है:—जो क़छ परहानिकर बात हम कहते हैं वह अकारण, आनन्द भानकर या वेसोचे सभके कहते हैं? यदि ऐसा है तो हम निन्दक, और हम निन्दा (Calumny) के दोषी हैं। जो हम दोषीके लिये दुख और पीड़ा भान करते हुए विशुद्ध अन्तः करणसे निर्दोषीकी रक्ताके लिये या सामाजिक न्याय स्थैर्यर्थ अथव स्वर्य दोषीके लाभार्थ कहते हैं और ऐसे व्यक्तियोंसे कहते हैं और इस रीतिसे कहते हैं जो इन परिणामोंके पूरा करने वाले हैं तो हम दूसरे के दोषोंको कहें कोई डर नहीं न यह कृत्य निन्दा (Calumny) है न दुष्ठाद (Slander) न हम निन्दक हैं ।

अब उक्त तीनों कारणोंको पृथक पृथक लीजिये:—

(१) सामाजिक न्यायाभीष्ट सिद्धिके लिये । जो किसीके दोषको समाजके लाभोंके विरुद्ध गोपन करता है वह पाप करने वालेकी गोष्टियोंका अपनेको भी एक व्यक्ति बनाता है । अतः ऐसे अवसर पर सभ्य नागरिक (Civil as distinguished from Military = सैनिक नहीं) न्याय विभागके उचित अधिकारी या न्यायाधीशके कानोंतक बातका पहुँचाना हमारा कर्तव्य है जिससे दोषी दण्डित हो और समाजमें सुष्टुताका शमन हो या उसकी कसी हो । यह कृत्य निन्दा नहीं है किन्तु वैसा ही प्रतिष्ठित है जैसा (Judge) न्यायाधीशका दण्ड देना या न्याय पञ्च और सरपञ्चका (Jury) दोषी निर्वोचित करना । यदि यह पञ्चों सरपञ्चोंका कान् या informer शूचकका कान्

स्वार्थयुक्त हो तो भी विषयकी स्थितिका Position of the fact परिवर्तन नहीं होता । जैसे पारितोषिकके निमित्त कोई डाकूको बंधवा दे, सरपञ्च या पञ्च समाजसे धन लेकर यह काम करते हों तो भी कुछ दोष नहीं बातके नूल नन्तर्वर्यमें अन्तर नहीं होता । हाँ धूस, अकोड़ लेकर या पक्षपातादिसे दोषीको छोड़ना निर्दोषीकी ताड़ना पाप है और यथार्थ करते हुए भी अपने वेतनके अतिरिक्त छिपाकर किसी सूचक, पञ्च, सरपञ्च या अन्य समाजाधिकारीका धन लेना स्वयं अनीति और दण्डनीय दोष है ।

(२) पुनः निर्दोषीका संरक्षण लीजिये । यदि किसी निर्दोषीको कोई दुष्ट सारना, सताना या लूटना आदि अनीतिये दुख देना चाहता है और उसका हस्तको पता लग जाय तो उस निर्दोषीको सचेत करनेके निमित्त दुष्टके इरादेको कह देना या उसके स्वभावको बतला देना दोष नहीं है । किसीने किसीको नौकर रखा नौकर है हम जानते हैं तो नये स्वामीको नौकरकी व्यवस्थासे सचेत कर देना पाप नहीं है पर शुद्ध बुद्धिसे सच्ची बात होनी चाहिये ।

(३) स्वयं दोष कर्ताके लाभार्थ । जैसे कोई बालक जुआ खेलता है या और बुरे मार्गपर जाता है तो उसकी बात उसके गुरु, संरक्षक और उसके जाता पितासे कहना दोष नहीं । जुआइ खानेको समाजके पाश्यमें बंधवा देना व दरड़ दिलाना पाप नहीं है, स्वयं जुआड़ियों दुराचारियोंके शुधारका कारण है, जिसमें उन्हींका भला है न कि समाज, सूचक वा और किसीका ।

दो एक साधारण घाटे और भी हैं जैसे :—

(१) जो हम जानें कि कोई सद्यप है तो चाहे हमें उसके बदनाम करनेका नेतिक कारण न हो पर जो हम उसकी सङ्कृत

छोड़ दें तो दोष नहीं चाहे हमारे सङ्ग छोड़नेको कोई कुछ भी क्षयों न ख्याल करे, अनुमान करे वा जानले ।

(२) जो हम किसीकी अविश्वास पात्र समझे तो चाहे हम किसीसे यह न कहें कि यह अविश्वास पात्र है क्योंकि अकारण ऐसा करना अनीति है पर यह भी अनीति है कि हम व्यक्ति गत या समाज गत उसको विश्वासपात्र सूचित करें और उसके साथ रहकर सर्व साधारणको विश्वासपात्र अनुमान करनेका अवसर दें । यदि हम ऐसा करते हैं तो हम छल (दग) करते हैं—दुष्टको लाभ पहुँचाते हैं और निर्दोषोंको हानि ।

(३) जो हम दुष्टों और कदाचारियोंकी मित्रता व गोप्तिमें रहते हैं तो भानो हम अनुमान करते हैं कि दुष्टोंका सङ्ग बुरा नहीं है अर्थात् दुष्ट व दुष्टता सज्जनोंके सङ्गके योग्य हैं और यह अनीति है । क्योंकि हम पापके सहायक होते हैं ।

(४) जो बात किसी व्यक्ति विशेषके कारण या दैवी घटनासे प्रख्यात हो गई हो उस इतिवृत्तका लिखना प्रसार करना इतिहास लेखक व पत्र सम्पादकका कर्त्तव्य है । जो बात प्रकट हो गई उसका पुनर्प्रकाशन दोष नहीं पर जो बात प्रगट नहीं हुई वह उसके अधिकार सोमासे बाहर है और उसे इस सरण्डलमें ऊपर कहे हुए सिद्धान्तोंके अधिगत होकर लिखना पड़ेगा ।

पर जो पूर्व प्रकाशित बात इतिहास लेखकको मिले उसे जो वह निर्भय, निष्पक्ष या विशुद्ध भावसे काममें ला सकता है तो उसे यह अधिकार नहीं है कि उत्तेजना, वार्गिक पक्ष-पातसे या व्यक्तिक पक्षपातसे छिपा ले या उसमें अत्युक्तिसे काम ले या अथवार्थरूप देकर प्रकाशित करे । यदि कठ भी

तोड़ भरोड़ और बुरे भावसे काम लेता है तो निन्दाका दोषा है। जैसे मुसलमानी और आर्य समयके इतिहासको कलिपय अनेशियाई लेखकोंने अनुचित रङ्गसे उन्मीठत किया है तो यह पाप है :—

शिवाजीपर छलसे अफगाणको मारनेका दोष प्रभागित करनेके लिये मृल स्थितिका छिपानेवाला निन्दक और भलिन हृदय है। शिवाजीको छलसे वध करनेको बुलाया गया था। अफगाण जथ आशा शिवाजी भी पहुँचे और भिलती समय उसने अपनी असिपर हाथ टाला और एक बार किया जो शिवाजीके कवधने निष्फल कर दिया तथ शिवाजीने तुरन्त हरिपूर्णसे दशा अपने प्राणघातक होनेवालेको प्राण दण्ड दिया। उस दशामें शिवाजीको अनीति कृत्यका दोषी कहना जिव्यावाद है।

जो इतिहास लेखक इतिहासको अपने सनसाने रङ्ग देकर लिखता है वह सदा सर्वदाको जगतमें झूट फैलानेवाला होता है अतः हुष्ट, निन्दनीय, झूटोंका राजा है। मुखसे निन्दा करना मुद्रणालय द्वारा निन्दा करनेसे कम दयहनीय है वह एकसे एक समय कहता है यह संसारसे असीम काल पर्यन्त।

यदि किसी प्रतिद्वन्द्वी व्यक्तिके चलनको या बुद्धिको घब्बा लगाना या नीचा घतडाना, जिसे जगत एक फलीना पन स्वोकार करता है, बुरा है तो किसी राजनेतिक व्यक्तिको विरोधके कारण ऐसा करना कितना बड़ा कसीनापन नहीं है ? जो काम मुहिं स्वयं करना जेरी नीचताका कारण हो उसीको दूसरेके प्रति करना कितनी नीचताका कारण न होगा ? और जो हुष्ट अहङ्कारी राजनीति धर्म बाधक हैं उनकी प्रतिष्ठा और प्रजा-भाल-तिलक सज्जनोंकी अप्रतिष्ठा व्या सहान अनीति

व अधर्म नहीं है ? क्या कोई अधिकारी व्यक्तिगत इच्छेसे या राज नैतिक विरोधके कारण ईश्वरकी प्रजा नहीं है जिसे क्या कोई कारण हो सकता है कि क्यों मनुष्य नैतिक भूल सिहुन्तोंके विरुद्ध, किसीसे किसी दशामें, आचरण करे ? क्या कोई ऐसी अवस्था है कि जब हम ईश्वरीय नियमोंकी अवधा, अप्रतिष्ठा या उनका उल्लङ्घन कर सकते हैं ? हम बलके साथ उच्च नादसे प्रश्न करते हैं कि क्या मनुष्य यह समझता है कि राजनैतिक भेदके कारण या नैतिक प्रतिद्वन्द्विताके हेतुसे परम पिता राजराजेश्वराधिपं सर्व जातियों और देशोंका नहीं नहीं समस्त ब्रह्मारणोंका अधिष्ठाता इस ब्रह्मारणकी राजगढ़ीसे उतार कर हिन्दू कुश पहाड़पर निर्वासित करके अन्दी रखा जा सकता है ? यह बात केवल राजनीति सम्बन्धमें ही न जानना, हमारा विषय सार्वभौमिक नीति है । हम एक छोटेसे पत्र सम्पादक और प्रेसके ग्रन्थनिकारों हैं अतः हम यह भी अवश्य ही कहेंगे कि क्या कोई दुष्ट सम्पादक, लेखक या यन्त्राधीश किसी मनुष्यसे अधिक अधिकार रखता है जो उसे औरेंसे अधिक स्वत्व देता हो जिससे वह अपने यन्त्र वा पत्रको स्वयं इस बास्ते काममें लाया जाने दे जो व्यक्तिक द्वेषकी परितुष्टिके बास्ते हो या व्यक्तिक द्वेषके अद्लेका निमित्त हो या ग्रिना छान बीन व्यक्तियोंको जगतके सम्मुख बदनाम करनेका हेतु हो ? समाजके विरुद्ध पाप कृत्योंका दरेण समाजसे ही होना चाहिये और सात्र समाजसे अतः लौकिक यन्त्र (Public press) का सम्बालक हो वा राजपरिकर हो अपने भौतिक बलके कारण कोई अधिकार इस बातका नहीं रखता कि अन्य सहवर्ती प्राणियों (Fellowbeing) की अपेक्षा दूसरोंको अधिक पीड़ा पहुँचानेका कारण हो । जो

ऐसा करे तो क्या ठीक न होगा कि दूसरा यों कहे कि भहा-
शय आपके पास यन्त्रालयका बल है तो मुझमें सुकर्कोंका बल
है लीजिये देखिये मजा ; फिर तो सामाजिक शान्तिका अन्त
ही हो जाय । अतः किसी पत्राधीश पत्र सम्पादकका अधि-
कार नहों जो व्यक्तिक बुराइयोंको छापे जबतक स्वतः दैवात
उनका भरहा फोड़ न हो व जगद्विदित न होले । जबतक संचा-
रकी दृष्टिसे अगोचर हैं यन्त्रकी दृष्टिसे भी अगोचर हैं जब तक
कि वह सिद्ध न कर दे कि वह इसी कानके करनेके निमित्त
समाजकी ही ओरहै नियत किया गया है ।

इत्यलम्

इति द्वितीय पाद सम्पूर्णन ।



पाद चतुर्थ ।

मण्डल प्रथम ।

॥ अथ मङ्गलाचरण ॥

कृप्पै ।

जग उपास्य जगदीश, विघ्न हरण अशरण शेरण ।
 ताहि नवाइय शीश, जो जातिय कारण करण ॥
 जानि सातु सर्वस्व, साथे तिलक वर रज चरण ।
 शोभित ल्यर्ये अरविन्द, नित्य नग्ये मङ्गल करण ॥
 जो रक्षक पति लाजके, अह देश प्रेम सकरन्द ।
 सो भारत रस भोजिये, गोपालक आरज वृन्द ॥

* स्वपित्र भूमि देवालय खातिर । शत्रु भयानक सम्मुख लड़कर ॥
 जो नहिं मरै स्वदेश निमित नर । है कौन मृत्यु जग छुन्दर तर ॥
 जायं युगान्तरमें या आज । होगी अवश मृत्यु सिरताज ॥

भारतके नव युद्धाओ आओ सभा बनाएँ ।
 शुभ देश प्रेम दीपक हिल मिलके सब बलाएँ ॥
 - द्वार वाटिका विनिन्दक हो यह सभा हनारी ।
 बुलबुलसे बढ़के चढ़के हो पुष्प खिल खिलाएँ ॥

* कार्य मैकालिके पद्यका पश्चानुवाद (यह पद्य किंगरीडरमें बज्जोके पद्यनेको न्यायशीला सरकारने कृपया है उसीका अनुयाद यथा कराये दिया) ।

भारत अधोपतन है अति कौवताका द्योतक ।
 आओ कमरको कसकर हिलमिल हूसे उठायें ॥
 जीवनका मूल नतलब पूरा हो आज अपना ।
 इस समयमें भी हम जो भारतके काम आयें ॥
 यह कौन जानता है के दिनकी जिन्दगी है ।
 कर्त्तव्य किस लिये हम सिन किये छोड़ जायें ? ॥

अनुवाक १

मनुष्योंके प्रति मनुष्य कर्त्तव्य ।
 भूत और वर्तमान सचाई ।

आवश्यकतासे बाध्य प्रत्येक व्यक्ति भूत और वर्तमान दोनोंके साथ गाढ़ और लाभजनक सम्बन्धोंसे जकड़ा हुआ है । यहाँ तक कि मानवी अनुमान शक्ति उसे भविष्यके साथ भी अंगूष्ठतो है । विना भूत कालिक इतिवृत्तके परिज्ञानके और जहाँ तक उसके सहवर्ती अन्धुरोंका लगाव है विना इस ज्ञानके कि आगे ल्या होगा वह वर्तमानकी आत्मोंकी कोई ठोक व्यवस्था ही नहीं कर सकता । जो हूसे न मालूम हो कि पहले आषाढ़में वर्षा आरम्भ हुआ करती है और पूर्वमें हुई है तथा आगे आनेवाली वरसातमें सम्भव है, नहीं नहीं प्रबल अनुमानका धल है, कि होगी तो वह कैसे वैसाख ज्येष्ठमें खेतोंको उपयोगी बनाकर ठीक करे । यह ज्ञान उसे न हो यदि उसका गठन दशाके समान सम्बन्धानुसार न करा हो हसींसे उसका गठन दशाओंके मुनासिष बनाया गया है । एक और मनुष्यमें सच बोलनेका स्वामानिक दृढ़ समोक्षम है जो उसे उस समय तक अपने अधिगत रखता है जब तक अन्य कारण

बीचमें न आ-कूदे और जनकी कायरताको बुढ़ि और अन्तरात्मासे बलिष्ठ न बना है, दूसरी ओर उसका यह भी स्वभाव है कि यदि कोई विरोधी कारण प्रबल न हों तो वह उन बातोंको जो उससे कही जायें विश्वास भी करलेता है। अब हमें यह देखना है कि सचाईका कालत्रयमें से भूत व वर्तमानमें या भविष्यत्से कुछ लगाव है? अलग अलग हम इस विषय पर विचार करेंगे।

भूत व वर्तमानसे संलग्नित सचाई।

उपस्थित प्रश्नान्तरणत सचाईका किसी इतिवत्तसे लगाव होता है जाहे काम हो चुका हो वा किया जाता विश्वास किया गया हो।

नेतिक सत्य—हमारे उस अभिप्रायमें होता है जिससे हम अपनी पूर्ण योग्यता भर किसी दूतिवतका परिज्ञान दूसरेको ठीक उसी भाँति कराना चाहते हैं जैसा हमारे जनोंको होता है।

भौतिक सत्य—किसी इतिवत्तके परिज्ञानको दुसरेके प्रति इस तरह पहुँचान वा देखा है जो ठीक जैसा है वा था।

विचार शील पाठक देखेंगे कि सर्वधा दोनों बातें एक नहीं होतीं, वहाँ सूक्ष्मअन्तर हुआ करता है। देखो, समझ है कि वक्ता स्वयं वे जाने असत्य परिज्ञानको जनमें सत्य समझ चुका हो तो वह वेसाही वतला सकता है व वतलावैगा जैसा विश्वास करता है। इस दर्शाने उसका कथन नेतिक सत्य और भौतिक असत्य होंगा। इन्हें अभिप्राय सत्य और वृत्त सत्यके नाम से भी कहते हैं। उसका विलोम, जानकर फूठ वे लना और असत्यको सत्य जानकर झूठ कहना अर्थात् वृत्त अशुद्ध कहना है। हम देखते हैं कि किसीको फटा कहते हैं तो उसे अप्रसन्नता

होती है परं जब कहते हैं कि आप गलती पर हैं, कि आपका कथन ठीक नहीं है वा आप भूलते हैं या भूल कर रहे हैं तो वह कहता है कि आप टीक बताला दीजिये ।

यदि अब भी पाठक न समझे हों तो इसे दूसरी तरह देखें । सम्भव है कि 'क' को किसी इतिवृत्तका ठीक परिज्ञान हो पर मनमें यह समझ कर कि यह भूठ है उसे दूसरेके कहे और अभिप्राय यह होकि श्रोता 'ख' को धोखा हो तो क्या होगा ? नैतिक भूठ और भौतिक सत्य । हम सत्य और विशुद्ध सत्य जान्ही बोलते हैं कि जब किसी जातको हम जानते भी ठीक हों और दूसरेके कहनेमें हमारा अभिप्राय भी यही हो कि जो जात जैसी हमारे मनमें है ठीक वह जात जैसी ही श्रोताको भी हृदयङ्गम हो ।

इस विषयमें दो बातें प्रधान हैं— एक तो यह कि प्रथम तो जो जात हम दूसरेके कहें वह ठीक जैसी ही हो जैसी हमारे चित्तपर अङ्गृहि त है नकि कोई दूसरी । दूसरे उसमें न्यूनाधिक्य यक्षिण्यत भी न किया गया हो । हम सत्य बोलें ; सत्य अधूरा न हो पूरा हो और सत्यातिरिक्त और कुछ न हो । अतः ।

यह नियम हमें निषेध करता है :—

(१) जो जात हम भूठ जानते वा जानते हों सचकी भाँति कहना ।

अतिरेचन (Exception) उदाहरणकी भाँति कोई कथन, वार्ता, कहानी या अलंकार जिसे पहलेहीसे बताया भूठ जानता हो और चतुर श्रोता भी प्रत्यक्षमें धोखेमें न पड़ सकते हों न बताका अभीष्ट ही धोखादेना हो, वरन् शिक्षा या समझनेके लिये उदाहरणवत् कहाजाय भूठ नहीं है । जैसे

पंचतन्त्रकी कहानियां, या वेदोंके अंलँकारकि वैराग्य 'ब्राह्मणों सुख मासीत्' इत्यादि । यथा कभी सुखसे भी प्राणी पैदा हुए था है, फिर पुरुषसे पुरुष केसे पैदा हो सकता है । न यही भाव है कि ब्राह्मण सुखकी भाँति गोल भोल होता है । सतलब यही है कि ब्राह्मण (विद्वान्, सदाचारी, सदगुण सम्पन्न) पुरुष समाज रूपी शरीरका स्तृतक है ।

(२) जिसका सच होना इसें न जालून हो उसे सचकी तरह कहना ।

बहुधा दूसरोंके अभीष्टकी बाधत हम भनघड़न्त कल्पनाएँ कर बैठते हैं । जो कोई बात सचकी भाँति कहता है वह अपने ऊपर इस बातका दायित्य लेता है कि इसने निश्चय कर-लिया है कि यह बात सत्य है यदि ऐसा नहो तो जाहानसे विश्वासपात्रता समूल उठ खड़ीरहे । झूठ जानकर सत्यकी भाँति कहना तो एक ओर सत्यको सत्य न जानकर उसी बातको सत्यकी भाँति कहना भी बहुत अनुचित है ।

(३) सत्य बातका इस तरह कहना कि श्रोता, के हृदयों पर मिथ्या अङ्गना हो—श्रोतागण इसे सत्य न जानें । यह कई तरह हो सकता है उदाहरण - १ इतनी अत्युक्तिसे काम लेना कि सत्य बातपर झूठका रङ्ग चढ़जाय । चाहे यह अत्युक्ति धटाकी ओर हो या बढ़ाकी ओर अथवा दोनों का समाहार । इन्होंको चाहें तो तीन भेद जानकर पृथक विचारें ।

(४) सत्य विषय विना अत्युक्तिके कहना, पर इस तरह क्रम बहु करना कि श्रोताके मनमें मिथ्या ही अँकित हो । इस बातमें बकील व पक्षपानी लेखक सबसे बड़ीपापी झुआर करते हैं ।

नीति अभीष्टमें है न कि शठदीमें । जिस पाप पर यहाँ विचार हो रहा है वह किसी दूसरे के मन पर धोखा देनेके लिये भूठ बात अङ्गुलित करनेसे ही होता है । बोलीका ढंग, अंख व शिरकी जुँविश या अन्य इशारों व ढंगोंसे भी दूसरे के मनपर ऐसाही मिथ्या प्रभाव पड़ सकता है यह पाप मिथ्या वादका ही पाप है ।

गुरु चे डा, पुत्र पितों, स्त्री पुरुष, बकील मुअकिल, क्रेता विक्रेता, न्यायपति (Judge) या (Jury) सरपञ्च पञ्च सबसे ही भूठ बोलना हर दशामें मना है । जो अति चतुर त्वरित अङ्गुल शील हृदय बाले जोव हैं उनके भी मनों पर मिथ्याका संस्कार पड़कर धोका और अनर्थ हो जाता है । जो किसीको हमारी बात जाननेका अधिकार नहीं है तो हम न बतावें पर हमें इस कारण भूठ कह कर बहकाना उचित नहीं है, क्योंकि संसारमें चाहे किसी बातके न बतानेका कारण हो पर भूठ बोलनेका कहों कोई भी कारण नहीं हो सकता । भूठ बोलनेसे यही अच्छा होता है कि हम साफ कहदे कि यह बात आप पर प्रकाश करनेकी नहीं है । कारण इसका प्रत्यक्ष है । सच बोलनेका नेतिक दायित्व पृच्छकके उस बातके यथावत जानने न जाननेके अधिकारी या अनधिकारी होने पर अबलम्बित नहीं होता । यदि ऐसा हो तो दुनियामें परस्पर बात करनेका लाभही जाता रहे । जैसी भूठोंसे बात करनेसे मनुष्य घृणा करता है और न करे तो कुछ लाभ नहीं उठा सकता न उठानेकी उसे आशा होती है । ऐसी ही जो समाजकी सार्व भौमिक स्थिति हो जाय तो विश्वास एक स्वप्र सम्पत्ति हो जाय । पढ़े पढ़े सन्देह हों और भूठका ही राज होकर प्रजाकां जीवन अतीव दुखित होजाय । हम

सोचते हैं तो प्रतीति होता है कि ईश्वरीय इच्छा व अनुज्ञा है कि हे मनुष्यो सब ही बोलो। हमें बेदोंमें सिखाया गया है कि मनुष्यो तुम परमात्मासे प्रार्थना करते रहो कि हमें विशुद्ध सत्य और सत्य ही बोलनेकी शक्ति दो और सत्य ही बोलें—‘ऋतं वदिष्यसि सत्यम् वदिष्यामि’ ‘सत्यम् जयतोति नान्तरम्’ इत्पादि। इस इच्छा व अनुज्ञाके प्रभाग हैं और हम युक्ति भी तदनुगत पाते हैं।

(१) हमने स्वभाव ही पृथा है कि सत्य बोलें व जो भुवे उसे विश्वास करें। बच्चा पहले कभी मिथ्या नहीं बोलता और जो भुनता है उसे विश्वास करतेता है। इससे जाना जाता है कि जगत् प्रपञ्चजन्य मिथ्यावादका पाप स्वाभाविक नहीं है। पुनः उसको इच्छा जगत् व्यवहारके देखनेसे पुस्तीही प्रत्यक्ष होती है व सन्देह नहीं रहता। ईश्वरने आंखें प्रकाश और प्रकाश आंखोंके लिये बनाया और उसका कोई नियम ऐसा नहीं मिलता जो एक स्थलपर पृक तरह दूसरे स्थलपर दूसरी तरह मिलता हो यह भी प्रभाण है कि उसने मिथ्याकी कल्पना की ही नहीं।

(२) हन नैतिक जीव हैं, हमारा गठन नैतिक है—हम उसके नैतिक नियमोंके तोड़नेसे दुख व यातन करनेसे उख पाते हैं। सत्य कृत्यसे जो स्वाभाविक आनन्द होता है वह भूत्ये नहीं, जो निमयेता दृढ़ता सत्यमें है वह भूत्यें नहीं, क्योंकि निस्सान्देह भूत्ये दुख होता है अतः नीति विशुद्ध है और नीतिको ईश्वरीय नौयमानुकूल सिद्ध किया जा चुका है।

(३) हमारा गठन हमारे उखके बास्ते सचाईके नियमके आधिगत्यको अवश्यकता प्रगटकर रहा है। यदि सब बोलनेका द्यग्यत्व हमपरसे उठजाय और जो कुछ हमसे कहा जाय

उसके सब जनानेका स्वभाव हममेंसे जातारहे तो सारी विद्याओं व विज्ञानोंका सिवा इसके कि जो एस व्यक्ति अपने एक जीवनमें स्वयं अनुभाव करे, अन्त हो जाय। एक को दूसरेको खोज, जांच, पहिचान, आविष्कार, विद्या और बुद्धिसे कुछ भी लाभ नहो, भाषाका अस्तित्व व्यर्थ हो जाय और परिणाम यह हो कि इस एक प्रकार पाश्विक स्थितिकक्षो पहुच लें।

(४) शाव्द प्रसाण वेदों और अन्य सच्चास्त्रोंका इतना दिया जा सकता है कि एक अन्य और तथ्यार हो जाय—
 “सत्यं सत्यु सदाधर्मः सत्यमृधर्मं सनातनः
 सत्य मेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः” ॥१॥ महाभारत ॥

याद रहे फूट फूटही है। वेत पीत श्याम कैसाहीं रङ्ग भूटको क्यों न दिया जाय फूट फूट है और उसका उत्तर सर्व शासकोंके परम न्याकारो शासकके सामने देना होगा। फूटका सबसे बड़ा दण्ड अन्तरात्मामें जड़त्वका आजाना है।

इसारे घरों—हठवा बुलाना, वहों व स्त्रियोंसे भूटे बादे करना, भूटको हँसीके काममें लाना हृत्यादि हृत्यादि वातें ऐसी हैं कि जिनके कारण इसलोगोंके बच्चोंकी नैतिक स्थिति उसी समयमें विगड़ जाती है वे उसी समयसे कायर भयभीत हो जाते हैं जबकि उनका और निर्भय और सत्यवादी होना स्वभाव सिद्ध होता है, उचित है कि वे छर और अस्तप व कायरताके नाम व रूप तकसे भी परिचित न होने पावें।

अनुवाक २

भविष्यतकी सचाई ।

भविष्यत कई दशाओंमें हमारे वशमें होता है। अतः इस उन दशाओंमें दौति विशेषानुसार अपनेको नैतिक कर्तव्यात्म-

गत प्रतिष्वांधितकर सकते हैं। जब हम किसी कामके करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं हम स्वेच्छासे उस कामके करनेका नैतिक भार अपने ऊपर लेते हैं। सचाईका नियम हमें उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये बाध्य करता है। इस विषयका यह अंश दो अवयवोंसे युक्त है एक सरल मौखिक प्रतिज्ञाएँ दूसरे लेखबद्ध टीचें (Contracts)

(१) प्रतिज्ञाओंको लेते हैं, तो प्रत्येक प्रतिज्ञामें दो वातें ध्यान देनेकी होती हैं—

(क) अभिप्राय (इरादा या Intention)

(ख) करणीय—(Obligation)

(क) सचाईकी नय धारा चाहती है कि सप्रतिज्ञ तत्प्रतिज्ञसे यही अभिप्राय या इरादा-प्रकाशित करे। जैसा ठीक उसके मनमें हो। जब हम किसीसे कह दें या किसीको प्रकाश कर दें कि हम कल उसकी अमुक सेवा करेंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं कि उससे हट जायें और भूठे हों। जैसे यह भूठ वैसे ही अन्य बातोंकी भूठ। भूठ सर्वत्र सब काममें भूठ ही है।

(ख) सचाईकी नय धारा हमें वाध्य करती है कि हमने अपने जिस इरादेको जैसा जाहिर किया है उसे हम बैता ही पूरा करें। दूसरे शब्दोंमें हमारा धर्म है, हम सत्य धर्मसे वाध्य हैं कि हमने जो आशा अपनी निज इच्छासे दूसरेमें पेदा कर दी है उसे पूरी करें न कि इसके प्रतिकूल। जिस भावसे तुमने चाहा था कि तत्प्रतिज्ञ तुम्हारी प्रतिज्ञा ग्रहण करे उसीके अनुसार ठीक ठीक तुम (प्रतिज्ञा-कारी)-वाध्य हो। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम फठी प्रतिज्ञा करके दूसरेको घोका दें और उसे किसी तरहकी

हानि, सामिक, शारीरिक हो वा साम्पत्तिक—पहुँचावें। जो कुछ हमने उपरके अनुवाकमें कहा है उसके देखते हमें व्यर्थ जान पड़ता है कि हम यहाँ इस बातका पिछलेषण करें कि प्रतिज्ञाएँ कैसे भझ हो जाती हैं व प्रतिज्ञाओंका यथावत पालन न करना ईश्वरीय नियमोंका तोड़ना है। हम अपने विचारशील पाठकोंसे आशा करते हैं कि वे इसी मरहलके पूर्वके अनुवाकको पढ़कर इस साधारण बातको भली भाँति जान लेंगे।

अतः अब हम इस बातका विचार करते हैं कि किन दशाओंमें प्रतिज्ञाओंका पालन हमपर अन्धन नहीं होता इससे भी विलोभावस्थाका अहुत कुछ अनुमान होगा—निम्न हितियोंमें प्रतिज्ञाका अन्धन नहीं हो सकता:—

Promise, Promisee & Promiser = प्रतिज्ञा, तत्प्रतिज्ञा, सप्रतिज्ञ।

जब प्रतिज्ञा पालन असम्भव हो। जो बात प्रत्यक्ष हमारे वशके बाहर है उसका हम केसे पालन कर सकते हैं अतः प्रतिज्ञाका करना और तत्प्रतिज्ञको उसके पूर्ति की आशा करना सर्वथा अन्धतम कृतियाँ हैं। ऐसी प्रतिज्ञा-ओंके नैतिक लक्षण उन दशाओंसे जिनमें प्रतिज्ञा हुई थी विभिन्न होती हैं। यदि हमने कामकी असम्भवताको न जानकर धर्मानुकूल प्रतिज्ञा की और हम उसे पूरी करनेकी चिट्ठा भी ठीक रखते थे तो हम परमात्माके दरबारसे निर्दीषी प्रमाणित होकर छूट जायेंगे। जो दैवी कारणोंमें हमारे अभिप्राय पूर्ति में वाधक हो हमें रोक लिया तो हम निर्दीष हैं। जैसे हम नहीं जानते कि गूलरका फूल नहीं होता तो हमने कह दिया कि हम ला देंगे, पीछे ठीक बात महुआ नहीं तो

हमारा क्या दोष ? अधवा हमने कहा कि हम कल तुम्हारा छप्पर उठवा देंगे और हमें ऐसा जबर हो गया कि हम अयोग्य हो पड़े रह गये तो हमारा क्या दोष ? हाँ, जो हम जानते हों कि गूलरका फूल नहों होता फिर बादा करते कि ला देंगे तो अलवत्त हम भूठ बोले । क्योंकि हमने वह अभिप्राय प्रकाश किया कि जो हम पूरा नहीं करने वाले, हमारे मिथ्या प्रतिज्ञाके पापसे जो ज्ञाति तत्प्रतिज्ञको हो उसका पूरा करना सप्रतिज्ञपर धार्मिक बन्धन है ।

(२) जब बादा (प्रतिज्ञा) धर्मशास्त्र, वेद और शान्तिरक्षार्य राजकीय प्रचलित न्याय धारा विरुद्ध हो तो न सप्रतिज्ञ (प्रत्यज्ञा करनेवाला) ऐसी प्रतिज्ञा सरमेका अधिकारी है न तत्प्रतिज्ञ उसके पूर्तिकी आशा करनेका अधिकार रखता है । निर्दोषीसे दोष करानेकी आशा कभी धर्मानुकूल नहों हो सकती । सप्रतिज्ञको तुरन्त अपनी भूल मानकर प्रतिज्ञाकी अपूर्तिका समाचार तत्प्रतिज्ञको कर देनी बस है नहों तो योहासा नैतिक कलुष अवश्य बादा करने वालेकी अन्तरात्मापर लगेगा क्योंकि जानकर मिथ्या बात कही गई ।

(३) जब तक सप्रतिज्ञ स्वेच्छासे कोई आशा अपने प्रतिज्ञा द्वारा दूसरेमें उत्पादन न करे वह उस बादेको पूर्तिके बन्धनसे अलग है । आज कलके गोराङ्ग शासन चौकीके कुत्ते धमकाकर, मारकर और बड़ी बड़ी अनीतियोंसे प्रतिज्ञाएँ देंटते हैं तो ऐसी प्रतिज्ञाओंका पालन बन्धन नहों होसकता तभी तो गोरों राजनीतिमें भी पुलिसके सामनेके बयान व कार्यवाहियाँ न्यायालयोंमें योड़ी भी विश्वासपात्र नहीं मानी जातीं । जो 'क' ने 'ख' से कहा कि वह 'ग' को पृक हाथी देगा और 'ख' ने 'क' की विना सर्वे ही 'ग' से कह

दिया कि 'क' तुम्हें एक हाथी देगा तो कोई वादा न हुआ हाँ यदि 'क' ने 'ख' से कहा कि 'ग' से कह देना कि मैं उसे एक हाथी दूँगा तब तो ठीक ही है अवश्य वादा हुआ—

(४) यदि दोनों पक्षोंके ज्ञानमें कोई प्रतिज्ञा सप्रतिबन्ध हुई हो और वह प्रतिबन्ध यथावत् सही न हुआ हो तो प्रतिज्ञा भङ्गका दोष नहीं लग सकता । राधामोहनने वादा किया कि जब तक धर्मदेवका अभियोग चलेगा मैं प्रतिमास १०) खर्चको दूँगा वह अभियोग दूसरे ही दिन न्यायालयसे उठा लिया गया तो राधामोहनपर प्रतिज्ञा पूर्ति का कोई भार शेष नहीं रहा । इसी तरह और अनेक घातोंमें हम देख सकते हैं—जो पानी न घरसा तो मैं आपसे मिलूँगा पानी घरसा तो प्रतिज्ञा पूर्ति का भार शेष नहीं रहा ।

(५) जबकी प्रतिज्ञाका भावार्थ ही स्पष्टतया बतलाता है कि प्रतिज्ञा वह करणीय है कि जिसमें दो चतुर नैतिक कर्ता पड़ते हैं तो जहाँ दोनोंसे एक भी नैतिक अचातुर्य युक्त पक्ष होगा कोई करणीय (Obligation) नहीं हो सकता । बालक, विक्षिप्त, बुद्धि भूषित रीगी व बहुके साथ किसी प्रकार यथावत् प्रतिज्ञाकी आशा हम उसी तरह पर नहीं रख सकते जैसे कुत्ता, विक्षी, बन्दर, आदि पशुओंके साथ । किसी पागल या बालकको वहकाकर उसे घर या विक्षिप्तालयमें पहुँचाना और उसके शिक्षक या रक्षकको सौंपनेको लेजाना धोका नहीं है न वहकानेमें जैसा कहा गया है भूठ है क्योंकि वे कुछ समझ ही नहीं सकते कि नीति क्या है और सत्यासत्यमें क्या अन्तर है और जो किया जाता है वह शुद्ध बुद्धि उनकी ही भलाईके लिये किया जाता है जिससे परमात्माकी आज्ञाका पालन होता है अतः वह पाप नहीं पर ऐसा करने वालेको शाहिये कि अपने

स्वभावको विगड़नेसे अधारनेके लिये जहांतक बने इनसे क्या पशुओंसे भी भूठ न थोड़े। पशुओंको गाली देना उससे बादा करना जैसा ग्रामीन गाड़ीबानों य दूसरोंमें देखा जाता है यद्यपि कोई नैतिक बन्धन मनुष्य जातिमें हानिकर होने वाला नहीं हो सकता पर निज स्वभावको हानिकर होनेसे एक प्रकारकी अनीति है जैसा ही यहां भी जानना। पर यहां इतना इस बातसे विचारना है कि जितनी थोड़ी हानि उससे निज स्वभावको होती है उससे कहीं बढ़कर परोपकार बालक व पागलके साथ किया जाता है अतः अनीति न जाननी चाहिये वर्तमान न्यायतक भी इस बातको मानता है धर्मसे परायण आर्थ्य जातिका तो यह भत है ही ।

अन्तमें यह बात परमावश्यकीय है कि जो बादा किया जाय बहुत सीच समझकर हरएक पार्श्वकी यथावत परीक्षा निरीक्षा करके किया जाय। जो लोग विना विचारे बादे करलेते हैं वे प्रायः अष्ट प्रतिज्ञा, असत्य बादी, अधर्मी और कभीने स्वभावके लोग होते हैं या धीरे धीरे हो जाते हैं। ऐसे लोगोंमें कहकर बदल जाना, बादा पूरा न करना, जो दोष ईश्वरके सामने व जगतके सामने महान दोष गिने जाते हैं एक साधारण बात होती है पर इसका परिणाम इसलोक व परलोक दोनोंमें बड़ाही भयानक होता है। कभीनी जातियोंमें ही ऐसा अधिक होता है कि प्रतिज्ञा भङ्ग करते लिखकर देदें छपबादे 'हम यों बादा करते हैं हम ऐसा करने-की सप्त ईश्वर नान पर करते हैं' और कुछ नहीं करते ऐसी कभीनी जातियों और व्यक्तियोंका विश्वास लोग न करें।

टीप (सुआहदः)। प्रतिज्ञा और टीप अर्थात् सुआहदः में यही भेद है कि प्रतिज्ञा एक पक्षसे होती है चाहे उप्रतिवन्ध-

हो या अप्रतिबन्ध उरन मुआहदोंमें उभय पक्षोंकी प्रतिज्ञाएँ होती हैं वह भी बास्तवमें प्रतिज्ञाएँ ही हैं।

प्राचीनकालके अनेक लोगोंकी बातोंसे तो यही प्रतीत होता है कि दोनों एक ही हैं। कोई सौखिक व लैखिक भेद ही बताते हैं। पर वर्तमानमें जबकि अठूट बेहमानी देशमें अधिक लादकर लाई गई है, अर्धावर्तमें उस प्राचीन धर्मका लोप सा हो गया है, जिसके बलसे भारत निवासी अपने घरोंमें कभी ताला नहीं लगाते थे (देखे हार० शा० चीनीका कथन प्राचीन भारतकी बाबत मूल, अन्यमें वा श्रीयुत सर रमेशचन्द्र जीका लिखा भारत इतिहास), तो हमें इसके भेद फिरझ़ियोंकी ही भाँति करने पड़ेंगे । कि

टीपकी विशेषता यह है कि यह दुतरफा प्रतिज्ञा होती है एक एक बातके करनेकी प्रतिज्ञा दूसरेसे करता है, प्रतिबन्ध यह होता है कि दूसरा भी उसके साथ एक प्रतिज्ञा करता है। मैं अपना घोड़ा कल आपको स्टेशन तक चढ़कर आने जानेके लिये द बजे भेज दूँगा । प्रतिज्ञा है ।

(ख) मैं अपना घोड़ा आपके बासने कल खड़ा रखूँगा आप चाहें जब सवारी है, मान लें कि मेरा घोड़ा कलके बास्ते आपको इतनेमें भाड़े हो चुका । दूसरा कहता है कि कल मैं घोड़ेका इतना भाड़ा तुम्हें, घोड़ा लूँगा, तो दूँगा न लूँगा तो उसका आधा हरजानेकी भाँति दूँगा पर जो तुम घोड़ा दूसरेको भाड़े दे दोगे तो मैं तुमसे इतना हरजाना लूँगा । इस तरहपर परस्पर उभय पक्षमें जो प्रतिज्ञा बन्धन होते हैं उसे टीप वा मुआहदा कहते हैं।

हम आगे चलकर मुआहदाके अङ्गोंका विच्छेद करके खूब स्पष्ट कर देंगे । जब तक प्रस्ताव, स्वीकृति व अनुसोदन-ठीक

ठीक समझमें न आ जाय, टीप शब्दका समझमें आना कठिन है।

इसमें अर्थद्योतक नियन्त्र, करणीय वन्धन होनेके कारण, और कर्तव्य अतिरेचन (Exception) तीनों ठीक प्रतिज्ञाके इसी तनान होते हैं विशेषता इतनी जाननी चाहिये कि इसमें एक प्रतिवन्ध विशेष लगा होता है जिससे कर्तव्य (करणीय) परमित होता है। उत्तराभ् टीप हो जानेके पीछे जब एक पक्ष अपने भागका पालन करता है दूसरेको भी अपने भागका पालन करना पड़ता है नहीं तो किसी पक्षके सिविलतासे अर्थात् स्वीकृत प्रतिज्ञानुकूल नकरनेसे दूसरा पक्ष भी अपने प्रतिवन्ध-नसे मुक्त हो जाता है, न केवल मुक्त ही हो जाता है बरन अपने हरजानेके पानेका अधिकारो बन जाता है—इस टीप भङ्ग करनेके कारण जो कुछ भी हरजाना निर्णीत हो। नीतिमें एक पक्षीय प्रतिज्ञासे पारस्परिक प्रतिज्ञाको पहिचानके लिये इसे टीप कहते हैं।

सू० प्रतिज्ञा या वादाको छोड़कर पारस्परिक प्रतिज्ञा वा मुआहिदा एक वह, दो या अधिक पक्षान्तरगत, पारस्परिक प्रतिज्ञा स्वीकृति है जो किसी यथेष्ट प्रतिफलके निमित्त हुई हो कि कोई कान किया जाय या न किया जाय। किसी टोपका विचार जो एक पक्षकी ओरसे पहिले किया जाता है उसे प्रस्तावना = तजवीज कहते हैं, जब प्रतिपक्ष उसे स्वीकार कर लेता है तो वह स्वीकृति होती और उसे टीप प्रतिवन्धनमें जानना चाहिये पर प्रस्तावक जब प्रत्युत्तरमें अपना अनु-सौदन देता है तब प्रतिवन्धित होता है। जो एक प्रस्तावके प्रत्युत्तरमें स्वीकृतिके साथ दूसरे पक्षने कुछ बात घटाई बढ़ाई

अब हमें यहाँ यह देखना है कि सारी टीप क्या है अर्थात् किसी कार्यके करनेकी टीप और वह टीप जिससे हम उस सम्बन्धमें प्रविष्ट होते हैं जो हमारे सुष्ठाने स्थिर किया है । जैसे: —

(१) साधारण क्रय विक्रय—ये ने वे से १० रुप गेहूँ लेकर कहा हमारे घर पहुँचा दो दास ले लो, जो दास ये-ने नहीं दिया तो वे गेहूँ देनेको वाध्य नहीं हो सकता । न बिन ये के गेहूँ देनेको 'व' धन देनेको वाध्य हो सकता है ।

(२) धरती आदि अनेक क्रय विक्रय, लेन देन, स्थाई हों वा परमित समयकेलिये, जहाँ टीप पक्की हुई हो टीप तोड़ने

हो तो वह नया प्रस्ताव दूसरे पक्का भाना जाता है । हमने क से कहा कि क्या आप हमारा घोड़ा १००) में ले सकते हैं— वह उत्तर देता है—हाँ, तो वह बंध गया पर हम, जब तक यह न कह दें कि अच्छा हमने दिया, नहीं बंधे । पर यदि मैं कहूँ कि मैं अपना घोड़ा १००) में बेचता हूँ तुम लो तो ले लो और दूसरा कहे लेता हूँ तो टीप पूरी हो गई । (कभी कभी बघाना या लिखतकी आवश्यकता होती है क्योंकि आचाकल बेहोमानी कहाली बढ़ गई है लिखा पढ़ी व स्टाम रजिस्टरी बहुत चल पड़ी हैं ।) जो दूसरा कहे नहीं मैं १००) रु० को तो नहीं ५५) रु० को लूँगा तो यह उसका प्रस्ताव तुझा पहला प्रस्ताव जाता रहा । बदला प्रति दान चाहे धन हो या प्राकृतिक सम्बन्ध या ग्रेस पर जो कुछ भी हो न्यायधारा- नुकूल हो प्रतिकूल नहीं । अनैतिक बदला नहीं हो सकता, जैसे; कोई किसी अन्यकी स्त्रीसे रूपये के बदले या और तरहके प्रतिदान पर कभी सहवासकी टीप नहीं लिखा सकता

वालेको समाज उसके पूरा करनेको वाध्य कर सकता है या हरजाना दिला सकता है ।

(३) छड़का गोद देना, धर्म भाषणार या सम्पत्ति आदिकी सौंपकी टीचं भी होती है ।

(४) पति पत्नीकी, पञ्चायत और परमात्माके सासने, यावज्जीवनके लिये धर्मवन्धन भी टोप होती है । यह टीप नीच जातियोंमें दूसरी दृष्टिसे देखी जाती है । जब चाहा पतिने अथवा पत्नीने अपने सङ्गीको छोड़ दिया दूसरा कर लिया ; योगे धर्ममें ही विवाद सिट जाता है । किसी किसी जातिमें स्त्री दूषी सम्पत्ति परिवर्त्तनके लिये नियम व न्यायालय भी पृथक् बने होते हैं ।

इत्यादि—जहाँ टीपमें कुछ लिखा नहीं होता मान लिया जायगा कि भीतरी भीतर कुछ प्रतिदान है । टीप कई भाँतिकी हो सकती हैं जैसे विक्री, किराया, ज्ञाय टीप आदि नौखिक व लैखिक दो भेद प्रत्येकके हो सकते हैं । स्थावर जङ्गम सम्पत्तिके भेदसे भी किसी देशमें किसी किसी सभय टीपोंने भेद होते रहे हैं क्योंकि स्थावर सम्पत्तिका अधिकार जितना सविवाद होता है उतना ही जङ्गमका निर्विवाद होता है । चार तोटा सोना चाहे जहाँ बैच लें भगड़ा नहीं है पर चार बोंधा धरती बैचे तो हमारा दूसरा भाँड़े जिसका आधा स्वत्व है क्रेतासे छोन सकता है । हमारा कास यहाँ टीपको नैतिक दृष्टिसे सोटा जोटो देखनेका है शेष बातें धर्मशास्त्रोंमें हैं देख सकते हैं, साथ ही यवन शासन न्याय धारा और फिरङ्गी न्याय धाराओंमें उनके भत देख सकते हैं । सुनियोरने जैसा लिखा है प्रायः बेसा ही फिरङ्गीयोंने ज्ञाय किया था लिखा है ।

हम इस नीच प्रथापर अधिक न कहेंगे स्यात् अन्य देशी लुरा मानें पर इतना कहना धर्म समझते हैं कि विवाह-टीप विशेष धर्म-टीप है साधारण सम्पत्ति टीप नहीं। सभ्य समाजके सामनेही यह टीप पक्की नहीं होती बरन परमात्माके सामने अतः आर्थ्य सन्तति इसे अन्योंकी मांति 'सिविल सोसाइटीका एक सिविल एकेजर' (Civil affair of Civil society) जड़ सान्यपत्तिक विषय नहीं मान सकती। इसाई धर्म चाहे मकानोंकी तरह स्त्रियोंके भाङ्को भी रजिस्ट्री कच्छहरीमें कर दे और टीप तोड़ना उचित लिखा है पर हमें इन महात्माका इस विषयमें कोई बुद्धि गम्भीर्य नहीं दीखता पर, उन्होंने अपने देशका मङ्गल समझ कर ही कहा होगा ।

पुरुषके मर जाने पर या स्त्रीके मर जानेपर ही यह टीप टूटती है पर पूर्ण धार्मिक लोग (स्त्री हीं या पुरुष) शेष जीवन मर ब्रह्मचर्य पूर्वक निर्वाह करते हैं जहीं तो अन्य एक स्त्री या पुरुषसे नया संयोग करलें। हमारे रजवाइंसें कुछ पहले तक सौभाग्यवती युवतियोंके साथ व्यभिचार देखे जाने पर दोनोंको अर्थात् परकीया व उपर्यातिको ऐसा कठोर दण्ड मिलता या कि जिससे फरंगियोंके चरण आनेके पहले व्यभिचार फूटकी ही तरह यदा कदा ही कभी देखनेमें आता था। उं० १९५४ से पहलेके प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत मिलते हैं।

पतिके मरनेपर स्त्रियोंको यावज़ीबनके लिये दूटी टीपके अधिगत करना और पुरुषोंको भरनेके दिनतक स्त्रीके होते व न होते हर सरह इस धार्मिक टीपके तोड़नेका अधिकार

दे देना, पुरुषोंकी बेईसानी, दंगावांजी और पक्षपात परायणताके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । स्त्रियोंके व्यभिचार और पुरुषोंके व्यभिचारमें टीप भूँ करनेका अपराध एक समान दरडनीय है पर बेईसान लोग अपने वास्ते दूसरा न्याय बनाते हैं दूसरे जातिके वास्ते दूसरा न्याय । एक स्त्री व्यभिचारमें पड़ी देखी जाय तो धरती और आकाश एक कर दिये जावें पुरुष रात दिन विद्वा खाते फिरें पर फिर भी समाज उन्हें अपने चाय रहने बैठने खाने पीने देता है और तिरस्कार बहिष्कार नहीं करता यह बेईसानी नहीं तो क्या है ? इस दशामें हम किस मुंहसे फिरङ्गियोंको दोष दे सकते हैं कि वे पक्षपात करते हैं और दरड संग्रह और दोषियोंकी पहताल प्रक्रियामें खदेशियोंको एक नियमसे बर्ताते हैं और हमें दूसरे नियमसे । हमारे अन्तःकरणमें द्वचयं न्यायं नहीं तो दूसरे हमपर जो अन्याय करें उसे ईश्वरका भेजा बुझा हमें उचित दरड सान कर चिरोधार्य करना चाहिये ।

यह कहना अनुचित न होगा कि जिसतरह स्त्री पुरुष दोनोंको धार्मिक होना चाहिये, जोहेके सिलने पहले व बिछड़नेके पीछे ब्रह्मचर्य ही सार जानना चाहिये, विवाह ईश्वरीय आज्ञाके पालन करनेको धार्मिक उद्देशसे सनुष्यको करना चाहिये वैसे ही सचाईका चिह्नान्त सर्वत्र एक रस निष्पक्ष चार्वामौमिक होना उचित है । व्यक्तियों और समाजोंमें जितना यह प्रतिवन्ध निष्पक्ष संत्यका होना उचित है उतना ही व्यक्तियोंमें परस्पर और समाजोंमें भी परस्पर होना उचित है । समाजका व्यक्तिके साथ असह बर्ताव वैसा ही तुरा है जैसा व्यक्तिका समाजके साथ । इस दशामें वर्गों, जातियों, समाजों पर कितना बड़ा और चब्ब्योहारका

न होना चाहिये ? इन्हें तो अधिक धर्म, सत्याई और प्राप्तताकी ज़रूरत है । पारस्परिक सन्धि पर्योंका तोड़ना यदि न हो, सत्याई ठीक ठीक हो, तो व्युधा मानवीरक पात न हुआ करे, किसी जातिको दूसरे जातिके स्वत्य तोड़ने छोलनेका अधिकार नहीं है । प्रबलका निर्वल पर, सभ्यका असभ्य पर अथवा सूर्ख पर परिषटको जिसतरह समाजमें व्यक्तियोंमें किसी अत्याधारका अधिकार नहीं है (क्योंकि यही ईश्वरी इच्छा है) उसी तरह जातियोंका जातियों पर किसी काइयासे धीर्गा-मुस्तीका अधिकार नहीं है, जो जाति ऐसा करती है जलदी ईश्वरके प्रकोपसे नष्ट हो जाती है, हमें हतिहास व धर्म ग्रन्थ इस बातकी साक्षी दे रहे हैं ।

उस न्याकारी परमात्माने जन्म, मृत्यु, खानपान, हाथ, पैर आदि सब समान बनाकर कभी यह नहीं चाहा कि सिवा अपनी भूलके कभी कोई माली दूसरेके अत्याधारोंसे दलित हो । जो दलित होता है उसकी भूल कायरता और क्लीवता है, जो दलता है उसको भी भूल कायरता और निर्दयता व दुष्टता है ।

हम सत्यको दृढ़ होकर ग्रहण करें जिससे हमारा ईश्वर-मात्र राजा हो और सत्यमन्त्री हो धरामगहल हमारा शान्ति-मय घर और सजाति (ननुष्य) मात्र हमारे सहोदर और प्राणी मात्र हमारे दयाके पात्र हीं ।

उसने खानेको उद्दिज पदार्थ पीनेको पानी और सारे खुदके सामान जड़ पदार्थों द्वारा देकर हमें स्वतन्त्र सिरजा है केवल एक जीतिका कड़ा हमारे हाथोंमें डाल दिया है जो इस धन्धनसे मुक्त होकर आचरता है उसके पैरोंमें लोहेकी बेड़ियां पड़ेंगी, जो इस धन्धनसे प्रसन्न हैं वही परमात्माका लाहुला भाताका झुपात्र मुक्त है ।

अनुवाक ३

श पथ-सौगन्द ।

समाजको प्रायः कृत्य विशेषकी बातोंको यथावत जाननेकी आवश्यकता होती है, यदि किसी विवाद ग्रस्त बातकी सचाई समाज न जान सके तो वह कोई व्यवस्था न दे सके, जिससे दोषोंको दरह व निर्दोषोंका संरक्षण हो, और न्याय करना दुसराध्य हो जाय। हर वृत्तके या तत्सम्बन्धिती घटनाओं और दशाओंके जाननेको कार्य कारण न्यायानुसार और मानवी समाजको स्वाभाविक स्थितिको देखते हमें साक्षियोंकी आवश्यकता होती है। अतः इतिवृत्त ज्ञानाधार प्रायः साक्षि ही हो सकते हैं यदि साक्षी हीं और वास्तविक सच्ची साक्षी हों।

इसी सत्य बोलनेके दायितव्यको गुरुतर करने व नैतिक रूपसे साक्षीको सत्य बोलनेको बाध्य करनेके निमित्त, साक्षीके साधारण मानसिक सिद्धान्तोंपर उससे सौगन्द इस बातकी ली जाती है कि वह सत्य बात जो जानता हो कहे तो समाज यथावत व्यवस्था देनेको सजर्ण हो और मेसा न हो कि मानवी अत्पञ्चताके कारण ईश्वरकी प्रजापर कोई अन्याय न्याय समक्षकर समाजके हाथोंसे हो पड़े।

शपथ करनेवाला शपथ लेकर भूठ बोलनेकी अवस्थामें ज-केवल अपनेको प्रकट होनेपर सामाजिक दरहका पात्र बनाता है किन्तु मिथ्या शपथ करनेके पापमें वह ईश्वरीय दरहको भी आह्वान करता है, यह मानी बुर्ड बात है।

नाना देशोंमें नाना प्रकारकी प्रथाएँ शपथ लेनेकी प्रचलित हैं। वेदोंमें यह प्रार्थना आती है कि हे परमात्मन्! मैं

सत्य बोलूँ सें यथार्थ ही कहूँ । यही एक रीति है कि हम ईश्वरसे सहायता मांगते हैं । मुझमें वह सत्य बोलनेका बल व साहस दे कि कोई ऐहिक कारण स्वार्थ, भय, जोह आदि मुझे सत्यसे विचलित न कर सके जो करें तो अप उचित व्यवस्था कीजिये, रोकिये और दण्ड दीजिये । वर्त्तमान ग्रणाली यह है कि सें व्यापक परमात्माको साक्षी करके सत्य कहता हूँ—अर्थात् व्यापक परमात्मा ही ठीक ठीक जान सकता है कि सें सत्य कहता हूँ या भूंठ, जो भूंठ है तो वह राजा औंका राजा जगन्नाथ मुझे दण्ड दे । अतः मूल सिद्धान्त शपथका जो प्रत्यक्षमें अनुमान किया जा सकता है यह हुआ कि—

(अ) मनुष्य स्वभावसे ही सत्यवादी है यदि कोई ऐहिक कारण वशात् मात्रबो स्वभाविक प्रक्रिया विरहु चलनेका साहस भी होता हो तो हम ईश्वरको याद करके उसके भयसे सत्य बोलें । इस दशामें हमें वकारकी वातका विश्वास करना पड़ता है जबतक कोई प्रबल प्रत्यक्ष कारण इसके विरहु न हो ।

(इ) यह बात अनुभवसे मान ली गई है कि स्वार्थसे प्रेरित मनुष्य भूठ घोलता है वा बोल सकता है अतः उसे किसी तरह सत्यपर वाध्य करना उचित है ।

(ब) मनुष्यको स्वभावसे ज्ञान है कि हमें सचसे अधिक लाभ है अथवा अधिक हानि भिट सकती है अतः भूठ न बोलूँ । इसी बातकी चेतावनी शपथ देना वा लेना है । क्योंकि सामाजिक सुप्रबन्ध महानतम भानवी लाभ है, समाजका गठन ही सावं भौमिक लाभके आधार पर है ।

(ए) ईश्वर सर्व शक्तिमान जगन्निवास है उसकी अनुच्छेद और आशीर्वादसे हमें सब खुल प्राप्त हो सकते हैं । उसकी

क्लूर दृष्टिसे हनारा सर्व नाश हो जाता है, साथ ही उसकी इच्छा, आज्ञा और शिक्षा है कि हम सत्य बोलें जिसको सब जानते व सानते हैं तौ शपथ उसके नामके साथ देकर मानों उसे मङ्गल सार्ग दिखलानेकी चेष्टा होती है व कहा जाता है कि सत्य नांगालिक सार्ग है तुम उसी पर चलो। जो मनुष्य इसे जैसा कहते हैं माने तो निस्सनदेह जगत् का मङ्गल ही मङ्गल हो किन्तु सत्य और सिद्धा भवण नैतिक स्थितिपर निर्भर है। अनेक विना शपथ ही कभी भूठ न बोलेंगे चाहे प्राण जाते रहें, कितने ही शपथ पर शपथ उठा सकते हैं पर बोलेंगे भूठ। हाँ थोड़े लोग ऐसे भाँ हैं जो शपथसे कुछ भयभीत हो जाते हैं। इस भयको स्थिर रखनेको ही सिद्धा शपथका दण्ड समाजने रखा है कि जिन्हें वर्तमान लाभ अपनी ओर खोच लेता है और परमार्थ व समाज रक्षाकी परवाह नहीं करते व भूटों शपथ लेते हैं वे कहसे कम दरहके ही भयसे ऐसा न करें। अतः बहुतोंका कथन है कि शपथ लेना उचित है—दूसरे कहते हैं कि शपथ की प्रणाली उचित नहीं है—दोनों तर्क क्रमसे यों देखें :—

(१) शपथकी रीति अनीति जन्म्य है—उचित नहीं है।

(२) धर्म ग्रन्थोंमें शपथ लेना निषिद्ध है फिर हाँ या नाके सिवा जा कुछ भी कहें उसमें अक्षर सात्रा, और शब्दके अवश्य ही हैर फेर होंगे तो इस तरह पारिमायिक ('Technical') भूठसे बचाव कहाँ है।

(३) यदि कोई नैतिक ज्ञान या सानकी समझकी निर्वाचतासे भूठ बोलपेहँ तो उसके चिरञ्जखद मुक्ति खुखमें वाधा हो ऐसे कामके करानेका अधिकार एक मनुष्यको दूसरे पर नहीं है। जो ऐसा होता है अन्याय है।

(ग) किसी व्यक्तिको अधिकार नहीं कि वह इस तरह एक बातके बास्ते अपनी आत्माको इतने बड़े भयमें डाले नितान्त मूर्खकी बात दूसरी है।

(घ) शपथ उठानेसे हमारे दिलमें सौलिंक सत्यभाषणका प्रभाव घट जाता है। शपथसे ही सत्य बोलते हैं विना शपथ भूठ बोलना पाप नहीं सानने लगते। आरम्भार ईश्वरके नाम पर शपथ उठानेसे हमारे मनोंसे ईश्वरीय प्रेम और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। सार यह कि शपथ मनुष्यको सत्य और ईश्वरीय प्रेमसे विद्युत करता है।

(ङ) जब भृट बोलनेका दराह है तो फिर अन्य सामाजिक दोषोंकी तरह भूठ भी हुई फिर इसमें जीवात्मा पर एक और पारंलौकिक बोझ क्षणों छादा जाय परडोकका बन्धन क्षणों लगाया जाय।

(च) अनुभव सिद्ध बात है कि जो कभी शपथ नहीं लेते शपथ लेने वालोंसे अधिकतर सत्य बादी होते हैं।

(२) दूसरा पक्ष कहता है कि—

(अ) धर्म ग्रन्थोंमें व्यर्थ शपथ लेना मना है निकि ह्याय-लयोंकी सहायतार्थ जो समाजकी शुभचिन्तक संस्था हैं।

(इ) पहले भी सहात्माओंमें शपथकी प्रथाका होना इतिहास सिद्ध है।

(उ) प्राचीन धर्म शास्त्रोंमें भी शपथकी प्रथा उचित मानी गई है।

(ए) सिद्ध्या वादकी दोक आवश्यक है अतः ऐहिक व पारमार्थिक दोनों प्रकारके बन्धनका होना आवश्यकीय है।

दोनों पक्षोंको देखकर और अपनी तर्क बुद्धिसे पूर्वापर पक्षोंके समर्थन व समर्थनके और कारणोंको ढुँढ कर पाठक

समझ लें कि कौनसा पक्ष ठीक है । हम अपनी सम्मति इन तर्कोंके देखते यही दे सकते हैं कि शपथके विरोधी पक्षका तर्क पुष्ट तर है । केवल सत्य बोलनेकी साधारण प्रतिज्ञा बहुत यथेष्ट है शेष आडम्बर अनुचित; तर्क विहीन और अधर्म सम्पादक है । अधिक तर्क दोनों पक्षोंका दिखलानेसे एक छोटासा पृथक लेख हो जायगा, इस बास्ते हम इतनेहीमें अपनी सम्मति उभास्त करते हैं । वे दोनों शपथ लेनेकी प्रथा का हमको पता नहीं सिलता । जिन मन्त्रोंको आर्थ्य समाजकी बादानुवाद समितियोंमें हमने शपथके अनुकूल पक्षको उठात करते भुना है वह सब उनके अर्धे न समझनेके कारण या अर्थों को मङ्गोड़कर अपना अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये प्रतीत हुए ।

ईश्वर प्रार्थना करना दूसरों बात है और शपथ दूसरी बात है ।

जिस दशामें कि देशमें यह कुप्रधा प्रचलित है इस दशामें हम यही कहेंगे कि मनुष्योंको चाहिये कि शपथ लें या न लें पर जो कहें सत्यही कहें क्योंकि न्याय सबके लिये समान हितकारी है आज हम भूठ बोलकर काम निकालेंगे कल दूसरा हमारा विरोधी ऐसा ही करेगा और समाज दुखका आकर हो जायगा जो अब भी कम दुखका आगार नहीं है ।

शपथमें समय भेद भी होता है—एक तो गत समयकी बात को यथार्थ कहना, दूसरे आगेको किसी कामके करनेकी शपथ लेना । दूसरों बात तो और भी अधिक धृणित है । भूत कालकी बात तो हम जो जानते हैं ठीक कहाँगे जो नहीं जानते, कहाँगे नहीं जानते या याद नहीं ।

पर भविष्यके सम्बन्धमें शपथ लेना महान् अर्थ निस्सार और सूखता व कुविचार जनित काम दोनों पक्षोंके लिये ही बुरा है ।

मण्डल दूसरा ।

कर्तव्यलिंग भेदेषु

कामसंयम्

अनुवाक १

प्रकट है कि परमात्माने जहाँ और सम्बन्ध और मानवी संवठन जन्य इच्छाभीं और उनकी परितुष्टिके साथन बनाये, वहाँ पुरुष स्त्रीको भी बनाया कि यह साथ रहें और अन्य आङ्गतोंकी भाँति कामकी भी दृसि करें। क्योंकि जो इनका संयोग हो ही नहीं तो प्रजा निर्विज हो जाय जो अन्धा धुन्थ संयोग हो कोई क्रम सीमा या सर्वांदा न हो तो नष्ट अष्ट रोगी व कुमारी हो जायें; अतः—संयोग जहाँ ईश्वरीय इच्छाके अनुकूल पाया जाता है वहाँ यह भी है कि उसकी उसने कोई सीमा व सर्वांदा बना रखी होगी इसी बातका पता लगाना नीति दर्शनका काम है ।—

इसीका नाम है 'कामसंयम्' यह पुरुष स्त्रीमें समान नियमके साथ वर्तते हैं। स्त्री व पुरुषमें इनके मात्राकी कमावेशी नहीं है, सबल निर्बल या और तरह किसी शारीरिक कारणोंसे यदि कामका प्रभाव अधिक या कम व्यक्ति विशेषमें देखा जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि कामकी मात्राकी तारतम्यता है वरन् यह समझना होगा कि कोई अन्य भौतिक कारण काम करता है। जैसे एकी मात्रामें गरमी होती है यह नहीं कि हमारे निमित्त १०५ कक्षा पर व दूसरेके लिये ८५ कक्षा पर पारा रहता हो, पर कोई तो गर्मीकी आत्यन्ते भर जाता है कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं भान करता। अब परमात्माने पुरुष व स्त्रीमें एक ऐसाभान

(Feeling) दिया है कि जिससे वे जष्ठ विष्वाह सम्बन्धसे यो-
गित हो जाते हैं तो एक दूसरेके ध्यभिचारको छुन व देखकर
एक समान पीड़ित मन होते हैं । ब्रितना दुःख एक पति-
ब्रताको अपने पतिके ध्यभिचारसे होता है उतना ही स्त्री
ब्रतको अपने स्त्रीके । फिर कोई कारण नहीं कि पुरुष वह
ब्रह्मचर्य जो चाहता हो कि स्त्री करे स्वयं न करे, या इसका
उल्टा । यदि किसी नीतिकी आवश्यकता है तो दोनोंको
बराबर है नहीं तो दोनोंके स्वार्थोंमें भेद होनेसे जात्यान्तर
गत विजातीयता उत्पन्न होकर जगतकी सानुकूलता
(Harmony) में अवश्य बाधक होगी । इसी दृष्टिको लेकर
इस काम संयसको देखते हैं और ईश्वरेच्छाका अनुमान दृष्टिमें
रखते हुए नैतिक और अनैतिक सहवासका दिचार करते हैं
तो नैतिक नियम यों हमारे ध्यानमें आता है कि—

ब्रह्मचर्य पालन करत्वं वा काम संयम इस इच्छाकी
दृष्टिको परमित करता है—प्रत्येक वर्यक्ति पर परमित करता
है । जो आजन्म ब्रह्मचर्य न करके इस शक्तिसे प्रजावृद्धि
रूप परमात्माकी आज्ञाका पालन भी करना चाहते हैं उनपर
ब्रह्मचर्यका दूसरा पट्ट्याय काम संयम भार होता है । ब्रह्म-
चर्य और काम संयमने यह अन्तर है कि इसमें तो संयमके
साथ प्रजा उत्पादन चेष्टा करते हुए भी कोई दृष्टित नहीं
होता क्योंकि जिस दूसरे ग्राणीके साथ यह आजन्मके लिये
संयुक्त हुआ है उसके द्वारा संयमसे काम करते हुए ब्रह्मचर्य
नहीं होना इस बासते नहीं भान उकते कि ब्रिना इसके ईश्व-
रीय प्रजा उच्छ्वास हो जाय जो कि उसकी इच्छाके प्रतिकूल
है । इसलिये हमें बतलाया गया है कि “क्षणानि त्रौणि अपा
कृत्य भनो भोक्ता निवेशयेत्” पर इसमें (ब्रह्मचर्यमें) सर्वथा
कर्धरेता होना ही सार है व इसमें संयम ।

बीसवीं सदीकी पाश्चात्य नीतिमें नवीन भावोंका अविभाव हुआ है तो भी वह समझती है कि सिवा विवाहिताके जिसके साथ हमारी सारे जीवनके लिये एकता हुई है अन्यथा इस (काम) वृष्णाकी परितुष्टि, न कर सकनेका प्रतिबन्ध नीतिक काम संयमकी सीमा है ।

यहाँ हमें यह कह देना होगा कि यहांतक तो प्राच्य पाश्चात्यमें अन्तर लखा नहीं जाता पर अन्तर है वह यह कि पश्चिममें विवाहिताके सम्बन्धमें कोई संयमके विशेष नियम वाधक नहीं होते पर आध्यांमें विवाहिताके साथ भी काम व्यवहार संयमकी सीमा है जिसका अतिक्रमण हमें संयमी पदसे तुरन्त पतित कर देता है । साधारणात कह सकते हैं कि पतिव्रत और पत्नीव्रत अथवा दोनोंका योग व 'काम संयम' हमें निषेध करता है :—

(१) लम्पटता या चहवास किसी पुरुष या स्त्रीका किसी दूसरे स्त्री या पुरुषके साथ जिस जोड़ेका आजन्म संघर्ष सम्बन्ध विवाह संस्कारानुसार न हुआ हो । इसीको व्यभिचार परल्नी वा परपुरुष गमन भी कहते हैं ।

(२) अनेक और एकका विवाह संघर्ष । चाहे एक पतिकी पत्नियाँ अनेक हों वा एक पत्नीके अनेक पति हों दोनों एक बात हैं और एक समान अनुचित कृत्य हैं । यह अहुती (Polyandry) व बहुपी (Polygamy) प्रथा सर्वथा धर्मशास्त्रविरुद्ध है ।

(३) दासी खरीदकर, या वैश्वादिकोंके द्वारा काम वृष्णा सन्दर्भ महापाप है ।

(४) बिना संस्कारकी मर्यादाके स्त्री पुरुषको दम्पतिकी भाँति रहनाबुराहै ।

(५) अन्नातु गमन । अन्नातुगमनका विधान आयुर्वेद व चम्मन्न शास्त्रमें सविस्तर है जिसका जाश्य केवल सन्तानित उत्पादन है । सोमी घन्नानुकूल धार्मिक, इठी, पुष्ट अरुण देश व ईश भक्त सन्तानित उत्पादन ।

पहिले सनुष्पका भाव दूषित होता है तथा दूषितकृत्य वह करता है इस कारण भावोंको मी दूषित करना अनीति करना है, जैसे मनमें कान सम्बन्धी सार्वज्ञका लाना विवाहना, वाक् विठास ; पुस्तक पाठ करना ; जांख, हाथ, पाँचडे किन्तु पर दुरे इशारे करना; तसबीरोंका देखना, बनाना, रखना, कल्पना करना इत्यादि इत्यादि क्षयोंकि यह सब कृत्य भद्रोत्तेजक हैं ।

यहाँ दो बात प्रधान हैं एक तो दो व्यक्तियाँ पृथक अपना ऐक्य सम्बन्ध करें और वह समाजके प्रकाशमें और सामाजिक प्रलाभीके अनुकूल हो । क्योंकि सांनो हुई बात है कि जन सनूह प्राकृतिक घर्म और प्रकाशित धर्मके अनुकूल समाज रक्षाकी प्रधान दृष्टिसे अपने नियन्तोंको गठन करता है । यदि इसमें मूल मी हो तो भी हमें जबतक जिस समाजमें रहना होगा उसके नियम जानते होंगे लेकिन मूलको मूल बताकर सब लोगोंको उस मूलसे बचा लेनेकी चेष्टा ग्रत्येक व्यक्तिको करनी चाहिये जब कि उसे प्रतीत हो कि बास्तविक कोई सामाजिक नियन्त उचित बातोंको पूरा नहों करता । पर त्रुटि रहित वैदिक नहमें यह बात नहीं निलंती ।

हुसरे यह सम्बन्ध जिन्दगी मरके लिये हो ।

इससे यह बात सिहु होती है कि जरनेके बाद विवाह करने न करनेमें कोई विधिनियेष नहों है स्त्री हो बा मुहूर । इस बातसे यह सो प्रतिच्छन्नित होता है कि जीते जी यह सम्बन्ध दूट नहीं सकता ।

ईश्वरके प्रधान नियमके विरहु अगणित जातियोंकी कल्पना और अनावश्यक प्रतिवन्धयुक्त कल्पना भीने ऐसा कर दिया कि किसी जातिमें स्त्रियां कम किसीमें पुरुष कम होनेका दुःख जान पड़ने लगा. नहीं तो परमात्माने स्त्री पुरुषोंकी संख्या जगन्मरहलमें लगभग बराबर ही बनाई है। लगभग बराबर यों जान पड़ता है कि ऐसा न करे तो स्थिरमें प्रजा उत्पत्तिका कम उसके इच्छाके अनुकूल न हो। हम सरमें पैदा होने जवान बूढ़े होनेवालोंका पता और सानबी मूर्खता जन्य अत्यंवयस्क विवाह प्रयाद्वारा शीघ्र नष्ट होनेवाली घोकेकी स्थिरिका अनुमान यथावत नहीं कर सकते नहीं तो परमात्मा बराबर ही जीड़ोंमें जीवोंको रचता है। इस बासते स्त्रियोंका थांट पुरुषोंमें या पुरुषोंका थांट स्त्रियोंमें सम्पत्ति शास्त्र नियमानुसार उचित और समान होना ही श्रेयस्कर होता है।

जीति नियमानुकूल चलने वाली प्रजाकी लट्ठि देश और जातिका सौभाग्य है। परमात्माको जो प्रिय है सो प्रजाको देना चाहता है प्रजा ले और उसका आनन्द सम्मोग करे, परन्तु उसका कोइ काम अनियन्ति नहीं है।

काम संघर्षसे प्रजापुष्ट, दीर्घायु, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त और जानी होकर दिनोंदिन गुणित और फलित होती जाती है। जहाँ काम संयम नहीं है, उसपटता है वहाँ लौच्य, दौर्बल्य, स्वार्थ परायणता आदि युक्त, अत्पायु और दुर्बुद्ध प्रजा पैदा होने लगती है। और संख्यामें भी असंयमी प्रजा कम हो जाती है। इनकी संख्याका कई कपरी दोषोंसे बढ़ उठना भी बरसाती मेंढककी आड है जो शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है।

विवाह संसकारकी क्या आवश्यकता है ? क्यों जोड़े पृथक हों। इसमें कई आर्तोंका विचार सम्मिलित है। जो अन्धाधुन्ध संयोग हों तो हमसे बहुधा बच्चोंको पशुओंकी तरह छोड़नेका स्वाभाव पड़ जाय। पैदृक स्त्रेह और भक्ति और शिशु प्रेम व पालन कर्तव्य पाश्चात्यिकसे अधिक न रहें। पुरुष कानका करने हारा घन उपार्जक और स्त्री घरकी सम्पत्ति संरक्षका न हों, जो हों तो उनका प्रेम और लगाव क्षणिक हो, जिसका परिणाम वही पाश्चात्यिक गति हो। सम्पत्तिके अधिकारोंको विधर करनेमें समाज असमर्थ हो जाय, और इतने बड़े बड़े दोष खड़े हो जायं कि समाजका स्थैत्य कठिन हो जाय।

(१) विवाह सम्बन्धसे बालकोंके पालने व शिक्षित करनेमें बच्चा उपकार होता है।

(२) एक पिताके पुत्रों, उत्तरोत्तर एक वंशके लोगों और एक जातिके लोगोंमें अपनायेका भाव छुटूँड़ हो जाता है।

(३) बच्चे व माता पिता आदिसे पारस्परिक सम्बन्ध केवल कर्तव्य पालनके ही रूपे विषय न होकर हमारे आमन्द सम्बूद्ध की होते हैं।

(४) समाजका जन्मस्थल ही विवाह संसकार है नहीं तो समाज न हो। यह स्थानम पर ही समाजका अधार सब विद्वानोंमें जाना है।

एकसे अधिक विवाह क्यों निषिद्ध हैं ?

(१) पारस्परिक डाहकी उत्पत्ति इससे होती है। सौ-तियां डाह प्रसिद्ध है।

(२) प्रेम एक पदार्थ जिसका विभाग ठीक नहीं हो सकता फिर प्रतिप्रेम या स्त्रीप्रेम एक साथ अनेकके साथ कैसे पूरा पूरा स्थिर रह सकता है ?

(३) जितना गर्मपात भूग हत्या, बुखोंकी हत्या, पाइ वात्योंमें होती है और जिनमें अनीति द्वारा उत्पन्न लड़के वहाँके समाज द्वारा पलते हैं उनसे जान पड़ता है कि उनमें विवाह प्रथा और विवाहका भावार्थ ठीक नहीं जाना गया । या और जहाँ कहीं व्यभिचारादि दोष बढ़े हों या बढ़ते हों हमें जानना चाहिये कि वहाँ 'कास संघर्ष' वेदानुकूल वर्तमान नहीं है ।

इसमें सन्देह नहीं कि सनुष्य समाजसे लाभ उठानेको हुआ है । और सामाजिक सुखका सबसे बड़ा और अतिउत्तम द्वारा घर सम्बन्ध हैं ज केवल पति पत्नीके सम्बन्ध लेकिन माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, आदिके सम्बन्ध भी । इन सबका आनन्द 'कास संघर्षक' अनुकूल कम या ज्यादः होता है । जितना अधिक कास संघर्ष घर या समाजमें होगा उतना ही अधिक झुख होगा । जिसघर उठ सवेरे दो प्राणी डाढ़से जलते दीर्घे क्षण झुख वहाँ हो सकता है । जहाँ विभाताओंकी सन्तति परस्पर लड़ती हों वहाँ भाइप्रेस कहाँ अधिकतासे मिल सकता है ।

कौन कैक्यी और कौशिल्याके मनोंके अन्तरका फल नहीं जानता ।

कोई कारण नहीं हो सकता कि क्यों हम समझेंकि ज्ञान, बुद्धि, नीति समाज और धर्मसे उत्पन्न जो झुख एक लिङ्गको भी यस्कर है, वही दूसरेको नहीं है । परमात्मा दोनोंके बुखोंकी क्यों समान दृष्टिये नहीं देखता ; क्यों स्त्री पुरुषोंके या पस्त स्त्रीके बुखका ही निमित्त, पृक्ष कलिपत पदार्थ, भात लिया जाय ।

जहाँ काम संयमको दूषिते हुटा दिया जाय वहाँ फिर स्वीकृत पुस्तकी समर्तामें भेद आता है और दोनों वरांवरके साथी नहीं रह जाते । दोस्रे एक, मात्र दूसरेकी परतुष्टिकी चीज़ ही रह जाती है ।

जब तक यह न सालूस रहे कि हमारा सम्बन्ध सदाके लिये है उनके पारस्परिक स्वार्थोंमें विभेद हो जाता है और केवल पाश्विक वृष्णाकी पूर्ति ही प्रधान हो जाती है । बच्चोंको माता पिता दोनोंकी रक्षा दरकार होती है परं उनमें दोनों के स्वार्थ विरोधी या अस्थाई ही होते हैं तो उनकी रक्षा यथावत एक ओरसे न होगी क्योंकि एक पक्षका स्वार्थ अस्थाई होंगा । बालक भी जवान होकर वहु पितरोंकी सेवा बिना भेदभावके नहीं कर सकते जिसने उनमें अधिक स्वार्थ लिया होगा उसीकी उनमें अधिक भक्ति होगी ।

उक्त कथन, हम समझते हैं काम संयमकी आवश्यकताको यथेष्ट सिद्ध करता है । अब जो कोई कहेकि यह सबदीप कभी कभी दुराचार करनेसे नहीं पैदा होते अतः हरज़ नहीं जो यदा कदा गुप्त व्यभिचार हो । इसका यही उत्तर है कि हम देखें कि डैश्वरने डसके बास्ते कितना कठोर दण्ड हिप्र किया है । वह किसीकी विशेष रियायत करनेवाला नहीं हैं सबके साथ समान न्याय करता है—राव हो या रङ्ग, स्त्री हो या पुरुष ।

यह लभ्षणताका पाप तुरन्त चलन व्यवहार बिगड़ देता है और ऐहिक व पारलौलिक झुखोंका विनाशक है । प्रसात्मा सर्वठापी सब जानता है । हम उसकी दृष्टिसे छिप कर कोई काम नहीं कर सकते । जब न्याय होगा तो यह चौकीसे एक नियम के बिहुँ किया हुआ काम कब खिला देवह

छोड़ दिया जायगा । हम समाजके नियमको भंग करते हैं जो ईश्वरीय इच्छाके प्रतिकूल है, चाहे यदा फदा हो चाहे सदा मदा । चाहे स्वाभाविक नित्य चौरी करनेवाला चोर हो, चाहे कभी कभीका पर दोनों चोर हैं । इससे सदाचारका समाजमें नाश होता है अतः अनीति है ।

१ हमें कामका संयम इस्तरह पर करना बतलाया गया है कि पूर्ण युवा न हीनेतक ब्रह्मचर्ये द्वारा नितान्त इससे दूर रहना ।

२ युवा अवस्थामें अहस्थ हो उन संयमोंके साथ इसे कानूनमें लाना जो हमें विवाह प्रकरणमें वैदिक धर्मने शास्त्रोंने बतलाया है ।

३ अन्तमें पुनः ब्रह्मचर्यावस्थामें दोनों मिलकर लौट पड़ना; और अविवाहितोंकी भाँति निस्सम्बन्ध होकर ब्रह्मचर्य पालन करके त्यागी हो शरीर त्यागना ।

अनुवाक २ विवाह ।

हम कह चुके हैं कि काम संयमकी धारा हमें स्त्री पुरुष संयोगं हर तरह पर निषेध करती हैं सिवा इसके कि वह यावज्जीवनके लिये विशेषताके साथ संयोजित हों । क्योंकि यह प्रत्यक्ष ईश्वरीय इच्छा भान होती है कि दोनों लिंग एकत्र हो कर, रहें और साथी बनकर एक दूसरेके सहगामी हों और बहुत बातोंमें अन्य साथी संगती और समाजीये इसमें भेद हों और इनके द्वारा नये सम्बन्ध पैदा हों और उनके नये नये स्वरूप व दायित्व हों । इसी ईश्वरीय इच्छाके अनुकूल स्त्री पुरुष, सहवास क्षा एक धार्मिक इष्टि करते हैं जिसके नियमोंका विशेष रूपसे कहना नीति दर्शनका कर्तव्य है ।

विवाहमें दो शरीर पवित्र धर्मसे वन्धनसे परस्पर अन्धित होते हैं। और दोनोंमें कुछ परस्पर इकरार भी होते हैं मानो यावज्जीवन मिलकर किसी धर्मानुषानके पूरा करनेकी एक टीप लिखी जाती है। वह संयोग धर्मानुकूल विद्वानोंके सामने ईश्वराराधनाके साथ होनेवे एक प्रकारकी ईश्वर साक्षीके साथ होता है। इसका तोड़ना सपथ तोड़ना ईश्वरकी आङ्ग भङ्ग करना और समाजको हानि पहुंचाना है अर्थात् एक साथ तीन पार्योंका करना है। क्योंकि (१) सचाईका नियम भङ्ग करना (२) काल संयम नियम भङ्ग करना (३) असमाजिकताका आचरण (४), दोष हैं।

परन्तु गारहस्थ धर्म सब धर्मोंमें बड़ा, पूज्य और पवित्र है। यह टीप और तदगत संयोग परम पुनीत, आवश्यक और उभ प्रद और समाजोपकारी संयोग है। इसीके द्वारा अग्निको धर्मपालनमें तत्पर होनेवाली प्रजा होती है, इसीके द्वारा मनुष्य जातिका बढ़पन और गौरव पशु आदिकों पर और मनुष्योपजातियोंमें जाना जाता है। इसीसे दीन, दुखी, धर्मज्ञोंका पालन व उत्कार होता है। जो दृष्टकी आवश्यकता न होती तो परमेश्वर प्रजावृद्धि आदिके निमित्त उपरोक्त अन्य आवश्यकताओंके पूर्तिके लिये दूसरे उपाय रच देता।

आर्य समाजके गौरवके निमित्त नहीं किन्तु सब मनुष्य समाजके निमित्त ही वेद भगवानकी आङ्गानुसार स्मृतियोंमें जो गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार बनाये हैं उनमेंसे एक उपनयन दूसरा विवाह संस्कार सबमें झेण बतलाया है। वह ग्रहस्थ अननेकी लघ्यारी है यह ग्रहस्थ अनना है।

देखना यह है कि इस टीपकी असलियत क्या है ? इस टीपकी शर्तें क्या हैं अर्थात् विवाह व उसके कर्तव्य क्या हैं ?

विवाह ईश्वर स्थापित प्रथा है अतः उसीके नियमाधि
गत है इसमें किसी मानवी नियमका हस्ताक्षेप नहीं हो
सकता । अतः इस सम्बन्धमें समस्त मानवी नियम ईश्व-
रीय नियमके अक्षरशः अनुकूल होने चाहियें । पुरुष और स्त्री
मिलकर एक अङ्ग होते हैं परस्पर अर्धांगी अर्धांगिनी कहे
जाते हैं । ईसाई जन्म से भी ३० मसीहका कथन ऐसा ही है
'They two shall be one flesh' यह दोनों मिलकर एक शरीर
होंगे ।

यह टीप उभय पाक्षिक प्रतिवन्ध सहित होती है । उनके
सम्पूर्ण ऐहिक व पारमार्थिक कृत्य एक होते हैं । विवाहमें
आच्यं कुलकी पहुति अनुसार जो वर कन्याके बचन होते हैं
उनको यहाँ कहना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रायः
सब ही जानते हैं । यहाँ दार्शनिक रीति पर युक्त युक्त वातरों
पर ही हम विचार करते हैं, पर इतना कहना उचित जानते
हैं, कि विवाहका मुख्याभीष्ट प्रजोत्पादन है अतः अबतक वर
कन्यामें यह शक्ति उत्पन्न न हो या जब उनमें से दोनों या किसी
एककी इस शक्तिका नाश हो जाय तब, विवाह करना विवाह
नहीं है वरन् एक अर्धसं और सहान पाप है । इस विषयमें
हम अद्वास्पद लाला रा० ब० वैजनाथ कृत 'शोशलरिफार्म'
नामका ग्रन्थ पढ़नेका अपने पाठकोंसे अनुरोध करते हैं ।
विवाह काल स्त्रीका १६ वर्ष व पुरुषका २५ वर्षकी अवस्था
वेद विहित है २० से ऊपर स्त्री व ४५ से ऊपर पुरुषका विवाह
भी बाल विवाहके समान ही निन्दित है । हाँ सच्च बाल
ब्रह्मचार्योंमें इस आयुका विवाह नहीं भी रखना ठीक है ।

विवाह संयोगका आधार सब्बा प्रेम है । विवाह संस्कार द्वारा स्त्री पुरुष परस्पर न कैवल अन्योन्य प्रतिष्ठा की ही, एक दूसरेके दुख सुखमें भाग लेने की ही प्रतिज्ञा करते हैं वरन् उस प्रतिष्ठाकी प्रतिज्ञा करते हैं जो अद्वितीय है अर्थात् अपने तन मन धन और शरीरका परस्पर एक दूसरेको अधिकारी बनाते हैं । सबीहका यह वचन कि 'For this Cause shall a man leave father & mother but adhere to his wife' हमें बहुत घृणित प्रतीत होता है । पैतृक प्रेम दोनों पक्षोंका समान होता है और उसका मिलकर स्त्री पुरुषको पालन करना आर्य सर्योदा है किन्तु पैतृक स्त्रीह, सम्बन्ध, और प्रतिष्ठासे इस सम्बन्धको अधिक प्रतिष्ठा देना महा पाप है । प्रतिका काम है कि पत्नीके सनको थोड़ा भी दुख न पहुँचाये साथ ही पत्नीका भी यही काम है कि प्रतिका सन किसी तरह दुखित न होने दे । इस दशामें परमात्मा गुरु, पिता, भाता, देश और संसारके प्रेम दैवी कक्षारके प्रेम हैं, ऐहिक प्रेमोंमें पति पत्नी प्रेम सर्व श्रेष्ठ होते हैं न कि दैवी प्रेम पर । देखिये इस टोपकी लिखावट वेदानुकूल यह है :—

ओं गृणानि ते सौभगत्वाय हस्तं भया पत्या जरदुष्यथासः
भगो अर्यमां सविता पुरनिर्धर्मत्य त्वादुर्गाहं पत्याय देवा ॥ १ ॥

ओं भगस्ते हस्तमयमौत् सविता हस्तमयमौत् । पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ २ ॥ भमेयमस्तु पोष्या सेत्यं देवदाद वहस्पतिः । भया पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥ त्वष्टा वासो व्यदुधाच्छुभेकं वृहस्पतेः प्रशिवा कवीताम् । तेनेनां नारीं सविता भगश्च सूर्योनिव परिधर्मां प्रजया ॥ ४ ॥ इन्द्राणि द्यावापृथिवी सातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभां । वृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोमं इसां नारीं

प्रजाया वर्धयन्तु ॥ ५ ॥ अहं विष्ण्यामि भयि दृपतस्या वेद-
दित्पश्यन्तनसा कुलायम् । न स्तैयमङ्ग्लि सनसोदमुच्ये स्वयं
अन्यानोवरुणस्य पाशान् ॥ ६ ॥ औं अनोऽहमस्मि सा त्वं ए
सा त्वस्यमोऽह सामाहमस्मि । ऋक्षत्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं
तावेव विवहा वहे वह रेतो दधा वहै । प्रजां प्रजनयावहै
पुत्रान् विन्दावहै बहून् । ते सन्तु जरदुष्टयः सं प्रियौ रोचिष्णा
सुननस्यमानौ । पश्येन शरदः शत जीवेन शरदः शत ए
शृणुयात् शरदः शतम् ॥ ७ ॥

पाठक उक्त प्रतिज्ञाओंको देखकर जान सकते हैं कि
आध्यौंसे विवाह सम्बन्ध प्या समझा या साना जाता है
पाश्चात्य अनार्थ जातियोंसे यह एक प्रकारका विचित्र खेल
सा है । साता पिता, सासु, सभुर समान भानकर दर्शनिके
२ माता और पिता सेव्य देव हैं ।

इस विवाह सम्बन्धमें इतनी बातें और भी जान रखनी
चाहियें ।

(१) पारस्परिक स्वत्व दोनोंके बराबर होते हैं ।

(२) दोनोंकी सम्मतिसे विवाह होना चाहिये विना
उनकी सरजी साता पिता या किसीको विवाह करनेका अधि-
कार नहीं है ।

(३) जोल लेना, छीन लेना, भगा लाना हत्यादि सब
व्यभिचार साधन हैं वेवाहिक धर्म साधन नहीं ।

(४) वेद विहू चलनेको परस्पर सहायता करनेके लिये
विवाह द्वारा पति पतनी बाध्य नहीं होते ।

(५) व्यभिचार दोषसे व्यभिचारी पतिको या व्यभि-
चारिणी स्त्रीको दरड होना चाहिये प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती ।

प्रतिज्ञा तोड़ कर अन्य विवाह करनेका रास्ता खोलना व्यभिचारका सार्ग खोलना और दाम्पत्ति प्रेमको रिघिल करना है ।

(६) पति के सरने पर पत्नी और पत्नी के सरने पर पति ब्रह्मचर्य पालन करें उन्हें कोई अधिकार किसी कुमारी या कुमारेके स्वतंत्र सङ्ग करनेका नहीं है ।

(७) यदि ब्रह्मचर्य पालन असम्भव है तो व्यभिचारसे अपनी रक्षा करनेको पुनः विवाह करलें पर यह विवाह राँड़ और रंडुओंका हो सकता है यदि ऐसे धर्म ऋषि जोड़े जनमेको तद्यार हों। धर्म ऋषि इस वास्ते कहा जाता है कि धर्म शास्त्रोंने कामाद्य मशान्तिके लिये विवाह नहीं बतलाया। किन्तु व्यभिचार रूप जहा पापसे बचनेके लिये यह सर्वथा नीति सम्मत है कि विधवा विवाह हों।

(८) जो स्त्री या पुरुष यह कहे कि हम ब्रह्मचर्य पालन करनेमें तो समर्थ हैं किन्तु हमको सन्ततिकी हो प्रबल कामना है तो इसके बास्ते प्राचीन व्यवस्था तो यह थी कि मनुके कथनानुसार नियोगसे सन्तति उत्पन्न करलें पर हम सर्वथा इस प्रथाके उस सनय तक विरोधी हैं जबतक हिन्दूस्थान पुनः सज्जा आद्यावर्त न बनले क्योंकि, आजकल यदि हम नहीं कह सकते कि कोई जितेन्द्रिय है ही नहीं, पर इनकी संख्या खोज करने पर बहुत ही कम मिलेगी अतः नियोगकी प्रथासे विधवा विवाह ही समयानुकूल है। क्योंकि रंडुओंका विवाह होता ही है जिससे प्रकट है कि विधवा विवाह आधा प्रचलित है शेष आधा और भी प्रचलित करदेना बुरा न होगा; नीति सन्नति होगा। विवाहोंमें नीति, धर्म, और समाजके हानि लाभके विचारोंके बिना ही जो अनेक अनीतियां और मूर्खताएँ होती हैं उनका कथन इस विषयका अतिक्रमण है

अतः इस उसे सामाजिक सुधार विषयके लेखकोंका काम समझ छोड़ते हैं।

कोई विवाह, धर्म विवाह नहीं जो ब्रह्मचर्य स्थैति, विज्ञा दोनोंकी सम्मति, और मा वार्योंकी सूखेता और स्वार्थीयोंके धोकेवालीये किया जाय।

सगाईकी मर्यादा नीति विस्तृत हो गई है इससे कोई लाभ नहीं, हाति यह है कि यदि दोनों परस्पर विवाह को राजी न हुए हों तो सत्यका नियम भङ्ग होगा। आकृदान प्रथा दो चार दिन पहलेकी है नकि वर्षों पहले हो। द्विरागमन (गौना—अंचरका—नियम भी नीतिके विरुद्ध) है। इस दुर्नीतिके कारण अनेक अक्षत योनि वाल विवाह दुख भोगती दीख पड़ती हैं। जो आलक कन्यायोंका द्विरागमनके विचारसे जल्दी विवाह करते हैं वे भाता पिता राक्षस व सत्तान घातक हैं वे जानकर कन्यायोंके विवाह बनने, पुंश्चली होने और समयसे पहले सहवासका विषय भनन करके नष्ट होनेका औसर देते हैं। और देशमें निर्बल अयोध्य व अनार्द्ध लोगोंकी संख्या बढ़ाते हैं।

मण्डल दूसरा।

अनुवाक ३

“पितृ और सन्तति।”

नानवों सुख वृद्धिके निमित्त जिन नैतिक और भौतिक नियमान्तर गत प्रकृतिये सनुष्यको स्थान प्रदान किया है उनकी अनुकूलताका सौन्दर्य विवाह और पितृ व सन्तति नियमोंके सम्बन्धीये अच्छीतरह प्रकाशित होता है। यदि

विवाहकी भौतिक और नैतिक स्थितियाँ किसी तरह पर भी बर्त्तमान स्थितियोंसे विभिन्न होतीं तो जो बुराइयाँ खड़ी होतीं उनका पारावार न रहता। दूसरी ओर जो स्थितियोंका अच्छीतरह पर ठीक २ विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि उनमें न केवल उत्तरोत्तर पीड़ियोंकी क्षेत्र में कुशलका ही प्रथम्य प्रस्तुत है बरन् असीन सनाजोन्नतिका भी अभिप्राय दृढ़ किया गया है।

हम देखते हैं कि मनुष्यजाति पैदाक सम्बन्धका भार उठानेको उस समयतक अयोग्य होती है जबतक कि युवा न हो, बहुतसा ज्ञान और अनुभव न प्राप्त करले और ऐसे अम करनेके योग्य न बन जाय कि जिससे अपनी सन्ततिका यालन पोषण यथावत् कर सके। यदि ऐसा न होता तो बच्चे भी जनकजननी होजाते बच्चों और पितरोंको (Parents) शारीरकी और समझकी निर्बलतामें साध साध बड़ा होना होता—और मनुष्यकी सदाचार-व-ज्ञान-वहु असम्भव होजाती, जिससे लगभग मनुष्य जातिमात्र ही रोगसे और अनेक अन्य अभावोंसे बिनष्ट होजाती—जैसा कि हम बर्त्तमान भारतमें बाल विवाहादिसे देख रहे हैं कि कन समझ बच्चे बुध संभालते ही भाता पिता बन जाते हैं जिसके कारण देशमें दरिद्र, निर्बल कायर, और दुर्बुद्धियोंकी बृहिके साध जहाजारी और अकाल भी फैल रहे हैं।

मुनः परनात्माने भाता पिता को सन्तति प्रेम प्रदान किया है जिससे पितृगण सन्ततिकी कुशलकी चिन्ताको आहन्द और सौभाग्य भानते हैं और स्वशक्तिमर अपने अनुभव, बल, विद्या और उपाजिंत व सञ्ज्ञितं बुख-साधक पदार्थोंसे सन्ततिका उपकार करते हैं। दूसरी ओर बच्चोंमें, यदि पितृके समान तो नहीं, पर प्रेम होता है; सदा अपने पिता भाताकी बृद्धाओंके

आधोन रहनेका स्वभाव होता है, यह उनकी अनुज्ञाओंके अधिगत रहते हैं और उनके अनुकूल चलते हैं, यदि उनकी बुद्धिकी उन्नतिमें कुप्रबन्ध कारण न हो । यदि परस्पर पितरों और सन्ततिमें यह बात न होती तो सारा सामाजिक प्रबन्ध चलट पुलट होनाता और सनुष्यजातिपर वड़ी मुसीबत हुई होती ।

किर देखते हैं तो प्रत्यक्ष होता है कि सभ्य समाजका गठन, व्यक्तिक निज इच्छाओं और वान्धाओंको समष्टिके भलेके लिये सौंप देनेसे ही बना हुआ है । निःसन्देह आत्मशासनकी वड़ी आवश्यकता है—स्वभावसे ही आत्मशासनकी वड़ी ही जरूरत है । घर रूपी समाज इसीलिये बना है कि समष्टिके उपकारकी शिक्षाका पालना हो । पितृ समझदार और पूरी आयुके होनेसे उन्हें बच्चोंको उपदेश पूर्वक दबावमें रखनेका यथेष्ट अनुभव होता है । और वह यह दबाव बच्चेके भलाईके निमित्त स्वभाविक बुद्धिसे कामनें लाते हैं और बच्चा भी स्वभावसे इनके अधिगत होता है और उनकी मानता है, यदि नियमानुकूल शासन होता रहे । बेसमझीका अत्याचारिक शासन द्वालक हो वा स्त्री संघको विराम कर देता है । द्वालक इस्तरह द्वालपनसे ही दूसरेकी इच्छाओंके माननेको तथ्यार किया जाता है । वह घरमें ही सौख लेता है कि उसे समाजके नियमोंका पाबन्द रहना चाहिये जिसका कि उसे एक सदस्य बनाना है । इसीलिये माता पिताकी आज्ञापालनका बच्चोंने ढीलापन होना सर्वथा उनके सामाजिक अधोपतनका कारण होता है और निःसन्देह सार्वजनिक दुःख और अराजकताका पूर्व-दूषपूर्णक होता है । अन्ताज्ञानवर्ती सन्तति किसी देशमें बढ़ना सब देशकी सामा-

जिकस्थितिका बुरा चिन्ह है। कहावत है कि जो भाताको ही नहीं जानता वह और किसे भानेगा।

यह भी साधारण कहावत है कि बालक जितने आदर्शसे प्रभावित होते हैं उतने दूसरी तरह नहीं। अब, विवाह संस्कार द्वारा भानवी प्रकृतिका यह सिद्धान्त सम्भवतः भानन्तम् भलाईके निमित्त साधनके समान काम देता है। जपर हमने देखा है कि विवाह संस्कारकी जड़ घर्मके साथ साथ पारस्परिक प्रेम भी है। जब दो प्राणी राकी होकर प्रेम-पूर्वक इस धर्म बन्धनमें धार्मिक प्रतिज्ञा पूर्वक पदारोप करते हैं तो प्रत्यक्ष है कि दृष्टिमें एकका सुख दुःख एकका नहीं वरन् दोनोंका सुख दुःख होता है। पतिके सुखमें पत्नीका सुख और पत्नीके सुखमें पतिका सुख निवास करता है। जब यह आदर्श बच्चोंके सामने उपस्थित होता है कि लगातार निःस्वार्थभावसे एक व्यक्ति दूसरेके सुखमें ही अपना सुख जानता है और घरका समाज इसी सिद्धान्तपर चलाया जाकर सब सुखका मूल बन रहा है; तो बच्चोंमें भी स्वार्थत्याग, दूसरोंके सुखमें ही अपने सुखका ज्ञान और आत्मत्याग (सुख इनकारी) का स्वभाव उत्पन्न होता है। इन शुभाचारोंसे प्रादुर्भूत फलोंका स्वाद उन्हे आदर्श द्वारा बाल कालमें ही मिल जाता है। जब सा बाप कोई पदार्थ आप इकले न खाकर उस समय तक रख छोड़ते हैं कि जब वच्चे इकठे हो जायं, और तब सबको छांटकर आप खाते हैं व कभी न आप नहीं भी खाते। बच्चोंको इस आदर्शसे दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें एक अलौकिक उंख भान होता है और वे भी कमशः यही चीखते हैं कि जो उन्हें मिले धरू सभाजमें बांट कर खायं। युवा होने पर यही शिक्षा, उन्हें देशरूपीमहान् घरके

रहने वाले देशवासी बन्धु, बान्धव, छुट्ट बाल मात्रको एक अङ्गुत प्रेम दूषिते देखनेको व वर्तनेको समर्थ करती है । इसके साथ ही वही शासन करने, व्यवस्था देने आज्ञा पालन करनेकी भी शिक्षा सचेष्ट, बुद्धिमान, सदाचारी माता पितादे ही पाते हैं । कैसे हमारी माता हमारे पिताकी, बड़ाभाई हमारे माता पिताकी, अज्ञा पालन करते हैं, हमारे आपसके भगड़े पितृगण कैसे निष्पटाते हैं; किस तरह घड़ोंकी प्रतिष्ठा व छोटों यर शासन रखते हैं—सब घड़ोंको आदर्श होता है । वे जान लेते हैं कि आज्ञानुवर्ती होना उचित स्थलमें महत्व जनक होता है, नकि गुलाम गीरीकी तरह बुरा भाव गर्भित ।

उक्त कथनोंसे पितरों और घड़ोंके सम्बन्धोंका, जो स्वाभावसे है—घोष होता है । यह सम्बन्ध बड़े और छोटेका सम्बन्ध है । पितरोंका काम है आज्ञा करना घड़ोंका काम है आज्ञा पालन करना, एक को अधिकार है दूसरा आज्ञा-नुवर्ती है । यह सम्बन्ध हमारी गठनका एक अङ्ग है और जो दायित्व इससे उत्पन्न होता है वही हमारा कर्तव्य है । यह केवल सुभीते और शिष्टाचारकी आत नहीं है किन्तु जिन सम्बन्धोंमें इस सिरजे गये हैं उनका स्वत्व है, इनके भङ्ग करनेदे हमारे वास्ते स्थाने दण्ड विशेष नियत किये हैं इन दण्डोंका कष्ट हमें उठाना पड़ता है ।

दण्ड होते हुए भी और ईश्वरीय अटल न्यायधारके रहते भी वह भाव जिससे इस कर्तव्यका पालन हो प्रेमपर आधारित होता चाहिये और होता भी है । दीनों और प्रेमसे ही इन कर्तव्योंका पालन उचित है । यदि पिता शासक और पुत्रका अधिकारी स्वानी है प्रन्तु यह उसका धर्म नहीं कि प्रेम विहीन, पुत्रके लाभोंको दूषित्वहिः करके अपने

ही धर्मिक स्वार्थके लिये, हकूमत दिखलानेको ही अथवा और फिसी जष्ट या निन्दित भावसे पुत्र पर, अनुचित शासन करे। पिताका कर्त्तव्य है कि वह इस पवित्र अधिकारको पुत्रके श्रेयको ध्यानमें रखकर काममें लावे, ऐसे पवित्र अधिकारका दुरुपयोग बहुतही बड़ा पाप है। जिस वास्ते यह अधिकार दैश्वरने दिया है उसीके वास्ते काममें लाना ठीक है अन्यपा नहीं, नहीं तो वह समाज और दैश्वर दोनोंके सामने दायी पकड़ा जायगा। जो पितरों और ब्राह्मोंकी ओर सेंसे किसीकी अ-योग्यता वा अकर्त्तव्य परायणता भी सिद्ध हो तो भी दूतरे पक्षके स्वत्व व दायित्व नष्ट नहीं होते। जो ब्राह्म अनाज्ञाकारी हो तो भी पिताका धर्म नहीं कि इसके कल्याणका चिन्तन छोड़ दे और अपने अधिकारको गया हुआ सानकर बैठ रहे व फिर न उसी हकूमतसे समझावे। ऐसे ही पिता साता भी जो कोई अनुचित वे समझी का वर्ताव करें तो पुत्रका दायित्व नहीं मिटता उसका आवश्यक कर्त्तव्य है कि उनकी प्रतिष्ठा, पूजा आज्ञा पालन यथावत् ही यावज्जीवन करता रहे। साता पिताका धर्म है कि पुत्रको ऐसी शिक्षासे सम्पन्न करें जो उसके ऐहिक व पारमार्थिक दोनों भुखोंकी दात्री हो। इसमें कई बातें सम्भिलित हैं।

(१) पालन पोषण। पितरोंका धर्म है कि जिस बच्चेको उन्होंने जन्म दिया है पाल पोषकर सही सलामत रखें। जो ऐसा नहीं करते वह सनाज व परमात्मा दोनोंके सामने दोषी होते हैं। ब्राह्मोंकी हत्या ईसाई योरोपमें अधिक होती है क्योंकि यहाँ धर्मिचार अधिक है और धर्म व सदाचार के बल ऊपरी ठाठ व दिखावेको ही है। भारत निवासियोंको इस शोर्वकमें शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है। सभयके ज्ञेरसे, पौरा-

पिक शिक्षासे या विदेशी अत्याचारसे या दान दहेजकी सूखेता जन्य प्रथाके भयसे कुछ दिन भारतमें कन्याओंकी हत्या दुष्ट लोग करते थे जिस पापका दण्ड वे आजतक भोगरहे हैं, परन्तु अब नहीं है। सतीकी रीत और कन्या-वध मुसलमानोंके अत्याचारसे उत्पन्न हुई, अङ्गरेजोंकी भलाईसे शमन हुई क्योंकि अङ्गरेजी शासन कुछ बातोंमें चाहे मुगलोंसे भी बुरा हो परन्तु अनेक बातोंमें उनसे कहीं अच्छा है। पिता पुत्रको कैसा बनावै यह सामान्यतः बहुतशा तो कहांदिया गया विशेषतः कहना कठिन है क्योंकि सबकी स्थिति एक समान नहीं होती, तो भी समाजको दुखप्रद न होकर धर्मसे उपराजित जीविका करनेवाला देश भक्त ईश्वर प्रेमी सादाचलन बनाना समान रूपसे सबको अभीष्ट है। अमीरको, सौदागरको, पंडितको, कारीगरको अपने अपने स्थितिकी योग्यतानुसार पुत्रको बनाना उचित है। अमीर जो लड़कोंको कुपड़, अभिमानी, हुस्त और विकार बनादेते हैं, वे अनीति करते हैं। फजूल खर्च, नरेबाज, दुराचारी, बुरी सङ्गतमें बेठने वाला किसी तरह बच्चे को न बनाना चाहिये। बालक वालिकाओंका समयसे पहले विवाह कर अहस्थीका बोझ उनपर ढालना और निर्बलकरना तथा कमाई न करने योग्योंको कमाईका अनिवार्य बोझ ढालकर उनके भविष्यतका नाश करना अनीति है। विवाह करना पिता माताका काम नहीं है। विवाह करनेमें सहायता देना, सम्मति देना, जो बच्चे की पसन्द अशुभ हो तो उसे दोकना बतलाना इनका काम है क्योंकि आजन्म पति यत्नीको ही निवाह करना होता है उन्हें अपने अपने हानि लाभको समझ लेने देनेका अवधर देना चाहिये। जो लोग आयुके नीचे ही विवाह करते हैं वे जहां पारी और दुष्ट बढ़ती हैं। ईश्वरकी-

आंखमें वा विद्वानोंकी आंखमें वा देखताओंकी आंखमें धूल फौकना चाहते हैं जो नितान्त असम्भव और अनुचित है। प्रतिज्ञा करने वालोंको अपनी प्रतिज्ञाओंके समझने और नये सम्बन्ध जनित करणीयों और स्वत्वोंको समझनेकी योग्यता होनी चाहिये, नहीं तो वह प्रतिज्ञार्थे केवल पापका कारण होती हैं।

(२) माता पिता ऐसा शिक्षक खोजकर बच्चेको सोचें जिससे वह अभीष्ट सिद्ध हों जो माता पिता शुद्धबुद्धिसे बच्चेके सहत श्रेयके हेतु विश्वास करते हों।

(३) शिक्षा कालमें पठताल करते रहें कि बालकको जो शिक्षा हो रही है उससे अभिवान्निंदतकी सिद्धि होगी या गुरु अपना काम ठीक और धर्मन् पूर्वक न करके योंही बच्चेका समय नष्ट करा रहा है। गुरु पूरा विद्वान उस विद्याका हो जिसे सिखाना अभीष्ट है और सदाचार सम्पन्न धर्मात्मा भी हो, नहीं तो शराबी कबाबी पादरी जोलिवियोंके जैसे चेले होते हैं और भक्त बुलतान परिडर्टोंके जैसे शांगिदं रशीद बनते हैं, बनेगे।

(४) शिक्षा कालमें पितरोंका काम है कि उत्साह प्रवृद्धक, मेहनती प्रसन्नात्मा बनने वाले वर्तावोंसे बच्चोंको बचें। बच्चेकी शिक्षामें स्वार्थ व आनन्द प्रकट करें, पारितोषिककी भाँति भी चीज वस्तु देकर प्रसन्न करते रहें यही पैदृक अधिकार, मित्रता और शासनकी उचित सहायता है। लालन, पालन, और ताइनसे यथोचित काम करें, अन्धा छुन्ध नहीं।

(५) पिताको अपना काम इरज करके भी यह करना होगा। उसे यह कहनेका अधिकार नहीं है कि मुझे समय

नहीं है। जो कान ईश्वरने उसके सिरपर ढाला है उसे उसको शुद्ध मनसे करना चाहिये नहीं तो वह ईश्वरका दोषी और समाजका अशुभेच्छु है, इतना ही नहीं वरन् वह बच्चे के और अपने ऊपर भी मानो दुखोंको निमंत्रण देकर ला बैठा-लना चाहता है।

(६) पिता माताका परम अर्थ है कि अपने बच्चोंको नीरोग, बलिष्ट, धीर, और बनावें जो धर्म, सद्यर्दोदा और देशके निमित्त सर्वस्व उत्सर्ग करनेवाले हों। इसके बास्ते उन्हे उचित भोजन, उचित परिमाण और समयपर देना चाहिये, व्यायामका यथावत् प्रबन्ध होना चाहिये, उनके प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गोंको बलिष्ट, स्फुरित और चैतन्य बनाना चाहिये। जिससे उनमें शम करनेकी रुचि, साहस और सत्तोषसे कठिनाइयोंके सहनेका अभ्यास भी हो। थोड़ीसी उरदी गरसीमें घबड़ावें नहीं, उन्हे कटनेके नामसे हिजड़ोंकी तरह न डरकर भर्गे, ऐसा प्रबन्ध उनके व्यायाम सम्बन्धी शिक्षामें होना परमावश्यक है।

अधिक कान लेना, सदा ही खानेपीसेका विचार न करना, स्वास्थ्यका विना विचार किये ही विसर्तिस काममें लगाये रखना, उन्हें बीमार करके अकाल ही कालको सोंपनेके समान है। जबतक वे धीरे धीरे थकावट आदिमें अस्यस्तन हो लें उन्हें ऐसे कान न देने चाहिये। कोई कोई मूरखतावश घरसे ही नहीं निकलने देते और अफीम, भाँग खिलाते हैं, हवा, बाधा-जीका और कुछ बड़े होनेतक अनेक प्रकारके भय हृदयस्वर करके बच्चोंका कलेजा कच्चा कर डालते हैं यह बुरा है। बच्चोंको निर्भय स्वतन्त्र उद्घाभिष्ठायी बनाना योग्य है।

जो बालक अपनीको अपने गुद्ध पिता माता और बहुजनोंसे अधिक चतुर समझता है मात्रो वह दुर्भाग्यमें फंसा है। बुद्धि

पढ़ना लोड़कर काम करते हैं वहाँ पढ़ते हैं फिर उनमें सभता बहुत काटतक नहीं रह सकती पर इस कारण क्या कोई वच्चा अधिकारी है कि माता पिता आदिको सूखे समझे ? हम बहुटोंकी प्रतिष्ठा अपना धर्म जान कर, उन्हें प्रतिष्ठापन करानकर करते हैं न और किसी भावसे । पुनः वहाँ कितना ही विद्वान् हो किन्तु प्रकृतिस्थली ग्रन्थके पाठनें सर्वथा बुद्धोंसे पीछे रहता है और उसे उनसे शिक्षा लेनेकी आवश्यकता बनी ही रहती है ।

(9) नैतिक शिक्षा केवल माता पितादें ही उत्तम होती है, यों तो पाठशालाओंमें भी ध्यान दिया जाता है । आजकल तो आर्यपाठशालाएँ ही ही नहीं, जबतक हमारे हस्तगत गुरु-कुलरूप अनेक विश्वविद्यालय जुदा जुदा विद्यार्थोंके न हों आर्यत्वस्वप्र ही है, पर तो भी हमारा धर्म है कि वहोंको यथाशक्ति नीति निषुणा, नीति-धर्म-परायण बनावें । इस बास्ते नीतिशक्तिके पढ़ानेकी प्रथा भारतमें बहुत ही पुरानी है । नीति क्या है ? इसका उत्तर रूप ही यह ग्रन्थ लिखा गया है, जो कभी रही होगी उसको विद्वज्जन पूरा करनेकी चेष्टा करेंगे ।

वैदिक धर्म चिह्नान्तोंका बतलाना, नित्य नैमित्तिक कर्मोंका कराना, समयपर सोकर उठाना व सुलाना । मनुष्यका ईश्वरसे क्या सम्बन्ध है व सनुष्य मनुष्यका क्या सम्बन्ध है इत्यादि इत्यादि बातोंका बतलाना बहुत ज़रूरी है ।

जैसे—तुम्हें किसने बनाया—परमात्माने ।

जगत् किसका है ? —ईश्वरका ।

उसका नाम क्या ? —ओऽम् है ।

तुम्हारा उसका क्या सम्बन्ध है—पिता पुत्रका, स्वामी—
सुवक्कका, शासक-शासितका ।

इन सब भातोंकी सविस्तर हृदयङ्गुस कराना ।

पुनः देश किसका—हमारा । तुम कौन—आचर्य । तुम्हारा सर्वस्व क्या—ईश्वर, वेद और देश । क्यों तुम्हारा जन्म हुआ—ईश्वर, पिता भातादि गुरुजनोंके साथ देशके दीन हुखियोंकी सेवा करना, आहुचल, बुढ़ि बल और धनसे देश व देशवासियोंकी रक्षा करना, मनुष्यमात्रमें शान्ति स्थापन करना हमारे जन्मका चहू-शय है । यदि इन यह सब भातें लिखें तो बड़ा विस्तार हो । चाहिये कि छोटी छोटी नीति शिक्षाकी प्रश्नोत्तरियाँ छपकर बच्चोंके हाथोंमें, कमशः गूढ़ होती हुई, पहुँचें । उच्च और शीमें पूरे दर्शन सौंपे जायं तब नैतिक शिक्षाका लाभ हो सकता है ।

(८) बच्चे जगतमें बिलकुल बेसमकी लेकर प्रविष्ट होते हैं उनमें सिवा सम्बेद, और योग्यताओंके और कुछ नहीं होता । जितना इनका नादानपन शिक्षा द्वारा दूर किया जायगा उतना ही वह छुखो और लाभप्रद बनेंगे अतः इन सम्बेदों और योग्यताओंको हमें (पिता भाताको) चाहिये कि सीधे, सम्भालें, उपदेश, आदर्श और अनेक शिक्षाओं द्वारा उनके मन सेन्ट्रको (धर्मसे मनुष्य धर्म अभीष्ट है) धर्म सेन्ट्र बनानेकी चेष्टा करें । कमसे कम जितना हम स्वयं जानते हों उतना तो अवश्य ही सिखला दें, शेष गुरु द्वारा हो, या समस्त गुरु द्वारा ही हो । यह गुरु भाता पिताका धर्म प्रतिनिधि होता है और बच्चे के कृत्योंका वह एक सीमातक परमात्मा और समाज दोनोंके सामने दायी है । पर याद रहे कि पिता Principal प्रमुख है और गुरु उसका नियत Agent कर्ता या अन्तर्य है । बहुतसे दायित्व ऐसे हैं जो पिता ही पर उतरे हैं गुरु पर नहीं ।—बच्चे के बलम व्यवहार, स्वभाव, आचार, विचार,

भान, ढलान पर विचार करना उसके अनुकूल शिक्षा देने दिलानेकी चेष्टा करना यह सब पिताके काम हैं, गुरुके नहों— गुरु तो स्वयं पिताके नियुक्त करनेके उसकी ओरसे कार्य करता होता है ।

(९) यह पितरोंका काम है कि सर्वथा यथाशक्ति यत्तवान होकर अपने बच्चोंमें अभिसान, हठ, दुर्भाव, ईर्ष्या, मत्सर, लीभ निर्दर्शन, क्रोध, मिथ्या, बाद, बदला, प्रस्तुति अनेक दोषोंको न आने दें । जो कोई दोष उत्पन्न हो भी जाय तो वह यत्तवे उसको निकालकर चमूल फेंक देनेकी चेष्टा करें । उड़केको न खुधारना लाभ नहीं है बरन वेदर्दीकी भार है जिसकी चोट सारी उमर बच्चोंके कलेजेपर यहाँ कसकेगी, अन्तमें वहाँ भी उसें बुखली आशा न रहेगी ।

(१०) विना उदाहरण दिखाये सूत्र शिक्षा व्यर्थ है, सेवे ही विना स्वयं आदर्श बने कोई अपने बच्चोंको यथावत नीतिज्ञ सन्वाणी और कर्मसे नहीं बना सकता अतः भाता पिताका धर्म है कि स्वयं सन्वाणी और कर्मसे नीति पथ गामी रहकर बच्चोंके आदर्श हों जिसमें बच्चों पर उनकी शिक्षा तुरन्त प्रभाव डाले । चोर, डाकू, बदमाश, लवार, लम्पट, जुआड़ी और नशेखाज लोगोंके उड़के शायद ही कभी अच्छे होते हैं । शिक्षाकी असावंधानतासे भलोंके बुरे तो निस्त्रन्देह बहुत ही जाते हैं पर बुरोंके भले कम होते हैं ।

(११) भाता पिता ईश्वर भक्त होकर बच्चोंके भलेकी प्रार्थना करें और द्वान ध्यान, प्रार्थना उपासना; सन्ध्या अग्निहोत्रादि बच्चोंको साथ लेकर नित्य किया करें । पिता भाता जहाँ स्वयं फैशनके गुलाम, लालचके चेरे हों, उड़केके चलन, संगतकी निगरानी न करें वहाँ भलाई कठिन ही है ।

अब देखना है कि पितरोंके दायित्व तो इतने हीं पर उनके स्वत्व क्या हैं, क्योंकि कोई स्वत्व बिना दायित्व और कोई दायित्व स्वत्व रहित इस संसारमें परमात्माने नहीं बनाया।

(१) लड़कोंयोग्यतानुसार अपने कर्तव्यमें ब्रह्मावर सहायता ले। पर नितान्त बालकके साथ तो पिताका पूरा अधिकार है कि उसकी इच्छाओंका कुछ भी ध्यान न करे अपनी बुद्धिके अनुसार उसके लिये लङ्गूलकी कानना रखते हुए बर्ताव करे। जब कुछ बड़ा हो तो उसके समझके अनुसार स्वतन्त्रता दे और उसके सभीर्गीं और इच्छाओंका लिहाज करे।

(२) जब बच्चे जवान होकर अपने कृत्यके आप दायी हो जाते हैं तब पिता माता पन्द्रह आना दायित्वसे छूट जाते हैं पर एक आना शुभ शिक्षाके दायित्वका भार आजन्म बना रहता है। लड़का घरमें शास्त्रानुकूल २५ व लड़की १६ में युवा होती है और पाप पुण्यके दायित्वके लिये लड़का १४ वर्ष लड़की १० वर्षमें आयुके होते हैं। वर्तमान न्याय धारामें साम्पत्तिक विषयोंके लिये लड़का २१ व १८ और लड़की १८ व १५ में युवा मानी जाती हैं किन्तु फौजदारी विभागमें जब उनको अपने भले बुरेका ज्ञान अच्छी तरह भान होने लगे वे अपने कृत्यके आप दायी हैं नहीं तो उनके माता पिता।

ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाय पितर उसकी यथा योग्य घरके कामोंमें सम्मतियां लेते रहें। इसी पर एक नोतिकार कहता है।

‘प्रासेतु बोडशो वर्वे पुत्र नित्र समर्चरेत्’।

जो सन्ततिके दायित्व हैं वही पितरोंके स्वत्व हैं और जो पितरोंके दायित्व हैं वह सन्ततिके स्वत्व हैं। दोनोंमें अन्योन्य सम्बन्ध है।

मण्डल दूसरा ।

अनुवाक ४

सन्ततिके पैदृक दायित्व वा कर्तव्य

इस इस अनुवाकमें बच्चोंके कर्तव्य, उनके स्वत्व और दायित्वका कथन करेंगे ।

(१) बच्चोंको अपने पितरों और गुरुजनोंका आज्ञानुबर्ती होना चाहिये, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा यही है जैसा कि धर्म अन्योंके साथ साथ प्राकृतगठन भी हमें साक्षी दे रहा है ।

‘इसमें अतिरेचनके स्थल यह है’ ।

अन्तरात्मा घात न करे । अर्थात् पितरोंके कहनेसे वह काम जो हम प्रत्यक्ष वेद विश्वदु विश्वास करते हैं न करें ; जैसे, हत्या, जुवा चोरी । परनात्माकी आज्ञा माता पिता गुरु राजा सबकी आज्ञासे ऊपर और मध्यान है । कोई बालक प्रश्न करे कि क्यों पितरोंकी आज्ञा मानना धर्म है तो उत्तर सरल और सीधा यह है कि घरका सारा गठन खन्ड वग्न होजाय जो बच्चे आज्ञानुबर्ती न हों । ईश्वर और हमारा गठन दोनों चाहते हैं कि हम पितरोंकी बुद्धि, विद्या और उनके अनुभवसे लाभ उठावें । और पितरोंके उस निस्स्वार्थ स्वच्छ प्रेमका जो वह हमारे ही हितके वास्ते रखते हैं आनन्द भोग करें और उनको यथावत् अपने भलेके लिये काम करने दें । परन्तु यह बिना आज्ञानुबर्ती होनेके हो नहीं सकता ।

वेद भगवान् आज्ञा देते हैं । सात्र वान् पितृ वान् आ-चार्य वान् पुरुषो वेद । साता पिता गुरु तीन उत्तम शिक्षक हों तब ही सनुष्प ज्ञानवान् होता है (यह शतपथ ब्राह्मणका

बचन है)। सुनः तैत्तिरीय० प्र० ७ अनु० ११ कं० २ में है—मातृ देवो भव, पितृ देवो भव अचार्य देवो भव। (मुसलमान कबि शेख सादी कहता है—अरंकुन कि रिजाय भादरां नस्त—फिरदौश जेरे कपो पाय सादरा नस्त। अर्थ

बह कर जो हमारी (ईश्वर कहता है) मरजी है।

बैकुण्ठ माता पिता के पैरोंके लले है॥

बाइविल सरिस पुस्तकोंमें भी हमें ईकेसियन अध्याय मृ छन्द १ नें मिलता है Children obey your parents in the Lord बच्चों अपने पितरोंको आज्ञाओंको, परमात्माकी आज्ञा भङ्ग न करती हों, तो जानो। माता पिता की आज्ञाओंके पालनका उपदेश हमें सूखंतन जातियोंमें भी मिलता है। हमने बहुतसे प्रभाणोंसे ग्रन्थको भरना उचित नहीं समझा। हमारे पाठक चाहें तो इसके प्रभाण छर किसी घर्म सम्बन्धमें ढूँढ सकते हैं।

पितरोंकी सेवा, आज्ञापालन, और उनकी नीचसे नथी टहल हमें दोनों लोकोंके लुड़ोंसे सम्पन्न करनेवालों हैं। जो इससे घणा करता है, जो इसे गुलामी समझता है, जो इसमें अपनी हेटी मानता है वह कसीना इस योग्य नहीं कि मनुष्य समाजमें बैठसे दिया जाय। बैदिंक आज्ञाके विरुद्ध हम उनकी आज्ञाको पालन करनेके लिये बाध्य नहीं तो भी हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, हम उनकी आज्ञा उल्लंघन करनेके कारण नथता पूर्वक प्रेम परिपूर्ण शब्दोंमें नीची दृष्टिसे निवेदन करके चुप रह जाय, यदि वे इस कारण हमें अनुचित दण्ड दें तो हम अनुसूयासे सहन कर लें।

पितृ-सेवा मनुष्य शरीरका एक असोल आभूषण है। क्यों महामान्य चिरस्मरणीय महात्मा रामचन्द्र, अवण, गोपीचन्द्र

जौर प्रू आदि लोग आज पर्यंत हमारे देशके गैरवके कारण माने जाते हैं ? केवल पितृ भक्तिसे । प्रह्लादको कितना ही दण्ड उनके पिताने दिया पर वह ईश्वरी आङ्गाके प्रतिकूल न चले किन्तु पितासे एक भी कठोर बात नहीं कही जो उत्तर दिया सीठा, अर्थस्कर, नम्रता और पितृ भक्तिसे भरा हुआ ही उत्तर दिया । यह बातें अनार्थ्य जातियोंमें इतनी नहीं निल सकतीं, हमारा काम है कि हम उन्हें सुधारें और तिखालावें ।

हम प्रत्यक्ष देखते हैं जो भाता पिताके आङ्गानुवर्ती नहीं होते उनपर ईश्वरका सहान कोप होता है और तद्विरुद्ध पितृ भक्तोंको सब तरह संगल ही संगल होते रहते हैं । प्रभाण यह है कि जितने पितरोंके अनाङ्गाकारी लोग मिलेंगे सब दुराचारी, दुखो और अशान्त मिलेंगे—यही ईश्वरीय दण्ड है । हमने निज अनुभवमें एक भी आदमी ऐसा नहीं पाया जो पिताका अनाङ्गाकारी होकर चुड़ी हो, सदाचारी हो, मानसिक और कायिक व्यथासे अति पीड़ित न हो ।

अतः वज्रोंको पितरोंको प्रतिष्ठाकभी न छोड़नी चाहिये यह प्रतिष्ठा सच्ची हो, यह प्रतिष्ठा भक्ति युक्त हो, दिखावटी नहीं । हमने अपनी उर्द्ध पुस्तक ‘इस्मे आजमं में अनेक नैतिक शिक्षा-ओंके साथ इस पर भी कुछ लिखा है जो महाशय बाहे दूर कर पढ़ सकते हैं । पिताकी प्रतिष्ठा पिता होनेके कारण है—बहु हमारे गुरु, जनक, हितचिन्तक, प्राण रक्षक हैं, यदि वह विद्वान्, पंछित, धनी, पूज्य, प्रतिष्ठित और प्रतापशाली हैं बहुत अच्छी बात है, पर इन बातोंके कारण न हमारी स्वभाविक प्रतिष्ठा और हमारा हार्दिक प्रेम उनमें बहु सकता है न बहुनके विपरीत बातोंके होनेसे घट सकता है । बड़नेको तो

जगह ही नहीं और यदि घड़नेको जगह है तो वह कसीना प्राणी पहले अपने पितरोंका पूरा भक्त न था जो घटनेको जगह हे तो भी वह पितृ भक्त नहीं। वास्त्र कारण वाहरवालोंके बास्ते हैं कि हम इन बातोंको देखकर किसी की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा करते हैं क्योंकि धाहरी काम प्रेम नहीं सांचारिक ढोंग हैं पर पितरों और सन्ततिका यह सम्बन्ध ऐसा नहीं। पितृ और मातृ शब्दों पर विचार करनेसे ही हमें निश्चय हो जाता है कि हम उनके यावजजीवनके ऋणी हैं, इस ऋणसे हमें सिवा उनके आशीर्वादके और कोई मुक्त नहीं कर सकता।

जो सन्तान बहुवस्थामें पितरोंकी सेवा और उनका पालन पोषण प्राणघत नहीं करते उन पापियोंका मुख देखनेसे भी याप होता है क्योंकि वे मनुष्य नहीं, जो युवा होते ही माता पिताको भूल जायें, वरन् पश्च हैं क्योंकि यह स्वभाव पश्चओंमें ही हम प्रत्यक्ष देखते हैं। हमें माता पिताके दोषोंसे कुछ सतलघ नहीं हमारा धर्म उनकी सेवा है जिसका कारण एक मात्र यही है कि वह हमारे जनक जननी हैं।

जब सन्ततिका स्वत्व और पिताका दायित्व है कि सन्तान सुखसे रहे पिता पूर्ण प्रेमसे कष्ट सहकर उनकी सेवाकरे तो क्या उस सन्ततिका यह दायित्व नहीं कि युवाहोकर उनकी सुध ले जाप कष्ट सहकर प्रेम प्रतिष्ठा पूर्वक उनकी सेवा व पालन पोषण करे हम समझते हैं उनका स्वत्व यतकिञ्चित भी कम नहीं। वह तो अपने कृत्यसे दायी होते हैं हम उनके परोपकारके ऋणी और दायी होते हैं। जो धन होते अपने ऋणको नहीं चुकाता वह अन्यायी और विरेषान है तो वह सन्तान जो धरीर खलते पितृ सेवा नहीं करता या जाप देती

खाता है कपड़ा पहनता है पर पितरोंकी सुध नहीं लेता वह असंख्य वेइमान, दगवाज और दुष्टोंका गुरु, वेइमान दगवाज और दुष्टराज है ।

दृश्यायोंकी अद्वितीय धार्मिक बुद्धि और अनुपम मतमें नीतिकार कहते हैं कि 'लड़का युवा हुआ और पिताकी आज्ञा पालनके भारसे मुक्त होगया इत्यादि'—हन इन कुशिक्षाओंको खन्डन करनेके लिये भी उद्भूत करके अपने पवित्र लेखको पाइचात्य धर्मज्ञानकी कालपसे कलंकित करना पसन्द नहीं करते ।

अन्तरात्माएं अवश्य भिन्न हैं और अनेक नैतिक स्थितियाँ हैं पर एक भात्र व्यात कि पितरोंकी अवैदिक शिक्षा माननीय नहीं हमारे समझमें हैसी है जो अटल सार्वभौम्य नियममें अतिरेचन हो सकती है और कुछ नहीं ।

मण्डल तीसरा ।

अनुष्य सभ्य समाजी है ।

अनुवाक १

"समाज ।"

सभ्य समाज एक समस्त्य भाव है यदि इसका साधारण सरल रूप समझ लिया जाय तो टीक हो अतः इस भरहलको दो भागोंमें विभाजित किया जाता है । पहिलेमें तो साधारणतः सामाजिक गठनको कहेंगे, दूसरेमें सभ्य समाजका गठन बतलायेंगे ।

कोई समाज क्यों न हो किसी न किसी प्रकारके पारस्परिक शर्तों पर ही आधार रखता है । चाहे यह शर्तें परा

चीनतम हों वा नवीन, याहे लिपिबद्ध टीप हो या मौखिक प्रतिज्ञा वा नानसिक समझौता । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति शेष समाजके साथ कुछ स्वत्व और दायित्व विशेष स्थापन करता है । इसके बास्ते अन्तरात्माका विकल्प होना अनिवार्य है नहीं तो समाजका प्रादुर्भाव ही नहो । क्योंकि न अपने नेतृत्व दायित्व और स्वत्वको आदमी पहचानेगा न परस्पर सामाजिक सम्बन्ध रख सकेगा । यदि अन्तरात्मा विना ही समाज संगठित हो सकती तो पशुओंमें भी मानवी समाज संगठन यथाकृत ही देखते । जङ्गलियोंमें भी हम सभ्य नमाजें पाते । पर नहीं अन्तरात्माके प्रकाशानुसार ही उनमें उतनाही गठन है, जहाँ नितान्त अन्तरात्मा जड़ होती है वहाँ पूरा जड़त्व पाते हैं ।

इस तरह गठित समाजमें केवल उन शर्तोंका लिहाज होता है जिनके पूरी करनेको सबने मिलकर प्रतिज्ञाकी होती है या टीप लिखी होती है । यदि कुछ विशेष व्यक्तियाँ मिलकर एक विशेष समाज गठनकरें और अनेक असाधारण पारस्परिक स्वत्व दायित्व प्रतिबन्धात्मक नियम बनालें तो वह एक विशेष समाज होगी । जैसा पहलेसे गोत्रों, सम्प्रदायों, सनातनोंके रूपमें होता आता है जो आज कल भी हम देखते हैं । इसके द्वारा एक गठनकी सम्मिलित व्यक्तियाँ अपने जपर विशेष विशेष स्वत्वोंका छुख और दायित्वोंका भार व कष्ट उठाते हैं । जो नया सम्मिलित होता है उसे यही बातें माननी पड़ती हैं ।

समाजोंमें नेतृत्व करणीयोंका विचार मुख्य कमानो होती है यदि पारस्परिक कर्तव्योंका पालन नहों होता तो वह समाज भङ्ग हो जाता है, क्योंकि किसीको न किसी स्वत्वकी

प्रासिका भरोसा रहता है न किसी दायित्वके पूरा करनेकी चिन्ता होती है। यह एक प्रकारके सामीको खेती है जो सब सामी अपनी २ करणीयोंको नीति धर्मानुकूल निर्वाहें तो साम्भा निभता है नहीं तो दूट जाता है। यह नहीं होता कि एक सामी तो सोया करै दूसरा रातभर पहरा दे। जो पढ़ोसी हमारे घरकी आग बुझानेको नहीं आ सकते उनके घरोंमें जो आग लगे उसे बुझाने कौन जाय। इन्हीं शर्तों और सम्बन्धोंके अच्छीतरह जानने सानन्द व पालनेका नाम एकता है और यह एकता नीतिबन्ध होती है। इसके विस्तृ अपने कर्तव्योंके पालनमें दूसरेके सम्बन्धगत चुनून करना व कर्तव्यपा- नुकूल चलनेसे विरक्त रहना द्वेष करना है, अनीति है। इन्हीं बन्धनोंके ढीले पड़नेसे आज भारत लाखफा राख होता दीखता है इन्हीं बन्धनोंकी दृढ़तावे जहाँली सभ्य बने रहते हैं व बन गए। जो सानाजिक बन्धनोंको नहीं भानता या तोड़ता है वह उस समाजका अङ्ग नहीं।

एक समाजका प्रति व्यक्ति एक ही प्रतिबन्धोंको (शर्तोंको) स्वीकार करता है अर्थात् हरेक जन समाजका एक समान दायी होता है और समाज हरेकके प्रति एक सा दायी होता है सब लोग परस्पर एक समाजके व्यक्ति होते हैं, एक सम्प्रदायी या एक कुटुम्बी होते हैं, एक समान भाई होते हैं। सर्वे भाईको नय विस्तृ होनेसे त्याग देते हैं पर समाजको एकके निमित्त नहीं छोड़ते। जिन नियम समूहोंके बन्धनमें अनेक व्यक्ति बंधते हैं वही उस समाजका संगठन कहलाता है। इन नियमों द्वारा समाजके उद्दीश प्रकट होते हैं यह ज्ञात होता है कि समाजका उद्दीश किस रौतेसे पूरा किया जाय। जैसे सहे, टीप, प्रतिज्ञाएँ दो व्यक्तियोंके बीचकी वैसी ही

अनेकोंके धीर्चकी । समाजके शरीर विस्तारमें भेद है किन्तु बिहूनातमें नहीं । अलवत यह सम्मिलन इच्छा पूर्वक होता है प्रत्येकको पृथक होनेका अधिकार रहता है ।

समाजोंके नियमोंमें व्यक्तियोंको असुविधा होनी सम्भव है अतः अनुभवके अनुकूल नियम परिवर्तन भी हो सकते हैं इसीका नाम सुधार या संशोधन है कि असुक काम सुविधाके साथ कैसे किया जाय और किर सब उसीके पालन करनेकी वाद्य होते हैं ।

अब प्रश्न यह होता है कि समाज कैसे चलाया या शासित किया जाय ? अतः समाजका शासन तीन रीति पर ही हो सकता है ।

(१) सर्व सम्मतिसे (२) अधिक सम्मतिसे (३) अल्प सम्मतिसे ।

सर्व सम्मतिकी सब धातोंमें आशा करना असम्भव है । मनुष्योंकी इच्छाएँ, उनके स्वभाव, भाव और ढङ्ग इतने विभिन्न हैं कि सर्व सम्मति नहीं निल सकती । और एक व्यक्तिक या अल्प सम्मतिदे काम करना अनीति है क्योंकि बहुतोंके स्वार्थ, इच्छा और ज्ञान अनुभवका योड़ोंके निमित्ता घात करना प्रत्यक्ष अनुचित है और इस दशामें समाज चंगठनके मूल अभी-पृक्का ही नाश हो जाता है । समाजके अधिक प्राणियोंके अधिक बुखसाधनके ही उद्देश्ये तो समाजका गठन होता है, जो एक या योड़ोंकी चर्जीको ग्राहनता देनी हो तो नियम और समाज बनानेका कष्ट उठाना ही व्यर्थ है । सर्व सम्मतिके आगे तो कोई अच्छी बात है ही नहीं—नहीं तो किर बहु-सम्मति ही मान्य होनेदे सामाजिक बुखसाधन ही सकता है ।

योडे लोगोंका अधिकांश प्रजाद्वे अधिक देशका हित करनेवाला जानना ठीक नहीं है। अपने सार्वभौमिक हानि लाभको सब जानते हैं योडे लोगोंकी इच्छाके अनुकूल समस्त समाजके हानि लाभको मान करना व वहुतोंके कथनकी परवा न करना अनुचित और अन्याय है।

अधिकांशको समस्त प्रजाकी शक्ति प्राप्त है क्योंकि इस बातकी ज्ञावश्यकता सिंह हो चुकी है, पर उसे यह शक्ति समाजसे मिली है अतः उसे समाजके सिद्धान्त विरुद्ध या समाजप्रद शक्तिसे बाहर जाना न चाहिये, यदि जाता है तो अन्याय करता है। अर्थात् व्यक्तियोंने जो अधिकार जिस समाजको दिये हैं उसने हीके भीतर अधिकांश अपनी शक्तिको काममें ला सकता है न कि उसका अतिक्रमण करके।

अधिकांश हो वा और कोई किसीको समाजके उद्देश्योंकी परिवर्तित करनेका अधिकार नहीं है। यदि उद्देश्योंका परिवर्तन हो तो दूसरा समाज गठित हो और वह वक्तियाँ जो इस नवीन गठनमें मिलना चाहतो हीं मिलें, जो न चाहें उनकी इच्छा। पर एक उद्देशके अनुकूल गठित समाजमें अधिकांशका उसके विरुद्ध या बाहर काम करना अधिकारातिक्रमण सूपी घोर अत्याचार है—कारण प्रत्यक्ष हैं।

कार्य प्रणाली भी वही होनी चाहिये जो कि व्यक्तियोंने मिलकर जानी व बनाई हो। क्योंकि व्यक्तियोंने अपनेको उन्हींका दायी किया है और तद्विरुद्ध किसी प्रणालीकी पावन्दी उपर अनिवार्य नहीं है न ही सकती है।

अधिकांशको यह भी अधिकार नहीं कि कोई ऐसा काम करें जो व्यक्तियोंके सदैवके पूरे समाजिक समता सिद्धान्तके तोड़नेवाला हो। जब सबोंसे अपनेको एक ही नियमके

अधिगत किया है तो उनमें भेदभाव होना संयोगके नौलिक चिह्नानके बिलकुल विस्तृत है। अतः गठनके स्वाभावानुसार स्वयं चिह्न है कि जबतक अधिकांश उस समाज प्रत्ति अधिकारकी सीमाके भीतर काम करें तो व्यक्तियोंको उनकी व्यवस्था शिरोधार्य करनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी इच्छासे इस कर्तव्यको अपने क्षेत्र पर लिया है और वह वाध्य है कि उसे पूरा करे। अर्थात् समाज भी प्रतिज्ञाओंके अनुकूल भाव, प्रणाली और अभीष्टको नन, वाणी, कर्मसे व्यक्तियोंके प्रति वर्ते और व्यक्तियाँ भी इसी तरह समाजके प्रति वर्ते। यह आवश्यकता अथवा वन्दिश के बल दिखावटी भव्यादार्थ नहीं वरन् यह एक नैतिक कर्तव्य भार है जो अपनी ही इच्छासे अपने क्षेत्र पर लिया गया है। और किसी दूसरे कर्तव्यकी अपेक्षा इसका पालन कर नहीं है—बराबर है। जो अधिक कर्तव्य पालन न करें तो अल्प उन्हें छोड़ अलग हो जायेंगे जो अल्प या व्यक्ति ऐसा करे तो वह अलग कर दी जायगी।

यदि हमारा उक्त विचार ठीक है तो हम समझते हैं कि इससे गठित समाजके स्थैत्यर्थके प्रश्नके क्षेत्र कुछ प्रकाश पड़ सकता है क्योंकि—

एक संयोग (Corporation or Consolidation) का नाम समाज है जो कि उन विशेष अभिप्रायोंसे नियोजित होता है जो कि एक प्रणाली विशेष द्वारा सिद्ध किये जाते हैं। जो इनमें योग देता है, इस प्रतिप्रबन्धके साथ उसमें योग देता है। समाजकी पूर्ण शक्ति यही है कि इस रीतसे इन उद्देश्योंकी सिद्ध की जावे। यदि एक वा अनेक कोई इससे भिन्न काम करे तो उस कामके करनेके समय वह या वे उस समाजके सभ्य नहीं किन्तु और ही व्यक्ति हैं। और जो व्यक्ति,

अल्पांशु, अधिकांश वा पूर्ण समाज कोई क्यों न हो ठीक निर्णीत रीति से व्यवस्थित उद्देश्य सिद्धि के निमित्त जो काम करता है या करते हैं समाज हैं और दूसरे नहीं । समष्टि वन्धन का नियम इन्हों सिद्धान्तों पर काम करता है । इस भाँति अयुक्त व्यक्तिगण एक नैतिक अधिकार युत गोष्ठि है (body public) और न्याय को इसे जानना पड़ता है पर न्याय ऐसे गठनोंमें हस्ताक्षरे पर नहीं करता ।

अब कल्पना करो कि सबने अपने विचार वा भाव (sentiment or opinion) बदल दिये तब तो समाज को निस्सन्देह दूटी हुई ही कहा जायगा । वे दूसरी गोष्ठि बना सकते हैं पर जब तक वे दूसरी गोष्ठि न बनायें वे दूसरे नहीं समझे जायंगे । जो कोई सम्पत्ति उस गोष्ठिमें हो गई है तो वह लोग अवश्यक उसी जार्गन पर उस उद्देश्य की पूर्ति की चेष्टा करते जा रहे हैं वे उसके सरालिक होंगे और वही समाज है दूसरे अलग हो गये । उन्नपत्ति पर तो अधिकार उन्होंका होगा जो उस सिद्धान्त पर अटल रहेंगे चाहे थोड़ी ही क्यों न रहे हीं और बहुत से निकल गये हों । जो सब ही खण्ड खण्ड हो गये तो धर्मज्ञात्वानुकूल सम्पत्ति उनके उत्तराधिकारियों को मिलेगी अथवा वह सम्पत्ति सर्वसाधारण बहुत मनुष्य समाज की होगी । उसी बात से दूसरे उद्देश्यों को स्थापित करके हम उसके भागी दार नहीं हो सकते, इस दशामें हमारा व दूसरे आम निवासियों का समान ही अधिकार होगा ।

न्यायधारा विधायकों को भी अधिकार नहीं कि जो चाहें वही नियम बना जारे जिसे चाहें उसे हकदार बना दें । ऐसा दुष्ट चलन घोर अंकों पके योग्य होता है । क्योंकि ऐसी कोई अनुनति समाज की ओर से न्याय विधायक समिति को नहीं

दी होती फिर जो वे स्वाधिकारका उल्लंघन करके कोई न्याय बनायें तो वह वयर्थ और रही है सान्य नहीं हो सकता ।

वर्तमान शताभिदकी सानवी समाजको स्थितिके अनुकूल हमें इस मण्डलको ध्यानसे पढ़ना व विचारना होगा । यह तो प्रत्यक्ष ही है कि अनेक समाजों सन्तान्य विशेषसे सनुष्य गठन किया फरते हैं और जो कोई उसमें भाग लेता है एक उद्देश्य विशेष दृष्टिमें रखकर भाग लेता है । स्वयं समाज विशेष भी एक उद्देश्य विशेषसे ही है । ऐसे समाजोंके गठनमें उद्देश्य और कार्य प्रणाली स्पष्ट खोल देनी चाहियें जहाँ ऐसा नहीं होता जौलिक सिद्धान्तोंके भङ्ग होनेसे समाज खिंड जाता है । और जो लगातार ऐसा ही हो तो समाजोंका विश्वास चला जाता है और उनके गठनकी प्रणाली स्पष्ट और सिधिल होकर सनुष्योंको हानि होती है । बहुतसे काम विना ऐसे संगठनोंके ही ही नहीं सकते ।

अनुवाक २

“सभ्य समाज ।”

इस बातके समझनेको कि सभ्य समाज क्या है ? उसके कर्त्तव्य-विभाग क्या हैं व कैसे हैं ? हमें एकबार राज्य व शासन शक्तिको साधारण समाज वा प्रजाविधिक करके ध्यानमें लेना होगा । समाज विना शासन शक्तिके स्थिर रह सकती है और पहिले थी भी । आर्यवर्त्में ऐसा ही था । कोई राजा विशेष न था प्रजा समूह अपने प्रबन्ध स्थान स्थानपर आप ही कर लेता था । योग्य विद्वान् ऋषिगण राजा व सन्त्रीकी भाँति धारायें व नियम बनाकर निस्त्वार्थ प्रजाकी सहायता करते थे । राज्यमात्र एक प्रजाके हाथका यन्त्र है जिसके हारा

समाज अपना अभीष्ट सिद्ध करता है। राज्य एक अन्तर्घ्य है प्रजा प्रमुख्य है। प्रजा सालिक है राजा उसका वेवक है। प्रजा प्रधान राजा उसकी आज्ञा अनुकूल प्रवन्ध करनेवाला आनन्दय है। राजाका प्रादुर्भाव मानवी दुष्टतासे हुआ है।

सभ्य समाज ईश्वरीय संस्था है अर्थात् ईश्वरकी ही इच्छा है कि, मनुष्य समाजबहु होकर रहे नहीं तो 'संगच्छदध्वम् संवदध्वम्' आदि उपदेश हमें वेदोंमें न मिलते। यह बात और भी दो तरहपर सिद्ध होती है एक तो मानवी भौलिक सम्बेगोंसे, दूसरे स्थिति जन्य मानवी आवश्यकताओंसे। वास्तवमें दोनोंका, महीन जांच करनेसे, एक हीमें समावेश हो जाता है जो हमने जपर कहा कि हमारी स्वभाविक दुष्टता और उसके शमनकी आवश्यकता राजके प्रादुर्भावके नूल कारण हैं।

१—मानवी भौलिक सम्बेग ।

(क) हमारे स्वभावका सहजम ढूळ और सार्वभौमिक सम्बेग एक तो समाजकी साधारण प्रीति है। वह बाल कालसे ही पैदा होकर भरणपर्यन्त ज्योंकी त्यों बनी रहती है। यह बात प्रत्येक मनुष्य स्वयं विचारकर देख सकता है। मनुष्यको नितान्त एकाकी रहना एक प्रकार दण्ड है जो कि असह्य होता है। एकाकी कारागारबास कठोर दण्ड समझा जाता है। तब क्यों न समझें कि समाज ईश्वरीय नियमानुकूल हमारे सम्बेगके अनुसार हमें दरकार होता है और स्वभावसे ही प्रिय है। इस सार्वभौमिक सम्बेगका फल दूसरी इच्छाओंकी इस्तरह चलाता है कि जिससे समाजके प्रतिकूल न हो। इसीके लिये अपने छुखका अवलम्ब मानकर तुरन्त हर जगह हर अवस्थामें मनुष्य समाजबहु होनेको दौड़ता है। भाई बहिन,

माँ बेटे, आप किटी परस्पर विवाह करना स्वभाषसे बुरा और पाश्चात्यिक कृत्य मानते हैं। क्या इन सब बातोंसे स्वष्टाकी इच्छा प्रकट नहीं होती?

(ख) मनुष्योंके अन्य प्रेम भाव भी यही बतला रहे हैं। स्त्री पुरुषके प्रेम संयोग ही एक समाजकी स्थितिका मूल अंकुर है। उसके पीछे पैदृक प्रेम, जाति प्रेम और सर्वोपरि देश प्रेम। एक स्वभावके लोगोंमें प्रीतिका होना, मित्रताकी सीमाको पहुँचता है। पारस्परिक सहानुभूतिकी चरम सीमा का अनुभव हमें समाजसे ही तो होता है। नेकी, सहायता, प्रशंसा, उत्तेजना और सम्मति देना क्या है। इस स्वभाविक संमझके फुकावके दो कारण हैं। एक तो समाजसे हमें उस मन भावनी इच्छाएँ मिलती हैं इसीसे हम उसके आधीन रहते हैं और उसके प्रतिकूल अपनी इच्छाओंको दबाते हैं। दूसरे ऐसा हम कह चुके हैं यह प्रीतिके स्वभावमें ही है कि हम निज सुख और वासनाओंको दूसरेके सुख व वासनाओंके लिये जिन्हें हम प्यार करते हैं दबायें बा त्यागें। मनुष्य और पशुमें भेद करनेके लिये यह सम्बेद जो स्वष्टाने बनाये हैं इसमें उसकी भूल हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमें उसकी भल पकड़नेका रास्ता ही इस प्रत्यक्ष बातमें नहीं मिलता।

(२) यही बात हमें-हमारी सत्ताकी स्थिति द्वारा हम पर जो जहरतें पड़ती हैं वे भी बतलाती हैं।

(क) जो समाज न होता हम नष्ट अष्ट हो जाते, पशुके समान स्वेच्छाचारी होते अतः सामाजिक प्रवन्ध ही मनुष्यत्व है।

(ख) मानवी स्थिति जो उन्नति की है न होती; यदि बिना समझे गठन उन्नति सम्भव होती तो पशुओंमें भी हमारी सी ही ही उन्नति आज दोख पड़ती।

समाजमें विनार कार्यविभाग, प्राकृतिक कारिकाओंका ज्ञान उनका प्रयोग, सम्पत्ति और स्वत्वभाव, पूँजी पक्षार कुछ भी न होता । पुनः कई बातें और भी विचारणीय हैं :—

(१) सभ्य सान्तवी समाज और साधारण इच्छाएं गठित समिति या समाजमें बड़ा सहत्वपूर्ण अन्तर दीख रहा है। साधारण समाजमें जो इच्छाएं न गठित होती हैं प्रतिज्ञाएं जानी हुई होती हैं और यह समाज जट्ठ प्रतिज्ञा करनेवाले चाहें तोड़दें अथवा जो दूसरापक्ष टीप प्रतिवन्ध पूरा न करेतो हम भी उसके पूरे करनेको बाध्य नहीं हो सकते । पर सभ्य समाज ईश्वरेच्छानुसार सङ्घठित हुई है और हनेंकर्तव्य विशेषमें धार्थती है जो हम तोड़ें तो हमारी ही सत्ताके सधैर्यको भय है । इसमें हम मनुष्य और स्त्री दोनोंके प्रति दायी हैं, साधारण समाजकी भाँति मनुष्यमात्रके ही दायी नहीं । जो दल्पति परस्पर पालनपोषण तहाय न करें । पिता पुत्रको न पाले, चार आदमी मिलकर घर न बनावें तो हमलोगोंका अस्तित्व ही कहाँ हो ? यह सम्बन्ध ऐसे हैं कि जो एक पक्ष भूल भी करे तो दूसरा वैसा ही नहीं कर सकता । क्योंकि वह ही ईश्वरके समने भी उत्तरदाता है ।

(२) यह सभ्य समाज जानवों नियमानुकूल नहीं बरन् ईश्वरी नियमानुकूल वेद भगवानकी आज्ञानुसार बना है । इस ईश्वरीय गठनमें सानवी हस्ताक्षेपको न जगह है न यह चित्त ही है । जहाँ वेद भगवानकी आज्ञाओंका समाजने उल्लङ्घन किया कि वह स्वयं नष्ट हुआ ।

वेदोंकी सासाज सम्बन्धिनी शिक्षा और अनेक जातियोंके इतिहास देखनेवे हमें प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वरकृत सासाजिक

नियमोंके भङ्ग करनेके कारण किस तरह जातियाँ नष्ट भष्ट होती हैं ।

(३) जो समाज ईश्वरीय नियमानुकूल स्थापित सिद्ध होती हो तो प्रत्येक भनुष्य जो ईश्वर प्रणीत सामाजिक नियमोंका पालन करे उसमें सम्मिलित होनेका अधिकारी है । क्योंकि यदि सभ्य मानवी समाज गठनमें भनुष्य ईश्वरीय नियमोंके पालन फरनेको वाध्य हैं और परमात्माकी इच्छा व आज्ञानुकूल चलना चाहते हैं तो उन्हें कोई अधिकार इस बातका नहीं है कि वह इसे उन सिद्धान्तोंपर बनावें कि जिससे कोई भी भनुष्य जो अपने निर्माताके सामाजिक नियमोंके पालन करनेको राजी हो वहिष्कृत हो । अतः कोई भी भनुष्य न्यायपूर्वक समाजसे वहिष्कृत नहीं हो सकता जबतक वह कोई उद्दरण्डताका सुलभखुला ऐसा लास न करे कि जिससे उसका अधिकार अपहरित हो जाय । उसका खौलिक स्वत्व तो मान ही लिया जायगा किन्तु इस स्वत्वके अपहरणीयता का प्रमाण उनको देना होगा जो उसे वहिष्कृत करते हों । यह कहना यथेष्ट नहीं हो सकता कि कोई भनुष्य जो समाज को नहीं चाहता दूसरे समाजमें चलाजाय । जबतक कोई ईश्वरीय नियम भङ्ग न करे सिवा अन्यायके और किसी तरह वह समाजसे पृथक नहीं दिया जासकता क्योंकि उसका समाजमें रहनेका खौलिक अधिकार है । अतः किसी प्रकारकी धारा जो किसी भनुष्यको समाजसे पृथक होनेको वाध्य करती हों (कारागार, निर्वाचन वा प्राण दण्ड, देश निकाला) अन्याय युक्त हैं याक्त यह सिद्ध न कर दिया जाय कि उस भनुष्यने असुक कृत्य ऐसा किया जो ईश्वरीय सामाजिक

नियमके विरुद्ध है और उसके विविष्टत न होनेसे ईश्वरीय प्रजामें दुखोंकी वृद्धि होनी निश्चय है।

(४) समाज ईश्वर प्रणीत नियम है जतः हम अनुमान कर सकते हैं कि वह इसको रक्षित रखना चाहता है अतः जो व्यक्ति ऐसे अपराध करै जिससे समाजके विनाशका कारण हो तो समाजको अधिकार होगा कि वह ऐसे उपाय हाथमें ले कि जिससे समाज सुरक्षित रहे और समाज विनाशक अपराध न होने पावें। यही कारण है जो समाजको अधिकार है कि अपराधियोंको दृष्टि दे और उनकी ताङ्गना करता रहे जिससे ईश्वरीय दीपके नियमोंका यथावत पालन हो। इसी नियमित्ता समाज एक उपयुक्त राष्ट्रस्थापन करती है कि यह ईश्वरीय सभ्य सामाजिक संस्था क्षेत्र कुशल पूर्वक स्थिर बनी रहे।

(२) पुनः दोपका मौलिक तत्व व सीमा जो व्यक्ति और समाजमें पारस्परिक प्रतिवन्ध और प्रतिज्ञाकी द्योतक है क्या हैं? इसपर भी धोड़ा विचार करना आवश्यक है।

(क) चक्र ईश्वरीय सामाजिक पारस्परिकत्व नियमानुकूल, गठन ही कारण है जिससे समस्त गुप्त समितियोंका असमाजिक भुकाव देखा जाता है। इनका उद्देश्य चाहे प्रकाशमें हो ऐसा हो या चास्तविक हो, कि ईश्वरीय सभ्य समाजके प्रतिकूल अपने गोष्ठिके सदस्योंको बचाया जाय। इस स्थितिमें जब कि एक व्यक्ति सभ्य समाजके लाभोंको दूसरोंकी भाँति उठाता है और यह चाहता है कि समाज या अन्य लोग तो ईश्वरीय समाजिक प्रतिज्ञाका उसके-प्रति पालन करें और आप अपनी बार दूर भागता है और समाजके नियमाधिगत नहीं रहता तभी ऐसा करता है, नहीं तो गुप्त गोष्ठियोंकी क्ष्या आवश्यकता है। दूसरोंको अपना रक्षक बनाये रहना और

आप उनका भक्षक बनना यही काम गुप्त गोष्ठियोंका प्रायः होता है जो अधर्म है ।

(ख) हमारा धर्म है कि ऐसी गुप्त गोष्ठियोंका भएहा फोड़ करें क्योंकि यह मनुष्य समाजमें अशान्ति प्रसारक होती है । इनकी छोटीसे छोटी वातको भी न छोड़ें नहीं तो इनका बढ़ना और बल पकड़ना समाजके विनाशका कारण होगा ।

(ग) समाज और उचके व्यक्ति के बीच यहाँ ही तक प्रतिज्ञाके बन्धनमें होते हैं कि समाजके भेंग करने वाले कारणोंको उपस्थित न होने हें, सिवा इसके सब स्वतन्त्र आदित्य दशामें होते हैं । इनके शरीर, बुद्धि और अन्तरात्माका स्वातन्त्र्य ज्यों का त्यों अछूता बना रहता है ।

सिवा इस समाज जीवन रक्षाके शासन व्ययके और किसी तरह पर किसी व्यक्तिकी सम्पत्तिपर कोई दायित्व नहीं पड़ता । अबतक कोई व्यक्ति पारस्परिकत्वके नियमोंको निवाहे जावे समाज कोई इसपर दूसरा भार नहीं ढाल सकता, हाँ इन नियमोंके बन्धनमें दूसरोंको भी जो फिरण्ट हों लानेके लिये सहायता दरकार होतो दूसरी वात है । इस सामाजिक प्रबन्धमें लाभ के सिवा किसी तरहकी किसी प्रकाको हानि होना सम्भव ही नहीं हो सकता ।

एक व्यापक विचारनेकी यह है कि सभ्य स्वातन्त्र्य राजकीय शासन पद्धतिकी बनावटसे इतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना व्यक्ति और समाजके दायित्वों और परिस्थितियोंसे, जो दायित्वों और उनके परस्पर परभितियोंका ठीक प्रबन्ध हो तो अन्यथा नहीं हो सकता । चाहे शासनकी बनावट कैसो ही क्यों न हो अर्थात् चाहे शासन व्यक्तिगत हो, राज्य परिषद गत हो, प्रजा प्रतिनिधि गत हो, लोक साधारण गत हो

अथवा और किसी तरह हो। परन्तु उक्त प्रबन्ध अनेक दशाओं (जैसे व्यक्तिक राज्य, धनिक शासनमें) यथेष्ट होना सम्भव नहीं, यद्योंकि मनुष्य मनुष्य ही है उसकी स्वार्थ बुद्धि वहुधा उसे भटका ही देती है। तो भी अधिकांश सम्भालके आधीन शासन होना, प्रशस्त ही देखा व साना गया है क्योंकि हमें आपेक्षिक विचार करना पड़ता है; जैसे अनेक वातोंमें मुसलमानोंका राज्य वर्तमानसे अच्छा था और आर्योंका उससे अच्छा; परन्तु जड़में यह राज्यकीय बनावटका सारा दोष नहीं है, दोष है तो दायत्वों और परनितियोंका यथेष्ट प्रबन्ध न होनेमें है।

(२) अब योहाचा सभ्य समाजके आकस्मिक परिवर्तन पक्षमें कह कर हम इस अनुवाकको समाप्त करते हैं :—

यहांतक हमने वे वातें कहीं जो समाजकी जीवनाधार हैं विना इस प्रतिज्ञा वन्धनके जो ऊपर कहा गया सामाजिक गठन जीवित नहीं रह सकता ऐकिन हमारा यह बल्पूर्वक कथन नहीं है कि यह सितियाँ (Limits) कोई जुदा घोर्जें हैं और वस है, इनके सिवा मनुष्य समाज गठनमें दूसरों वातोंकी प्रतिज्ञा करें ही नहीं सिवा उनके कि जो हमने कहीं।

दखिये कहौं अधिक वातें तो यही हैं :—

(१) समाज व व्यक्ति दोनोंकी प्रत्येक साम्बन्धिक सितियोंको ठीक करनेके पश्चात मनुष्य बुनले कि किस प्रकारकी शासनप्रणाली (Government) उन्हें स्वसामाजिक उद्देश्योंकी पूर्तिके निमित्त प्रसन्न है वा अमीष्ट है। और उस शासन-प्रणालीके स्थेष्य (Existence) के निमित्त जो जो वातें आवश्यक हीं उनका भार अपने ऊपर लें और उसके अधिगत हों। जानलो कि प्रेज़ा लोग प्रजा-तंत्र (Re-publican) शासन प्रणाली छांट कर प्रसन्न करते हैं जिसमें कि सारी शक्तिका मूल खोत

प्रजा ही होती है, तो उनका कर्तव्य होगा कि वह अपने सन्ततिको सचेत और नैतिक शिक्षा सम्पन्न करें क्योंकि बिना बुद्धि और नीतिज्ञताके प्रजा उन्न राज बहुत दिन नहीं चल सकता । यही कारण है कि सिवा दो चार पाँगल बच्चोंके अवधार और कोई समझदार मनुष्य भारतमें ऐसा नहीं जो यह चाहता हो कि अंदोजी शासन आज ही भारतेसे उठ जाय ; यदि ही और हमको ही ज्ञात नहीं है तो हम सुक्ष कराए कहेंगे कि वे नितान्त बेसमझ व हिताहित ज्ञान-रहित भस्तकवाले हैं । राष्ट्रीय दल जो आज कल भथसे देखा जाता है हमारा जहाँ तक अनुभव है इससे अधिक राज्यका शुभचित्तक समूह संसारमें दूसरा नहीं पर इस दलके विद्वानोंका आशय रधानसे नहीं देखा गया । न इनकी सम्मति विश्वास पूर्वक राज काजमें ली गई वात्य विचारोंपर ही इनको बुरा जान लिया गया । इसमें सन्देह नहीं कि दवा बहुधा पीनेमें कहुँइ होती है । यह लोग भी उचित निर्भय बत्य बक्ता होते हैं, यह चालबाजी (Policy) से बात नहीं करते इसीसे इनकी बातें करणे कटु सी लगती हैं । पर यह अराजकता फैलाने वाले नहीं । सम्भव है कि मेरा विचार ठीक न हो तो पाठकगण अपने अनुभवको भी काममें लेकर विचारें कि क्या भास्तमा छोकसान्य तिलक, अर्विन्द वं लाजपतराय प्रभुति इतना भी नहीं जानते कि हमारे भाई और हमारी सन्तति अभी नैतिक और बौद्धिक स्थितिमें इतनी नीची है कि जो शासन इनको फरङ्गी खुशीसे दे देवें तो भी न चला सकेंगे । पर हमें इन संगठिति कास नहीं, कहना इतना ही है कि बिना नैतिक और बौद्धिक उचितिके शासनका कास यथेष्ट प्रजातन्त्र हो वा प्रतिनिधि प्रधान (Parliamentary) के भी

नहीं चल सकता। और नवयुवकोंकी धौढ़िक शिक्षा सामाजिक नियमसे यथेष्ट हो सकती है ज कि शासन प्रणाली से। यह कर्तव्य समाजको उक्त पारस्परिकत्व नियमानुकूल गठित शासन प्रणालीके लिए अन्य गठनोंसे ही पूरा होता है। और धार्मिक शिक्षामें अधिक नतभेद व वर्गान्तर होनेसे इस विषयसे याहर रह जाती है और दूसरे वार्गिक संस्थाओंका सङ्गठन चाहती है यह सब समाज जीवनके अतिरिक्त विचार जन्म देते हैं।

सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक समाज एक पारस्परिक संयोग है प्रत्येक व्यक्ति शेष सभाएँके साथ कुछ शर्तें करता है। सघके स्वत्व बराबर हैं अतः जो अधिकार समाजको मिला है या मिलते हैं सार्वजनिक सम्मति प्रदत्त होते हैं। इसीकारण प्रत्येक व्यक्ति उसके नियम पालन करनेमें परतन्त्र होता है।

पर यह समाज साधारण जन घटित इच्छापर आधार रखनेवाली समाजे समान नहीं है यह ईश्वरी संस्था है अतः इसके नियम भी ईश्वर प्रणीत होने चाहियें। अस्तु—

प्रश्न होता है कि वह कौनसे नियम हैं जिनके अधिगत शङ्करने यह समाज रखा है। इस प्रश्नके विचारमें हम दो बातें ध्यानमें लाते हैं—एक तो वह काम जो समाजकी सत्ताके निमित्त अनिवार्य हैं, दूसरे जो केवल आकस्मिक हैं।

१—सभ्य समाजके जीवनके लिये क्या आवश्यक है?

(क) परनात्मा समाजको जीवित रखना चाहता है अतः इस आधार पर ग्रक्त है कि वह उन कामोंका किया जाना नहीं पसन्द करेगा जो सामाजिक जीवनको हानि कर हैं। और जो समाजमें सम्मिलित होता है वह स्वभावतः प्रतिष्ठा करता है कि जो बातें सामाजिक जीवन स्थैर्यके

प्रतिकूल होंगी उनसे निवृत्त रहेगा । हमको यह बात साफ़ देखनेमें आती है कि कोई मनुष्य इमानदारीसे किसी ऐसे दो कामोंके करनेकी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता जो स्वभावसे ही अनिवार्य प्रतिदृश्यता रखती हों । कैसे 'मैं डुस आगको बुझा दूँ गा और कभी बुझने न दूँगा' कहना असम्भव है ।

(ख) मानलें कि कुछ लोग मिलकर एक समाज गठन करते हैं और सब भलीभांति पारस्परिकत्व धर्मसे भिज्ज हैं और सब तदनुकूल चलनेको भी उद्यत हैं । तो प्रत्येक मनुष्य दोक अपनी मरजीके अनुसार काम करेगा, कुछ उसे त्याग भी न करना पड़ेगा तो भी प्रत्येक सदस्य मानवी सामाजिक प्रकृतिके पूरे पूरे लाभोंका सम्मोग करेगा अर्थात् हरेक जन उस बुर्खोंका जो उसकी स्वव्यक्ति और उसके सामाजिक गठन दोनोंसे प्राप्त-भूत होते हैं लाभ उठावेगा । यही हमारी समझमें मानवी समाजकी वह चुटिविहीन साझोपाझ़ स्थिति होगी जो हम सोच सकते हैं ।

अतः जब समाज अपनी अत्यन्त निर्दोष स्थितिमें; विना किसी धर्यक्तिके किसी ऐसे स्वत्वको लोड़े जो पारस्परिकत्व नियमके विहङ्ग न हो, रहे तो समाजकी स्थिति कोई ऐसा कारण उप-स्थित नहीं करती कि कोई किसी ऐसे स्वत्वसे हाथ धोये जो वह इस नियमके अनुसार भोग सकता है । दूसरे ऐसे कारण जैसे कृपा, दया, धर्म, विशेष आदि दूसरी बात हैं, उनसे इसप्रश्नका सम्बन्ध नहीं है ।

जब हरेकको यह सौलिक स्वत्व प्राप्त है कि वह जैसा चाहे करे पर इस प्रतिवन्धसे कि किसी पड़ोसीके स्वत्वोंमें वाधा न पड़े और जब समाजका जीवन स्थैर्यं (Existence) कोई कारण नहीं बतलाता कि क्यों स्वत्वोंमें वाधाकी जाय तो ऐसे

समाजके अस्तित्व रहते हुए भी स्वत्व टोक जर्योंके त्यों देखे ही बने रहते हैं जैसे आदिमें थे । अर्थात् व्यक्तियोंके स्वत्व विवरण प्रत्येक व्यक्तिमें स्थिर रहते हैं ।

(ग) अब मानलो कि पारस्परिकत्व (Reciprocity) नियमको भंग करता है जैसे 'क' ने 'ख' की कोई चीज़ चुराई और उस प्रतिज्ञाको भंगकी जैसे दोनोंने परस्पर की थी । जो यह बात होकि चोरी होने दी जाय तो पारस्परिक नियमनुसार सब खुब चोरी करेंगे और सम्पत्तिकी रक्षा निरूप ल हो जायगी और प्रत्येक व्यक्ति निःपचार हटने लगेगा और समाज भङ्ग हो जायगा । अतः चोरी समाजको भङ्ग करनेवाला दोष है और पारस्परिकत्व नियम विहृ भी है क्योंकि प्रत्येकको अपनी वस्तुका चोरी जाना असत्य होता है ।

(४) फिर मानलो कि 'ख' उपचार (Reress) का काम अपने हाथमें लेता है अपही अपना न्याय धारा प्रयोगता, व्यवस्थपक (Judge) और दण्ड सम्पादक (Executioner) भी बनता है । मानशी समके स्वभावजन्य सिहान्तसे प्रकट है कि इस दशामें 'ख' दुखितके बदले दुखद बन जायगा । तब 'क' बदलालेसेको इसी तरह उठेगा और इस अन्योन्य दण्डादाहीमें एकका नाश हो जायगा या दोनोंका । अतः प्रत्येक विवाद, व विरोध असाध्य हो जायेगे व अनन्त समैर और अवाध्य निट्रता समस्त समाजको घेरलेंगी और सब अनन्त नारथाडके कारण समाज छोड़ एकाकी ही रहना स्वीकार करेंगे । अर्थात् समाजका जीवन नष्ट हो जायगा वा समाज भंग हो जायगा ।

सार यह कि कोई अपने भगडे या अन्यायका विचारक अप नहीं हो सकता क्योंकि यह बात समाजके प्राण धारक

प्रतीत होती है। चाहे जिस तरहका पारस्परिक नियम भंगी-करण क्यों न हो दुखित वा दुखद दोमेंसे एक भी स्वयं पञ्च-सरपञ्च नहीं हो सकता। मनुष्य परमात्माकी भाँति सर्वथा मिर्दीय नहीं हैं इससे भूलें अर्थात् पास्परिकत्व, नियम भङ्ग होते ही हैं और उनका न रोकना समाजको भङ्ग करनेका प्रबल कारण होता है क्योंकि दुष्टोंकी साधुओं, पर चढ बनती है जिससे न्याय करना भी समाजका काम ठहरा; अतः सानवी सभ्य समाज संगठनमें यह बातें मानी हुई हैं।

(१) प्रत्येक मनुष्य पारस्परिकत्व नियमानुकूल चलनेकी प्रतिज्ञा करता है। जो नियम, एक व्यक्तिको भंग करनेका अधिकार दिया जाता है उस नियमको सब भंग करनेके अधिकारी होते हैं क्योंकि सब समान हैं। असमानवास्थामें पारस्परिक नियममें भी विशेषता होती है जिसका परिणाम वही समाजका नाश होना सिहु होता है। जो समाज ग्रदृश खुख उठावेगा वह उसके नियमको भी जानेगा। जो नियमोंके पालन विना सामाजिक लाभ उठाना चाहता है वह नहीं उठा सकता क्योंकि वह इसका अधिकारी नहीं अतः उसे समाजसे हटकर अलग रहना चाहिये ।

(२) प्रत्येक जन प्रतिज्ञा करता है कि उसपर जो अनीतियां हों उनका उपचार समाज करे में स्वयं कुछ न करूँगा, मैं अपने इस स्वत्वको समाजके अधिगत करता हूँ। सिवा उस कामके जो मैं तत्क्षण उस अनीतिसे बचनेके निमित्त कर सकूँगा। जैसे एक ढाकू आया और लूटने लगा तो उसी समय अपनी सम्पत्ति बचानेको और प्राणोंको रक्षाको हम उससे लड़ सकते हैं यह अधिकार सबको समान प्राप्त है पर पीछेसे उसे पकड़ना दृश्य देना आदि काम समाजका है ।

(॥) प्रत्येक जन अपनी रक्षाका भार समाजको सौंपता है और उपने न्यायका दण्ड भोगना भी स्वीकार करता है ।

पुनः समाज प्रतिज्ञा करता है :—

(।) कि हम प्रत्येक व्यक्तिके स्वत्वर्थोंकी रक्षा करेंगे किसीके उचित अधिकारों और सम्मोर्गोंमें वाधा न पड़ने देंगे । प्रत्येक जनको पारस्परिकत्यनियमोंके अधिगत रखेंगे ।

(॥) सब अनीतियोंका जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूहपर दूसरे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूहसे होगी, हम उसका प्रतिकार और उपचार करेंगे । चाहे अनीति करते समय ही रोक कर अथवा यदि अनीति हो जायगी तो उसकी बाबत पीछेसे दण्ड देकर ।

यह जान लेना चाहिये कि उस सौंप एक ओर एककी करणोय दूसरी ओर सबकी सार्वभौमिक है । एक ओर व्यक्ति पूरी तरहसे सोलह आने अपने बचाव और न्यायका स्वत्व समाजके भरोसे पर त्यागता है दूसरी ओर समाज उसके बचाने, रक्षा करने, और हर तरह न्याय करने का भार अपने कपर लेता है । चाहे जो स्वत्व भङ्ग किया गया हो, कितना ही छोटेसे छोटा क्यों न हो, उसके प्रतिकार वा उपचारमें कितनाही खरच क्यों न पड़े, समाजको करना ही होगा ।

अनुवाक ३

“समाजकी अभीष्ट सिद्धि कैसे होती है ।”

यहाँतक तो हमसे समाजका गठन ही बतलाया है और दिखलाया है कि व्यक्ति और समाजमें किस प्रकार पारस्परिक प्रतिज्ञायें हैं व. उनके कारण कौन कौनसे कर्त्तव्य उनके सिरपर होते हैं । समाजका धर्म होता है कि व्यक्तियोंकी रक्षा

करे जो कोई व्यक्ति पारस्परिकत्व नियम भंग करे उसे दरड़ दे और जो किसीकी हानि हुई हो तो उसका उपचार करे ।

किन्तु प्रकट है कि इस कानके लिये समस्त समाज नहीं खड़ा हो सकता । क्या एक आदनी चोरी य बलात्कार करे तो उसके प्रवन्धके लिये शेष समस्त समाज व्यक्तिकल्पमें उठखड़ा होगा ? तब तो सबको ही अपना कार्य व्यवहार छोड़कर नित्य खोज, अन्वेषण, जाँच पड़ताछ और दरड़ व्यवस्थामें ही लगा रहना पड़े और जगतका सारा कान पड़ाही रह जाय । या यदि इस प्रकारके दोषों और अपकृतयोंके शमन व प्रवन्ध के निमित्त न्याय घारा ही शङ्कित करनी हो, तो क्या सारा का सारा समाज निलकर यह कान करेगा, अवश्य ही हमें यह सब कान प्रतिनिधियोंको ही समर्पण करने होंगे । कार्य विभागी (Division of labour) नीतिके अनुचार प्रतिनिधि द्वारा ही उक्त कानोंका भी अन्य कानोंकी भांति उत्तम, खुगम और स्फृता प्रबन्ध हो सकता है । यह प्रतिनिधि इन कानोंमें लगे रहेंगे और दूसरे कानमें लगे हुयोंसे उसे अच्छा भी करेंगे । उक्त कानोंके करनेके लिये ईश्वरसे उन्ने बाले, चिद्रान, धरम्सक सदाचारी, निर्भीम' निष्पक्ष और अनुभवी लोग ही उचित होते हैं अतः यह ब्राह्मण या ईश्वरज्ञ, धर्मज्ञ कहे जाते हैं । आज कड़ इन्हें समूह स्तरमें शासन विभाग (Government) कहते हैं ।

अब हम शासन विभागी उस प्रतिनिधि कार्य-बहन प्रणाली की कल्पना करते हैं जिसके द्वारा समाज अपने व्यक्तिके प्रति कर्तव्य पालन होता है । इसके साथ ही प्रत्येक समाजको और भी अनेक कान अन्य स्वतंत्र समितियों द्वारा करने पड़ते हैं, अतः साधारणतया भुभीता इसीसे है कि इसी ढंगकी और

भी आठते (Agencies) हों। यह दोनों शासन-धर्म-पद यद्यपि सामान्यतः तो एक ही हैं पर कार्यके स्वभावके देखते विभिन्न हैं। उक्त विचारसे शासन तीन भागोंमें विभक्त समझा जाता है।

(१) सम्बन्ध है कि कोई व्यक्ति भूलकर अनजान किसी पढ़ोसीके स्वत्त्वको भङ्ग करडाले और दण्डका पात्र बने और दूसरा दुष्टतासे पढ़ोसीका स्वत्त्व भङ्ग करे व दण्डका भागी हो तो दोनोंको एक समान दण्ड देना बुहु असङ्गत होगा अतः दोषोंमें भेद करना पड़ेगा और दण्डोंमें तारतम्यता रखनी होगी। इसीके विधानको शासन, धारा वा कानून कहते हैं। यह प्रजा प्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित होता है, इन प्रतिनिधि समूहको व्यवस्थासम्म (Legislature) कहते हैं। और इसके पृथक् २ सदस्योंको (Legislator) व्यवस्थापक कहते हैं।

इनकी शक्ति परसित होती है, जो काम शासन धारा निर्माणका इन्हें समाजने सोचा है उसके सिवा और कुछ इनके हाथमें नहीं होता। अर्थात् यह वह रीत-सोचे-व स्थिर करें कि जिससे समाजने जो व्यक्तियोंकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया है यथावत् निवाह सके, यदि इस व्यवस्थासम्म स्वशक्तिका अतिक्रमण करके कुछ और करता है तो वह स्वत्त्व भङ्ग करता है और अन्याय व अत्याचारका दोषी है।

(२) नियम सार्व भौतिक साधारण ट्रॉफिसे बनाये जाते हैं जिसमें दोषोंको स्पष्ट करके दिखला दिया जाता है और उसके साथ उस दोषका दण्ड भी लगा दिया जाता है। इसमें किसी अभियोग विशेषका सकेत नहीं होता, क्योंकि दण्ड संब्रह स्थापन करते उसके अभियोग विशेष तो सम्मुख होते ही नहीं किन्तु पूर्व अनुभवका भाविक विचार ही सामने होता है।

अब मानलो कि किसीने कोई अपराध किया तो हमें इन्हीं शासनोंकी धाराओंसे काम लेना होगा अथोत इनका प्रयोग करना होगा—इसके निमित्त हमें इतनी बातोंपर ध्यान देना पड़ेगा ।

(क) क्या अभियुक्तने वास्तविक वह काम किया जिसका अपराध उसपर आरोपित किया जारहा है । क्योंकि सिद्ध्या दोषारोप कियाजाना भी सम्भव है ।

(ख) यदि सिद्ध होजाय कि काम वास्तवमें अभियुक्तने किया है तो देखना होगा कि क्या यह कृत्य उन कामोंके विवरणमें आती है जिनका करना या न करना न्याय शांसनमें वर्णित किया गया है । यदि सिद्ध हो कि किया है तो ;

(ग) देखना होगा कि कृत्य साधु बुद्धिसे की गई है, अनजान वा अकस्मात् प्रघटित हुई है अथवा दुष्ट बुद्धिसे जान बूझकर ।

(घ) अपराध सब तरह निर्णीत हो चुकने पर दण्ड विचार हो इसी विभागका नाम है, अनुशासन विभाग (Judicial Department of the Government)

(३) जब इस्तरह शासन धाराका प्रयोग विषय विशेषमें हो ले तब उसकी आज्ञाको कार्यमें परिणत करना करना तीसरे ही विभागका काम है जिसे कर्तृक विभाग कहते हैं—इस्तरह शास्त्रिक, अनुशासनक और कर्तृक तीन विभाग होते हैं—Legislature, Judicial and Executive यह तीनों राजार्थ्य परिषद्के अवयव हैं 'सैनिक विभाग' और जोड़ देनेसे राजार्थ्य परिषद् पूर्ण हो जाता है । इन चारोंके उपविभाग भी होते हैं ; विद्यार्थ्य परिषद् Educational और धर्मार्थ्य परिषद्को-

Ecclesiastical; इसी तरहके उपविभागोंमें बुगस्तवाके निमित्त कान विभाजित करते हैं।

असली कसौटी उत्तम राज्यकी यह है कि उसके द्वारा प्रजा समदर्शी, शान्तिप्रिय, धर्मसांत्वा नितिज्ञ, और सन्तुष्ट रहे। कूर्यावंशी दलीप, राज प्रभुतिके व्यक्तिक राज्य भी आजकी अमरीकासे अधिक बुखप्रद थे और आजकी अनेक विलाषती छिचड़ी तो बहुत धृणित और सिहान्त विहीन हैं।

कहीं तो नीति ऐसी सिधिल और वृष्णा ऐसी प्रबल याते हैं कि जो राज नीतिका सहारा लें तो प्रजामें अन्वेर फैले। कहीं राज्य ऐसा दुष्ट निर्दयी और नीति चष्ट है कि प्रजा नीतिज्ञ होनेके कारण दुखपाती है।

आजकल राजका मूल लट्ठ भय अत्याचार धक्का और मार खसोट है। प्राचीन अर्थावर्तमें राजकी जड़ें धर्म, सत्य, चम दृष्टि, न्याय, त्याग, प्रेम और ईश्वर व देव भक्ति धीं।

‘गिरकी लाठी उसकी मैंस, यह दुष्टता है; चाहे राजमें हो वा प्रजामें। अथवा सन्ध वर्ग विशेषमें।

सर्व प्राणीको समान देखना प्यार करना यही साधुता है चाहे राजामें हो वा प्रजामें।

अत्तौपर्येन सर्वत्र समें पश्यति योर्जुन

बुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परनीमतः।

चतुर्वाक

“राज्य कमर्जारी।”

राज्यको उमाल प्रदत्त अधिकार निले होते हैं जिसका कि वह कार्यकर्ता है और समाजकी व्यक्तियोंके योगसे बनी प्रतिज्ञासे और समाल व व्यक्तियोंके अन्तर्गत सम्बन्ध और

समाज ईश्वरीय आज्ञानुकूल आविर्भूत हुए हैं। राज्य कर्मचारी समाजके अङ्ग हैं अतः निस्पन्देह वह भी ईश्वरीय नयसे बंधे हैं और उस सदृशकी आज्ञाओंके नियमानुकूल अपने पदके कर्तव्योंके पालन करनेके भारसे दबे होते हैं। इसी कारण इनमें और दूसरोंमें कोई अन्तर नहीं कि किसी टीप या प्रतिज्ञाका, दूसरा पक्ष, अपना भाग कैसे निवाहता है ? राज्यकर्मचारी ईश्वरीय सेवक है जो कार्य विशेषके नियम पृथक् चुनकर नियत हुआ है कि वह ठीक उन्हीं सिद्धान्तानुसार काम करे जिनके आधारपर परमात्माजे अतलाया है कि इस सम्बन्धका प्रबन्ध रखना उचित है ।

राज्यके तीन मुख्य पद हैं—शास्त्रिक,-अनुशासक और कर्तृक । पहले शास्त्रिक लोर्जिये व्योर्किं विना शास्त्र (शासन पट्टि) विना शासन किसके आधारपर हो और सर्वसाधारणको अनुकूल या प्रतिकूल बात कहने व जाननेका आधार क्या हो ?

(१) [क] शास्त्रिक समितिका कान है कि पहले तो मानवी समाज सिद्धान्तको भलीभांति जानले, व्यक्ति और समाजान्तर गत सम्बन्धोंको समझले, और प्रत्येकके अन्योन्य करणीयोंका ज्ञान प्राप्त करले ।

इन्हीं तीन वातोंके पूर्ण ज्ञानसे उसके कर्तव्य और उसके अधिकार परिमित होते हैं; विना इनके जाने कोई सदस्य शास्त्रिक समितिका नहीं जान सकता कि क्या तो कदाचार है, क्या सदाचार व क्या अत्याचार, न वह विशुद्ध अन्तरात्मासे इस ज्ञानके विन कोई विवारवा उपचार ही यथेष्ट करनेको समर्थ हो सकता है ।

(ख) पुनः शास्त्रकारका धर्म है कि उस शर्ते या उनशर्तों की जड़को अच्छीतरह जानले जिसके आधारपर गठित समाजके

निमित्त वह शासन सूत्र निर्माण करने चला है। इसमें समिति विशेषकी शर्तों की साधारण स्थितियोंके अतिरिक्त और वार्ता भी होती हैं। उसके द्वारा प्रायः समाजकी विशेष वार्ताओंका निश्चय होता है जो कि समितिमें नहीं मिलतीं। समिति विशेषके ही शर्तोंके अनुसार राज्यके कईएक शाखाओंके अधिकारकी चीज़ा स्थिर होती है जो उक्त ज्ञान-विहीन शासन सूत्रकार बनता है, वह अभद्र और तिरस्कारके होग्य होता है। वह सारे ही अधिकार व शेषीखोरोंका दादा गुरु नीमहकीम है जो रोगके विनाजाने ही चिकित्सा करता है और नहीं जानता कि उसकी औषधि असूतका काम करेगी वा विषका। यह अपराध वह किसी व्यक्तिके प्रति नहीं वरन् सारी समाजके प्रति करता है। और हमनहीं कह सकते कि कितनी अधिक हानि वह समाजको नहीं पहुंचा सकता, अतः शास्त्रकारको बहुत साधानी व जांच पड़ताल और छानबीन करके निर्वाचित होना व करना चाहिये अर्थात् सदस्य भी समझकर यह पद यहण करे और समाज सोच समझकर ही यह पद प्रदान करे; नहीं तो समाजमें अशान्ति और अराजकता शीघ्र विषके समान फैलकर ईश्वरके दासोंको हानिकर होंगी।

(ग) शास्त्रकार अपने अधिकार बहुत समझकर काममें लावे किसी तरह अतिक्रम और असाधानी न करे। जो अधिकार जिस कामके लिये है ठीक उसीमें प्रयुक्त करे और सर्वथा समाजका शुभ चिन्तक अन्तर्वहिर दोनों ओरसे ही बना रहे। पक्षपात छोड़कर साधारण और विशेष दोनों सन्तियोगों (Compacts) के सिद्धान्तोंपर दृष्टि रखकर काम करे जैसा कि प्रजाने विश्वास कर रखा है कि वह करेगा। दूसरोंके कामका दृष्टा दायी नहीं होता अतः वह भी औरोंकी कृत्यका

कदाचित उस समयतक दायी नहीं है जबतक वह इसतरह पर प्रजाकी ओरसे, शासन समिति द्वारा, दायी न नियत हो या किसी अन्य नियमसे दायी न हो । यह किसी वर्ग विशेष, उपजाति विशेष, या उपप्रान्त (कसिश्वरी) विशेषका अङ्गी व पक्षपाती नहीं है, न दल विशेष (Party) का व्यक्ति है वरन् वह सारी समाजका मंगल साधक पवित्र देव है । जो इसके विपरीत पक्षपक्षी, दलादली करता है वह अपने देश, अपनी जाति और अपनी माताके दूधका भूटा है । ईश्वर वज्रक राजस है, याद रहे, वह ईश्वरको नहीं ठग सकता, स्वष्टि किरना वा भूटा होना उसे बुरा फल देगा ; नहीं नहीं वह देशके इतिहास रूपी शास्त्र स्तम्भोंपर अपना वह विकृत रूप अद्वित करता है कि जिससे उसके देशवासीं, प्रलय कालतक, देख देख कर घृणा करेंगे व थूकेंगे ।

(घ) उसका काम है, उसका धर्म है कि सब दूसरी आत्मोंको जहरा कि तहाँ चाहे अधूरी दी लोड़ दे, वर्तमान आवश्यकता व विचित्र स्थियों और दशाओंका बहाना न ले । जो वह कदाच अपने सङ्गठन (Constitutional powers and obligations) अधिकार व करणीयोंकी सीमाएं बाहर चरण धरता है, बुरा करता है ; चाहे यह सीमा उल्लंघन उस कार्यसे हो जो वह करता है चाहे उस अभीष्टमें हो जिसके निमित्त कार्य किया जाता है, दोनों दशामें वह एक समान निटुर प्रजा पोइक (जालिन) है । जो अधिकार उसे दिये गये हैं वही उसके अधिकार हैं, अन्य कोई नहीं, जो कोई भी दूसरा यिना सौंपा हुआ अधिकार काममें लाने लगे तो आज यह कल वह परन्तों और इसी तरह सारे ही अधिकारोंका भरणार बन जायगा ; अनीतियोंकी

रोकें दूट जायेगी, नियमोंके व्यवधन हीले हो जायेंगे और प्रजा-की स्वतन्त्रता कहानी अर्थात् पहेलिंका सात्र रह जायगी । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि जो उसे समाजके अभीष्टोंके पूरा करने वाले यथेष्ट अधिकार न हों तो भी अनुविधा खड़ी हो जायगी । यदि ऐसा हो कि किसी अधिकारकी कमीसे अनुविधा हो तो उस अनुविधाको कुछ समय तक सहन करके जो फेरफार अभीष्ट हों यथा नियम सिद्धान्तानुकूल कराये जावें, परन्तु जब यह आवश्यकता प्रजाको पूर्णतया अवगत हो जाय तब ही अच्छा होसा है, न कि ऐसे सिद्धान्तोंपर चलकर ऐसी अनु-विधाका प्रतिकार करना कि जिससे प्रजाकी ईश्वर प्रदत्त स्वतन्त्रता नष्ट होकर एक असाध्य अनुविधा उत्पन्न हो जाय ।

(२) अनुशासक कर्मचारी अर्थात् शास्त्रानुकूल व्यवस्था देने वाले कर्मचारी वर्ग ।

(क) यह वर्ग राज्यकी एक स्वतन्त्र शाखा है और एक विभिन्न और स्पष्ट सामाजिक अन्तर्गत है, जिसका कानून है कि उस टीप वा प्रतिज्ञाका, जो समाजने प्रजाके साथ की है एक अंश विशेष पूरा करे । यह कोई कर्मचारी किसी रीतसे क्यों न नियत हुआ हो, ज्यों ही वह पदारूढ़ हुआ कि वह समाजका और सात्र समाजका ही कार्यकर्ता हुआ । जैसे शास्त्रकार वैसे ही न्यायाधीश व सरपञ्च दोनों ही सामाजिक टीपके सिद्धान्तोंसे बंधे हैं और जिस समाजकी ओरसे वह काम करते हैं उसके नियमोपनियम विशेषके भी वह अधिगत हैं ।

यही इसके (अनुशासक कर्मचारीके) अधिकारकी सीमा है और वह यदि नियमोंसे बिघलित पद होता है तो वह अपनी निजकी उत्तरदात्वत्व पर ऐसा करता है और सामाजिक दण्डका भागी होगा ।

(२) इस प्रणालीके सन्तव्य जैसे कि शास्त्रमें हैं, उसे व्योंके ह्यों टीक टीक प्रयोग करने होंगे—न राहे भर घट सकता है न तिल भर बढ़ सकता है। अतः हमें शास्त्रकार और उपब्रह्माकारका सम्बन्ध प्रत्यक्ष होता है। दोनों ही सौलिक प्रणालीके सिद्धान्तोंके बन्धनसे एक समान करे गये हैं। दोनोंके अधिकार तदनुसार ही परिभित हैं। दोनोंके कार्य उचित व भान्य (Valid) हैं, पर जहाँ तक कि उनका काम प्रणालीके आन्वानुसार ही। अतः जो शास्त्रकार अपने प्रति सहज विश्वासको मझ करे और संगठनके विरुद्ध अनुशासन (act) बनावे तो व्यस्थाकारका धर्म है कि उनको प्रयुक्त न करे जो एकमें संगठनको तोड़ा तो दूसरेको पुसा ही कुकमें करनेका अधिकार नहीं है। यह भी स्वतन्त्र सभिति है और समाजके सम्मुख उन्हीं सौलिक सिद्धान्तों पर उत्तर दावत्व रखती है जिनपर कि शास्त्रीय सभिति। अर्थात् शास्त्रकार और व्यवस्थाकार दोनोंकी सहमत्ता विना कुछ न होना चाहिये।

अतः सरपद्म, न्यायाधीशका धर्म है कि इतनी आत्मोंको समझ लें।

(१) उस टीपके सिद्धान्त क्या हैं जिनके आधार पर उसको अधिकार मिले हैं या दिये गये हैं।

(२) उस उनपद्मके नियम क्या हैं जिनका वह कार्य करती है।

(३) इन नियमोंको भय, पक्ष, प्रीति, द्वेष आदिको छोड़ कर व्यारव्या करना और जो विशेष विषय उपस्थित हों उसके साथ व्यक्तिक, सामिषिक या राजकीय पक्ष पातआदिको परिस्थाग करके स्पष्ट सम्बन्ध दिखला देना।

(४) शासन धाराके विशुद्ध भद्रानुकूल व्यवस्था देना।

(५) पद्म लोग भी सामयिक राजकीय व्यावस्थापक

कार्यवाहक होते हैं अतः उनका भी धर्म है कि इतिहासके अनुकूल ठीक व्यवस्था है, खूब समझूझकर और पूरे बुद्धि-वलके अनुसार; योग्यता, सत्य, निष्पक्षता और धार्मिक भयके साथ व्यवस्था है।

(३) प्रबन्ध राज्य कर्मचारी वर्ग। इनके दो में दो हुआ करते हैं एक स्पष्ट दूसरे निश्चित।

(१) स्पष्ट वह हैं जो केवल उक्त दोनों विभागोंकी आज्ञाओंका पालन करते हैं, इन्हें यह अधिकार नहीं होता कि आज्ञाके अच्छे बुरे होने पर विचार करें। सेनाके लोग, नागरिक सेनाके लोग (Police) सब इसी ओरोंके कर्म-चारी हैं। इनका यही कर्त्तव्य है कि जो इन्हें विश्वास हो कि हमसे अनीति कराई जाती है तो पद परित्याग कर दें किन्तु पदस्थ होकर आज्ञाका पालन न करना उचित नहीं है।

(२) निश्चिताधिकारी रखना अत्यन्त घृणित प्रथा है। एक ही सनुष्यका शासन धारा निर्माता होना, तदनुसार व्यवस्था देनाव लर्व-वर्गका भी कास करना, समाजके बास्ते एक प्रकारका अभिशाप है। आजकल जो दोनों विभागोंके अधिकार फिरङ्गी प्रबन्धमें जाजिझटों तहसीलदारोंमें देखते हैं, यह अति दूषित है।

एक तरह पर उक्त तीनों ही अधिकारों ही उपविभाग स्वतन्त्र हैं एक दूसरेके अधिगत नहीं—अपने अपने कामोंके आप ही समाजके सामने दायी हैं, समाज ही इन चारोंका अधिप्राता है। क्योंकि ये समाजके उपादान हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ समाजने इन्हें अपने स्वत्व दे नहीं डाले कि सदा सर्वदा समाजने अपने स्वत्वका इन्हें भालिक बना दिया हो, और अपने इन सब अधिकारोंको ह्यागकर चुका हो। चाहे एक

विभागका कार्यवाहक समाजकी आज्ञानुकूल दूसरा विभाग नियत करता ही पर तो भी उनमेंसे कोई एक दूसरेका अधिगत नहीं होता और ऐसा ही स्वतन्त्र होता है जैसा दूसरी तरह पर नियत किये जानेसे ही सकता । इन कामोंमें प्रजाके अतिरिक्त कार्यवाहक ईश्वरके सामने भी दायी होता है ।

अब इसमेंसे प्रथम दो विभाग ग्रायः उपविभागोंमें विभक्त माने-व समझे जाते हैं ; शास्त्री समा पक्षपात और अनुचित कामों व दोषोंसे रोकनेके निमित्त दो भागोंमें इसतरह विभक्त रहती है कि एकका दूसरे पर रोक व दबाव पड़ता रहे जिसमें दोमेंसे एक भी अन्याय न कर सके । यह देशको स्थिति अनुसार होता है । जैसे राष्ट्रीय दल व शासन दल । पुनः धर्मानुशासन विभाग भी दो भागोंमें विभक्त होता है एक न्यायाधीश (Judge) जो धर्म शास्त्रकी धाराओंके अर्थका निर्णय करता है दूसरे पक्ष (Jury) गण जो इत्तिवृत्तका निर्णय करते हैं । जहाँ ऐसा नहीं वह राष्ट्र प्रणाली अत्याचार पूर्ण समझनी चाहिये ।

कन्नी समा अकेली होती है, उसीके विधानानुकूल उसके अधिगत सारे कम्मन्चारी, महत्तम या लघुतम सब, काम करते हैं । इसको कर्तृक मण्डल कहते हैं, इस मण्डल और कम्मन्चारी समूहका योग कन्नी समा होती है । इन सब परिषदों, मण्डलों और समाजोंके संगठन और नियम दृढ़ लिपिबद्ध सार्वजनिक समाजके स्वीकृत होते हैं । कभी कभी इन सिद्धान्तोंके प्रयोगानुभवये प्रणालियाँ पड़ जाती हैं । अमरीकाका शासन आजकल ठीक समका आता है थेव सब स्थानोंमें अवैकासेक नुटिर्य पाहूँ जाती है, परन्तु उसमें भी कुछ दोष हैं, जो एव दूसरे

निवन्धके बास्ते छोड़ते हैं। इसमें शासन प्रणालियोंकी आलोचना करनेका विचार है यदि हो सका।

हम अलग अलग जातियोंमें पदाधिकारी निर्वाचन प्रथाएँ विभिन्न देखते हैं। कहीं कहीं तो शासन-शक्ति नितान्त बापौती ही होती है, कहीं कहीं कुछ निर्वाचित और कुछ बापौती अर्थात् दोनोंकी सिच्चरी, कहीं कहीं पूर्ण निर्वाचित पद होते हैं। इसमें अन्तिम प्रथा ही ईश्वर प्रदत्त और वेद मान्य है, अन्य सब प्रथाएँ नवीन और अमान्य ऐवं असन्तोष जनक व दुखप्रद होती हैं। स्थिरके आदिमें जब प्रथम अमैथुनी स्थिर हुई तब बापौतीका राज लेकर कौन उतरा था? किसके मुखमें सोनेके चमशे थे? सभी तो सजान दशामें थे केवल योग्यतानुसार उनको ननु व्योंगे उच्चपदस्थ होनेको चुना व जाना। आजकल भी बदमाश लोग उच्च होने व असीरी व हकूमतका भूटा बढ़पन लादे फिरते हैं किन्तु गरीब, निर्वल कभी भी नीच नहीं कहा जा सकता, मानवी स्थिर सर्वथा सजान है। असीरोंसे गरीब अधिक धार्मिक व सत्यवादी होते हैं, गरीबोंका अनुचित रक्त पान करके ही सोटे भोटे हुष्ट लोग असीरी भल्काते हैं। देश रक्षा, राज्य रक्षा, धर्म रक्षा, अन्त उपार्जनादि सभी कामोंमें उन्हींका पसीना उन्हींका रक्त खपता है जिन्हें हुर्मुळ लोग नीच कहते हैं और आप हरामखोर आलसी वैद्यमान होते हुए भी उच्च व असीर बनते हैं। जांचे और नीचेका भैद, निर्धा व कलिपत और अन्यायके अंधारपर, हम सर्वत्र फैला देखते हैं।

अनुवाक ३।

नागरिकोंके कर्त्तव्य।

नागरिकोंके कर्त्तव्य भी व्यक्ति और समाज भेदसे दो प्रकारके होते हैं इन्होंने दोनोंको विचारमें लेकर हमें उनके कर्त्तव्योंका कथन करना अभीष्ट है।

(१) व्यक्ति रूपसे प्रत्येक जनका धर्म है कि शुद्ध मनके साथ, शुद्ध हृदय होकर उन प्रतिज्ञाओंका पालन करे जिन्हें कि समाजिक टीपान्तर्गत उसने पालन करना स्वीकार करके समाजमें सुकृत हुआ है। इनके अनुसार उसे सबसे पहले पारस्परिकत्व न्यायको मानना होगा जहाँ तक कि उसका दूसरी व्यक्तियोंके साथ संयोग, सम्बन्ध या काम है या पहुँच। इस न्यायको कई तरह पर पहले स्पष्टतया कहा जा सकता है। इतना यहाँ फह देना आवश्यक है कि यह पारस्परिक समता न्याय न हमें केवल उन कामोंके करनेसे दोकता है। जो समाजके सूलोच्चेदके कारण हैं या जो उसके सुखमें वाधक हो सकते हैं, वरन् उन कामोंके करनेको भी वाध्य करता है जो उसके खुल शान्तिकी वृद्धि करने वाले और उसकी स्थैर्य को दूढ़ करने वाले हैं।

(२) अपराधोंके दण्ड देने और अनीतियोंकी दुरुस्तीका सारा अधिकार समाजके हाथोंमें ही पूर्णतयः सौंपना होगा। स्वयं सताना घदला लेना किसी दशामें भी ठीक नहीं समझा जायगा। पड़ोसीके घर चौर हाकू पहुँच आग लगे और ऐसी ही कोई भी दुर्घटना हो तो शुद्धान्तः होकर सहायता करनी पड़ेगी। समाजके शासन, तालन और न्यायसे बचनेकी चेष्टा न करनी चाहिये। जो हम सहायता अपनी अयोग्यतासे न

कर सकें तो किसीको हानिकर न हों, हाँ अपने धन, सम्पत्ति और शरीरकी सामयिक रक्षा, दुष्टोंके आघातसे, करनेका अधिकार रखते हैं पर याद रहे कि जो हम डाकू या हत्यारेको अपने सामयिक बचावके निमित्त अनुपचार होकर मार डालते हैं तो दूसरी बात है पर जो हन उसे पकड़लें तो फिर समाजके ही पास ले जाना चाहिये जहाँ उसका न्याय हो, जो हम स्वयं उसे फांसी देते हैं तो हत्या करते हैं ।

(३) सभाजके शासन धाराओंको अन्नरथः साजना । शासन सूत्रोंका भग्नीकरण ठीक नहीं चाहे वह नियम अच्छे हीं वा बुरे हम बुरे नियमोंका संशोधन करा सकते हैं पर उन्हें तोड़ नहीं सकते । सभाजमें अधिकांश जनोंकी व्यवस्था हमें चिरोधार्थ करनी ही होगी । जो कर असह्य है तो न देना ठीक नहीं पर घटवानेकी चेष्टा उचित है क्योंकि जो भल हुई है वह अधिकांश प्रजा सम्मतिसे हुई है उन्हींके द्वारा उसका संशोधन होना उचित है किन्तु शासन सूत्रकी अवज्ञा उचित नहीं ।

पुनः द्वितीय सामिहिक अङ्गमें भी हमें अनेक बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे :—

(१) प्रत्येक सभाजके व्यक्तिकी सुख, उत्तिष्ठा, स्वतन्त्रता और मान स्थर्योदाकी प्रतिष्ठा करना यिना इस बातके विचारके कि कोई छोटो है वा बड़ा, अभीर है वा गरीब, बल्धाली है वा निर्बल ।

(२) सबको एक सभान न्यायकी शरण देना । जो अपराध किसीके या किसीका किया गया हो तो उसका यथावत न्याय शासन करना, उसके सतियोंको दुरुस्त करना उसकी रक्षा करना ।

(३) सभ्य समाजके नियमोंका पालन करना। पापियोंको खोजना व दण्ड दिलाना, चाहे पाप व्यक्ति विशेषके प्रतिकूल हो वा समाजके। जब किसी पाप कर्मकी घटनाकी सम्भावना होते उसका प्राग्प्रबन्ध करना कि वह घटना नहो और पापाचार करने वालों या कर्मकी वृच्छा रखने वालोंकी यथोचित शास्त्री हो। इस समाजरक्षार्थ व्यक्तियां अपनी सम्पत्ति हीसे नहीं किन्तु कार्यिक प्रयोगसे भी सहायता करनेको चाह्य हैं। जो अपने नेत्रोंके सामने मार धाढ़ लूट खोट अत्याचारके कामोंको होते देखकर छुप और निष्क्रिय रहता है वह भी पापी है। जो समाज जान बुझकर किसीकी रक्षा न करे या रक्षा करनेमें त्रुटि या गफलत करे तो प्रत्येक सदस्य उस समाजका न्याय द्वारा बाध्य है कि अपने अंशानुसार उस क्षतिका चाहे वह कितनी ही बड़ी हो प्रतिकार करे।

(४) प्रत्येक व्यक्ति सानन्द सामाजिक व्यवहार भाग जो उसपर पड़े उठावे व दे, बिना खचे समाजका काम नहीं चल सकता। वहुधा जितना धन हम देते हैं उसका पूरा बदला हमें नहीं मिलता या मिलता प्रतीत नहीं होता जैसे राज्य शासन स्वैर्यके लिये धन देना। फौजको धन देते हैं पर बदला कभी समय पाकर मिलता है जब वे लड़ने जाते हैं; इससे यह द्वात नहीं समझनी कि समाजके शासनको कर देना व्यर्थ है। हमें धर्म ग्रन्थ वतलाते हैं कि दुःख सहकर परोपकार करो, तो फिर धन देनेका तुम्हें बदला न मिले किन्तु दूसरोंको उसका प्रतिफल मिले तो क्या चिन्ता। जो आज अमीर है कल गरीब हो सकता है व गरीब अभीर। सब हिसाब अन्तमें बराबर हो जाता है। आज हम एक अनाधालयको धन देना व्यर्थ समझते हैं क्योंकि हमारे घरका उसमें कोई खानेवाला नहीं

है पर कौन जानता है कि कछु हमारी ही सन्तानोंको उसकी शरण न लेनी पड़ेगी ।

(५) अपने सहवर्तीं देश वासियों या मनुष्य जातिके व्यक्तियों या जीवोंको सहायता देना उनके बुद्धि और दशाको उचित करना हमारा नैतिक धर्म है । वह भी इसी तरह दूसरोंकी करेगा यों पारस्परिक सहायताका जारी पुष्ट और प्रबाहित होता रहेगा तो सबका ही इसमें भला है ।

(६) प्रत्येक व्यक्तिको उचित है कि समाजके अधिकारियों नौकरों आकरोंकी निगरानी रखे जहाँ दोष देखे तुरन्त भयड़ा-फोड़ करे और दोषके दूर करनेकी चेष्टा करे । नाटक, समाचार पत्र, पुस्तक और वक्तव्यार्थों द्वारा उसाजके दोषोंकी परिशुद्धिके लिये सर्वथा कष्ट सहकर भी कठिन हु रहे । पर हमारा काम निस्स्वार्थ और शुद्ध बुद्धि और भनसे हो, नकि स्वार्थसे या अन्यायसे, लाभ उठानेकी नीतिसे ।

यह तो साधारण बातें हुईं, अब तीन बातें और आवश्यक हैं जिन्हें लिखना उचित जानकर यहाँ लिखा जाता है । वह यह हैं :—

(१) कान पकड़ी छेरी बनकर आज्ञा पालन करना बहुधा बहुत ही बुरा फल देता है । हम पापिष्ठ शासन धाराकी आज्ञा पालनको बाध्य नहीं है क्योंकि हमें सर्वोपर ईश्वरीय आज्ञाका पालन करना जरूरी है । इसके अतिरिक्त एक अन्यायका सहन कर लेना दूसरे अन्यायके नियन्त्र रस्ता खोल देता है जिससे अत्याचार उत्तरोत्तर बढ़ने लगते हैं और पराकाष्ठाको पहुंच असह्य दुखका कारण होते हैं । अतः यह बात निर्विवाद है कि अवैध्य आज्ञानुवर्तीयन सभ्यताकी चाल नहीं है न सभ्य समाजका ऐसा नियम ही है ।

(३) बलात् प्रतिषेध जो एक व्यक्ति किसी सम्य अधिकारके साथ करता है तो ठीक नहीं करता । दुखदके प्रतिकूल समस्त दुखियोंका मिलकर ही काम करना कृतकार्यतांका कारण हो सकता है, चाहे परिणाममें शारीरिक बलकी भी शरण लेनी पड़े और भुजाओंकी शक्तिसे ही न्याय प्रार्थना करनी ही तो भी चिन्ता नहीं । पर हमारा कारण सत्य हो । इसीको सम्य समर कहते हैं । किन्तु इस कामके प्रतिकूल कई कारण हैं उन्हें भी याद रखना चाहित है ।

(क) हार जीत अनिश्चित होती है । पक्ष विपक्षकी शक्ति पर जय पराजयका आधार होता है । बलिष्ठ पक्ष ही जीतता है । दुखद भी दुखितके समान बलिष्ठ ही सकता है, नहीं २, प्रायः पहले तो वही बलिष्ठ होता है नहीं तो सतानेका साहस हीन करे, पीछे चाहे सत्यका पक्ष कारणके प्रभावसे बलिष्ठ होता जाय जैसा सदा होता रहा है । जगतका इतिहास इस घातकी शाक्षी देता है ।

(ख) आन्तरिक विद्रोह वा सम्य समरसे समाजका गठन एकवार खिन्न भिन्न होकर अराजकता फैल जाती है और जो सामाजिक उत्पत्ति प्राप्त हुई है आगेको सरक जाती है और कुछ नष्ट भी हो जाती है, परन्तु थोड़े समयके लिये । तो भी यह बड़ी हानि है । ऐसा कोई भी गठन नहीं होता जिसमें सारे दोष ही दोष हों, अनेक अच्छी बातें भी होती हैं जो शान्ति विराजनेपर फिर भी ज्योंकी तर्जे बनी रहती हैं या रखनी पड़ती हैं ।

(ग) सारे अन्याय व अत्याचारका कारण मनुष्य होता है । न्याय, शासन धारा या गठनका दोष क्या, वह सबतो जह है, पर हमारी समझमें तो सम्य-समर भी तिरस्कार करने ही

योग्य है, अच्छी आत नहीं इससे सनुष्यमें दुष्टता बढ़े बिना नहीं रहती। चाहे राज्य बुरेसे बुरा कर्यों न हो पर उसके नष्ट करनेकी चेष्टा या कृत्य सर्वथा हानिकर होती है, वने जहाँ तक संशोधन ही उचित है।

(८) सभ्य-समर, उन सब महान भयानक दुर्घटनाओंमें से जो सनुष्य अपने शिरपर ला सकते हैं, महानतम है। इससे सामाजिक और धरू सम्बन्ध दूर होते हैं, सम्पत्तिकी रक्षा भल्ल होती है, सामाजिक उच्चतियाँ पीछे पड़ती हैं और सनुष्योंमें घृणा रहित, कभी प्रेम पूर्वक भी अन्याय, अनीति अत्याचार करनेका स्वभाव पढ़ व बढ़ जाता है। अतः परमात्माकी यह ईच्छा कभी नहीं है कि सामाजिक दोष सभ्य-समर द्वारा दूर किये जायें तोभी मानवी दुष्टतासे यह भयानक घटना होती ही है जिसका दोकना हमारा धार्मिक कृत्य है यही कारण है कि वर्तमान फिरङ्गी राज्य अत्यन्त दोष पूर्ण होते पर भी विद्वान भारत निवासी उसके उल्टनेको कभी उद्यत नहीं होते सीधे सीधे, सम्पत्तियों द्वारा ही सुधार करनेकी चेष्टा करते हैं और यही ठीक भी है और सुधारकी आशा भी है। किन्तु हमारे पूरे आन्तरिक सामाजिक सुधारके बिना कुछ नहीं हो सकता और जो असन्यहमें अधिकार मिलें तो भी हम उसके कुप्रयोगसे अपनी हानि कर बैठेंगे। इस विषयको हम राज नितिओंके वास्ते ही छोड़ चुके हैं प्रसंग वशात हममे अनुभवी पाइचात्य विद्वान लोगोंका सत इस जगहपर उद्धृत कर देना ही उचित समझा।

(९) धर्मार्थ दुखका सहना। इसमें हम जो धर्मानुकूल यर्थार्थ विश्वास करते हैं वही करते हैं, अनीतिका विरोध करते हैं, इसनिमित्त सहन शीलताके साथ जो अत्याचारियोंके हाथसे

दुख मिलते हैं उन्हें चहते हैं इसीको अवैध्य प्रतिरोध कहते हैं। कोई कोई इसे कायरता समझते हैं पर यह उनकी भूल है इसमें कई लाभ हैं।

(क) इससे वर्तमान शासनमें जो सदगुण होते हैं वे सब व्योंके त्यों रक्षित और स्थिर बने रहते हैं।

(ख) भानवी अन्तरात्मा और बुद्धिसे लगातार प्रार्थना होती है तो अन्तमें सुधारकी आशा अवश्य ही होती है। कभी तो अत्याचारी छिपते ही हो गा, कभी तो उसके अन्तरात्मामें कहुगा पैदा होनेका कारण अवश्य उपस्थित होगा अन्तमें मनुष्य मनुष्य ही है नितान्त पशु नहीं है। मनुष्य पर नीतिसे कायल करनेका जो प्रभाव पड़ता है वह शारीरिक बल प्रयोगका नहीं पड़ता।

(ग.) इसमें आवश्यकतासे अधिक दुख नहीं निपजता न सार्व मौमिक दुख व अराजकता फैलती है न अशान्तिगन्य लूट खसोट नार धाढ़ ही होती है। जहाँ मनुष्यने अपसे दुष्टाचारका परिज्ञान किया कि फिर धीरे धीरे अत्याचार मिट्ट ही जाता है। विरला मनुष्य भरण पर्यंत नर्दय और अन्धा अत्याचारी होकर काम करता है अधिक ऐसे हीं तो मनुष्य सामाजिक जीव ही न कहा जा सके।

(घ) सत्यके निमित्त दुःख सहन करनेमें निस्सन्देह यह गुण है कि वह अत्याचारीको अपने कुकूत्यपर विचार, आलोचना व पश्चात्ताप करनेको वाध्य करता है, बदला लेनेके यह बात जाती रहती है, उलटा बराबरीका विरोध खड़ा होता है। भारतनिवासी जो कटूता, सारधाड़, बन-टम लोड़कर सच्चे अवैध्य प्रतिरोधसे काम लें तो निस्सन्देह दो वर्षमें इनके दुख दूर होजायं नहीं तो इन्हेण्ठीय इतिहासकासा समय

यहाँ भी आवैगा और ईश्वरके निर्दोष दासोंका असीम रक्षणात होगा जिसका अपराध आर्थिक और वृद्धिश दोनों जातियोंके गरदनपर होगा। परमात्मा वह बुरा दिन न दिखावे कि भारतनिवासी अपने पैत्रिक स्वभाव और प्रथा, चालचलन व रीति-नीतिको छोड़ पाश्चात्य इतिहासका अनुकरणकर सांसारिक पदार्थोंके लिये नरहत्या करें करावें। हाँ अत्याचारको समर्थन करना भाष्याप और अत्याचारोंका अवैध्य प्रतिवेद्य विना उहन करना कायरता है। देश-प्रेम घर्म है, परन्तु विदेशद्वौह पाप है, चाहे स्वदेशद्वौहसे कम गुरुतर क्यों न हो पर है पाप।

(ड) अवैध्य प्रतिरोध, सहनशीलता, और बुद्धिये मानवी प्रीतिपूर्वककाम लेनाप्रतिपक्षके घमणह और दुष्टाको निश्चयकर देता है, दया उहानुभूति, प्रेम और लज्जाको उत्पादन करता है। अतः इससे मनुष्यका बुधार होता है। क्योंकि हमारा अनुभव और इतिहासबता रहे हैं कि जो काम बंलि होनेसे हुआ है वह समर व पर-बलि करनेसे नहीं, जंहाँतक सम्य स्वतंत्र प्राप्तिका सम्बन्ध है।

ऐसा बहुत कम देखा गया है कि सभ्यसमरये सज्जा स्वातन्त्र्यप्रेम न घट गया हो। यह बात इङ्ग्लैण्डके प्रथम चारलेसके समयमें हुई। वहाँ सभ्य-समरके कारण स्वातन्त्र्यप्रेम कितना घट गया था यह बात इतिहासवेत्ताओंवे छिपी नहीं है। इसीसे तो क्रानवेलने तुरन्त असीम बल प्राप्त कर लिया और दूसरा चारलेस वाहवाहीके साथ पुनः सिंहासनासीन हुआ और जातिपर अत्याचार हुए। परन्तु उसके अत्याचारों शासनकालमें अन्तरात्माका सशान्ति हुख सहन करना देश-भक्तिके पुनरुज्जीवनकां कारण हुआ और उसके भ्राताको यद-

च्युत करके फिरझी स्वतन्त्रताकी अहंग नीव हिसालयी चहानं पर पड़ी ।

(च) भुतराम् प्रत्येक मनुष्यको किसी देश, राज वा वंशका क्यों न हो जान रखना चाहिये और विचार करनेसे जान सकेगा कि यही राह मुख्य और महान् प्रतिष्ठित नीति की है । दासत्व प्रेम कमीने हृदयमें भयसे पैदा होता है और विरोध थोथे अद्विष्टनके घमरहसे या विष्टलवकी दुर्बासनासे उपजाता है । परन्तु अवैध प्रतिरोध और सत्य व धर्मके निमित्त दुखका सहना अत्याचारको धूंगा न्यायके प्रेम, देशभक्ति और दैश्वर-भक्तिसे प्रादुर्भृत होते हैं । जहाँ न्याय व स्वतन्त्रताके निमित्त दुख सहन करनेकी इच्छा व शक्ति नहीं, जहाँ बलिदान होनेका बल नहीं वहाँ देशप्रेम, स्वातन्त्रग्रन्ति न्याय व धर्मके स्थिर रखनेकी सज्जी व पूरी वाल्डा होही नहीं सकती । सभ्यता और मनुष्यभक्तिका चिन्ह ही बलि है इसके आगे सारा बल, सारा विरोध, सारी ज्ञातुरी, सारी प्रबन्ध-दक्षता सारी घड़े बन्दी और सरदानगी धूल हैं ।

हमारे उक्त कथनसे दोनों चरमपन्थी नरम होंवा गरम सब स्पात सहमत न होंगे क्योंकि अन्य देशोंके भी राजनीतिज्ञ इस विषयमें सहमत नहीं है, हाँ, मैंने जहाँतक प्राच्य व पाश्चात्य इतिहास व नीतिकी पुस्तकों देखी हैं मेरा यह दृढ़ अनुभान है ।

इसने कई कारणोंसे यहाँ पांडे, सेकटाश, हूवल प्रभृति लेखकोंकी सम्मतियाँ नहीं दीं ना प्रांच्योंके ही भाव राज-विष्टलव सम्बन्धमें लिखे हैं 'क्योंकि हमारा विषय विशुद्ध राजनीति नहीं है ।

मण्डल चौथा ।

अनुवाक १

“परोपकार ।”

जहाँ पारस्परिकत्व न्याय हमारे अन्तर्गत है, वहाँ परोपकार भी है। जो कहें कि परोपकारका नियम व्यर्थ है, तो यह ठीक नहीं क्योंकि नीति व धर्मका सध्ये सङ्ग्रह सुखप्रद अङ्ग तो परोपकार ही है। इसके प्रभालासे कि क्यों हमें परोपकार करना परमावश्यक है; हम यथा शक्ति मानवी गठन, धर्म यथा और पारस्परिकत्वके आधार पर दिखलावेंगे कि परोपकार बुद्धि मनुष्य जीवनके लिये अनिवार्य है।

(१) प्रथम तो हमारा गठन, संगठन व हमारी स्थिति इस जगतमें ऐसी है कि हम दूसरोंके उपकारपर निर्भर होते हैं या हमारा जीवन ही दूसरोंके उपकारसे अवलम्बित है। इस सब ही रूप होते हैं क्योंकि रोग अद्वा-शीलता हममें स्वभाविक है। रोगी होनेपर हम कैसे बिवश, नितान्त अनुपचार और पराधीन हो जाते हैं जो दूसरे हमपर दया न करें तो हमारा शरीर ही नष्ट हो जाय। हमारा धीरे धीरे बढ़ होना भी एक निश्चित घटना है, बुढ़ाई वाल्यावस्थाकी भाँति विवश करनेवालों प्रत्यक्ष ही हम अनुभव करते हैं। जो मनुष्यमें धर्म या नीतिके लिये परोपकार न होती सारे ही बालक बुद्धे विनष्ट हो जायें, कोई भी उनकी उध न ले। अनेक वाहा घटनाएँ हम पर रोगोंकी भाँति आ पड़ती हैं उनमें भी हमें यही शिक्षा सिलती है। फिर यह दुनिया मृत्युके व्याधिसे जकड़ी हुई है, अनेक दीन, विद्वान, अनाथ, निस्सहाय होना निर्विवाद है। जब कि परमात्माने उनके सहायकोंको

उठा लिया तो फिर उन्हें उम्हींके हाथोंसे सहायता दूँड़नी पड़ती है, जिसपर उनका पारस्परिक न्यायसे तो कुछ जोर या दाका नहीं। अब क्या हमारा यह कथन सिंह नहीं होता कि हमारा गठन, संगठन और हमारी स्थिति हमें वाध्य करती है कि हम पारस्परिकत्वके साथ साथ परोपकारकी नीतिये भी काम लें, नहीं २—वरन् अधिकतर हसींचे काम लें।

(२) इस सहायतामें शारीरिक घलकी ही सब जगह आवश्यकता नहीं होती, अबूत सी मानवी सुख सुविधा नीतिक बुद्धि और समझके ही आश्रित होती है। प्रायः ऐसा देखते हैं कि जिनमें यह साधन नहीं हैं वह इसके महत्वको भी नहीं समझते हसींचे सदाके लिये इनसे वस्त्रित ही रह जाते हैं और यदि चतुर पुरुष उनके हानि लाभका यथार्थ ज्ञान करानेकी चेष्टा न करें तो वे और भी मन्दावस्थाको गिरते चले जायें।

अब जब कि हम स्वयं अपने ज्ञानजन्य सुखोंके लिये दूसरोंके आशी हैं—चाहे यह ज्ञान प्रत्यक्ष और जिला हुआ हो वा दूर, पर हम आशी अवश्य हैं—तो हमारा कर्तव्य हुआ कि अपनी कृतज्ञता इसके निमित्त प्रकाश करें और इस कृतज्ञताके प्रकाशका एक भाव उपाय यही है कि जिन वरदानोंका हम सुख भोग रहे हैं उन्हें उन लोगों तक भी पहुँचायें जो इनसे वस्त्रित हैं क्योंकि इसी बुद्धिये तो हमें भी किसीने ज्ञानकी उन्नति कराई थी। हम चाहे अपने उपकारकके उपकार भारको पूरा न चुका सकें, उसके बदलेमें उसके साथ प्रत्युपकार न कर सकें पर सदा जो हमसे कम सुखी हैं उनका सुख साधन करते रहें तो हम बहुत उत्तमताके साथ अपनी जाति (मनुष्य जाति) के सुख व सुविधामें अधिकोधिक उन्नति कर सकते हैं।

(३) प्रत्यक्ष है कि यह भारतेश्वरने हमारे ऊपर ढाठा है किसी मानवी हाथमें यह समर्थ नहीं कि इसका प्रतिबाद वा

खण्डन करे या इसमें कुछ भेद भाव ढाल सके । इस परोपकार मीतिये वाप्त्य है कि परोपकार करे और जिसके साथ हम उपकार करते हैं उसके चाल चलन व्यवहारका विचार न करें । कुछ बात नहीं जो उपकारपात्र कृतम्, दुष्ट या हानिकर है क्योंकि इन दोषोंके कारण हमारे ऊपर परमात्माने जो परोपकारका दायित्व ढाला है वह न बदलता है न कभी होता है, किन्तु दायित्व बढ़ जाता है अर्थात् उसके आचारका भुग्धार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है । अतः सर्वथा हमें उचित है हम आपको शासित रखें और यह अंतम् शासन उन वर्तोंभोंके लिखे न हो जो हमारे साथ किये गये हों वरन् उन नियमानुसार हों जो परमात्माने हमें बतलाया है कि तुम इसके अनुकूल अन्योंके सम्बन्धमें चलो और अपना प्रत्येक कार्य परोपकार बुझूसे ही करो ।

स्वयं सिंह बात है कि बहुत सी नेकियां जो मानवी स्वभावके अत्यन्त ही उपयुक्त हैं उसी समय काममें आती हैं जब दूसरोंकी दुष्टताएँ, उनके अधःपात या उनके क्षेत्र उनकी (जैकियोंकी) आवश्यकता पैदा करते हैं । जो यह क्षेत्र और दुष्टता न हों तो दया और करुणा कैसे पैदा हों? जो कोई हानि व हानिकर न हो तो सन्तोष नम्रता और क्षमा कहांसे जाने जाय । यही बातें हैं जो हमें इस जगतमें इस जीवनको परम पूरिपूर्ण नीतिज्ञ बना सकती हैं ।

यह बातें हमें वैदिक शिक्षामें अच्छी तरहसे व्याख्या सहित मिलती हैं ।

(क) जो तोको कांटे बवे ताहि खोय तू फूल ।

तोहि फूलके फूल हैं ताको हैं तिरशूल ॥

(ख) परोपकाराराय सर्ता विभूतयः (ग) अहिंसा परमो धर्मम्: इत्यादि तो सामान्य रात दिनके सुनने व कहनेके बाब्ब

हैं जो आधुनिक कवियों विद्वानोंने कहे हैं अब हम वैदिक उदाहरण देकर दिखाते हैं कि हमें वेद और उपनिषद् क्या शिक्षा दे रहे हैं :-

(प्रथम तो जानलें कि परोपकार वह है जिससे जीवोंके दुख घटें, और प्राचार और सुख बढ़ें) ‘परमात्माके गुण कर्म और स्वभावोंको जानते हुए उसकी उपासना करो’ कौन नहीं जानता कि परमात्माका प्रत्येक काम हमारे ही उपकारके लिये हैं वह इतना परोपकारी दयालु है कि अपनी अवज्ञा करने हारे नास्तिकोंका भी दरावर पालन करता है। वेदोंके घर्म विधिका रहस्य इतने हीमें जान पड़ता है कि वह परोपकार ही परोपकारके अपनी नीव जानता है। समाजो मन्त्रः इत्यादि ऋ० अ० ८ अ० ८ छ० । म० ३ व म० ४

पुनः दृते दृष्टिः स्मा त्रिस्यमा चक्रुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्रुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष । मित्रस्य चक्रुषा समीक्षा नहे ॥ ५ ॥ य० अ० ३६ म० १८ (दृते०) हे सर्व दुखोंके नाशक परमात्मा आप ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब आपसमें और भावको छोड़ प्रेमसे परस्पर वतें । (मित्रस्यमा०) सब प्राणियोंको अपना मित्र जान बन्धुवत वतें । सत्य धर्माचरणसे सत्य सुखोंको बढ़ावें । इत्यादि । सार यह कि (सङ्गच्छध्वं) को लेकर जो पहिले भागमें कह आये हैं और उक्त मन्त्रोंको पढ़नेसे धर्मके लक्षणका यथावत् बोध होजाता है । और यज्ञोंका विधान जहाँ जहाँ वेदोंमें है वह सब परोपकारार्थं ही कर्मोंके अनुष्ठानका बोधक है । यज्ञ विहीन कोई वैदिक किया नहीं । यज्ञ परोपकारार्थ आत्मोत्सर्गं धनादिके उत्तरजर्जनका ही नाम है अतः वैदिक भतका मूलाधनादिके उत्तरजर्जनका ही नाम है अतः वैदिक देखनेकी दृच्छा धार ही परोपकार है । इस विषयमें अधिक देखनेकी दृच्छा

रखनेवालोंको महर्षि स्वामी दयानन्द लिखित सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और ऋषि व युगोंभाष्योंको देखना चाहिये । यहाँ हमें इतना ही कहना अभीष्ट था कि परोपकार करना ईश्वरकी आज्ञा है । कोई भी धर्म भूमण्डलमें ऐसा नहीं जो परोपकारको ईश्वरीय इच्छानुकूल न प्रतिपादन करता हो ।

ऋ० अ० १ अ० २ व० ३ मंत्र ३ में परमात्मा उपदेश करते हैं कि “ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्रामी ता हवा महे । सोमऽपा सोमं पीतये” लुमोपसालंकारिक वाक्यमें हमें उपदेश मिलता है आदेश होता है कि सब मनुष्य मित्र भावसे परस्पर उपकारके लिये विद्यासे समस्त भौतिक पदार्थोंसे काम लेते हुए उन्नति करें । अर्थात् विना परोपकारके (Benovolence) उन्नति होती ही नहीं इस तरह आगे इसी वर्णन के मन्त्र ८ में भी परोपकार और मिलकर रहनेका उपदेश श्लेषालंकारमें वर्णित है ।

फिर (१) देखिये जैसा हमने कपर कहा परमात्मा स्वयं कैसा परोपकारका भागहार है और हमें कैसा उत्तम उपदेश देता है कि तुम हमारे गुण कम स्वभावानुसार अपने गुण कर्म व स्वभावको बनाओ यही हमारी सच्ची उपासना है । इससे हमें दीनों हीनोंपर दया व दुष्टोंपर क्रोध (परन्तु दया युक्त क्रोध उधारनेकी नियतसे क्रोध) करना चाहिये ।

(२) परमात्मा हमपर दया करते हैं, हम उनकी सब प्रजाको प्राण प्रिय जानें, नहीं तो हम सर्वशक्तिमानके हाथोंसे अदृष्ट न बचेंगे ।

(३) जो ईश्वर-हमारी छोटी छोटी चिन्दी मिन्दी निकालमें लगे तो हमारा एक दिन क्या एक क्षण भी गुजर नहीं

फिर हम ऐसी तुमक मिजाजी और कठोरता दूसरे जीवों पर क्यों करें जो अनीश्वरी या आखुरी प्रकृतिका कान है ।

(४) प्राचीन वेद मन्त्र दृष्टा भृष्टियों और मुनियोंका आदर्श लेकर काम करना अथवा नध्य समयके भगवान् बुद्ध, भगवान् जिन, भगवान् कृष्ण, भगवान् राम आदि भहापुरुषोंके आदर्श हैं । बहुत हालमें देखें तो स्वामी शङ्कर व स्वामी दयानन्दके चलनका आदर्श हमें लेना चाहिये ।

चतुर्वाक २

दुखियोंकी प्रति दया ।

भनुष्यके दुख दोही प्रकारके हुआ करते हैं शारीरिक अथवा सान्तिक । साधारण निर्धनता या आवश्यकता अथवा जीवनकी खुविधाकी चीजोंका अभाव व रोग या अन्य शारीरिक अयोग्यता आदि दुःखके कारण हैं । जब निर्धनताके साथ रोगादि भी आ चिलते हैं तो दुःख गुस्तर हो जाता है ।

१—गरीबी । साधारण निर्धनता या जरूरत किसी भनुष्यकी उंस दशामें दानका उचित पात्र नहीं बनाती जब कि वह अपने पालन-पोषणके लिये यथेष्ट अन करनेकी सामर्थ्य रखता है । जो आलसी होकर काम नहीं करता उसको खाना भी न चाहिये । जो आलसी और सुस्त हैं उनके बास्ते सबसे उत्तम शिक्षा ही यह है कि वह निर्धनताजन्य दुखोंका खूब स्वाद चलें । इनके प्रति समाजके लोगोंका भाव इतना ही कर्तव्य है कि इन्हें काम दें और कामका उचित दाम दे दिया करें । इससे अधिक दायितव्य समाजपर इस सम्बन्धमें दूसरा नहीं ।

(२) कभी कभी अदृश्यवश ननुष्य ऐसा विवश होजाता है कि उसका अन उसके पालनपोषणको यथेष्ट नहीं होता जैसे विधवा व अनाथ वच्चे। यहांपर हमें दया और दानकी आवश्यकता प्रत्यक्ष दीखती है। जो धर्मक्रिया अदृश्यवश आत्म सहाय्य व आत्मरक्षामें असमर्थ हैं उनकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है और उनका स्वत्व भी है, वे हमारे दान व धयाके पानेके व हम देनेके अधिकारी हैं।

३—रोग। सद्गावस्थामें आत्मावलम्बशक्ति छिन जाती है और सनुष्य अपनी आवश्यकताओंके आप उपार्जन करनेमें असमर्थ होकर हमारी सहायताका मुँह तकनेवाला होजाता है। इस दशामें धनिकोंका कास होता है कि बारम्बार दुखियोंकी सहायताके लिये उदारतापूर्वक सहायक हाथोंको उठाते रहें दुष्ट स्वार्थों निर्दयी होकर न बैठें, दुखियोंके साथ सहानुभूति दिखलावें उनकी देवा करें। यदि ग्रीव, रोगन्त्रसित भी हो, तब तो यह कर्त्तव्य और भी अधिक जरूरी होजाता है। यहां ही धर्माधर्म बुद्धिकी जांच होती है। कौन जानता है जो आज दम्भी, निर्दयी, धनवान है कल दीन-हीन परहस्ता-येक्षी न होजायगा किर उसको अपनी दुर्जीति याद आयेगी। इसीसे परोपकारनीति समाज-रक्षाकी जड़ है—पर परोपकार हो। अन्धेपनसे अनधिकारी हरामखोरोंको नासके बास्ते वा बैकुण्ठकी खरीददारीके लिये धनका दिया जाना सहायाप है।

४—आयु। बुद्धाई सबको ही जाती है और बुद्धाई हर-तरहकी शारीरिक बेवशी अपने साथ लाती है अतः हमारा धर्म है कि बृहोंकी जितनी देवा, दहल, व सहायता हमसे देने प्रसन्नमन होकर अपने भाईयोंकी सराहते डुप करें। बुद्धोंका स्वधार वच्चोंकासा चिङ्गिछां, कभी द्वेषसमझ भी होजाता है

उस दशामें जिस प्रेनसे हम बच्चोंका नखरा उठाते हैं ठीक उसी प्रेनसे बुद्धोंकी भी नाज बरदारी करें यही हमारा धर्म है।

हमारी सभकर्में तो यही मुख्यमुख्य दशाएँ हैं कि जिनमें मनुष्यकी शारीरिक अयोग्यताके कारण हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। अब हमें देखना है कि किन सिद्धान्तोंपर हमारे परोपकारी काम क्रमित हों जिनका लाभप्रद प्रभाव दाता और प्रतियाही दोनोंपर ठीक ठीक पढ़े।

(१) हमारे गठन व स्थितिसे यह तो प्रकट ही है कि जो कुछ ईश्वर हमें प्रदान करता है हमारे अमका—पूर्वअमका-फल होता है अधिस (पेशगी) नहीं। मनुष्य जो पाता है उसका बदला उसे पहले ही देना पड़ता है पीछे नहीं। यह सार्विक (Univeral) नियम law है। नैतिक अथवा शारीरिक चाहे किसी विषयमें क्यों नहीं, यही नियम काम करता मिलेगा हमको योड़ा सोचकर देखना ही द्रकार है। बिना जोते बोए कौन लुनता है ? वे पढ़े कौन परिणत हुआ है ? इत्यादि यातें प्रत्यक्ष हैं।

अब ऐसा सार्विक नियम बिना उत्तम व सार्विक कारणके पूर्ण ज्ञान परमात्मा कथ बना सकता था ? कभी नहीं इसीसे हमें अनुभव (तजस्वा) बतला रहा है कि अम (शारीरिक अम) मानवी स्वास्थ्य व सम्पत्तिके स्थैर्यके बास्ते आवश्यक है क्योंकि वह नैतिक, सचेत, बुद्धिमान और भौतिक शरीर धारी ग्राही है। यह नियम स्वयं सिद्ध है कि अनीर गरीब दोनों पर समान ही काम करते हैं। इसीको दूसरी तरह पर देखें अर्थात् सोचें कि या तो अम भलाई है या बुराई (Blessing or curse)। जो बुराई है तो भी जो परमात्मने दिया है उसमें से हम अपने हिस्बेका कष्ट उठानेवे पर्याप्त हैं और बुराईको अपने

अंग्रेज़नुसार क्यों न स्वीकरें जो भलाई है तो भी कोई कारण नहीं कि सब अद्भुत से बांट कर क्यों न भोगें। अतः हमारा परोपकार इस साधारण सर्वव्यापी नियमानुकूल जो हमारे गठन व स्थितिके नसनसे सम्बन्ध रखता है, होना चाहिये।

(१) जो निर्धन है, पर अपने असदे अपनी आजीविका करनेके योग्य हैं उन्हें अमोपजीवी होनेमें सहायता देनी चाहिये अर्थात् उन्हें काम जुहा देना उन्हें कान करनेका रस्ता बतला देना हमारा कान है कि जिससे वह अस करके अपनी रोटी कसाएँ चिक्का असके और कोई दूसरी बात न होनी चाहिये। जो कोई अससे जी चुराता है तो वह अपनी दुष्कृतिका फल भोगे हन क्या कर सकते हैं।

(२) जो कान फरके अपना पालन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इस बातकी क्षमता या योग्यता ही नहीं है उन्हें हम उस अयोग्यताके अनुसार सहायता दें अधिक नहीं शेष वह क्यों न करें नितान्त निष्कृप होकर क्यों बैठें। इन जो कुछ भी नहीं कर सकते उनको पूरे पूरी सहायता होनी चाहिये जैसे चालक, रोगी, अपहूँ और वृद्ध।

परोपकार इस वास्ते है कि प्रापक सनुष्य पर उसका उत्तम नैतिक प्रभाव पड़े, दया, कृतज्ञता और चार्वभौमिक परोपकार बुद्धि सनुष्यके प्रत्येक वर्ग व उण्डनें भलाईके लिये कैले। वही ढंग दान व दयाका उत्तम होता है जो उसके अपली अभीष्टको पूरा करे और अत्यन्त उच्च झेणीकी स्थाभाविक दया और कृपाके भावका विस्तार करे आलस्य हरामखोरी व कदाचारको न बढ़ावे। अतः हमें उचित है कि जो उपकार हम करें जहांतक बने स्वयं अपनी आंखें देखकर अपने हाथोंसे करें ज कि दूसरोंको क्षेपद्वाहीसे सौंप

दे कि हमारी ओरसे वह इस कामको करे । पानेवालेकी कृतज्ञता बहुत कम होती है, यद्यपि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाय, जब तक कि वह उस दिल व स्वभाव व भावको न देसे जिससे यह उपकार हुआ है ।

दाताभींके लिये भी चिह्नान्त है, जो दान दाताकी भी नैतिक बुद्धिको उन्नति देता है उसी ही उचित दान करनेको धर्मशास्त्र अनुरोध करते हैं और धर्मका अङ्ग मानते हैं ।

(१) वही दान प्रणाली सर्वोत्तम है जो धर्मकी प्रत्यक्ष प्रेरणासे आत्म छनकार, आत्मोत्सर्ग और हार्दिक प्रेमसे ही, सज्जी दया सहानुभूति, ईश्वर प्रेम उनुष्य प्रेम और परोपकार बुद्धिसे किया जाय । जो इन गुणों और कारणोंसे विहीन दान दुखीके दुखको हटाता है वह सबुटि दान जानना चाहिये ।

(२) प्रायः दान जो विना विचारे दुष्टीं, आलसियों, हरामखोरों, ढोगियों, ठगोंको पहुंचता है महान पाप और दुर्नीति फेलानेका कारण होता है । भारतमें दानका भाव और अर्थ आजकल बहुत विगड़ा हुआ है जिससे देशका बहुत अड़ा अधःपतन देखनेमें जा रहा है ।

(३) आलसी, हरामखोर, सन्दे मुसन्दे साधूबने फिरते हैं हरामका खाते हैं और सूखता आलह्य व वद्माशी फैलाते हैं इन्हें मजूरी घतलाना चाहिये औपकारिक दान देना पाप है । जो कोई कहे कि हम ईश्वर भजन करते हैं तो वह अपने मुक्तिका साधन करता है आप कमाए व खाये हमपर उसका क्या हक ? जो विद्वान तप व विद्या सम्पन्न हुमें उपदेश करता फिरता हो वह अल्पत हजारी दया व दानका पात्र है ।

(२) तीर्थोंके परेड, पुजारी और पेशेदार भिख संगे सब ही देशका नाश करने वाले दूष हैं इन्हें दान देना घोर पाप है जिसके कारण भारत पतित होता जारहा है।

(३) हमलोग कसाईयोंको जो गायोंके अंगपर दूसरे बलहुँके अवयव फाटकर जोड़ देते हैं और नन्दी कह कर दान जांगते फिरते हैं, दान देते हैं क्या यह पाप नहीं है।

(४) अनेक ढाकू, चोर, सरकारसे छिपे हुए दूष हमारी इस अनधी दान-प्रथाके सहारे अपना काम बनाते हैं कौन कहेगा कि यह अच्छा दान है?

गरीबोंके सहायता भाएहार जो हम राजकीय गठन वा सामाजिक गठनसे बनाते हैं हर तरहसे बुरे हैं सिवा अकाल और दुर्भिसके।

(१) गरीब हीनेहीके कारण हमारे दयाका पात्र कोई नहीं हो सकता न उसका स्वत्व हमारे दानमें दमड़ी भर भी पैदा होता है।

(२) सनुष्यको आत्म सहाय व स्वावलम्ब सिखाना हमारा धर्म है इसके चिरहु स्वाभाविक स्वावलम्बकी उत्तेजनाको भड़ा करने वाले काम कब धर्म व उपकार हो सकते हैं।

(३) इस अन्ध दानसे हरासखोर, भिखारी और आलसी बढ़ते हैं दुराचारकी बढ़ि होती है। देखो भारतसे अधिक भिखसंगे हरासखोर किसी देशमें नहीं हैं। यहां भिखसंगोंकी बड़ी सारी जाति, एक बड़ा रोजगार जान सुकसहान सम्प्रदाय बनगई है भिखसंगे अपनेको सर्वोत्तम जीविका वाले पूज्य सज्जते हैं क्या यह देशके डूबनेके लक्षण नहीं हैं? सरकारकी मारफत दान देना सूखता है अपने हाथसे अपनी बुद्धिव आखें

काम लेकर दान देना चाहिये, अकालीमें जो स्पष्टा एकटुकु होता है उसमेंसे बड़े छड़े पेटके नौकर तनखाह भत्ता आदि के नरमसे कभी कभी अधमसे भी स्पष्टेमें खारह आना ढकार जाते हैं जिसके बास्ते धन दिया जाता है उन्हें चार आना भी सुशक्तिलये पहुँचता है जोभी प्रेमके साथ नहीं बदल शकती, भय और तिरस्कारके साथ, इससे हमारा निजका अनुभव बताता है कि जो सरकारके द्वारा दान देता है मूढ़ है। चतुर बह हैं जो अपने धनसे चिह्नात्तानुकूल अधिकारियोंकी सहायता प्रेम और प्रतिष्ठाके साथ आप करते हैं।

(४) अनुचित दानसे दाताके प्रति पाने वाला कृतज्ञ नहीं होता ।

(५) नैतिक सम्बन्ध, देने व पाने वालेमें किया विहीन दानसे, पैदा नहीं होता ।

(६) जो सरकारकी मांगप्रद, दबावसे, या नामके लिये भग्न देते हैं वह सात्त्विक दान नहीं है, जबरदस्तका ठेंगा है जो सिर पर ही रहता है, जोर पथा हो ।

अन्तमें गरीबोंको दान देना प्रापका मूल है, यदि उहोंको मात्र ही उन्हें दानका पात्र बनाती हो, तो उन्हें दान न देकरे काममें लगाना अच्छा है जिससे अमो, चतुर भारोग्य और कमाऊ बनें और उनका जी भी लगा रहे ।

(७) हम कहुँ चुके हैं कि अनाथों, दीनों, रोगियों, लहुओं, विवर्धोंको अवश्य दान देना चाहिये और प्रेमसे, उदारतासे, लज्जासे, भयसे, प्रतिष्ठारे खब दान देना चाहिये चाहे आप कष्ट भी पावे पर इनका कष्ट निवारण करे यही दानके मुख्य-पात्र हैं। हरामखोर, योगी, सेवक, सन्त्यासी, और बनावटी पुह, मुजारी, जट, कंचर जौग दानके प्राप्त नहीं होते ।

बड़ी बड़ी समाजों या दानकी समितियों द्वारा दान बहुधा खुरा होता है। एक व्यक्ति जब दूररेके कष्टको निवारण करता है तब जो भाव दोनोंके मनमें होता है वह सदा बतावों व लंगर खानों व सरकारी या समितियोंके दानोंमें कभी नहीं देखा जाता। न दाताके हृदयमें दान पाने वालेपर दयाका भाव ही बढ़ता है न पानेवालेमें यथेष्ट कृतज्ञता ही होती है। बहुधा ऐसी जगहों पर दान पाने वाले लड़ते, झगड़ते, कुटते, व गाली देते देखे जाते हैं। नौकरोंके हस्ते दान देना तो भूल है ही, विना अपने निज हाथोंके, दूसरी सभी तरह दान देना कस अर्थस्कर होता है।

अनुवाक ३

चातुर्थ्यं शुख ।

समाजकी धिक्षित अवस्थामें थोड़ी सी विद्या मानवी जीवनके लिये अनिवार्य आवश्यक चीज़ है। जो विद्या विहीन है उन्हुंचे सुभोगोंसे विजृत रह जाता है और भोगे पनसे ठगोंके जालमें जलदी फंस रहता है और अपनी वृत्तियाँ पार्थविक बना डालता है।

पढ़ना सीखकर भलुद्य उस भाषाकी सारी विद्याको पासकर योग्य हो जाता है, लिखना जान लेनेसे जहाँ वह शरीरसे नहीं यहुंच सकता वहाँ भी कान कर सकता है, और स्वविचारोंसे दूसरोंको भी लाभ यहुंचा सकता है। यणित जाननेसे परस्पर व्यवहारमें ठीक ठीक रह सकता है दूसरोंके लेन देनकी सफाई और सचाईको जाननेमें समर्थ होता है।

इतना 'जानना जितना अनिवार्य आवश्यक है, उतना शेष विद्यांका जहान जान अनिवार्य नहीं होता।' आदि

शिक्षा पितृगण देते हैं, वेदोंकी अधिक शिक्षा जो वे बालकोंकी न दे सकें तो उसका प्रवन्ध समाजसे होना उचित है यह महान प्रशस्त दान है 'सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम् विशिष्टपते' और ऐसे दानोंका प्रवन्ध राजकोय शिक्षा विभाग द्वारा होना और दानोंकी तरह अनुचित नहीं वरन् परम विषयोगी होता है यदि विशेष कारण इसके प्रतिकूल किसी देश व जातिमें वापक न हों।

राज्य कोषके सिवा इस काममें व्यक्तियोंको दान देना चाहिये और स्वतन्त्र संस्थाएँ भी विषय विशेषकी उच्चतिके अर्थ रखनी उचित हैं। आम जाममें एक राजके प्रवन्ध गत दूसरी प्रजा-तंत्र पाठशाला हों, सब ग्रामोंके क्षयर जो जिला हो वहाँ इनकी उपकेन्द्रिक वहत शालाएँ हों और कई जिलोंपर एक दो अथवा चार, सनुष्य संख्याके अनुसार, महा विद्यालय हों और सबका परीक्षक केन्द्र विश्वविद्यालयके प्रत्येक प्रान्तमें एक तो सर्व विषयक हो, अन्य तो एक एक विषय विशेषके भी विश्व विद्यालय हों जैसे गणित, तक्त, दर्शन, नीति विज्ञान प्रसूति। अनेक विद्यार्थीको एक साथ पढ़नेसे वह नैपुण्य नहीं होता जो एकके ही पढ़नेसे, अतः जो एक ही शाखामें दक्षता प्राप्त करना चाहें उनके बास्ते अलग अलग विषयके भी विश्व विद्यालय हों। किसी प्रान्तमें कोई और किसीने कोई इस तरह सब प्रान्तोंमें मिलाकर सब विद्यार्थीके विश्वविद्यालय देशमें हो जाय और एक एक साधारण विं विं सबका समाहाररूप साधारण ज्ञान दिलानेकी रहे।

इस सम्बन्धमें जो दान दिया जाय वह इस सिद्धान्त पर हो :—

(१) पाने वाला उचित से अधिक न पावे क्योंकि वह भी तो अपसे अमीष चिह्न के लिये कुछ अम करे नहीं तो हरामखोर बनेगा ।

(२) उधार रूपया देकर पढ़ाना अच्छा है दान देकर पढ़ाना इतना अच्छा नहीं होता ।

(३) इस प्रकारके दान या उधार देनेमें पूरा पूरा विचार कर लेना चाहिये, अन्धाखुन्ध कान न होना चाहिये ।

दान ऐसा हो जो दोनों पक्षोंमें भलाईके भाव पैदो करे और दैश व समाजकी अमीष चिह्न हो, अमी व योग्य दृष्टिक्षयों गणित व फलित होती चली जाय । रालकीय व सांबं-जनिक (Public & private) दोनों निरीक्षण सांघ ही साथ होते रहे जिससे दान अनुचित हाथेमें न जाय, उर्ध्व ज ही और अभीष्ट प्रद हो । दान ऐसा हो जिसे आँलसी, अम-धिकारी, सम्पत्ति छोग लेनेकी उत्तेजित न हों और अधिकारी, अमी और निर्धन छोग लेनेसे घणा व लड़वा भी न करें । कभी कभी पारितोषिक व क्षात्र वृत्ति देते हैं वह इस दृष्टिक्षय मिल उत्साह प्रदानार्थ दान होता है इसमें पानेवार्ताएँकी योग्यता ही केवल कारण होनी चाहिये ।

विज्ञान चिह्नको 'जो अनालय या वैज्ञानिक सहायिद्यालयादि बनते हैं उनमें जो 'घन दिया जाता है परोप-कारिक दान नहीं क्योंकि 'उससे देशके खंबे २ को लाभ पहुंचता है वह दान आपकारी दान है । जितना शिक्षाका व्यय चटेगा, शिक्षा सहनी होगी, जितने अधिक अनालय, परोपकारी ह, पुस्तकागार अधिक होगे उनमें ही लहड़ी देश उत्पत्ति करेगा अर्थात् इसारी उत्पत्ति होनी चाह

‘विचारसे उच्च शिक्षा के निवित्त धन देना धनिकोंका परम कक्षय है ।

अनुवाक ४ ।

“दुष्टोंके प्रति उपकार ॥”

दुष्ट अपनी स्वाभाविक स्थितिसे ही दुखी रहता है वह स्वयं अपनेको धनजनन्य खुलोंसे बचात्वा कर लेता है व करता रहता है । वह उन सम्बोगोंको (passion) बलिष्ठ कर लेता है जो प्रवणता औलबत्तम होकर उसे सताते हैं और कभी उस नहीं होते, अतः वह अपनी दुष्टताका खुरा फल इस संसारमें भोगता है ।

दुष्ट भी हमारी कहाना (pity), में व परोपकारका भरनी है, लेकिन दुष्ट स्वभावसे ही हमें घृणित व अग्रिय होता है और दुष्टता तिरस्कृत होनी ही चाहिये, इससे उसके विषयमें हमारे माव मिस्रित होते हैं—उसके दुखसे दुखी, उसकी मूढ़तापर कहणापूर्ण और उसको धृष्टतापर कुह व उसके उधारकी चिन्तासे गम्भीर । परमात्मा वर्या करता है तो भले खुरे दोनों ही के खेत सिंघते हैं, इसी तरह हमें दुष्टोंपर भी दया करनी उचित है पर उधारकी खुदिको लिये हुए हमारे काम हीं । जुआरी भूखा हो, रोगी हो या बेपढ़ा हो या और तरह अयोग्य हो तो काममें लगायें इतना ही दें जो उसके पास जुआके लिये पैसा न दहे अच्छी सङ्कृतमें उसका अधिक समय उपतीत करनेवाला काम सोचकर देवें, इत्यादि । हमें बुरोंको भला बनाकर छातीसे लगानेके लिये तैयार रहना चाहिये, सर्वथा तिरस्कार व किछीसे स्थागकर दुष्टतर धा दुष्टतम बनानेवाला काम उसके प्रति न करना चाहिये ।

जैसे हमारे देशमें भिखर्संगी जाति हैं, चोर हैं जुआरो हैं तो हम इनका उपकार यों करेंः—

(१) आदर्शसे, व्यक्तिक दयासे, बातचीतसे, कर्तव्य-आनंदकरा कर, विधि-निषेध बताकर और उन्हें धर्मकी ओर प्रीतिपूर्वक उत्तेजित व संलग्न करके उन्हें दुधारें।

(२) उन्हें धर्म पुस्तकें ही पढ़ाएको हैं, रात दिन और कुछ काम न लें, सचाइयों और धार्मिक बातोंको उसके हृदयस्थ करने ही वाले कामको उनसे लें या अधिक लें।

(३) उन्हें अच्छोंके चरित्र पढ़ावें ; जैसे राज, कृष्ण, हरिष्चन्द्रादि महात्माओंकी चरितावली।

(४) उनकी भूलसे कोई ऐसी सहायता न हो कि जिससे वे कुनैर्गमें जायें ; जैसे जुवारीके हाथमें पैसा होने देना, या सींपना बुरा फल दिखायेगा।

अनुवाक ५

हानिप्रदके प्रति परोपकार विधानमें लेंः—

(१) जब एक व्यक्ति दूसरेको हानि पहुंचाये ।

(२) जब व्यक्ति समाजको हानि पहुंचाये ।

(३) जब एक समष्टि दूसरी समष्टिको हानि पहुंचाये ।

(४) जब व्यक्तिको व्यक्ति हानि पहुंचाये, तो सताने बाला दुष्टता और व्यक्तिक स्वत्वोंके भङ्ग करनेका अपराधी होता है।

(क) जाहातिक कि उसका काम दुष्ट है हमारी उस कामके साथ नैतिक घृणा ठीक वैसी ही होनी चाहिये जैसी कि दूसरेके साथ यही दोष किया जाता तो होती ।

(स) जहाँतक कि दुष्ट अपनी दुष्टतासे दुख पा है वहमें कहवा (Pity) करनी चाहिये और उसे लाभ प्राप्तनेका यत्न करना चाहिये अर्थात् उसको दुष्टता कुड़ानेका पाय करना चाहित है ।

(ग) उसके दुखका कारण नैतिक भूल है अतः हमा कर्त्तव्य है कि हम उसे सुधारकर समाजमें अपना लेवें ।

(घ) उसने हमारा अपराध किया है हम उसे क्षमा करें- तभी हमें कोई क्षमा करेगा नहीं तो क्षमाका निशान ही संचारसे जाता रहेगा ।

(ङ) उसने अपराध किया है तभी तो हमें अपनी विशेष धर्मशाला व सहनशीलतासे नेकी दिखलानेका बड़ा अवसर मिला; हमारा काम है कि हम दुष्टको नेकीसे जीत लें, उसका सुधार करें और फिर अझौकार कर लें । मनुष्यका काम है कि बुराईसे न हारे, किन्तु नेकीसे बुराईको जीत डाले, आप बुरा न बने बुरेको भला बनाकर अपनैमें ले ले । उसके दश लक्षणोंमें धृतिके बाद क्षमाको धर्मशास्त्रमें दूसरा पद दिया गया है ।

‘दुष्टता’ करनेवालेके साथ जब बदलेमें नेकी की जाती है तो वह स्वयं लड़ियत होकर दुष्टता छोड़ देता है, और उसके मनके भावोंमें एक विश्वस्ताई सुधार पैदा होजाता है जो कि फिर उसे मनुष्य बना देता है । बदला लेनेकी प्रथा ठीक इसका उठाया प्रभाव मनुष्यपर डालती है । बदलेसे कोई भी नहीं दुष्टता दोनों पक्षोंमें दुष्टता व दुर्बुद्धि ही प्रधानता पाती है व बढ़ती है ।

(२) जब व्यक्ति समाजकी हानि करे ।

जब कोई व्यक्ति सामाजिक नियम, सूत्र वा धारन घाराको भङ्ग करे तो वह इस उपचिभागमें आता है । जब इसके समय व्या वर्ताव करे? यह प्रश्न होता है ।

(क) जो अपराध ऐसा हो जो न रोकनेसे समाजको बिनष्ट तो न करेगा पर नहा हानि पहुंचायेगा तो उसे रोकना ही पड़ेगा अतः उसके रोकनेका उपाय करना समाजका धर्म है । बहुतीकी सम्भति है कि एकान्त कारावाससे इस ग्रकारके छुधार सर्वथा हो सकते हैं पर पहली दशाओंमें निःसन्देह यह रीत बहुत लाभ प्रद् होती है ।

(ख) समाजका अपराधीके प्रति भी कुछ कर्तव्य है वह कर्तव्य बतलाता है कि समाज उसे युनः अङ्गीकार करके उसके बुखी अनानेकी चेष्टा करे । अर्थात् उसे धार्मिक सदा-चारी अनानेपर ध्यान दे । यह परोपकारका नियम व्यक्तियों और सभाइयोंपर एक समान माननीय है जो कारावासका असर्व धार्मिक हो तो वहुत छुधार हो सकता है पर शोक है कि कारागारका कुप्रबन्ध उलटा बन्दीको और कठोर छह्य दुष्कराज बनाकर समाजको वापिस देता है । इसारे पास यहाँ वर्त्तमान कारागारकी यथावत आलोचनाको स्थान जहाँ है किन्तु जो साहाय्य देतना चाहें इसपर सुर रमेशचन्द्र आदि कई विद्वानोंके लेख उप्रे हुये मिलेंगे । जो कुछ इसने लिखा है अपने अनुभव और अन्य अनुभवी पुरुषोंकी सम्भाति के अनुकूल लिखा है । जहाँ बदलेकी बुद्धिसे कारागार है व अलाये जारहे हैं वहाँ दुष्टोंकी संख्या लगातार गुणित होती आती है, जहाँ बन्दीग्रह, धर्मपुरीका शिक्षास्थल बना है वहाँ ही छुधार होता है । (Howard) हावर्ट कहता है कि “दुष्टोंको दबह देना व्यर्थ है, यदि तुम उन्हें फिर अपनानेकी चिन्ता नहीं रखते ।”

(३) आहार समाजोंमें परस्पर एवं हुसरेला व्यवह भङ्ग होता है वहाँ भी उक्त चिह्नान्तर्मिती घट्टस कुल कानून उत्तरते हैं। व्यक्ति और समाजके गात्र व खपनें भेद हो पर उभेकत्तंव्योंमें छोड़े प्रधान अन्तर नहीं है।

(१) कोई व्यक्ति ईश्वरीय नियमानुकूल यद्दलंड उनेका अधिकारी नहीं है किन्तु ग्रन्थेक व्यक्तिके प्रति चाहे वह किसी रूपरक्ष जाति व देशका ख्यां न हो, वह वाच्य है कि उपकारिक नियमानुकूल ऐ बर्ताव परे यही वैदिक शिक्षाका शूद्र तत्व है कि जो हुस्ता करे उसे निकीचे जीतो।

(२) समाज प्रवन्धकत्तर्व व्यक्तियोंको कोई जातिकार नहीं है कि वह उक्त नियमको तोड़े; जिस ईश्वरीय जाज्ञाके वन्धनसे व्यक्तियां बंधी हैं उन्हींसे समाइयां भी।

(३) हम यह परिणाम निकाल चकते हैं कि ज्ञानाका ही सिद्धान्त जातियों और समाजियोंमें भी प्रधान होना चाहिये।

(४) ज्ञातः हमें कहना पड़ेगा कि सारे ही सन्दर जो शास्त्रोंमें परस्पर होते हैं ईश्वरीय इच्छाके विरुद्ध होते हैं और हमके सञ्चालक और पीठपोषक हुए लोग ही बुझा उत्तरते हैं। किसी राज्य या जातिको सन्दर करनेका अधिकार ही नहीं क्योंकि ईश्वरने मनुष्यको यह अधिकार दिया ही नहीं। जो हमारे पास नहीं है हन उसे हुसरेके हाथमें कैसे दे वा सौंप सकते हैं? जब किसी व्यक्तिको उह करने रक्षपात करनेका ईश्वरने अधिकार नहीं दिया तो इन्हीं व्यक्तियोंसे जनी समाइ या शासन शक्तिके हाथमें यह अधिकार कहांसे जायगा कि वह रक्ष पात करे या रक्ष पात करनेका अधिकार किसीको दे।

जो बुद्धि सुक व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिके रक्त पात करनेके बदले प्राण दराह देती है वह हजारी लाखींका रक्तपात हुएके मनसे अहमित सोकर करडालनेको क्या उचित कहेगी ? परनामा एक भनुष्यका भी रक्तपात करनेकी आज्ञा हमें कदापि जहाँ देता ।



आनन्द ग्रयी ।

॥४५॥

(१)

परम पिता हि जगत् पति, पानमी या जी जान ।
सकल उहोदर नारि नर, सत्य शुद्ध शुभ जान ॥

(२)

पिता ईश नाता स्वम्, ऊन्धु उहोदर सर्व ।
भारत छुत प्रिय प्राणसम्, समता गत सब गर्व ॥
वात उभय कस एक है, व्याप्ति भेद भू भेद ।
यह विद्याति सम्बन्धमें, यह स्वप्नाति सम्बेद ॥

(३)

समता उत् सौधान्य संग, छुख स्वांतन्त्र विशुद्ध ।
शुचि संस्तु सम्बन्धमें, प्रियतम् पन्थ प्रशुद्ध ॥

(४)

स्वजन ऐक्य स्वाधीनता, जातु भाव अभिराम ।
शब्द अर्थ ज्यों भावन्य, आर्थ अर्थां नान ॥
परजन पुरजन सेदसे, उभय भेद बनजात ।
जैसे दोकुल देखिये, तात जातके नात ॥
एक जनक प्राधान्य है, जा प्राधान्य से दोय ।
ईश एक नहि सरषब्दहु, अन्तर बाहर होय ॥

(५)

रीति और चिह्नान्तदी, लेकर चले जहान ।
चम्मं सजाज सुनीति-नृप, जाति व्यक्ति कल्यान ॥

हमारा उद्घाइ कैसे हो ।

या

हम कैसे बनें ।

“हरगीतिका”

सबके हम, ‘हरगीतिका’ हमारे नव

प्रत्यक्ष प्रादुर्भूतजो जातीय धारा जीवन विविध ।
 चब संकलित इक भावने हर्ष धन्वन्ते शास्त्रविविध ॥
 इस भावचे हो संबलित चब एक हर्ष भन भावने ।
 पद धन्वन्त परिदर्शितगहें, घर पाव एकी नावने ॥
 विश्वास युत शंकर उमर्पित ऊनको पूरा करें ।
 उसकी प्रजा प्रति प्रेमने, भारत छुयशहीने धरें ॥
 उद्देश पक्षा एकही स्वातन्त्रय अपने देशका ।
 द्वृढ़ वात लेकिर नन रहे, भाष्टप स्वतन्त्र विदेशका ॥
 विश्वासमय हम होरहें, उछिड़ दी विलकुल नहीं ।
 विष्टव सहाय, विगाइसे केवल बना है कुछ कहीं ? ॥
 यह हैं सभी साधन बुलानेले लिये उन्नति बढ़ीं ।
 जो वह नहीं तो यह वृथा जो यह नहीं तो वह नहीं
 उहार भारतके लिये इन तत्वको मत भूलिये ।
 नन कर्त बाणीसे सदा नन बुहु तुठाने तोलिये ॥
 जीवरतना अंपना अमर है वेद यह यत्तारहे ।
 जीकृष्ण अनुसोदन करें त्यों उपमिषद् जतला रहे ॥
 तज नेह नश्वर देएका उहार भारतका झरो ।
 चब भाति संगठकर यही यह काननीके अनुमरो ॥

(राधे)

